षोडश माला, खंड 5, अंक 3 बुधवार, 26 नवम्बर, 2014

5 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2014 / 1936 (शक)

अंक 3, बुधवार, 26 नवम्बर, 2014 / 5 अग्रहायण, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या

निधन संबंधी उल्लेख 16-18

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 44 24-45

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 45 से 60 46

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी 47-48

सदन की मर्यादा बनाए रखने के बारे में

सभा पटल पर रखे गए पत्र 49-60

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन 61

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

विवरण 61

'राजीव गांधी उद्योग मित्र योजना' (आर.जी.यू.एम.वाई.) के बारे में दिनांक 13.08.2014 के अतारांकित प्रश्न सं. 5051 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

श्री कलराज मिश्र 62-68

समिति के लिए निर्वाचन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद 69

सदस्य द्वारा निवेदन

उत्तर-पूर्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में 79

नियम 377 के अधीन मामले 81-101

(एक) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 82

(दो) गुजरात के सूरत विमानपत्तन को विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश 82-83

(तीन) गुजरात के दांडी में गांधी आश्रम क्षेत्र में सुविधाओं का विकास और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट पी. सोलंकी 84

(चार) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता का निवेदन करने वाले सभी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल 85

(पाँच) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को छात्र संघ, अध्यापक संघ तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए चुनाव कराए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय 86

(छह) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकांत दुबे 87

(सात) राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मूंगफली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने तथा उत्पाद के तीव्र प्रापण के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 88

(आठ) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कलपि नगर में चार लेन वाली सड़क पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 89

(नौ) पंजाब में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोख सिंह चौधरी 90

(दस) बिहार के कोसी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रंजीत रंजन 91

(ग्यारह) तमिलनाडु के श्रीपेराम्बदूर में नोकिया कम्पनी का एकक बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों के लिए समुचित कल्याण उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री के. एन. रामचंद्रन

92-93

(बारह) तमिलनाडु के त्रिची विमानपत्तन पर विदेशी एयरलाइन्स की उड़ानों को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमार 93-94

(तेरह) आवश्यक और जीवनरक्षक औषधियों की वहनीय दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे (नाग) 95

(चौदह) देश में ठेका श्रमिकों के कल्याण के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री कलिकेश एन. सिंह देव 96

(पंद्रह) आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में "हुदहुद" तूफान के द्वारा आयी आपदा को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोनाकल्ला नारायण राव 97-98

(सोलह) बिहार में निरन्तर आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईस्माइलपुर में गंगा नदी पर एक बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेश कुमार 98

(सत्रह) वैशाली, बिहार में महात्मा बुद्ध से जुड़े स्मारकों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने तथा उन्हें पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने हेतु पर्याप्त वित्तीय पैकेज प्रदान करने की पहल किए जाने की आवश्यकता

श्री रामा किशोर सिंह 99

(अठारह) देश में घरेलू रबड़ के दामों में गिरावट को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि 100-101

सरकारी विधेयक -- पारित

(एक) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014

... जारी 102

श्री धर्म वीर गांधी 102

डॉ. के. कामराज 103-104

श्री एम. वीरप्पा मोइली 104-110

श्री कौशलेन्द्र कुमार	110-111
श्री पी.वी. **मिदून** रेड्डी	111-113
श्री अधीर रंजन चौधरी	113-114
श्री राजेश रंजन	115-116
श्रीमती अनुप्रिया पटेल	116-118
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	118-122
डॉ. जितेंद्र सिंह	123-125
श्री भर्तृहरि महताब	125-126
खंड 2 और 1	166
पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव	167
(2) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014	**225**
श्री राजीव सातव	225-229
श्री अरविंद सावंत	230-231
श्री पी. करूणाकरन	232-235

श्री राजेश रंजन 236-237

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी 238-244

खंड 2 से 50 और 1 245

पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव 245

(3) केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 249

श्रीमती कोथापल्ली गीता 249-251

श्री एम. बी. राजेश 251-253

कुमारी सुष्मिता देव 253-254

प्रो. सौगत राय 255-258

श्री उपेन्द्र कुशवाहा 258-259

श्री राजेश रंजन 259-261

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी 261-265

खंड 2, 3 और 1 266

पारित करने के लिए प्रस्ताव 266

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा 168

विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे 168-179

श्री भर्तृहरि महताब 179-186

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 187-199

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू 201-205

श्री सुदीप बंदोपाध्याय 205-210

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 211-212

डॉ. **रविन्द्र** बाबू 212-214

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी 215-219

श्री एम. वीरप्पा मोइली 220-224

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी.थॉमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी.के. ग्रोवर

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 26 नवंबर, 2014 / 5, अग्रहायण 1936 (शक)

लोक सभा की बैठक पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

<u>निधन संबंधी उल्लेख</u>

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को तीन भूतपूर्व सदस्यों श्री गुरचरण सिंह गालिब, श्री लक्ष्मण मलिक और श्री रामबदन के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री गुरचरण सिंह गालिब पंजाब के लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दसवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे। वह दसवीं लोक सभा के दौरान गृह कार्य संबंधी समिति के सदस्य और तेरहवीं लोक सभा के दौरान विदेशी मामलों संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व श्री गालिब पंजाब विधान सभा के सदस्य थे। एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री गालिब ने जिला परिषद, लुधियाना के उपाध्यक्ष और पंचायत समिति, सिद्धवनबेट, लुधियाना के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।

श्री गुरचरण सिंह गालिब का 18 अक्टूबर, 2014 को 81 वर्ष की आयु में पंजाब के लुधियाना में निधन हो गया।

श्री लक्ष्मण मलिक ओडिशा के जगतसिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। वह सातवीं लोक सभा के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री मलिक चार बार ओडिशा विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने ओडिशा सरकार में निर्माण और परिवहन, उत्पाद शुल्क, कृषि, सहकारिता और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री मलिक ने समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षित करने में सक्रिय योगदान दिया और समाज में उपेक्षित लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया।

श्री लक्ष्मण मलिक का 19 अक्टूबर, 2014 को 87 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर, ओडिशा में निधन हो गया।

श्री रामबदन दसवीं लोक सभा में उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य थे। वे दसवीं लोक सभा के दौरान मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य थे। श्री रामबदन वर्ष 1984 से 1989 तक उत्तर

प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री रामबदन ने समाज के पददलित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अथक कार्य किया।

श्री रामबदन का निधन 20 नवम्बर, 2014 को 71 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ।

हम अपने सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

माननीय सदस्यगण, पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आई विनाशकारी बाढ़ में 170 से आधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस बाढ़ से पूर्वोत्तर क्षेत्र के हजारों लोगों के प्रभावित होने के साथ-साथ सड़क, अवसंरचना, नदी तटबंधों और कृषि भूमि को व्यापक क्षति हुई।

सभा इस प्राकृतिक आपदा, जिससे मृतकों के परिवारों को अत्यधिक पीड़ा और दुख-दर्द सहना पड़ा, पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुम्बई में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की आज छठी बरसी है, जिसमें कई भारतीय और विदेशी नागरिकों की जान गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

इस अमानवीय आतंकवादी हमले के एक वर्ष बाद नवम्बर, 2009 में इसी दिन सभा ने आतंकवादी ताकतों का एकजुट होकर मुकाबला करने और उन्हें पराजित करने का संकल्प किया था। आज, हम पूरे विश्व में आतंकवाद के सभी रूपों का उन्मूलन करने की दिशा में काम करने की अपनी शपथ और वचनबद्धता को दोहराते हैं।

यह सभा अपने उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों की सराहना करती है, जिन्होंने आतंकवादियों को पराजित करने में असाधारण साहस का प्रदर्शन किया और सभा इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के शिकार व्यक्तियों के परिवारों और संबंधियों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात सदस्य थोड़ी देर मौन *खड़े* रहे।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, कल भी हमने यह कोशिश की कि कालेधन पर इस सदन में चर्चा हो। चुनाव से पहले इस बारे में जो वादे किए गए थे और उसके बाद भी सरकार द्वारा कई वक्तव्य इस बारे में आए, तो हम जानना चाहते हैं कि आज तक कितना कालाधन विदेशों से भारत लाया गया, कितना पैसा किसका था और किसके अकाउंट में गया। इन सबके बारे में यहां पर चर्चा करने के लिए हम कल से कोशिश कर रहे थे। इसीलिए मैंने निम्नवत उल्लेख करते हुए इस बारे में नोटिस भी दिया था:

[अनुवाद]

> "मैं सभा के कार्यों को स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति माँगने के अपने इरादे की सूचना देता हूँ, ताकि एक अविलंबनीय महत्व के ठोस मुद्दे पर चर्चा की जा सके। यह मुद्दा है - विदेशी बैंकों में छिपा कर रखे हुए काले धन को सौ दिनों के भीतर वापस लाने और इसे भारत के नागरिकों में वितरित करने के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों का उल्लंघन ।"

दूसरी बात यह है कि, महोदया, मैंने एक और सूचना भी दी है जिसमें मैंने आपसे निवेदन किया है कि आज प्रश्न काल को निलंबित किया जाए और इस चर्चा को प्राथमिकता दी जाए ताकि इसे महत्व मिल सके। सरकार भी जवाब देने के लिए तैयार है। हम जवाब सुनेंगे; उनके द्वारा किए गए वादों को भी पूरा देश सुनेगा और उनके उत्तर को भी सुनेगा। कृपया इस चर्चा को अनुमति दें ताकि मैं बहस शुरू कर सकूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप जानते हैं कि सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑवर नहीं होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : पहले होता था।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): पहले हुआ है, यह कंवेंशन है।

माननीय अध्यक्ष : आप कहिए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : महोदया, मैंने भी नोटिस देकर कहा है कि इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए और प्रश्न काल स्थगित करके इसे उठाया जाना चाहिए। हालांकि, आज की कार्य सूची से पता चलता है कि इसे अंतिम मद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पहले सारे विधेयकों पर चर्चा होगी और फिर शाम को यह विषय आएगा। तो ऐसा लगता है जैसे यह सरकार काली रात में कालेधन के विषय पर चर्चा करानी चाहती है। दाल में कुछ काला है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई, मैं आपकी बात समझ गई। आपने अपनी बात कह ली, अब आप बैठ जाएं।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : इस विषय पर लगता है कि कुछ खास बात है, मतलब है, दाल में कुछ काला है। हम लोग चाहते हैं...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, ऐसा बेकार आरोप करना अनुचित होगा। सदन की मर्यादा और गरिमा है। सरकार बहस के लिए तैयार है। कल भी मैंने इस बात को हाउस में कहा, चैम्बर में भी कहा, मैंने विपक्ष के नेता को भी कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कब चर्चा हो, यह सभापति जी तय करते हैं। हमने अपनी तैयारी कल ही बता दी थी। दूसरा, हमारे पास छिपाने के लिए कोई विषय नहीं है, हमारे जमाने में कुछ हुआ नहीं है, आपके जमाने में हुआ है। इसलिए कभी भी चर्चा हो, थोड़ा शांति रखिये। *...(व्यवधान)* इतने साल चुप बैठे सुदीप जी और

थोड़ा शांत बैठ जाइये। [अनुवाद] शाम और दिन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है और जब भी आप तय करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप थोड़ी देर चुप बैठ जाइये। [हिन्दी] मुझे कुछ कहना है, आप बैठ जाइये। माननीय सदस्यगण, मुझे विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए वादों के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, डॉ. एम. वीरप्पा मोइली, सर्वश्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, कमलनाथ, के.सी. वेणुगोपाल और एन. के. प्रेमचन्द्रन से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रक्रिया नियमों के नियम 56 के अंतर्गत, स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता हेतु एक महत्वपूर्ण मानदंड यह है कि मामला आपातकाल के रूप में अचानक उत्पन्न हुआ हो। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि काले धन का मुद्दा हाल ही में सामने नहीं आया है। यह तो गत लोक सभा में भी चला था और इसलिए इसकी ग्राह्यता हेतु नियम 56 में निधाररित मूलभूत मानदंड पूरा नहीं हुआ है।

इसके अलावा, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया को तीव्र किए जाने की आवश्यकता से संबंधित नियम 193 के अंतर्गत एक चर्चा आज की पुनरीक्षित कार्य-सूची में सूचीबद्ध है। मैं इन सब परिस्थितियों में आपका स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं कर सकती। सस्पेंशन ऑफ क्वैश्चन आवर का भी नियम के अंतर्गत हो नहीं सकता, लेकिन नियम 193 के अंतर्गत पूरा-पूरा मौका सभी को मिलेगा। धन्यवाद।

<u>पूर्वाह्न</u> <u>11.12 बजे</u>

(इस समय, श्री भगवंत मान आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष : जैसा मैंने कहा है कि नियम 193 के अंतर्गत आपको प्रीओरिटी दी जाएगी। [हिन्दी] आप अपनी सीट पर जाइये। आपका तो प्रस्ताव भी नहीं है। आपने तो कोई नोटिस भी नहीं दिया है। आप अपनी सीट पर जाइये।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

इस समय, श्री भगवंत मान अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपका यह कहना है कि हम आपकी रुलिंग को क्वैश्चन नहीं करते। लेकिन यह हमारा फर्ज है और सरकार का भी यह फर्ज है कि जो विषय महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण विषय को प्रीओरिटी देकर अभी इस वक्त लेने की अगर आप उन्हें सूचना दें तो हम तैयार हैं क्योंकि यह नहीं कहना कि यह दो साल से है, तीन साल से है। *...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन के रूप में इसे स्वीकार नहीं कर रही हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : समय-समय के अनुसार किसी चीज का महत्व होता है। [हिन्दी] इसीलिए उन्होंने 100 दिन का वायदा किया, ये दो-तीन साल पहले नहीं था। ये 100 दिन का वायदा तो आज का है, आपका है, आपके मैनिफेस्टो में है। *...(व्यवधान)* राजनाथ सिंह जी बोले हैं कि 100 दिन में हम कालाधन वापस लायेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री एम.वैंकैय्या नायडू : हम तैयार बैठे हैं, ये लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा है कि स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होगा। [अनुवाद] यह मेरी व्यवस्था है। मुझे खेद है। [हिन्दी] स्थगन प्रस्ताव नहीं होगा, नियम 193 के तहत चर्चा में आपको प्रायोरिटी दे देंगे। मैं चर्चा करके इसको जल्दी शुरू करवाऊंगी। [अनुवाद] लेकिन अब नहीं। मुझे खेद है।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुना): महोदया, मैं अनुरोध करूंगा कि प्रश्नकाल के बाद इस पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : नियम 193 के तहत तो चर्चा करनी ही है, लेकिन कब करनी है, यह मैं देख लूंगी।

... *(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आप आज ही नियम 193 के तहत इस चर्चा को ले लें।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैं इस बारे में चर्चा करूंगी और इस पर जल्दी चर्चा ले लेंगे, लेकिन मैं अभी समय तय नहीं करूंगी। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप इस तरह से मत कीजिए, एकदम से चर्चा कर लें। [अनुवाद] मैं इसे लुंगी । [हिन्दी] मगर मैं यह नहीं कहती हूं कि कितने बजे चर्चा होगी, क्योंकि, आज राज्य सभा में भी इसी विषय पर चर्चा है। इसलिए मैं इस पर बात करके जल्दी से जल्दी चर्चा लेने की कोशिश करूंगी।

... <u>(व्यवधान)</u>

पूर्वाह्न 11.14 बजे

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या - 41 - श्री बी वी नायक

(प्रश्न.41)

[अनुवाद]

श्री बी.वी. नाइक : माननीय अध्यक्ष महोदया, उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यों में, विशेष रूप से कर्नाटक में प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर नामांकन और स्कूल छोड़ने की दरों के बीच अंतर का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इन योजनाओं से छूट गए लाभार्थियों के साथ-साथ सभी स्तरों पर जनजातीय आबादी के नामांकन और स्कूल छोड़ने की दर के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक विस्तृत सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार को इस तरह के सर्वेक्षण करने के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार को राज्यों में, विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में इस तरह के सर्वेक्षण के लिए वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो राज्यवार इसका ब्यौरा क्या है?

---

[1] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[हिन्दी]

डॉ. रामशंकर कठेरिया : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो पूछा है और यह सही है कि पढ़ाई छोड़ने का अंतर है। लेकिन विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति में जो बड़ा अंतर सामने आया है, उसके लिए अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की एकीकृत जिला सूचना प्रणाली यू.डी.आई.एस.ई. के अनुसार प्राथमिक में पढ़ाई छोड़ने की दर अंतर 35.3 परसेंट है, जो अनुसूचित जनजातियों के विषय में है। माध्यमिक में अंतर 66 परसेंट का है। सामान्य जातियों में और अनुसूचित जातियों में पढ़ाई छोड़ने का जो अंतर है, वह निश्चित रूप से एक बड़ा अंतर है। मैं मानता हूं कि प्राथमिक में 22.3 परसेंट का दर है और माध्यमिक में 50.3 परसेंट का दर है, जो कि जनरल जातियों का है। अनुसूचित जनजातियों में जो दर है वह प्राथमिक का 35.3 परसेंट है और माध्यमिक का 66 परसेंट के लगभग सामने आया है। कर्नाटक के विषय में यदि माननीय सदस्य अलग से जानकारी चाहेंगे तो वह उपलब्ध करा दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्री बी.वी. नाइक : माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13 के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष रूप से राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग संस्थानों की स्थापना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना जैसे विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं लागू की जा रही हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन योजनाओं ने देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पढ़ाई छोड़ने की दर को किस हद तक कम किया है और क्या वर्तमान

सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पढ़ाई छोड़ने की दर को नियंत्रित करने के लिए ऐसी कोई और योजना शुरू करने की योजना बना रही है।

[हिन्दी]

डॉ. रामशंकर कठेरिया : माननीय सदस्य द्वारा सवाल पूछा गया है कि अनुसूचित जनजातियों की एक बड़ी संख्या में वापसी हो रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उस दृष्टि से भारत सरकार की कई योजनाएं हैं और भारत सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि विशेष रूप से उन जनजाति के छात्रों का पढ़ाई छोड़ने का अंतर कम कैसे हो। इस दिशा में कई योजनाओं को भारत सरकार ने लागू किया है। सर्व शिक्षा अभियान की दृष्टि से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन छात्रों के बीच में जाकर उनसे बात करें कि किस कारण वे छोड़ रहे हैं, कैसे उनका अंतर कम हो। इस दिशा में सरकार गंभीर है और लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे कम समय में आधिक छात्र आएं।

[अनुवाद]

श्री बैजयंत जय पांडा : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी के लिखित उत्तर में दिए गए आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। स्कूलों में हमारे जनजातीय और *आदिवासी* बच्चों की पढ़ाई छोड़ने की दर सामान्य छात्रों की पढ़ाई छोड़ने की दर से 50 प्रतिशत से अधिक है।

माननीय मंत्री जी ने जो विवरण दिए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या जिन राज्यों में अधिक *आदिवासी* आबादी है, वे असमान रूप से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे राज्य ओडिशा में, चार में से एक, यानी आबादी का 25 प्रतिशत या ओडिशा में हमारे एक करोड़ से अधिक नागरिक *आदिवासी* हैं। इसलिए, हम असमान रूप से प्रभावित होते हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे

उन राज्यों को आनुपातिक रूप से अधिक धन देने पर विचार करेंगे जिनकी *आदिवासी* आबादी अधिक है ताकि *आदिवासी* बच्चों के स्कूल छोड़ने की इस अत्यधिक उच्च दर से निपटा जा सके।

[हिन्दी]

डॉ. रामशंकर कठेरिया : माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल ठीक है कि उड़ीसा जैसे राज्य में, जहां पर जनजातियों की बहुतायत है, वहां पर स्वाभाविक रूप से छात्रों की वापसी भी ज्यादा है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने मांग की है, निश्चित रूप से उनकी मांग जायज है। इस दिशा में हमारी सरकार विचार करेगी।

श्री विनायक भाऊराव राऊत : माननीय अध्यक्ष जी, जनजाति बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में पढ़ाई के बीच शिक्षा छोड़ने वाले माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की प्रतिशतता माननीय मंत्री जी ने 66 प्रतिशत बताई है। [हिन्दी] यह गंभीर स्थिति है। अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं, उनके लिए कुछ अलग अलग सुविधाएं केन्द्र शासन के माध्यम से दी गई हैं, जैसे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप है और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से है। लेकिन राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप जैसी योजनाएं तथा अन्य कई योजनाओं में अगर हम लाभार्थियों की संख्या देखें तो बहुत ही कम है। मैं आपके माध्यम से शासन से पूछना चाहता हूं कि माध्यमिक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को रोकने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप जैसी शासन की योजना है, उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए तथा ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को उसमें लाने के लिए क्या सरकार कुछ और प्रावधान करने वाली है?

डॉ.रामशंकर कठेरिया : माननीय अध्यक्ष जी, अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो विषय माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया है, मैं समझता हूं कि राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप जनजातियों हेतु जो मंत्रालय की योजना

है, इस प्रकार की कई अन्य योजनाओं पर मंत्रालय विचार कर रहा है। मैं समझता हूं कि वहां पर जिस तादाद में जो आंकड़े आए हैं, वह एक चिंता की बात जरूर है, इसलिए मंत्रालय इस दिशा में जरूर चिंता करेगा।

श्री शरद त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आज समग्र विकास के लिए बच्चों की जो बात कही जा रही है, उसमें हस्तलेख का विशेष योगदान है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताना चाहेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों के समग्र विकास के लिए, हस्तलेख के लिए क्या कदम उठाएंगे?

डॉ. रामशंकर कठेरिया : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या कदम उठाए जाएंगे, मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार इस दिशा में जो योजनाएं ला रही है, जिसमें टैलेंट को बढ़ावा मिले और हमारे कोर्स में भी धीरे-धीरे हम इस दिशा में विचार कर रहे हैं। [अनुवाद] निश्चित रूप से उनका सुझाव महत्वपूर्ण है।

(प्रश्न.42)

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: माननीय अध्यक्षा जी, हमारे विज़नरी प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ कर के सभी भारतीयों में स्वच्छता को एक स्वभाव बना दिया है। यह एक सराहनीय कदम है। माननीय वन और पर्यावरण मंत्री जी, आपने भी पर्यावरण के तहत विकास में रोड़ा बन गई कई परियोजनाओं को फाइलों में से मुक्त कराने का एक सराहनीय कदम उठाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। जैसे संसद द्वारा प्रकाशित सूचना बुलेटिन में भी सहत्रावधि विकास लक्ष्य 2014 भारत की प्रगति में दर्शाया गया है कि पर्यावरणीय संसाधनों के नुकसान को पूर्ण रूप से रोकने की स्थिति पर प्रगति लगभग ठीक-ठीक है, जो हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। एक सूचना के अनुसार देश में प्रतिदिन लगभग 130822.31 टन नगर पालिकाओं द्वारा अपशिष्ट सृजित होता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हँ कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक प्लास्टिक और रबड़ जलाने पर बैन है तो क्या सरकार ने डंपिंग साइट्स और उनकी रीसाइकलिंग, डिस्पोजल या वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाने हेतु कोई योजना बनाई है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए मैं माननीय सदस्य का आभार प्रकट करूंगा। सभी गांवों और शहरों की गली-कस्बों में जगह-जगह प्लास्टिक के ढेर बने हुए हैं। यहां तक कि जहां ओपन गटर है, वहां प्लास्टिक के कारण सारे गटर्स चोक हैं। जो भी प्राणी मरते हैं या गाय-भैंसों के पेट में 50-50 किलो प्लास्टिक मिलता है, वह प्लास्टिक के कारण है। इसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग में भी इतनी दिक्कते हैं और हैल्थ हैज़ार्डस हैं। इससे पानी खराब होता है और बहुत सारी दिक्कतें प्लास्टिक से हैं। इसके लिए सन् 2011 में नियम बने और उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ को यह कहा गया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और

म्यूनिसिपल टाउन पालिका जो हैं, उनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट की पर्याप्त व्यवस्था हो। लेकिन सच्चाई यह है कि प्लास्टिक के ऊपर सन् 2011 में बने नियम एक तरह से किताब में ही हैं। उनका एंफोर्समेंट नहीं हुआ है। हर राज्य को कहा गया था कि वे एडवाइज़री काउंसिल बनाएं। लेकिन ये काउंसिल केवल 8 राज्यों में बनीं, बाकी राज्यों में नहीं बनी या उनसे जानकारी नहीं आई। दूसरी बात इसमें है कि जो उसकी इफैक्टिविटी, कंप्लायंस होना चाहिए था, हमारे यहां एक प्रमुख बंधन है कि 40 माइक्रोन से कम थिकनैस के जो प्लास्टिक कैरीबैग्स हैं, इस नियम के तहत उनको बनाने पर पाबंदी है। लेकिन दुर्भाग्य से यह सच्चाई है कि इस पर अमल नहीं हुआ है। धड़ल्ले से 10-20 माइक्रोन के बैग्स भी बनते हैं और बिकते हैं, जिन पर पाबंदी है। इसलिए हम यह सोच रहे हैं कि प्लास्टिक कैरी बैग्स जो 40 माइक्रोन की थिकनेस से नीचे होते हैं, उसका जो दंड है, वह बढ़ाने के लिए रूल्स और कानून में जो आवश्यक बदलाव होंगे, वह हम करेंगे और म्यूनिसिपैलिटी को और जो ग्राम पंचायत हैं, उनको भी उसका स्टेक होल्डर बनाएंगे, ताकि वे सब मिल कर काम करें। जब यह जनआंदोलन बनेगा, लोगों की आदतें बदलेंगी, तब यह सब होगा, तब जा कर इस विनाशकारी प्लास्टिक का उपयोग कम होगा। आज से 40 साल पहले प्लास्टिक का इतना प्रचलन नहीं था। बचपन में हम सब थैला लेकर जाते थे, लेकिन अब वह आदत छूट गयी है। बहुत सारे काम इसमें करने हैं और इसमें आप सबका साथ चाहिए।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : महोदया, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया है। [हिन्दी] मैं एक सुझाव भी देना चाहती हूँ कि राज्यों में जिलेवार एक मानीटरिंग कमेटी बनायी जाये और तंत्र को सुदृढ़ किया जाये। जो इको-फ्रेंडली बैग होता है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। यह मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बी.ए.एस.एफ. द्वारा रिसर्च चल रही है, जो अच्छी स्टेज में है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर उसको सफलता मिलेगी तो एक बायोडिग्रेडेबल ऑप्शन मिलेगा। [अनुवाद] लेकिन तब तक आपने जो सुझाव दिया है, यह कार्रवाई के लिए एक सुझाव है।

श्रीमती किरण खेर: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो मेरे द्वारा पूछे जाने वाले थे, लेकिन फिर भी मैं उनसे एक सवाल पूछूंगी। क्या सरकार ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उपयोग और संभावित लाभों पर कोई अध्ययन किया है? क्या इस तरह का कोई अध्ययन है? यदि हां, तो क्या निष्कर्ष हैं और क्या सरकार बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उपयोग को संस्थागत बनाने की योजना बना रही है?

जबकि 2011 के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियमों ने 40 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया और उपभोक्ताओं को मुफ्त प्लास्टिक बैग की अनुमति नहीं दी, इन दोनों नियमों का हमारे चारों ओर उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि एक सुपर मार्केट ग्राहकों से प्लास्टिक बैग के लिए शुल्क ले सकता है, सड़क विक्रेता और छोटे स्टॉल अभी भी प्लास्टिक बैग मुफ्त में देते हैं। तो, भारत में हल्के वजन वाले प्लास्टिक बैग के उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है? सरकार हमारे नागरिकों के बीच कागज, जूट और कपड़े के थैलों सहित वैकल्पिक सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना कैसे बना रही है?

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो नियम बना है, देश में चालीस माइक्रोन के नीचे उत्पादन करने पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी चल रहा है। [अनुवाद] इसके लिए हम 40 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं। मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 10 लाख रुपये तक के भारी जुर्माने और उपयुक्त विधियों के तहत तत्काल जुर्माने का प्रस्ताव जांच रहा है।

दूसरा, प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाले व्यक्तियों को मार्किंग और लेबलिंग के संबंध में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए - जो आपने पूछा - निर्माता का नाम, बैग की मोटाई और निर्माता के पंजीकरण पर जुर्माना लगाया जाएगा। उस जुर्माने को बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। फिर, हमें निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।

जहां तक बायोडिग्रेडेबल विकल्प का सवाल है, यह बी.ए.एस.एफ. है जो मार्गदर्शन कर रहा है। यह पुणे में है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि बायोडिग्रेडेबल कचरे का मार्गदर्शन एक उन्नत चरण में है, लेकिन जब तक यह साबित नहीं होता है कि यह स्केलेबल है, तब तक मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीनों के भीतर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह एक स्केलेबल पायलट है जिसे सभी जगह लागू किया जा सकता है और हम प्लास्टिक कैरी बैग की बर्बादी से छुटकारा पा सकते हैं।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि प्लास्टिक थैलों के निर्माण के लिए निर्धारित विभिन्न नियमों का प्रवर्तन शायद ही पूरे देश में हुआ हो। यदि आप सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य को देखें तो विभिन्न राज्यों में प्रवर्तन बहुत खराब है। साथ ही, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि नियम 2011 में ही बनाए गए थे और देश में बड़ी संख्या में उद्योग हैं जो 2011 से पहले मौजूद थे और उनमें से कई छोटे और मध्यम उद्यम होंगे जो प्लास्टिक बैग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि 40 माइक्रोन से कम मोटाई वाले थैलों के निर्माण पर प्रतिबंध है, लेकिन यह लागू करना और यह पता लगाना वास्तव में बहुत मुश्किल रहा है कि कौन निर्माण कर रहा है और कौन निर्माण नहीं कर रहा है।

चूंकि इनमें से कई इकाइयाँ लघु और मध्यम उद्यम हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय ने प्लास्टिक बैग बनाने वाली इकाइयों के पुनर्वास के लिए किसी पुनर्वास योजना के बारे में सोचा है। क्या सरकार कुछ वैकल्पिक पैकेज या प्रोत्साहन प्रदान करने की सोच रही है ताकि वे पेपर बैग या किसी अन्य बैग के विनिर्माण के वैकल्पिक स्रोतों पर स्विच कर सकें जो देश में निषिद्ध नहीं हैं।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : माननीय सदस्य अशोक चव्हाण जी ने जो प्रश्न पूछा है, मैं यही कहूँगा कि [अनुवाद] 20 माइक्रोन बैग और 40 माइक्रोन बैग के उत्पादन या निर्माण से यह बहुत कठिन प्रौद्योगिकी परिवर्तन नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि इकाइयां गिर जाएंगी या इकाइयों को बंद करना होगा। ऐसा नहीं है। थोड़े से आधुनिकीकरण के साथ, थोड़े से संशोधन के साथ, वे आवश्यक मजबूत थैलों का उत्पादन कर सकते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? [हिन्दी] ऐसा नहीं है कि जो मैनुफैक्चर कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि वे 40 माइक्रोन के नीचे प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन घरों में जो हम वेस्ट कलैक्ट करने के लिए कैरीबैग लगाते हैं, जिसको पन्नी बोलते हैं, वह भी बहुत पतली होती है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए हमने सोचा है कि स्ट्रैन्गथनिंग और मानीटरिंग के लिए कैसे [अनुवाद] – एस.पी.सी.बी., सी.पी.सी.बी. में प्लास्टिक कैरी बैग के अवैध निर्माण की निगरानी के लिए निगरानी दस्ते स्थापित किए जाएंगे [हिन्दी] क्योंकि, जब तक एनफोर्स नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पहले मैनुफैक्चरिंग बंद होगी, तब बिक्री बंद होगी और तब यूसेज बंद होगा। यह पहला काम है। क्या होता है कि 40 माइक्रोन से ऊपर है तो वह रीसाइकिल होता है। रीसाइकिल होता है तो रैगपिकर्स हों या जो कूड़ा-करकट में सैग्रीगेशन का काम करते हैं, सैग्रीगेशन तभी संभव है, जिसमें रीसाइकलिंग का पोटैन्शियल हो। 40 माइक्रोन के नीचे है तो वह रीसाइकिल भी नहीं होता है, इसलिए उसको कोई उठाता भी नहीं है। वह वैसे ही पड़ा रहता है। वह सड़ता भी नहीं है और बाकी चीज़ों को सड़ाता है। इसलिए यह बहुत दिक्कत वाली बात है। इस पर स्ट्रिक्ट उपाय करने पड़ेंगे और 40 माइक्रोन का निर्माण करने में कोई बहुत बड़ी इनवैस्टमैंट भी नहीं है। [अनुवाद] टीम के पास मौके पर जुर्माना लगाने की शक्तियां होंगी।

डॉ. रत्ना डे (नाग) : महोदया, प्लास्टिक के खतरों के बारे में जन जागरूकता का अभाव है। प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने की बार-बार कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्लास्टिक थैलों और प्लास्टिक पाउच के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना होगा। प्लास्टिक कचरे के कारण प्रदूषण बहुत अधिक है और एक खतरनाक अनुपात तक पहुंच रहा है। जितनी जल्दी हम प्लास्टिक के उपयोग या प्लास्टिक सामग्री का

उपयोग करने के प्रयास पर प्रतिबंध लगाते हैं, उतना ही अच्छा है। ऐसी स्थिति में, क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को प्रतिबंधित करने और जो प्रदूषण का कारण बनते हैं, उसके लिए कौन से नवीन उपाय शुरू किए गए हैं?

श्री प्रकाश जावडेकर: मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सदस्य इसमें वास्तविक रुचि ले रहे हैं और मैं सुझाव दूंगा कि क्या कोई इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए नोटिस दे सकता है, तो मैं इसका स्वागत करूंगा। मुद्दा यह है। नौ राज्यों और तीन संघ राज्यक्षेत्र ने पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। जिन राज्यों ने प्रतिबंधित किया है और जिन राज्यों ने प्रतिबंध नहीं लगाया है, उनके बीच जमीनी स्तर पर कोई अंतर नहीं है। इसलिए, चुनौती हम सभी के लिए है-आदतों को बदलने की चुनौती, प्लास्टिक कैरी बैग के खतरों के बारे में जनता को जागरूक करना क्योंकि प्लासटिक खराब नहीं है, यह एक बहु-उपयोग वाली वस्तु है, मुद्दा 40 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग के उपयोग का है। [हिन्दी] इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें पब्लिक अवेयरनैस कैम्पेन करना पड़ेगा। [हिन्दी] सरकार ने भी तय किया है कि इसके लिए बहुत सारा मैटीरियल लोगों तक पहुँचाएँगे, जनजागरण करेंगे और जब एक जन आंदोलन में इसे तब्दील करेंगे तो यह स्वच्छता आंदोलन का ही भाग बनेगा। देश तभी साफ होगा जब प्लास्टिक साफ होगा। इसलिए आप सबका इसमें सहयोग चाहिए।

श्री सुल्तान अहमद: जूट बैग को प्रमोट कीजिए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : जी हाँ, इसमें ऑप्शन्स की जो बात है, जूट में मैटीरियल कम होने का मुद्दा है लेकिन पेपर बैग्ज़ हैं, जो दुनिया में लोग यूज़ कर रहे हैं। [हिन्दी] पहले जो कपड़े की थैली हम घरों में ले जा रहे थे, हम उसे भूल गए हैं। उसे भी फिर से जीवित करना पड़ेगा। वह अगर हम करेंगे, कुछ आदतें हम बदलेंगे, कुछ नियम सरकार बदलेगी, कुछ संस्थाओं को वेस्ट मैनेजमैंट की आदतें बदलने को मजबूर करेंगे और एनफोर्स करेंगे, तब जाकर प्लास्टिक के विनाश से हम बचेंगे

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय जूट उद्योग को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है जिसे हमेशा प्लास्टिक का विकल्प माना जाता रहा है। अगर हम अभी वास्तविकता देखें, तो हम पा सकते हैं कि जूट उद्योग में गिरावट आ रही है। आज ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारे मजदूर अभी भी जूट उद्योग पर निर्भर हैं। क्या मंत्रालय ने जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: यह अनुपूरक पूरी तरह से एक अलग मंत्रालय के अंतर्गत आता है लेकिन इसके लिए सभी विकल्प खुले हैं और यह कार्रवाई का सुझाव है।

(प्रश्न.43)

[हिन्दी]

श्री धनंजय महाडीक: अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पढ़े भारत-बढ़े भारत कार्यक्रम के अंतर्गत क्या शिक्षक और छात्र के बीच का जो रेश्यो है, वह 30 छात्रों पर एक शिक्षक रखा गया है? [हिन्दी] क्या पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए अलग से शिक्षक देने की कोई व्यवस्था की गई है? भारत देश में शिक्षकों की कमी देखें तो इस समस्या का समाधान करने का सरकार का क्या प्रावधान है?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, शिक्षकों की कमी है और यदि माननीय सदस्य इसका विवरण जानना चाहते हैं तो हम बता देंगे। इस कमी को दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है।...*(व्यवधान)* अलग-अलग राज्यों का अलग-अलग ब्यौरा है।...*(व्यवधान)* स्टेटवाइज बताने में बहुत समय लग जाएगा।...(व्यवधान) इस कमी

को दूर करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगातार कोशिश की जा रही है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों से कहा जा रहा है कि जहां शिक्षकों की कमी है, वहां जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट का काम किया जाए। मैं समझता हूं कि यह काम जल्दी पूरा होगा।

श्री धनंजय महाडीक : अध्यक्ष जी, सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश के छह से चौदह उम्र तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इन्हें मुफ्त स्कूल बैग दिए जाते हैं, किताबें दी जाती हैं, उनका मुफ्त में हैल्थ चैक-अप किया जाता है। बिल्डिग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इस योजना में मुझे एक खामी नज़र आती है। स्कूलों में स्कूल कम्पाउंड और प्ले ग्राउंड बनाने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में ऐसी कोई योजना लाएगी, क्योंकि, आज हजारों बच्चे स्कूल में खेलते समय दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और डी.पी.डी.सी. या एमपीलैड्स में भी स्कूल कम्पाउंड में पैसा देने का प्रावधान नहीं है। जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए भी प्ले ग्राउंड्स की जरूरत है। प्ले ग्राउंड और स्कूल कम्पाउंड के लिए विशेष योजना बनाने की जरूरत है, क्या इसके लिए कोई प्रोविजन है?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : माननीय सदस्य का सुझाव बहुत उचित है कि स्कूल में प्ले ग्राउंड होना ही चाहिए लेकिन कई स्कूलों में अगर हम प्ले ग्राउंड बनाना भी चाहें तो भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि, वहां लैंड की कमी है। लैंड की कमी की वजह से तो कई जगह हम विद्यालय भी नहीं खोल पा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी आप इधर देख कर उत्तर दीजिए।

... *(व्यवधान)*

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, प्ले ग्राउंड बनाने का इनका सुझाव है, उस पर विभाग निश्चित रूप से गौर करेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के पहले के जवाबों से काफी निराश हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी भी स्कूल के खेल के मैदान के लिए जमीन की कमी है। मुझे यकीन है कि कोई भी सांसद तब ज्यादा खुश होता है जब सरकार स्कूल को जरूरत पड़ने पर जमीन को प्राथमिकता देती है।

जहां तक मैं जिस राज्य से आती हूं, हर स्कूल के पास जमीन है। यह नियम है और वास्तव में, आपकी सरकार ने यह नियम शुरू किया है कि आपको एक नया स्कूल शुरू करने के लिए 1.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से एक एकड़ खेल के मैदान के लिए और आधा एकड़ स्कूल के लिए है। यह जानना वास्तव में निराशाजनक है कि माननीय मंत्री जी को अपने मंत्रालय की नीति के बारे में पता नहीं है। … (*व्यवधान*) यह मामला और भी गंभीर है।

वह इस पूरी योजना का विस्तार कर रहे हैं जो एक स्वागत योग्य कदम है। देश भर की सरकारों के सामने शिक्षा के लिए गुणवत्ता सबसे बड़ी चुनौती प्रतीत होती है। उन्होंने विशेष रूप से 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' के बारे में बात की। हम मुश्किल से अपने बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दे सकते हैं। तो, वे 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' के लिए क्या विशिष्ट हस्तक्षेप कर रहे हैं?

उन्होंने एक हैंडबुक के बारे में बात की है। लेकिन हमारे स्कूल और शिक्षक समावेशी शिक्षा के लिए सुसज्जित नहीं हैं क्योंकि अधिकतर समय, 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चे' स्कूलों में लाए जाते हैं – उनकी नामांकन दर बहुत अधिक हो सकती है – लेकिन उन्हें स्नातक तक पहुंचाना एक वास्तविकता नहीं है और यह अभी भी केवल कागज पर ही है।

इसलिए, मैं चाहूंगा कि वह विशेष रूप से पहले के प्रश्न का उत्तर दें, जिस पर उन्होंने नीति को गलत समझा, और दूसरा विशेष रूप से 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' के बारे में अधिक विवरण।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, ज़मीन की कमी की चर्चा मैंने अनजाने में नहीं की है। बिहार में हमें छः हजार विद्यालय खोलने हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़मीन नहीं मिल पा रही है। इसके चलते हम वहां विद्यालय नहीं खोल पा रहे हैं।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य, आप अपनी जानकारी को करेक्ट कर लीजिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष :माननीय मंत्री जी, आप हमें संबोधित करें।

... (व्यवधान)

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, बिहार में हमारे लगभग 40% केन्द्रीय विद्यालय हैं, जिनके लिए जमीन नहीं होने के कारण हम वहां विद्यालय के भवन नहीं बना पा रहे हैं।...*(व्यवधान)* इस तरह से, ज़मीन की कमी तो है ही।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्या ने जिस राज्य के बारे में कहा है, यह हो सकता है कि वहां इसकी कमी न हो।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह हो सकता है। मंत्री जी, आप बोलें।

... (व्यवधान)

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, उनके लिए ही यह योजना है - "पढ़े भारत, बढ़े भारत"। उनको ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरूआत की गयी है। इस योजना में पैसा भी आबंटित किया गया है। इस पर सरकार तत्पर है, कार्रवाई कर रही है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह हो सकता है। जब मंत्री जी बोल रहे हैं तो वे कुछ जिम्मेदारी से बोल रहे होंगे। अगर बिहार में ऐसा नहीं है तो आप उदाहरण लाकर दे दीजिएगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : नहीं, यह मुद्दों को उठाने का तरीका नहीं है।

... *(व्यवधान)*

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : महोदया, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अनेक राज्य तो केन्द्र की राशि का बेहतर उपयोग करते हैं, पर अनेक राज्य केन्द्रीय स्कीम की शिक्षा की जो योजनाएं हैं, उसका अपने हिसाब से दुरुपयोग करते हैं। इस परिस्थिति में यह "पढ़े भारत, बढ़े भारत" योजना, प्रारंभिक शिक्षा में मैथमैटिक्स और अन्य क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधार का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अगर इसकी दिशा ठीक हो तो यह एक बहुत बड़ा काम हो सकता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय स्कीम की गुणवत्ता सुधारने के लिए केन्द्र की तरफ से कितनी राशि जा रही है, उसकी निगरानी के लिए क्या माननीय सांसदों की भी इसमें कोई बेहतर भूमिका हो सकती है? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : महोदया, सबसे पहले तो मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि शिक्षा के मुद्दे पर केन्द्र और राज्य में समन्वय से ही काम होता है। जहां-जहां कोई चुनौती उत्पन्न होती है, उसमें केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिल कर उसका जवाब देती है, चाहे वह चुनौती भूमि की हो, चाहे वह चुनौती टॉयलेट्स की हो। माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त के दिन पूरे राष्ट्र को संबोधित

करते हुए बताया कि कैसे स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए और विशेषतः बेटियों को स्कूल में विद्या का आशीर्वाद मिल पाए, इसलिए उनको वहां रखने के लिए टॉयलेट्स बनाने की दरकार है।

जहां तक वे "पढ़े भारत, बढ़े भारत" हेतु प्रयासों का उल्लेख कर रहे हैं, मैं माननीय सांसद जी को, आप के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूं कि "पढ़े भारत, बढ़े भारत" में भी जो लर्निंग एड्स हैं, जो एडिशनल टीचिंग एड्स हैं, और इससे पहले भी एक सवाल किया गया था कि चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स के लिए जो भी हम कर्रीकुलर एडैप्टेशन मेथोडॉलोजी देते हैं, वह स्टेट्स के माध्यम से ही दिया जाता है। हर क्वार्टर में स्टेट्स के साथ मिल कर सभी मुद्दों पर कितनी प्रगति हुई है, उस पर भी चर्चा होती है। अगर प्रगति के पथ पर राज्य को कोई चुनौती आती है तो केन्द्र की सरकार कैसे राज्य का सहयोग कर सकती है, इसकी भी चर्चा होती है। साथ ही, जिन प्रदेशों में अच्छा काम हो रहा है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज को भी हम दूसरे राज्यों के साथ शेयर करते हैं, ताकि हम लर्निंग आउटकम्स में सुधार ला सकें।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : महोदया, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो उत्तर हमें प्रदान किया गया है - मैडम सुप्रिया सुले पहले ही कह चुकी हैं - वह पूरा नहीं हुआ है। सरकार से मेरा विशिष्ट प्रश्न हैः यह 'पढ़े भारत बढ़े भारत "क्या है? हम न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन जैसे कई नारे सुन रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान योजना पहले से ही है। यह एक अद्भुत और सफल योजना है जो लंबे समय से यहां है। “पढ़े भारत, बढ़े भारत" - इसका मतलब भी मुझे अच्छी तरह नहीं मालूम है। [अनुवाद] अधिकांश केंद्र प्रायोजित योजनाएं विशेष राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मेरे केरल राज्य के लिए, जहां स्कूल छोड़ने वाले छात्र नहीं हैं और जहां सौ प्रतिशत साक्षरता है, आप राज्य की स्थितियों पर विचार किए बिना योजनाएं बना रहे हैं। क्या इस 'पढ़े भारत बढ़े भारत "का अर्थ है अंग्रेजी सीखना या गणित जैसे अन्य विषयों को सीखना या जो कुछ भी हो सकता है? योजना क्या है? मैं इसका ब्यौरा जानना चाहूँगा।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि भारत पढ़ेगा, तभी बढ़ेगा। मुझे यकीन है कि वह कम से कम उस विचार और उस पहल का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगी कि चूंकि वह 'पढ़े भारत बढ़े भारत "को समझना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें यह समझाना चाहूंगी । सरलता से, जबकि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षण, सीखने की कार्यप्रणाली विश्व स्तर पर स्वीकृत कार्यप्रणाली की तुलना में प्रतिस्पर्धी है, हम देश भर में अपने बच्चों के सीखने के परिणामों की तुलना भी कर रहे हैं। सीखने, पढ़ने, लिखने, समझने और संख्यात्मकता की बुनियादी अवधारणाएं कक्षा 1, 2 और 3 से पढ़े भारत बढ़े भारत का एक हिस्सा हैं। (*व्यवधान*) कृपया मुझे इसे समाप्त करने दें।

जैसा कि मैंने कहा, सीखने के परिणाम विषय-वार, ग्रेड-वार सभी राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। उस साझाकरण के आधार पर, एक आम सहमति थी कि अतिरिक्त समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है ताकि हमारे छात्रों की प्रारंभिक नींव-शिक्षा को मजबूत किया जा सके। इसलिए 'पढ़े भारत बढ़े भारत "यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि सीखने के परिणामों में वृद्धि हो। जब कक्षा 1, 2 और 3 में पढ़ने, लिखने की समझ और संख्यात्मकता में सीखने के परिणाम बढ़ते हैं, तो हम उच्च कक्षाओं में इसका प्रभाव देखते हैं। उदाहरण के लिए, छठी से आठवीं कक्षा में, हम विज्ञान और गणित सीखने के परिणामों में 30 प्रतिशत तक की गिरावट देखते हैं। जब हम अपने बच्चों में बुनियादी मौलिक अवधारणाओं के रूप में समझ और गणित को मजबूत करते हैं, तो उनके सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते समय नए अवधारणाओं को अपनाने की क्षमता बढ़ जाती है। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : यह सर्व शिक्षा अभियान का एक उप-कार्यक्रम है।

… *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने कहा कि जो राज्य सरकारें या राज्य अच्छा काम करेंगे, उनको बहुत सुविधाएं इनकी तरफ से दी जाएंगी या इनाम दिया जाएगा। [हिन्दी] उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 1993 तक हमने लगभग पूरे गांवों में शौचालय बनवा दिए और आपके प्रधान मंत्री अब ऐलान कर रहे हैं। यहां पूरे उत्तर प्रदेश के सांसद बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)* बच्चों के लिए स्कूलों में भी उसका इंतजाम कर दिया गया। क्या मंत्री जी उत्तर प्रदेश को आप कोई विशेष सुविधा या कोई विशेष इनाम देंगी?

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद जी से कहना चाहती हूं कि मेरी अभिलाषा है कि मैं हर प्रदेश को सम्मानित करूं जो शत-प्रतिशत शिक्षा अपने प्रदेश के सभी बच्चों को दें। मैं आशा करती हूं कि ऐसा दिन आए, जब उत्तर प्रदेश को भी वह सराहना और वह सम्मान पूरे राष्ट्र में मिले। मैं इतना कहना चाहूंगी कि लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने के लिए एडिशनल टीचिंग और लर्निंग एड्स दी गयी हैं। उसमें भी आर्थिक प्रावधान होता है, तभी एडिशनल लर्निंग और टीचिंग एड्स देना संभव है।

मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मैं एक उदाहरण मात्र दे रही हूं कि सौ डिस्ट्रिक्ट्स पूरे राष्ट्र में पहले फेज में चिह्नित किये गये हैं, जिसमें जब बेटियों की पढ़ाई को आप हर लैवल ऑफ एजूकेशन पर शत-प्रतिशत आगे बढ़ायेंगे तो उन स्कूलों को इनाम देने का भी प्रावधान है।

(प्रश्न. 44)

[अनुवाद]

श्री राम प्रसाद शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का गठन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए किया गया था क्योंकि इसे दूरदराज के क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों के साथ देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। लेकिन इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का 25 प्रतिशत पूरा नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी के जवाब के अनुलग्नक 2 में दी गई सूची के अनुसार, पूर्वोत्तर में एन.एल.सी.पी.आर. के तहत 555 परियोजनाओं में देरी हो रही है और एन.ई.सी. के तहत 153 परियोजनाओं में देरी हो रही है। इन परियोजनाओं में से प्रत्येक की समय सीमा और लागत का उल्लेख संलग्नक में नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से इन परियोजनाओं के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अनुरोध करूंगा। फिर, कई निगरानी प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं, लेकिन कोई भी निगरानी प्रकोष्ठ दोषों का पता लगाने और परियोजनाओं को लागू करने के लिए ठीक से काम नहीं करता है। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में क्या करने जा रहें हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की चिंता को ध्यान में रखा गया है। यह सच है कि सरकार पूर्वोत्तर के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है। सरकार हमेशा पूर्वोत्तर राज्यों के कल्याण और विकास और आठ राज्यों में से प्रत्येक को सभी संसाधनों के समान वितरण के बारे में चिंतित है। फिर भी, माननीय सदस्य द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से, हम स्वीकार करते हैं कि कई परियोजनाओं में देरी हुई है।

सटीक रूप से, जैसा कि उनके द्वारा भी उद्धृत किया गया है, वास्तव में नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज के तहत 555 परियोजनाएं और एन.ई.सी. के तहत 153 परियोजनाएं हैं जो विलंबित हैं। देरी के कई कारण हैं। मैं अब विवरण में नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मोटे तौर पर मैंने उन्हें दो शीर्षों में वर्गीकृत करने की कोशिश की है। एक समस्या है जो ज्यादातर प्रक्रियात्मक हैं। कभी-कभी, राज्यों द्वारा धन के उपयोग में देरी होती है।

फिर, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही बताया है, हमारे पास एक निश्चित निगरानी तंत्र है जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकारों दोनों के बीच समन्वय की उम्मीद है। हम त्रैमासिक समीक्षा करते हैं, हमारे पास स्वतंत्र रूप से परियोजनाओं की निगरानी करने वाली एजेंसियां हैं, और इसलिए, कुछ प्रक्रियात्मक देरी होती है।

दूसरी ओर, हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं जो कुछ हद तक प्रकृति के कारण भी हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक बहुत ही शत्रुतापूर्ण और दुर्गम क्षेत्र है क्योंकि माननीय सदस्य उस स्थान से अधिक परिचित हैं। हमारे पास लंबा बरसात का मौसम है और अधिक सर्दियों का मौसम भी है जो विभिन्न परियोजनाओं की निरंतरता में बाधा डालता है। फिर, इन राज्यों में कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। हालांकि, इस महीने की 10वीं तारीख को मुझे इस मंत्रालय का प्रभार दिए जाने के बाद, मैंने पूर्वोत्तर के विद्वान माननीय सदस्यों से समस्याओं के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत गंभीर प्रयास किए हैं। कल ही मेरी उस क्षेत्र से संबंधित सभा के वरिष्ठतम सदस्य श्री संगमाजी के साथ लंबी चर्चा हुई थी।

इसलिए, मुझे लगता है, बहुत जल्द हम इन सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम वास्तव में इस तथ्य के बारे में चिंतित हैं कि हमें 31 दिसंबर से पहले धन का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। एक शर्त है कि 70 प्रतिशत धन का उपयोग 31 दिसंबर तक होना चाहिए। मुझे यकीन है कि पिछले एक सप्ताह या उससे अधिक समय में हमने इस मंत्रालय को जो प्रोत्साहन दिया है, उसके साथ हम इस चिंता को भी दूर कर पाएंगे।

श्री राम प्रसाद शर्मा: महोदया, जहां तक एन.ई.सी. का संबंध है, यह आमतौर पर पूर्वोत्तर में 20 से 30 प्रतिशत परिषद के रूप में जाना जाता है। यह परियोजनाओं को पारित नहीं करता है। इसके समक्ष अनुमोदन के लिए कई परियोजनाएं लंबित हैं और वे लंबे समय से लंबित है । क्या माननीय मंत्री जी पूर्वोत्तर के संसद सदस्यों को शामिल करने पर विचार करेंगे? हमारे पास पूर्वोत्तर से 39 संसद सदस्य हैं, जिनमें राज्य सभा के सदस्य भी

शामिल हैं। हमें एक सामाजिक समूह के गठन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि हम परियोजनाओं की निगरानी कर सकें और विभाग के साथ-साथ ठेकेदारों पर भी काम को ठीक से करने के लिए दबाव डाल सकें।

डॉ. जितेंद्र सिंहः आदरणीय महोदया, माननीय सदस्य ने ठीक वही कहा है जो पिछले दो दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं वास्तव में पूर्वोत्तर के इन 39 माननीय सदस्यों को शामिल करने के लिए बहुत उत्सुक हूं क्योंकि मैं, अपनी पूरी विनम्रता से, यह स्वीकार करूंगा कि वे मेरे जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में क्षेत्र की चिंताओं और समस्याओं के बारे में बेहतर जानकारी और बेहतर समझ रखते हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर, एन.ई.सी. में, हमारे पास एक तंत्र है जिसके तहत हम सभी आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को शामिल करते हैं और हमारे पास तीन अन्य सदस्य भी नामित हैं, क्योंकि माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते होंगे, फिर भी यह वास्तव में मेरी व्यक्तिगत इच्छा है और यह मंत्रालय के अन्य सहयोगियों द्वारा भी साझा किया जाता है कि हम व्यापक बातचीत और व्यापक भागीदारी करेंगे। इसलिए, दिसंबर के 18वीं या 19वीं के बाद, हमने सभी माननीय एम.पी. के साथ एक बैठक करने की योजना बनाई है। . यहां तक कि रोजाना के आधार पर भी हम उन्हें सभी नई योजनाओं और गतिविधियों में शामिल रखते हैं क्योंकि सरकार हमेशा नई योजनाओं पर विचार करती रहती है और 13वें वित्त आयोग, नॉन लेप्सेबल पूल, और सामूहिक वित्तपोषण के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि देने के नए तंत्रों पर भी विचार करती है। इसलिए, हम निश्चित रूप से उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे और रिकॉर्ड में भी रखेंगे।

---

[2]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 45 से 60
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690)

---

[2] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सदन की मर्यादा बनाए रखने के बारे में

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं चाहती हूं कि आज आपसे थोड़ी बात करूं। कल सभा के समवेत होने के तत्काल बाद अनेक सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट आ गए और नारे लगाने लगे। कुछ सदस्यों के हाथों में छाते भी थे, जिन पर कुछ नारे लिखे हुए थे और जिन्हें वे सभा में प्रदर्शित कर रहे थे। इस आचरण का मैंने कल कड़ा विरोध भी किया था, उसके पहले भी कहा था कि इस प्रकार से आचरण करना अनुचित है। फिर भी इसको करीब 1200 बजे तक जारी रखा गया, इसके कारण मुझे सदन बीच में स्थगित भी करना पड़ा। सभा के पुन: समवेत होने पर भी कई माननीय सदस्यों ने अलग-अलग आचरण जारी रखा। शोर-शराबे में कई बार हम व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी करने लगे हैं, जो वास्तव में अपेक्षित एवं उचित भी नहीं है।

हम बार-बार माननीय सदस्यों को शालीनता और अनुशासन बनाए रखने का अनुरोध करते रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान शिष्टाचार के मानदण्डों की तरफ भी ले जाना चाहती हूं। मैं बहुत लम्बी बात नहीं करूंगी, लेकिन नियम 349 और नियम 352, ऐसे कई नियम हमने सभा के संचालन के लिए बनाए हैं। नियम 349 के अंतर्गत 11, 16, ऐसे उपबंधों पर भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। हमने लिखित में भी सब के पास ये बातें पहुंचाई हैं कि सभा की कार्यवाही चल रही हो तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से वस्तु, कोई प्ले कार्ड या कुछ प्रदर्शित नहीं करना होता है। यह अच्छा नहीं माना जाता है।...*(व्यवधान)*

यह भी एक आचरण है जब अध्यक्ष बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं आपसे कोई अनुचित बात नहीं कर रही हूं, मैं कोई सजा की बात नहीं कर रही हूं। नियम आप लोगों के बनाए हुए हैं, सालों-साल से बनाए हुए हैं।

मेरा इतना ही कहना है, मैं कल से एक बात सोच रही हूं कि यह सदन आपका अपना है, हम सभी का है। नियम हम ही ने बनाए हैं, कुछ तो उसके मायने हम रखें। एक और बात मुझे लगी, सदन देखने के लिए जो लोग आते हैं। इसमें छोटे बच्चे भी आते हैं, बाकी लोग जो आते हैं, वे कहीं न कहीं हमारे मतदाता भी हो सकते हैं। हम भी लाखों लोगों को रीप्रजेंट करते हैं। उनको आने के लिए हमने कई कड़े नियम बनाए हैं, यहां तक कि कई बार उनके गोगल्स हो या वॉलैट हों, कई सारी चीजें हम बाहर रखते है, क्योंकि वे चीजें अंदर नहीं ले जानी है। यहां बैठने के हमने नियम बनाए हैं कि शिष्टाचार से कैसे रहें। उनसे हम अपेक्षा करते हैं और कड़ाई से पेश आते हैं। यह सब हमारी सुरक्षा के लिए है। मुझे लगता है कि सदन की सुरक्षा के लिए नियम हमने बनाये हैं और कड़ाई से पालन बाकी सबके लिए हम करते हैं। सजा के प्रावधान तो इसमें भी हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि मारने वाली, सजा करने वाली, दुत्कारने वाली माँ को कोई पसन्द नहीं करता है, हम ऐसा कहते भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ही कहानी कहते हैं कि कोई बच्चा ज्यादा सजा न होने पर माँ का कान भी काटता है कि समय पर आपने क्यों नहीं बताया, तो मैं ऐसा नहीं करता। यह कहानी भी हम सुनते हैं। ये दोनों ही बातें हैं।

प्रजातंत्र में बात उठाना आपका अधिकार है। पूर्व में भी किसी ने कुछ किया हो, मैं उसको भी यह नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने अच्छा किया। सदन की शुरूआत से मैं बार-बार आपसे यह कह रही हूँ कि कम से कम प्ले कार्ड दिखाना या आजकल कई बार ऐसी भाषा का उपयोग भी हम नारे लगाते समय करते हैं, कृपया मेरा एक बार आप सबसे निवेदन है कि बार-बार कुछ कड़े नियमों का पालन मुझे नहीं करना पड़े। आप भी सब जानते हैं, सब समझदार लोग हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं। हम ही आदर्श निर्माण करते हैं। [अनुवाद] सदन चलाने में मुझे कभी कोई कठोर कार्य नहीं करना पड़े, नियमों का पालन हो, इतना मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा कि पहले भी गलती हुई होगी। ... <u>(व्यवधान)</u>

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। मद सं 3, श्री एम. वेंकैया नायडू।

… *(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): अध्यक्ष महोदया, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 833/16/14)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डानिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डानिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 834/16/14)

(2) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी 835/14 देखें)

(3) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी 836/14 देखें)

(4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी 837/14 देखें)

(5) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 838/16/14)

(6) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 839/16/14)

(7) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 840/16/14)

(8) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूंट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 841/16/14)

(9) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्ययूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 842/16/14)

(10) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टिट्यूंट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मीजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मीजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 843/16/14)

(11) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), राम नगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), राम नगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 844/16/14)

(12) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 845/16/14)

(13) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 846/16/14)

(14) (एक) क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 847/16/14)

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ: -

(1) (एक) नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस, नई दिल्ली, के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई सम्बन्धी ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 848/16/14)

(3) (एक) [अनुवाद] नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा, के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उनपर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन "

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 849/16/14)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ़ लाइफ साइंसेज , भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ़ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर, के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उनपर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।"

(3) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 850/16/14)

(2) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 851/16/14)

(3) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 852/16/14)

(4) (एक) सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे

(दो) सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 853/16/14)

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 854/16/14)

(6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऐनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऐनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 855/16/14)

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस कौंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस कौंसिल , नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक -महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 856/16/14)

[हिन्दी]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) इंडियन प्लाइ वुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाइ वुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 857/16/14)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा0 का0 नि0 683 (अ), जो 24 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुयी थी तथा जिसके द्वारा 26 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या सा0 का0 नि0 610 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या. एल.टी. 858/16/14)

अपराह्न 12.08 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पहला प्रतिवेदन

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर) : मैं गैर सरकारी सदस्य विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अपराह्न 12.08½ बजे

जल संसाधन सम्बन्धी स्थायी समिति

विवरण

श्री हुकुम सिंह (कैराना): मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना'के बारे में सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सम्बन्धी 19 वें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोकसभा) में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोदार मंत्रालय की अनुदानो की मांगों (2013-14) के बारे में सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सम्बन्धी 20वें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.09 बजे

'राजीव गांधी उद्योग मित्र योजना' (आर.जी.यू.एम.वाई.) के बारे में अतारांकित प्रश्न सं. 5051 के 13.08.2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : महोदया, मैं आर.जी.यू.एम.वाई. " के बारे में श्री बी0 वी0 नाईक, संसद सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 5051 के 13.08.2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5051

13 अगस्त, 2014 को उत्तर दिये जाने के लिए

आरजीयूएमवाई

5051. श्री बी. बी. नाईकः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई) को पूरे देश में शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो राज्य-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत उद्यमियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार को आरजीयूएमवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता के दुरूपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री कलराज मिश्र)

(क) और (ख): जी, हां। राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई) को सम्पूर्ण देश में कार्यशील कर दिया गया है। इस स्कीम को आखिल भारतीय स्तर पर कायारन्वित किया जाता है न कि राज्यवार रूप में। इसका लक्ष्य प्रथम पीढ़ी के उन संभावित उद्यमियों जिन्होंने आनिवार्यतः उद्यमिता विकास प्रशिक्षण अथवा कौशल विकास प्रशिक्षण अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, को "उद्यमी मित्र " अर्थात् चुनिंदा प्रमुख एजेंसियों के माध्यम से नए उद्यम की स्थापना और प्रबंधन, विभिन्न प्रक्रियात्मक एवं कानूनी अड़चनों से निपटने और उद्यम की स्थापना और संचालन के लिए अपेक्षित विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु पथप्रदर्शन सहायता और मदद प्रदान करना है।

यह स्कीम प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों और अन्य मौजूदा उद्यमियों को सरकार की विभिन्न संवर्धनात्मक स्कीमों, उद्यमों की स्थापना करने और चलाने के लिए अपेक्षित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के बारे में मार्गदर्शन करने और उन्हें बैंक ऋण इत्यादि उपलब्ध कराने में सहायता कराने के लिए "उद्यमी हेल्पलाइन " (सूलमउ के लिए एक कॉल सेन्टर, टॉल फ्री नंबर 1800-180-6763) के माध्यम से सूचना, सहायता, मार्गदर्शन और मदद भी प्रदान करती है।

(ग): सरकार राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराती है। इस स्कीम के अंतर्गत उद्यमी मित्र के रूप में सूचीबद्ध संगठनों को उनकी सेवाओं के लिए पथप्रदर्शन प्रभार का भुगतान किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत पथप्रदर्शन सहायता प्राप्त करने के लिए उद्यमी मित्र के साथ पंजीकृत लाभार्थियों (उद्यमियों) की राज्यवार संख्या अनुबंध-1 में दी गई है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अधीन परिव्यय एवं व्यय निम्नलिखित हैः**-**

(आंकड़े करोड़ रू. में)

वर्ष	**परिव्यय (संशोधित अनुमान)**	**वास्तविक व्यय**
2011-12	**4.20**	**1.61**
2012-13	**3.00**	**2.28**
2013-14	**2.83**	**2.31**

(ङ.): नहीं, महोदया।

(च): प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध-1

श्री बी.बी.नाईक द्वारा पूछे गए दिनांक 13.08.2014 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5051 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध आरजीयूएमवाई स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों (उद्यमियों) की वर्षवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	414	121	77
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	1362	5516	4268
5.	बिहार	2	3	0
6.	चण्डीगढ़	5	1	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0
8.	दादर नगर हवेली	0	0	0
9.	दमन दीव	0	0	0

10.	दिल्ली	3	179	0
11.	गोवा	2	178	0
12.	गुजरात	124	73	250
13.	हरियाणा	2	220	0
14.	हिमाचल प्रदेश	51	12	0
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
16.	झारखंड	128	2	64
17.	कर्नाटक	26	3	0
18.	केरल	0	1	0
19.	लक्षद्वीप	1	0	0
20.	मध्य प्रदेश	10	2	0
21.	महाराष्ट्र	1368	38	2
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0

24.	मिजोरम	0	2	0
25.	नागालैंड	0	0	0
26.	ओडिशा	127	569	147
27.	पांडेचेरी	2	0	0
28.	पंजाब	139	3	0
29.	राजस्थान	293	548	357
30.	सिक्किम	0	0	0
31.	तमिलनाडु	570	119	0
32.	त्रिपुरा	454	1100	1430
33.	उत्तर प्रदेश	2802	2729	2410
34.	उत्तराखण्ड	64	14	0
35.	पश्चिम बंगाल	22	202	83
	कुल	7971	11635	9088

अपराह्न 12.09 1⁄2 घंटे

समिति के लिए निर्वाचन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ:-

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब, शून्यकाल।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने शुरू में आपसे अनुरोध किया था कि आप कम-से-कम प्रश्नकाल को स्थगित करें और काले धन पर चर्चा करें। हमने आपसे यह भी अनुरोध किया था कि यदि अब यह संभव नहीं है तो इसे प्रश्न काल के तुरंत बाद लिया जाए। इसलिए हम आपसे इस चर्चा को अब उठाने का अनुरोध कर रहे हैं। … (*व्यवधान*)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : हमने भी इस मुद्दे को उठाया था। … (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमने एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा। इसलिए बेहतर होगा कि आप चर्चा शुरू करें। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : माननीय अध्यक्ष महोदया जी, सदन की पद्धति क्या है यह आपको मालूम है, यह श्री खड़गे जी को भी मालूम है। वह हमसे भी अनुभवी व्यक्ति हैं। बहस अभी करें या बहस थोड़ी देर के बाद करें, इससे तुरंत कुछ होना वाला नहीं है। *...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इसके लिए समय तय करें।

... <u>(व्यवधान)</u>

प्रो. सौगत राय (दमदम) : कृपया इसे प्रायरिटी दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : सौगत राय जी इसे प्रायरिटी दिया जा रहा है, इसलिए इसके संबंध में कल नोटिस दिया गया तो इसे आज ही एडमिट किया गया है। सरकार ने अपनी संलिप्तता व्यक्त कर दी है। हमने अध्यक्ष

महोदया को यह कह दिया तो इन्होंने इसको एडमिट किया और एडमिट कर इसके लिए समय एलॉट की हैं। कल तीन बिल्स हमारे सामने आए, उनके बारे में चर्चा अधूरी रह गई है, उन पर चर्चा पूरी होने दीजिए और तुरंत इसको लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : कृपया इस पर चर्चा अभी होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* काले धन के विषय पर चर्चा का क्या हुआ?

श्री एम.वैंकैय्या नायडू : 10 साल में काली रात में क्या हुआ, यह सबको मालूम है। ...*(व्यवधान)* अब इसकी चर्चा नहीं कीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं विपक्ष के नेता का आदर करता हूं और उनको भी कॉंफिडेंस में लेना चाहता हूं। उस सदन में यह इश्यू एडमिट हो चुका है। मैंने वित्त मंत्री जी को कहा है कि पहले वहां काम कर के यहां आ जाइए। मैं यह देख लूंगा कि वहां कितना समय लगेगा, उस हिसाब से हम यहां भी प्रायरिटी पर इस विषय को जरूर लेंगे। ...*(व्यवधान)* दोनों सदन महत्वपूर्ण हैं। दोनों सदन हमारे हैं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मान लीजिए ये बिल्स जल्दी पारित हो गए, क्योंकि मैक्सिमम डिस्कशन हो चुके हैं, मंत्री जी को उन्हें पूरा करने में समय लगेगा तो मैं और स्टेट मिनिस्टर नोट्स लेंगे और बाद में मंत्री जी यहां आकर जवाब देंगे। यह पद्धति भी हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : आप चर्चा शुरू कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इस पर जल्दी से जल्दी चर्चा शुरू करा देते हैं, लगभग चार बजे के आसापास चर्चा शुरू करेंगे।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आप समय तो निर्धारित करें कि हम लोग कितने बजे चर्चा शुरू करेंगे।...*(व्यवधान)* यह तो असमंजस की स्थिति हो गई है। ...*(व्यवधान)* कृपया आप समय तो निर्धारित करें। ...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : इसके लिए समय चाहिए। जो बिल्स अधूरे रह गए हैं, उन्हें पारित करवाइए।*...(व्यवधान)* आप लोगों ने कल कहा कि इन्हें आज करेंगे। *...(व्यवधान)* आप वह करिए, उसके बाद*...(व्यवधान)* मैं वित्त मंत्री से*...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हम आज ही इस पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको इतना आश्वासन देती हूं कि आज ही मैं इस चर्चा को शुरू करुंगी।

... *(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : हम चर्चा आज ही शुरू करेंगे। *...(व्यवधान)* चर्चा दिन में करेंगे।*...(व्यवधान)* डिन में चर्चा नहीं करेंगे। *...(व्यवधान)* खड़गे जी ने कल कहा। *...(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : हम चाहते हैं कि इसके लिए समय निर्धारित हों - 2 बजे, 12 बजे या 3 बजे, कुछ समय कहें। *...(व्यवधान)* ये कब समय निर्धारित करेंगे?

माननीय अध्यक्ष : हम 4 बजे के आस-पास चर्चा शुरू करेंगे।

... *(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : हम 4 बजे दिन में चर्चा शुरू करेंगे। ...(व्यवधान) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक - 2014 बहुत महत्वूर्ण कानून है। *...(व्यवधान)* कृपया समझने की कोशिश करें। *...(व्यवधान)* यह काम पूरा होने दीजिए।*...(व्यवधान)* तीनों कानून पूरा होने के बाद तुरंत *...(व्यवधान)* यह दो घंटे में हो जाएगा। ...(व्यवधान) [अनुवाद] ज्योति *बाबू*, कृपया समझने की कोशिश करें। [हिन्दी]*...(व्यवधान)*

यह दो घंटे में पूरा हो जाएगा।*...(व्यवधान)* मैं हूं, उसके बाद मैं इस पर चर्चा करा दूंगा। *...(व्यवधान)* सुदीप जी बैठ जाइए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: हम एक काम कर सकते हैं। [हिन्दी] अभी हम जीरो अवर नहीं लेते हैं, बिल्स पास करा लेते हैं और फिर तुरंत चर्चा शुरू कर देते हैं।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह किया जा सकता है। [हिन्दी] मैं आपको इतना आश्वासन दे रही हूं।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, हम 'शून्य काल' नहीं लेंगे। इसे 6 बजे के बाद लिया जाएगा।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम आपकी बात को मान रहे हैं। *...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप सब लोग नहीं बोलिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोलने दे रही हूं तो सब लोग बोलेंगे। मैं बात कर रही हूं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, कई बार पेंडिंग बिल्स पर रिप्लाई दो-तीन दिन के बाद दिया गया है, ऐसा नहीं है कि उन पर इमीडिएटली रिप्लाई मिला है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। *...(व्यवधान)* यह क्या है।*...(व्यवधान)* गवर्नमेंट का एटिट्यूंड यह दिखता है कि जो भी हम कहते हैं उसके विरोध में करना है। *...(व्यवधान)* ऐसा चल रहा है।*...(व्यवधान)* अब हम चर्चा चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : खड़गे जी, आप जो भी कहते हैं, हम उसे तुरंत स्वीकार करते हैं।*...(व्यवधान)* आप पुरानी परम्परा देख लीजिए।*...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैं अब अपना निर्णय देती हूं।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हम आज जीरो आवर छ: बजे के बाद ले लेंगे। अभी बिल शुरू कर देते हैं। जैसे ही यह बिल कम्प्लीट हो जाऐंगे तुरंत आपका विषय ले लिया जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक ही बिल पास करवा दीजिए, उसके बाद तुरंत ले लेंगे।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं।*...(व्यवधान)* [अनुवाद] हम अभी वॉकआउट करते हैं। ... (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.16 बजे

तत्पश्चात श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री सुदीप बंदोपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी बात नहीं मानेंगे, यह उचित नहीं है।

… *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब हम मद सं 14 को लेंगे। श्री धरम वीर गांधी। क्या आप बोलना चाहते हैं?

… *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मैं अब विधेयक को प्रस्तुत कर रही हूँ। हर बार मैं इसे नहीं बदलूंगी। मुझे खेद है।

… *(व्यवधान)*

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदया, मैं भी कम से कम 16 वर्षों से संसद में हूं। हम अधिकतम संभव सीमा तक समायोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विनम्रतापूर्वक अध्यक्ष महोदया से कहना चाहता हूँ कि कल यह मुद्दा आया था। मैं आया और माननीय अध्यक्ष से मिला और कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मैंने सभा को भी समझाया और सभा से दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने का अनुरोध किया। विपक्षी दलों ने कहा, 'नहीं, हम इसे कल पारित करेंगे। हमने इस पर चर्चा की और उन्हें अब इसमें भाग लेना है। अध्यक्ष महोदया ने सुझाव दिया है कि अब 'शून्य काल' न हो। मैंने कहा, "ठीक है। अध्यक्ष महोदया ने यह भी सुझाव दिया है कि इन विधेयकों के पारित होने के बाद हम इस मुद्दे को उठा सकते हैं। हम इसके लिए 'हां' कह रहे हैं। यदि विपक्षी

दल एक पूर्व निर्धारित मन के साथ आते हैं और बात करना चाहते हैं, तो मेरा कहना हैः "आप बात कर सकते हैं और यहां तक कि बाहर भी जा सकते हैं लेकिन कोई ब्रेकआउट नहीं।" यह हम सभी को बनाए रखना चाहिए। … (*व्यवधान*)

श्री करुणाकरन जी, कृपया सहयोग करें। आइए हम विधेयकों पर चर्चा करें और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करें। मुझे कोई समस्या नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: हम इस चर्चा को 3 बजे शुरू करेंगे।

… *(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): माननीय अध्यक्ष, मैंने मनरेगा मुद्दे के संबंध में एक नोटिस दिया है। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको ऐलाऊ करूंगी। आपने शून्य काल में कहा था।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन: यह अधिनियम इस संसद द्वारा पारित किया गया था। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं कह रहीं हूं कि मैं आपको अनुमति दूँगी।

… *(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, , हम विधेयक में संशोधन ला रहे हैं। ... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: श्री करुणाकरन जी, कृपया सुनें। आपके नोटिस पर और मनरेगा पर भी, सरकार को इस पर चर्चा करने में कोई समस्या नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति या अध्यक्ष महोदया को कुछ समय तय करने दें और फिर हम निश्चित रूप से उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। … (*व्यवधान*)

श्री पी. करुणाकन: अब लाखों लोग *धरना* दे रहे हैं। … (*व्यवधान*) त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी यहां हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप अभी इसके बारे में केवल एक संदर्भ देना चाहते हैं या आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं?

… *(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): महोदया, इस मुद्दे पर प्रश्नकाल के निलंबन का नोटिस दिया गया था। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

… *(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद सलीमः उन्हें अभी 'शून्य काल' में इस मुद्दे का उल्लेख करने दें। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, सभी को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुझे खेद है।

… *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मैंने कहा है कि मैं उनके विषय को उठाने की अनुमति दूँगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अब संदर्भ देने की अनुमति दी जाएगी। यही बात है। मैं अब पूरी चर्चा की अनुमति नहीं दे रहीं हूँ।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर) : मैडम, एक सुझाव है।...*(व्यवधान)* जीरो आवर ले लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: हर कोई इस तरह नहीं बोल सकता है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकती। अन्यथा, यह जारी रहेगा।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैडम, एक सुझाव है।...*(व्यवधान)* जीरो आवर ले लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप में से केवल एक को अभी बोलने की अनुमति दी जाएगी और यह केवल एक या दो मिनट के लिए है और इससे अधिक नहीं है। अब कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

... *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.20 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

पूर्वोत्तर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व): माननीय महोदया, आपको ज्ञात होना चाहिए कि आज ग्रामीण भारत के हजारों लोग और एक राज्य के मुख्यमंत्री जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि यह सरकार बहुत जोरदार तरीके से मनरेगा को खत्म करने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के काम की गारंटी दी गई है।

महोदया, अगर आप देखें, तो इस साल मनरेगा के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति में, सरकार द्वारा अनुमोदित श्रम बजट रु. 64,510 करोड़ था। उसमें से, बजट अनुमान लगभग रु. 40,000 करोड़ था, अर्थात यह रु. 20,000 करोड़ से कम है। आज तक केवल रु. 20,428 करोड़ जारी किए गए हैं। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अवशिष्ट राशि को अन्य 2-3 महीनों में कैसे खर्च किया जाएगा। महोदया, जहां 100 दिन का काम उत्पन्न होना चाहिए और लोगों को वह मिलना चाहिए, वहां आज तक उत्पन्न औसत कार्यदिवस केवल 32 है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से अब राज्य सरकारों को एक परामर्श भेजा गया है कि मनरेगा को चुनिंदा ब्लॉकों में ही लागू किया जाएगा। हमारे देश के 7,000 ब्लॉकों में से, केवल 2,000 ब्लॉकों में, लोग इस सुविधा का लाभ लेंगे। इसलिए, यह लोगों के अधिकार पर गंभीर रूप से हमला कर रहा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय सदस्य, चौधरी जी, मनरेगा के बारे में मैं सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि मनरेगा को कमजोर करने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कोई चर्चा नहीं है। मुझे खेद है।

श्री जितेंद्र चौधरी: मेरे राज्य में, आज तक हमें रु. 300 करोड़ से वंचित रखा गया है। * आती थी । हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। ... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडूः आइए हम कार्य करें . . . (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.22 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण , नियम 377 के अधीन मामले अब सभा पटल पर रखे जायेंगे

[अनुवाद]

जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें रखने के इच्छुक हैं, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर सभा के पटल पर मामले का पाठ सौंप सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जो निर्धारित समय के भीतर लिखित रूप में पटल पर प्राप्त होंगे।

(एक) गोरखपुर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख व्यापारिक और शिक्षा का केन्द्र भी है। लगभग 3 करोड़ से ऊपर आबादी के बीच एकमात्र विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1956-57 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश आपितु बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति का एकमात्र केन्द्र है। राज्य सरकार के संसाधन सीमित होने के कारण शिक्षा की गुणत्ता बनाए रखने और संपूर्ण क्षेत्र के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में विश्वविद्यालय की जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए वह अत्यंत ही सीमित रह गई है।

कृपया गोरखपुर के धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए।

(दो) गुजरात के सूरत विमानपत्तन, को विकसित करने की आवश्यकता

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : सूरत एक ऐसा शहर है जो हीरा, कपड़ा, जरी और लोगों की पैसा खर्च करने की इच्छा, क्षमता एवं खानपान के लिए प्रख्यात है। काफी सालों से सूरत के वासियों की मांग रही है कि सूरत में एक अच्छा एयरपोर्ट बने। नेताओं की वर्षों की अथक मेहनत एवं लोगों की आकांक्षाओं के चलते एक एयरपोर्ट सांस लेने लगा था पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों की गलती के चलते आज देश में सूरत एयरपोर्ट चर्चा में है। पिछले दिनों सूरत में टेक ऑफ करते एक फ्लाइट की एक भैंसे के साथ टक्कर हुई।

मैं मांग करती हूं कि इस पूरी घटना में जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें ऐसी शिक्षा हो जिससे बाकी लोगों को एवं अधिकारियों को सबक मिले। क्योंकि इससे सिर्फ एक कंपनी के जैट को नुकसान हुआ हो ऐसा नहीं है, कई लोगों की जान भी खतरे में पड़ी। कई अन्य देशों से भी जो लोग सूरत की शुरू हुई हवाई सेवा तथा अन्य उद्देश्यों से इस शहर को आशा भरी नजरों से देखते थे उनके कदम रूक गए हैं। सूरत एयरपोर्ट में हुई लापरवाही कोई एक आदमी की भूल नहीं थी बल्कि लाखों लोगों की आशा, आकांक्षा एवं एक शहर के विकास को रोकने जैसा अपराध है।

साथ ही मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस घटना से सूरत के विकास पथ पर कोई अवरोध न आए। दूसरा सबसे पहले पूरी तरह से एहतियात के कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटित हो। सिर्फ सूरत ही नहीं पर पूरे देश में ऐसा ना हो ऐसी व्यवस्था की जाए और समय-समय पर उसका मुआयना हो ।

साथ ही साथ एयर इंडिया की जो फ्लाइट अभी हफ्ते में तीन दिन आती है उसे रोजाना किया जाए ताकि एयर इंडिया को देखकर अन्य प्राइवेट कंपनियों को भी सूरत से सर्विस शुरू करने की प्रेरणा मिले।

सूरत एयरपोर्ट का रनवे बड़ा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना, रोजाना फ्लाइट की सिलींग को हटाना एवं एयर इंडिया बड़े एयरक्राफ्ट का प्रयोग करे, ये सब तुरंत करने जैसी बातें हें जिनको पूरा करने की भी मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं ताकि आगामी दिनों में सूरत एयरपोर्ट फिर से एक बार कार्यरत हो।

(तीन) गुजरात के दांडी में गांधी आश्रम क्षेत्र में सुविधाओं का विकास और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): मैं केंद्र सरकार से दांडी में गांधी आश्रम क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार करने का आग्रह करता हूं, जिसके लिए गुजरात सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों के विकास के लिए डी.पी.आर. भेजी जाती हैः

(1) दांडी पुल का विकास जिसमें क्षेत्र को पक्का करना, भूनिर्माण, वृक्षारोपण और नदी के किनारे के प्लाजा और दांडी पुल का नवीनीकरण शामिल है।

(2) सड़क का विकास और सौंदर्यीकरण, जिसमें कैरिजवे, पार्किंग क्षेत्र, पैदल मार्ग, कियोस्क, बैठने की जगह और शौचालय ब्लॉक आदि शामिल हैं।

(3) गांधी आश्रम बागान, सौंदर्यीकरण, प्रदर्शनी, ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शनी, कस्तूरबा झील आदि से जुड़ी मौजूदा पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन।

दांडी में राष्ट्रीय दांडी स्मारक पर 21 रात्रि विश्राम स्थलों का निर्माण और इसे विरासत मार्ग घोषित करना।

(चार) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता का निवेदन करने वाले सभी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से चिकित्सा उपचार हेतु आर्थिक सहायता देश में गरीब परिवार के रोगियों के उपचार हेतु एक वरदान है, जो संसद सदस्यों की अनुशंसा पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता है। लेकिन मुझे इस विषय पर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा चुनाव क्षेत्र काफी पिछड़ा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों का इलाज आर्थिक सहायता के अभाव में संभव नहीं हो पाता है तथा इससे कई मरीजों की मृत्यु भी हो जाती है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जितने भी निवेदन मेरे द्वारा आर्थिक सहायता हेतु संस्तुति कर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे जाते हें, उनके उपचार का पूरा खर्च प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से शीघ्र देने का प्रावधान किया जाए ताकि गरीब, असहाय मरीजों को इलाज के अभाव में मरने से बचाया जा सके।

(पाँच) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को छात्र संघ के साथ-साथ शिक्षकों के मूल्यांकन और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जिसका अपने आप में इतिहास रहा है, लगभग 22-23 वर्ष से वहां पर छात्र संघ, अध्यापक संघ एवं गैर-शिक्षण संघ का चुनाव नहीं हुआ है, जो लोकतंत्र में सर्वथा अनुचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव नहीं कराने के पीछे प्रशासन के द्वारा की गई आनियमितता उजागर होने का डर भी एक कारण है। लिंगदोह समिति के प्रावधानों के बाद देश में अनेक विश्वविद्यालयों एवं उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं में छात्र संघ का चुनाव हुआ, लेकिन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता के चलते अभी तक चुनाव संभव नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं चुनी हुई संस्थाओं के रहने से प्रशासन, अवस्थापना एवं विकास से संबंधित कार्यों के प्रति दायित्व धारक सजग एवं चैतन्य रहते हैं, उनके नहीं होने से उनमें निरंकुशता एवं मनमानापन आ जाता है।

इस समय यहां छात्र लगातार अनशनरत एवं विभिन्न प्रकार से आंदोलनरत हैं।

अतः सरकार से मांग करता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया जाए ताकि अविलंब लोकतंत्र एवं जनहित तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए छात्र संघ का चुनाव कराया जाए साथ ही अध्यापक संघ एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ के भी चुनाव कराने के निमित्त समुचित निर्देश दिए जाए।

(छह) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के संशोधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार "लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल एक दंडनीय अपराध है"

हालांकि इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने और लोक सेवकों को बिना किसी बाधा के काम करने की अनुमति देने में बुद्धिमानी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वास्तविक राजनीतिक संघर्षों और अहिंसक आंदोलनों की अनुमति देने के लिए खंड की सर्वव्यापी प्रकृति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

खंड का दुरुपयोग किया जाता है, विशेष रूप से राजनीतिक विरोधियों द्वारा, और अंत में वास्तविक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को "गैरकानूनी" लोगों के रूप में लक्षित किया जाता है। यह धारा अत्याचारी है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक जन प्रतिनिधि को हर संभव अवसर पर बदनाम और अपमानित किया जाता है। इससे पुलिस का अत्याचार होता है — विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां प्रशासन की कई अत्याचारपूर्ण गतिविधियां अनियंत्रित और अप्रत्यक्ष रहती हैं।

भारत जैसे बड़े और जटिल लोकतंत्र में, विशेषकर दो-स्तरीय राजनीतिक प्रणाली में, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो कि स्थिर ब्यूरोक्रेसी और उनके राजनीतिक मास्टर्स से लोक प्रतिनिधियों को अत्याचार और दमन का डर हो।

इसके मद्देनजर, यह प्रार्थना की जाती है कि उक्त धारा को तुरंत संशोधित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून का दुरुपयोग न हो।

(सात) राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मूंगफली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने तथा उत्पाद के तीव्र प्रापण के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में इस समय कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत सरकार की योजना ''मिनीमम सपोर्ट प्राइज'' के तहत खरीददारी की व्यवस्था नहीं होने के कारण मंडियों में मूंगफली की फसल के ढेर लग रहे हैं तथा मंडियों के आसपास रहने वाले व्यवसायियों को भी ट्रैफिक जाम होने के कारण बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। [हिन्दी] जो किसान ग्रामीण क्षेत्र से मूंगफली लेकर मंडी में आते हैं उनको भी समुचित बोली की व्यवस्था नहीं होने के कारण 1 या 2 दिन के आसपास सड़क पर ही रूकना पड़ता है जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। शहर के अन्य नागरिकों को भी ट्रैफिक जाम के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

मूंगफली की आवक ज्यादा होने के कारण मूंगफली की फसल मिनीमम सपोर्ट प्राइज से नीचे बिक रही है इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मेरी भारत सरकार के कृषि मंत्री से यह मांग है कि बीकानेर की कृषि मंडियों में मूंगफली की फसल की आवक को देखते हुए अतिशीघ्र मिनीमम सपोर्ट प्राइज के तहत खरीददारी करने के निर्देश जारी करें तथा बजट की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएं जिससे राज्य सरकार सरकारी खरीद के लिए आवश्यक प्रबंध कर सके।

(आठ) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कलपि नगर में चार लेन वाली सड़क पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद जालौन के कालपी नगर में एक ओवर ब्रिज स्वीकृत था जो आज तक नहीं बना है। जो कि बदहाल हालत में है। कालपीनगर दो भागों में विभाजित हैं। एक तरफ विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है तो दूसरी तरफ महर्षि वेदव्यास की जन्मस्थली जहां कई गांवों के लोग जाते हैं। यहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी तक कई लोग जान गंवा चुके हैं। आये दिन ट्रैफिक जाम रहता है। जिससे यात्रियों, छात्रों एवं मरीजों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोग रोड क्रॉस करने से डरते हैं।

अतः मेरी मांग है कि कालपीनगर के फोर लेन रोड पर ओवरब्रिज बनाया जाये ताकि फोरलेन पर जाम एवं दुर्घटना से बचा जा सके।

(नौ) पंजाब में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): विभिन्न अख़बारों में छपी जाने के अनुसार, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पंजाब देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निर्धारित धन को अन्य उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एक नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य सरकार कुल अनुसूचित जाति उप योजना परिव्यय का 33% खर्च करने में विफल रही है। राज्य सभा में हाल ही में प्रस्तुत की गई प्रतिवेदन ने अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) के खराब कार्यान्वयन के लिए पंजाब को लगभग सबसे नीचे रखा है।

प्रतिवेदन से पता चलता है कि हालांकि पंजाब में 31.9% की दलित आबादी है और कुल योजना परिव्यय का केवल 28.55% 2012-13 में एस.सी.एस.पी. के तहत आरक्षित था। कुल योजना बजट के अंतर्गत रु. 14000 करोड़ के बजट का हिस्सा, अनुसूचित जाति उन्नयन योजना (एस.सी.एस.पी.) का बजट रु. 4,039 करोड़ था। योजना आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार एस.सी.एस.पी. रु. 4466 करोड़ होना चाहिए था। मैं केंद्र सरकार से इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

(दस) बिहार के कोसी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : खाद्य सुरक्षा योजना यू.पी.ए. 2 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत् अभी तक केवल 60 प्रतिशत लाभार्थी को ही कूपन मिली है एवं 40 प्रतिशत लाभार्थी को कूपन नहीं मिला है। खाद्य आपूर्ति करीब जुलाई-अगस्त से शुरू हुई थी, जिसमें भारी आनियमितता हो रही है। बिहार के कोसी क्षेत्र के पंचायतों से ऐसी शिकायत आ रही है कि खाद्यान्न की कीमत अधिक वसूली जा रही है एवं प्रत्येक महीने खाद्यान्न की आपूर्ति भी नहीं की जा रही हैं, जिसमें लाभार्थियों में भारी रोष है।

अतः मैं सरकार से मांग करती हूं कि अविलंब इसकी जांच कराकर दोषपूर्ण व्यवस्था एवं अनियमितता को दूर किया जाए ताकि लाभार्थी को सही समय पर सही मात्रा में उचित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।

(ग्यारह) तमिलनाडु के श्रीपेराम्बदूर में नोकिया कम्पनी का एकक बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों के लिए समुचित कल्याण उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. एन. रामचन्द्रन (श्रीपेरम्बुदुर): मैं नोकिया कंपनी में कार्यरत कई हज़ार श्रमिकों की आजीविका से संबंधित एक मुद्दा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उठाना चाहता हूँ, जो मेरे संसदीय क्षेत्र श्रीपेरुम्बदूर में है।

नोकिया जिसने श्रीपेरम्बुदुर के एस.ई.जेड. में अपनी इकाई स्थापित की थी, ने अपने संचालन को नवम्बर 2014 से निलंबित कर दिया है। नोकिया कंपनी को तमिलनाडु सरकार द्वारा श्रीपेरम्बुदुर और उसके आसपास के 10,000 से अधिक श्रमिकों के रोजगार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भूमि और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई थीं। इसके अलावा, कई हजार श्रमिक, जो अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत थे और जो अन्य सहायक इकाइयां जो नोकिया को सामग्री और उत्पादों की आपूर्ति कर रही थीं, इस कंपनी पर निर्भर थीं।

जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया की अन्य सभी सुविधाओं का अधिग्रहण किया, तो केवल श्रीपेरम्बुदुर में इस इकाई को पिछली सरकार के कारण बाहर रखा गया था। उन्होंने एक आयकर नोटिस दिया था, जिसके कारण नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट के बीच सौदे से श्रीपेरम्बुदुर में नोकिया को बाहर कर दिया गया था। इसके कारण नोकिया की परिसंपत्तियों का हस्तांतरण भी संभव नहीं है। यह नोकिया को अपने कर्मचारियों के हित में पुनरुद्धार की अन्य संभावनाओं का पता लगाने से भी रोक रहा है।

वर्तमान में, कई हज़ार कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। तमिलनाडु सरकार ने लगभग 900 श्रमिकों को बिना काम के मजदूरी देने के बावजूद, वे सड़कों पर हैं।

श्रीपेरम्बुदुर में नोकिया के बंद होने से कंपनी के कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ है। यह 'मेक इन इंडिया' अभियान के लिए एक बड़ा झटका होगा।

इसलिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कर्मचारियों और कारखाने के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने का अनुरोध करता हूँ।

(बारह) तमिलनाडु के त्रिची विमानपत्तन पर विदेशी एयरलाइन्स की उड़ानों को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली) : मेरा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिची जिला मुख्यालय है और यह तामिल नाडु के पड़ोसी 10 दक्षिणी जिलों का केंद्र है। त्रिची इन सभी जिलों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। त्रिची हवाई अड्डा इन सभी जिलों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के लोग उच्च शिक्षा के लिए और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अक्सर त्रिची हवाई अड्डे से बाहर निकलते हैं, इसके अलावा उन कुशल श्रमिकों को भी जो अपनी आजीविका कमाने के लिए बाहर जाते हैं।

चूंकि त्रिची हवाई अड्डे को द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (बी.ए.एस.ए.) में 'प्वाइंट ऑफ कॉल' के रूप में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए सभी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विदेशी हवाई वाहकों द्वारा हवाई अड्डे को 'पॉइंट ऑफ कॉल' के रूप में शामिल करने के बाद ही ऐसे हवाई वाहक अपना परिचालन शुरू कर सकते हैं। विदेशी एयरलाइंस भारत में ऐसे हवाई अड्डों को सूचीबद्ध करती है जहां से वे द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते में परिचालन करना चाहते हैं।

लगता है कि विदेशी एयरलाइंस जैसे एयर अरेबिया, सिल्क एयर, ओमान एयर, फ्लाई दुबई आदि त्रिची हवाई अड्डे में संभावना देख चुके हैं, लेकिन वे इसकी संचालन को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि त्रिची हवाई अड्डा बी.ए.एस.ए. के तहत 'पॉइंट ऑफ कॉल' के रूप में शामिल नहीं है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय, त्रिची हवाई अड्डे को बी.ए.एस.ए. के तहत 'प्वाइंट ऑफ कॉल' के रूप में शामिल करें, ताकि विदेशी एयरलाइंस अपना संचालन शुरू कर सकें और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जा सकें।

साथ ही, इससे तमिलनाडु के पूरे दक्षिणी जिलों के लोगों को भी मदद मिलेगी।

(तेरह) आवश्यक और जीवनरक्षक औषधियों की वहनीय दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली): पिछले कुछ समय से आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में कई गुना वृद्धि देखी जा सकती है। इससे गरीब मरीजों का जीना मुहाल हो गया है। यह संज्ञान में आया है कि सरकार ने राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) की शक्तियों पर अंकुश लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप इसने बाजार में दवाओं की कीमतों में वृद्धि की है। इससे आम आदमी को काफी नुकसान हुआ है। गरीबों को एड्स, टी. बी., कैंसर और हृदय रोग जैसी भयावह बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और संयोग से इन दवाओं के दाम बढ़ गए हैं। उदाहरण के रूप में, कैंसर की दवाओं की कीमत जो पहले रु. 5,000 में बिकती थी, उसका दाम बढ़ गया है। यह केवल एक मामला नहीं है। हृदय उपचार के मामले में, उपचार का दाम रु. 1,615 तक पहुँच गया है जो कि एन.पी.पी.ए. की शक्ति को रोकने से पहले सिर्फ रु. 92 था। इस कृत्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में 4 करोड़ मधुमेह रोगी, 4.7 करोड़ हृदय रोगी, 22 लाख टी.बी. रोगी और 11 लाख कैंसर रोगी हैं। अतः सरकार को इस पर विचार करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन बीमारियों के इलाज के लिए इन दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को बिना किसी और देरी के वापस लिया जाए।

(चौदह) देश में ठेका श्रमिकों के कल्याण के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर): प्रवासी मजदूरों की खराब स्थिति और आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और भोजन तक उनकी पहुंच में बाधाएं उनसे संबंधित बुनियादी समस्याएं हैं।

श्रमिक ठेकेदार मजदूरों को बड़ी अग्रिम राशि देते हैं, उसके बाद उन्हें भयावह परिस्थितियों में ईंट भट्ठों में काम करने के लिए मजबूर करके और उन्हें शारीरिक नुकसान पहुँचाकर उनका शोषण करते हैं।

कालाहाण्डी जिले में हाल ही में एक कार्यक्रम में, दो प्रवासी मजदूरों - जियालू नियाल और नीलांबर ढांगदमाझी - के हाथ काट दिए गए थे। एक ठेकेदार ने आंध्र प्रदेश में एक ईंट भट्ठे में काम करने के लिए 12 मजदूरों को रु. 14,000 की अग्रिम राशि दी थी। इसके बजाय जब छत्तीसगढ़ में एक ईंट भट्टे में जबरन काम पर ले जाया गया, तो दस प्रवासी मजदूरों ने विरोध किया और भाग गए। दो, जो भागने में विफल रहे, उन्हें बंदी बना लिया गया, प्रताड़ित किया गया और उनके दाहिने हाथ काट दिए गए।

ऐसी घटनाओं के आलोक में, श्रम ठेकेदारों और उनके साथ मिली-जुली व्यक्तियों की भ्रष्ट, शोषणकारी प्रथाओं पर अंकुश रखने के लिए कड़े निष्पादन के साथ श्रम प्रवास पर एक ठोस, व्यापक कानूनी ढांचा आवश्यक है। ईंट-भट्ठों में बाल श्रम पर रोक लगाई जानी चाहिए, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ईंट भट्ठों में मजदूरों की मानवीय कार्य स्थितियों के प्रावधान सुनिश्चित किए जाने चाहिए। प्रत्येक राज्य में प्रवासी श्रम प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने चाहिए।

मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त शर्तों पर विचार करे तथा इस संबंध में तत्काल सुधार का प्रावधान करे।

(पंद्रह) आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में "हुदहुद" तूफान के द्वारा आयी आपदा को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोनकल्ला नारायण राव (मछिलीपट्टनम): हुदहुद चक्रवात, जिसने 12 अक्टूबर, 2014 को उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और अन्य जिलों को तबाह कर दिया था, बहुत बड़ा था। हुदहुद न केवल 2014 में 206 किमी प्रति घंटे की हवा की गति से लैंडफॉल करने वाले पहले उच्च तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान के रूप में उभरा, बल्कि 1891 के बाद से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विकसित हुए 515 चक्रवाती तूफानों में से तीसरा सबसे अधिक तीव्रता वाला चक्रवाती तूफान भी है। हुदहुद ने न केवल पोर्ट सिटी का परिदृश्य बदल दिया, बल्कि आई.एम.डी. के रिकॉर्ड के अनुसार 1891 के बाद से सीधे चक्रवात से प्रभावित होने वाला देश का पहला शहर भी बना दिया। इस चक्रवात से करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं।

विशाखापत्तनम शहर और नए आंध्र प्रदेश राज्य की रीढ़ औद्योगिक क्षेत्र को रु. 6,137 करोड़ के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और यह अनुमान लगाया गया है कि नुकसान रु. 63,000 करोड़ से अधिक होगा। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से रु. 9,751 करोड़ का मांग किया है। परिष्कृत प्रौद्योगिकी और सरकार की सतर्कता के उपयोग से जानमाल के नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन पर्यावरण और संपत्ति को अपूरणीय क्षति हुई और समग्र क्षति तुलना से परे है।

कई विशेषज्ञों ने पहले ही घोषणा की है कि पिछले 50 वर्षों में हुदहुद के कारण होने वाला विनाश अतुलनीय है। एक अनुमान के अनुसार, विशाखापत्तनम शहर अकेले को करीब रु. 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कुछ सरकारी प्रभागों ने अनौपचारिक रूप से घोषणा की है कि श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखा और पूर्वी गोदावरी के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक रु. लाख करोड़ तक का नुकसान हुआ है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि चक्रवात हुदहुद, जिसने 12 अक्टूबर, 2014 को उत्तर-तटीय आंध्र जिलों को तबाह कर दिया था, को केंद्र सरकार द्वारा तुरंत राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए।

(सोलह) बिहार में निरन्तर आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईस्माइलपुर में गंगा नदी पर एक बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर, बिहार में गंगा नदी की बाढ़ से ईस्माइलपुर प्रखंड के सैंकड़ों गाँव जलमग्न हो जाते हैं। उत्तरी भाग के तेतरी, बिहपुर तथा नवगछिया अनुमंडल तक इस बाढ़ का प्रभाव रहता है। नवगछिया पुलिस जिला है तथा बाढ़ के चलते सामान्य का कार्य भी नहीं हो पाता है। बाढ़ तथा जलमग्न की स्थिति में सामान्य जीवन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यहां के निवासियों को प्रतिवर्ष संघर्ष करना पड़ रहा है। साथ ही जान-माल सहित किसानों की फसलों को भारी क्षति पहुंचती है। जल जमाव से सड़क सहित सभी आधारभूत संरचनाओं को क्षति पहुंचने के चलते सड़क आदि की मरम्मत पर करोड़ों रूपये व्यय करना पड़ता है जो कि न्यायसंगत नहीं है। ईस्माइलपुर प्रखंड के सैंकड़ों गाँवों को हर साल त्रासदी से बचाने के ईस्माइलपुर से हाई लेवल तक बांध का निर्माण कराकर इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सकता है तथा करोड़ों रूपये के राजस्व की हानि को बचाया जा सकता है।

अतः भारत सरकार से मेरी मांग है कि लोकहित में ईस्माइलपुर से हाई लेवल तक बांध का निर्माण कराये जाने के लिए बिहार राज्य सरकार से प्रस्ताव मांग कर इसकी स्वीकृति देते हुए धन उपलब्ध कराने का आदेश की कृपा करने का कष्ट करें।

(सत्रह) वैशाली, बिहार में महात्मा बुद्ध से जुड़े स्मारकों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने तथा उन्हें पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने हेतु पर्याप्त वित्तीय पैकेज प्रदान करने की पहल किए जाने की आवश्यकता

श्री रामा किशोर सिंह (वैशाली) : महाभारत काल से अब तक वैशाली, बिहार का गौरवशाली और प्राचीन इतिहास रहा है। महाभारत काल के राजा विशाल, भगवान महावीर की जन्मस्थली, भगवान गौतमबुद्ध की कर्मस्थली, चीनी विद्वान फकशियन और युवानजंग की मर्मस्थली और विश्व के प्रथम गणराज्य बनने का इतिहास वैशाली को जाता है। यह स्थान एक बड़ा और समृद्धशाली राजधानी प्राचीन काल से ही रहा है, यही कारण है कि 383 बी.सी0 में राजा कालाशोक के द्वारा इस स्थान पर द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया ताकि बौद्ध और जैन धर्मों की दृष्टि से इस स्थान का सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सके। इतनी ख्याति के पश्चात् भी पटना से हाजीपुर अवागमन के लिए गंगा नदी पर पुल जर्जर स्थिति में है। बोधगया और राजगीर को विश्व हैरिटेज में शामिल किया गया और बौद्ध सर्किट से जोड़ा गया है, परन्तु वर्ष 2008 में सरकार ने कोल्हुआ (वैशाली) के विकास के लिए मात्र 388.97 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वैशाली पर्यटक स्थल के विकास के लिए इसे वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल करने और बौद्ध सर्किट में जोड़ने और विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने की कृपा की जाये ताकि विश्व के इस प्रथम गणराज्य को विश्व के शीर्ष पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके।

(अठारह) देश में घरेलू रबड़ के दामों में गिरावट को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम): भारतीय रबड़ बाजार पिछले दो वर्षों में गिरावट पर है। अप्रैल 2011 में 1 किलोग्राम रबर की कीमत रु. 240 थी, जो मई 2014 में रु. 144 तक गिर गई है। कीमत में 60% से अधिक की भारी गिरावट ने फसल को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बना दिया है।

रबर की कीमत में गिरावट का मुख्य कारण आपूर्ति-मांग अंतर को ध्यान में रखे बिना अत्यधिक आयात है। जबकि देश ने वर्ष 2013 में 8.07 लाख मीट्रिक टन रबर उत्पन्न की, उसका उपभोग 9.55 लाख मीट्रिक टन रहा, जिससे 1.48 लाख मीट्रिक टन का अंतर बच गया। अंतर को आयात द्वारा पूरा करने के बजाय, वास्तविक आयातित मात्रा 3.00 लाख मीट्रिक टन रही, जिससे 1.52 लाख मीट्रिक टन की अधिशेष आपूर्ति बची। तो आयात पर प्रतिबंध मुद्दे की मूल वजह बनती है।

सर्वोच्च रबड़ उत्पादन का मौसम (सितंबर-जनवरी) के दौरान रबर का कोई आयात अनुमति नहीं होनी चाहिए। निर्वहन बंदरगाहों की संख्या सीमित होनी चाहिए ताकि खरीदारों को अधिक घरेलू रबर का उपयोग करने के लिए लुभाया जा सके। कम कीमत पर घटिया गुणवत्ता के आयात से बचने के लिए 100 प्रतिशत निरीक्षण करना होगा। अतिरिक्त आयात से बचने के लिए एक निगरानी तंत्र बनाया जाना है। रबर के लिए मूल्य

स्थिरीकरण योजना भारत सरकार द्वारा लागू की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए रु. 1000 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया जा सकता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं। उपरोक्त सुझावों पर विचार करें और रबर किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

अपराह्न 12.23 बजे

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 . . . . जारी

[अनुवाद]*

माननीय अध्यक्ष: अब सभा मद सं. 14 पर विचार करेगी।

श्री धरम वीर गांधी अपनी बात रखें।

… *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: केवल उनका भाषण ही कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान) …**

श्री धरम वीर गांधी (पटियाला) :: महोदया, सरकार द्वारा रखा जा रहा चयन पैनल ठीक है। विपक्ष के नेता को लेने के बजाय उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी के नेता को स्वीकार कर लिया है। लेकिन एक आशंका यह है कि इतने महत्वपूर्ण पद की नियुक्ति से पहले गणपूर्ति पूरी हो जानी चाहिए। इसलिए, मुझे लगता है कि यह अनिवार्य होना चाहिए कि सी.बी.आई. के प्रमुख का चयन करते समय सबसे बड़ी पार्टी के नेता को उपस्थित होना चाहिए। इसलिए, आपके माध्यम से सदन से मेरा यह अनुरोध है कि हम सभी यह सुनिश्चित करें कि सी.बी.आई. निदेशक की नियुक्ति से पहले कोई भी निर्णय लेने के लिए सबसे बड़े दल के नेता को अवश्य होना चाहिए।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

प्रारंभ में, इस अधिनियम की स्थापना वर्ष 1886 में युद्ध अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए की गई थी। इस अधिनियम को वर्ष 1946 में संशोधित किया गया था। युद्ध अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। फिर से, इस अधिनियम को वर्ष 1963 में संशोधित किया गया था। उस समय, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत, शुरू में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र की स्वीकृति से मामलों की सुनवाई की गई थी। फिर से इस अधिनियम को 2013 में लोकायुक्त अधिनियम के तहत संशोधित किया गया क्योंकि इस संदेह के कारण कि निर्देशक के चयन में, व्यक्तिगत प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

इसलिए, चयन समिति में, उनमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल थे। चूँकि लोगों ने अब जनादेश दिया है कि विपक्ष के नेता का पद पाने वाला एक भी विपक्षी दल नहीं है, इसलिए अब चयन पैनल में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल करने के लिए कानून में संशोधन करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि पिछली सरकार ने अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सी.बी.आई. का इस्तेमाल किया था और उसने विरोधियों पर मुकदमा चलाने और झूठे मामले दर्ज करने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध लिया था। इसके अलावा, पिछली सरकार ने कोयला घोटाले और 2 जी जैसे घोटालों को नियंत्रित करने के लिए सी.बी.आई. का उपयोग किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी.बी.आई. निदेशक के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की है। इस तरह के राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सी.बी.आई. का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

एक अन्य कारण यह है कि वही पिछली सरकार, हमारे नेता, जनता के मुख्यमंत्री, माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा को तमिलनाडु कैडर से एक पुलिस अधिकारी को हटाने के बारे में आपत्ति थी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की सहमति के बिना अचानक राज्य सरकार के पूल से अधिकारी को वापस ले लिया, जिससे भारत की संघीय संरचना प्रभावित हुई क्योंकि उनके पास तमिलनाडु राज्य कैडर से केंद्रीय कैडर में व्यक्ति को स्थानांतरित करने में राजनीतिक रुचि थी और उसे सी.बी.आई. में अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुना गया था। इस प्रकार का राजनीतिक प्रतिशोध सी.बी.आई. द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

हम विपक्ष के नेता को पैनल में शामिल करने के लिए पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। इसके अलावा, हम एक अन्य खंड को शामिल करने को स्वीकार करते हैं कि दो सदस्यों की अनुपस्थिति में या यदि कोई रिक्ति है, तो भी सी.बी.आई. निदेशक का चयन किया जा सकता है। हम इस संशोधन को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। हम इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं। धन्यवाद महोदया।

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्कबल्लापुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, भले ही दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 का यह संशोधन बहुत सरल और तकनीकी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बहुत सरल है। किसी भी सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून केवल आकस्मिकताओं को सामना करने के लिए नहीं किया जाता है। कानून हमेशा सार्वभौमिक बनाने के लिए है। मुझे लगता है कि यह सरकार की दूरदर्शिता की कमी को दर्शाता है कि वे आज उत्पन्न हुई किसी आकस्मिकता को पूरा करना चाहते हैं।

बेशक, मुझे लगता है कि उन्हें इसे अन्य कार्यों के साथ करने की आवश्यकता है। लगभग 10 अधिनियमों में उन्हें अपने अदूरदर्शी, संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्य को समायोजित करने के लिए संशोधन करना होगा। मैं कहूंगा, यह संसदीय प्रक्रिया का दुरुपयोग और संसदीय शक्ति का दुरुपयोग है। इसलिए, मैं आपके बारे में अधिक

चिंतित हूं। आपका कीमती समय और संसद का कीमती समय इस तरह से व्यर्थ क्यों किया जाना चाहिए, जो अनावश्यक और अनुचित है? यह किस उद्देश्य के लिए है? इसमें जनहित क्या शामिल है?

मैं माननीय अध्यक्षा को दोष नहीं देता क्योंकि अंततः सब कुछ नीति, प्रस्ताव या सत्ता में सरकार के रवैये के अनुसार होता है। हम पद के लिए विनती नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सीधे विपक्ष के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए था। उन्हें अपने तरीके से इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कानूनों की व्याख्या इस लॉबी या उस पार्टी के पक्ष में की जानी चाहिए। कानूनों को सार्वभौमिक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। यह वह सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी भी देश के कानून निर्धारित किए जाते हैं। मुझे इसमें पूरी तरह से विचलन नजर आता है।

महोदया, उन्होंने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। यह इतना स्पष्ट, इतना साफ़, इतना खुला हुआ है। संशोधन, जो उन्होंने प्रस्तावित किए हैं, विशेष रूप से धारा 2 (ख) में उल्लेख किया गया है: “विपक्ष के नेता को लोकसभा में इस प्रकार मान्यता प्राप्त है या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है, तो उस सभा में विपक्ष की एकल सबसे बड़ी पार्टी का नेता – सदस्य" का उल्लेख है। मुझे उन्हें विपक्ष के नेता का पद देने के लिए आपके उदार रवैये की सराहना करनी चाहिए। उसने कब्जा कर लिया है। हर उद्देश्य के लिए, सभी प्रोटोकॉल के लिए, आपने इसे पहचाना था। लेकिन, उन्होंने मना कर दिया। यह सत्ता की कटुता है। यह केवल तानाशाही में हो सकता है न कि संसदीय लोकतंत्र में है। तो, यह बहुत स्पष्ट है।

खंड 2 (ख) की धारा (2) में यह उल्लेख किया गया है कि "निदेशक की कोई भी नियुक्ति केवल समिति में किसी सदस्य की रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगी।" क्या कारण दिया गया है? आइए, उद्देश्यों और कारणों के विवरण को देखते हैं। उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लेख किया है कि "यह उपयुक्त समझा जाता है कि 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 4क की उप-धारा (1) के खंड (ख) को संशोधित किया जाए और उक्त समिति के सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष की

सबसे बड़ी एकल पार्टी के नेता को शामिल करने के लिए सक्षम प्रावधान किया जाए।" यह महत्वपूर्ण है। अगला वाक्य काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है, "इस संबंध में अनुसरण की गई विधायी प्रथा को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि समिति में किसी सदस्य की रिक्ति या अनुपस्थिति मात्र से किसी निदेशक की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।" विधायी प्रथा कहाँ है?

उन्हें एक भी ऐसा कानून दिखा दें जिसमें ऐसी विधायी प्रथा का पालन किया गया हो। आइए हम नवीनतम अधिनियम, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम देखें। क्या कोई ऐसी प्रथा अपनाई गई है?यहाँ आप कहते हैं, धारा (2) के खंड 2 (ख) में, "केवल चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण किसी निदेशक की कोई नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।" अनुपस्थिति कहां है? उन्होंने यह प्रथा कहाँ से प्राप्त की है? यह पूरी तरह से अपमानजनक है। मुझे खुशी है कि बी.जे.पी. के हमारे एक सदस्य ने इस मुद्दे को भी उठाया है। ऐसी कोई रिक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि वे कुछ शरारत करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि कभी-कभी एक छोटी सूचना दी जाती है, कभी-कभी कोई सूचना नहीं दी जाती है, कभी-कभी सम्मेलन अचानक बुलाया जाता है और पूरा प्रक्रिया अचानक संक्षिप्त की जाती है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह सरकार की ओर से आपराधिक रूप से प्रेरित कार्य है।

कल एक माननीय सदस्य ने भी यही मुद्दा उठाया था। यदि आप कहते हैं कि '... चयन समिति में कोई भी रिक्ति', तो मैं जानना चाहता हूं कि अनुपस्थिति कहाँ है। फिर वे 'विधायी प्रथा' कहते हैं। ऐसी विधायी प्रथा का पालन कहाँ किया जाता है? उन्हें एक कानून दिखाएं। बिल्कुल, वे आज ऐसा एक बहुत ही गलत, अपराधात्मक प्रसंग बनाएंगे ताकि उसे समर्थन दिया जा सके। वे कर सकते हैं। अब, यह प्रथा बनेगी। मान लीजिए, इस सभा में वे इसे अपनाते हैं, यह अब एक विधायी प्रथा होगी। क्या हमें आज ऐसी प्रकार की प्राथमिकता स्थापित करनी है? महोदया, मुझे लगता है कि उन्हें इस प्रकार के अपराधपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कृत्य के लिए इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके तहत वे किसी भी दुराचार को कर सकते हैं।

जब कुछ अधिकार दिए जाते हैं, तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता। यदि उस सदस्य को ऐसा अधिकार छीनने का इरादा है, जो उसे कानूनी रूप से मिलना चाहिए, तो मैं यह कहूंगा कि यह एक अवैध संशोधन है। आज सावधान रहने की जरूरत है। अगर उन्होंने आज इस मामले में ऐसा किया है, तो कल वे कई अन्य मामलों में ऐसा करेंगे। यही कारण है कि इसके गंभीर निहितार्थ हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सभा का कोई भी तर्कसंगत और विवेकपूर्ण सदस्य इसे मंजूरी दे सकता है। हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। अन्यथा वे एक संशोधन के साथ सामने आएँ, हम पूरे विधेयक का समर्थन करेंगे। हमें उस खंड को हटाना होगा, उसे मिटाना होगा। अन्यथा, हमें बहुत गंभीर आपत्ति है। हम इस सदन में गैर-कानूनी, गलत, आपराधिक विधायी प्रथा रखना नहीं चाहेंगे। यह किसी भी संसद के इतिहास या किसी भी राज्य के किसी विधायिका के इतिहास में नहीं हुआ है। हमें सर्वश्रेष्ठ संसदीय प्रथा का श्रेय प्राप्त है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र है। क्या हमें उस प्रकार की प्राथमिकता स्थापित करनी चाहिए, जिससे उस प्रकार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचे, जो पिछले 60 वर्षों से अनुभव की जा रही है?

महोदया, किसी भी देश के लोकतंत्र को पोषित करने के लिए संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। आप केवल उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को देख सकते हैं। लोग एक ही जातीय समूह के हैं। लेकिन, दक्षिण कोरिया में बने संसदीय और लोकतांत्रिक संस्थान उत्तर कोरिया में नहीं बने हैं। यही कारण है कि उत्तरी कोरिया पीड़ित है। जबकि दक्षिण कोरिया में एक अच्छी संसदीय प्रथा और जवाबदेही है, उत्तर कोरिया में अराजकता और कुप्रशासन है।

<u>अपराह्न 12.39 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

महोदया, कई राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा कहा जाता है, 'यदि संस्थाएं विफल हो जाती हैं, तो लोकतंत्र विफल हो जाता है। संस्थाओं के कारण लोकतंत्र विफल हो जाता है। हमें इस मामले को उत्साहपूर्वक

होकर इसकी रक्षा करनी होगी। मुझे डर है कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं। परसों, मैंने एक समाचार पत्र में देखा था कि यू. पी. एस. सी. के अध्यक्ष को पूर्ववर्तियों पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था। मिसाल यह है कि यू.पी.एस.सी. अध्यक्ष का चयन यू.पी.एस.सी. के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से किया जाना चाहिए। जिसे विदा कर दिया गया है। एक बाहरी, पूरी तरह से एक नया आदमी, सदस्य बनने के बजाय, अचानक अध्यक्ष बन जाता है। मुझे लगता है कि उन्होंने इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया है। किस उद्देश्य के लिए; आपका उद्देश्य क्या है ?

श्री आडवाणी जी इधर हैं। वह इस सभा में सबसे लंबे समय तक सेवारत सदस्य रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी उपस्थिति में, इस तरह की तोड़फोड़ की जा रही है। इस तरह की तोड़फोड़ सभी संस्थानों पर की जा रही है। यही कारण है कि मैंने यह कहना शुरू किया कि भले ही यह अत्यधिक तकनीकी और महत्वहीन लग सकता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम, परिणाम और लोकतांत्रिक संस्था के कामकाज में प्रभाव हो सकते हैं। इस तरह, संसद का उस तरह की चीज के लिए दुरुपयोग और ज़्यादा दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष ,महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सी.बी.आई. पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी बातें कही जा रही हैं। मुझे व्यक्तियों की चिंता नहीं है, लेकिन हम संस्थानों के बारे में चिंतित हैं। मुझे लगता है कि आज सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उस संस्थान के संबंध में पूरी बात को गलत तरीके से संभालने के कारण हम सी.वी.सी. *बनाम*/.सी.बी.आई. को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट *बनाम* सी.बी.आई.; और सी.बी.आई. *बनाम* सी.बी.आई. और सी.बी.आई. संस्थानों के भीतर तोड़फोड़ करने के लिए हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? वर्तमान सरकार सिर्फ इस बात का आनंद ले रही है कि आसपास क्या हो रहा है।

बेशक, आप व्यक्ति के बारे में अपनी सुविधा के लिए श्रेय दे सकते हैं, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, तो मुझे लगता है कि पूरी संसद को उस विश्वसनीयता को बनाए

रखने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। क्या हमने यह किया है? हम कभी-कभी इसका आनंद लेते हैं। यह सिर्फ आनंद लेने और एक लोकतांत्रिक संस्था के इस तरह के पतन की अनुमति देने के लिए एक दुखद दृष्टिकोण है।

अगर कुछ गलत हो रहा है, तो सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जा रहा है? सरकार किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती और न ही यह कह सकती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष पद का दुरुपयोग या दुरुपयोग कर रहा है, तो कम से कम उसे छुट्टी पर जाने के लिए कहें। यह यहां नहीं किया गया है। मैं कभी भी कुछ आरोपों का हवाला नहीं देना चाहता था, लेकिन सी.बी.आई. प्रमुख खुद भारत के अटॉर्नी जनरल के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और अटॉर्नी जनरल सी.बी.आई., निदेशक के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। यहाँ, यह कभी नहीं सुना गया है। ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने हो रही हैं, और उस तरह का रवैया है। कभी-कभी, यह कहा जा रहा है और मुझे यह कहने के लिए माफ कर दिया जाता है कि सी.बी.आई., निदेशक ने खुद कहा था कि अटॉर्नी जनरल एक जासूस है। दुर्भाग्यवश, सब कुछ कहा जाता है और यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसलिए, मैं फिर से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के लिए एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत करें। यह अभी भी लंबित है। हमने एक मसौदा तैयार किया है, और केवल इसलिए कि यह हमारे लिए सुविधाजनक / अनुकूल है, हम एक के बाद एक संशोधन लाना नहीं चाहिए, यह देश की सेवा करने वाला नहीं है और यह टिकाऊ नहीं है... (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): लॉ कमीशन की प्रतिवेदन पढ़ें।

श्री एम. वीरप्पा मोइली : हां, उन्होंने पहले ही इसका सुझाव दिया है। मुझे लगता है कि तत्काल कुछ किया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो कि सी.बी.आई. के निदेशक के कार्यालय की विश्वसनीयता को बनाए रखा जाए, क्योंकि सर्वोच्च जांच दफ्तर को इस प्रकार के दुरुपयोग के शिकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में, आपने

इसे अनुमोदित होने वाले पहले बिल के रूप में सूचीबद्ध किया है, और पहले से ही चयन समिति द्वारा चयन के लिए कुछ 4 या 5 नामों पर विचार किया जा रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ संभावित नाम स्वयं संदिग्ध हैं। हां, मुझे पता है कि वे इस तरह का चयन कर सकते हैं और उन्हें लगता है कि हर चयन उनका व्यक्तिगत चयन है। यह उद्देश्य नहीं है; यह प्रेरणा का अनुभव कराता है; यह दलाली और *दुर्भाग्यपूर्ण* इरादा का प्रतीत कराता है। यह दिखाता है कि वे जल्दबाजी में हैं। अगर वे किसी को तत्काल नियुक्त करने में जल्दी में हैं, जो उनके दिमाग में है और वास्तविक विश्वसनीय सूची में नहीं है, तो यह सबसे गलत होगा और, अंततः, चयन अस्पष्ट हो जाएगा। मुझे डर है कि यह किसी को समायोजित करने की दृष्टि से किया जा रहा है। एक व्यक्ति की बजाय चयन समिति द्वारा नामों का पैनल तैयार किया और भेजा जाता है, तो यह काफी उपयुक्त होगा। एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है और इससे सख्ती से बचना चाहिए।

चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामले से अवगत है, इसलिए मैं कई और बातें नहीं कहना चाहता। हालांकि, मुझे कहना है कि अगर संशोधन का दूसरा हिस्सा स्वीकार किया जाता है, तो हमारे संसद के इतिहास में एक काले दिन के रूप में यह जाना जाएगा। मुझे विश्वास है कि हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए, और मुझे लगता है कि पूरे सभा को इस विशेष धारा को खारिज कर देना चाहिए। अन्यथा, यह देश में और संसद के विधायिका इतिहास में निश्चित रूप से एक बहुत बुरा उदाहरण पैदा करेगा।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार डी.एस.पी. ई. एक्ट के सेक्शन 4(क) में अमेंडमेंट के लिए यह बिल लेकर आयी है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, एक्ट में पहले से यह प्रावधान है कि तीन सदस्यों में से एक प्रधानमंत्री, दूसरा लोक सभा में विपक्ष के नेता और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश मिल कर सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करेंगे। परन्तु सरकार ने सोलहवीं लोक सभा के गठन के बाद एक अलग ही नियम बना कर दस प्रतिशत के आंकड़े का जो खेल खेला है, उसी के परिणामस्वरूप इस बिल को लाने की आवश्यकता हुई है। अंततोगत्वा सदस्य तो कांग्रेस पार्टी का ही होगा।

दूसरा, सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है कि सेवानियुक्ति के कितने दिनों पहले यह प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी? यह भी इस बिल में प्रावधान होना चाहिए।

तीसरा, सरकार अब यह व्यवस्था कर रही है कि कोई सदस्य अनुपस्थित है या उसकी सदस्यता कमेटी में नहीं है तो भी सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति सरकार कर लेगी, यह तो विरोधाभास लगता है। जब तीन सदस्यों का नियम है तो यह पूर्णरूपेण प्रावधान हो कि तीनों सदस्यों की उपस्थिति में और रज़ामंदी से उनके द्वारा सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो। आशा है कि सरकार इन बिंदुओं का ध्यान रखेगी।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. मिदून रेड्डी (राजमपेट): महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक प्राचीन संगठन है और यह ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित की गई थी ताकि उस समय की सरकार में भ्रष्टाचार और घूसखोरी को रोका जा सके। बाद में, यह 1963 में सी.बी.आई. से एकीकृत कर दिया गया। हम, वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी की ओर से, इस संशोधन का समर्थन करते हैं। यदि आप जनता के अधिक समर्थन को विचार करें, तो न केवल विपक्ष के नेता बल्कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता को समिति का सदस्य बनाया जाए, इसका महत्व अत्यधिक है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सी.बी.आई. अब सत्ताधारी पार्टी के हाथों में एक

उपकरण बन चुकी है जिसके माध्यम से विपक्ष को धमकाया, नियंत्रित और अस्थिर किया जा सकता है। महोदय, सी.बी.आई. को अपने राजनीतिक शत्रुता को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल के मामलों में जैसे हवाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. को अधिकारी लोगों की जांच न करने के लिए चिढ़ा दिया और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. को 'केज्ड पैरट' के रूप में वर्णित किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'केज्ड पैरट' शब्द का प्रयोग यह पुनः स्पष्ट करता है कि अधिक स्वतंत्रता की मांग को फिर से जताया जा रहा है, ताकि सी.बी.आई. निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सके।

महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश राज्य से एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमारे नेता वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी सत्ता में नहीं थे। उन्होंने कभी कोई फाइल साइन नहीं की। वह पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे। उन्होंने किसी भी लाभ के पद पर कोई कार्य नहीं किया था, लेकिन सी.बी.आई. ने उन पर जांच की केवल इस कारण से कि वे उस समय की सत्ताधारी पार्टी से बाहर आ गए थे और सी.बी.आई. ने तब के की नेतृत्व में मामले दर्ज किए।

महोदय, दिलचस्प बात यह है कि उसी अवधि के दौरान, विपक्ष के नेता ने भी सी,बी.आई. जांच की मांग की थी लेकिन सी.बी.आई. ने कहा कि उन्हें कार्य दल में कमी की समस्या है और इसलिए वे दूर रहे। इसी अवधि के दौरान, 28 टीमें श्री जगन मोहन रेड्डी पर काम कर रही थीं। हम सी.बी.आई. की दोहरी मानदंडिता को समझ सकते हैं और यह केवल सत्ताधारी पार्टी के हाथों में एक उपकरण है। माननीय उच्चतम न्यायलय वर्ष की 1999 में विनीत नारायण के फैसले में एक सावधानी है जिसमें कहा गया है कि राज्य को जांचों से दूर रहना चाहिए और जांची एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें नियमित उल्लंघन ने माननीय उच्चतम न्यायलय को मजबूर किया है कि उन्हें अधिक स्वतंत्रता के लिए दबाव डालने की आवश्यकता है और सी.बी.आई. द्वारा की जाने वाली जांचों में न्यायपूर्णता की आवश्यकता है। महोदय, सी.बी.आई. को एक वास्तविक संगठन बनाने के लिए, न केवल राजनीतिक उपकरण, हमें उन निर्देशिकाओं के

विधान करने की जरूरत है जिन्हें सही ढंग से स्थापित किया जाए और जिनसे सामान्य लोगों को न्याय मिल सके।

महोदय, मैं यह कहकर सारांश देना चाहूंगा कि सी.बी.आई. कानून को लागू करने का एक उपकरण होना चाहिए, न कि कानून निर्माताओं के हाथों में एक उपकरण है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, पहले ही वीरप्पा मोइली जी ने हमारी पार्टी के द्वारा संशोधन, अर्थात्, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह विधेयक सामान्य लग सकता है, लेकिन हमारे देश की संसदीय नीतियों के दृष्टिकोण से यह संभावित रूप से विस्फोटक और अस्पष्ट है। महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि विधेयक के खंड 2 के उप-खंड (ii) में कहा गया है:-

> "समिति में किसी सदस्य के रिक्त होने या अनुपस्थिति के कारण निदेशक की नियुक्ति अवैध नहीं होगी।

महोदय, यह विधेयक रिक्ति पर क्यों जोर दे रहा है? प्रस्तावित समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और सबसे बड़ी पार्टी के नेता शामिल होंगे। महोदय, हम जानते हैं कि यह संविधानिक बदलाव सरकार की हठप्रियता और विपक्ष के विचारों को समाहित न करने के नतीजे में है, लेकिन बाद में संसदीय बाधाओं को पार करने के लिए इस संशोधन को लाना मजबूर हुआ, जो संसदीय प्रक्रिया में वैध और जायज है। मैं बस आपका ध्यान इस विशेष धारा की ओर खींचना चाहता हूँ कि इसमें गंभीर संदेह है जिसका मैंने अभी आपको संदर्भित किया है।

ठीक है कि अब आप सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को समिति का सदस्य बना रहे हैं। मैं सिर्फ इस प्रश्न को उठा रहा हूँ, केवल व्याख्या और कानूनकर्ताओं के उद्देश्य को समझने के लिए है। यदि हम मान लें कि

इस संशोधन विधेयक को दो महीने पहले पारित कर दिया गया होता और अब आपको सी.बी.आई. निदेशक नियुक्त करना होता, अब। उस स्थिति में, आप बिल्कुल उस प्रमुखता को नहीं दे सकते थे कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को समिति का सदस्य बनाया जाए, जिसे दूसरी प्रावधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण केवल निदेशक की कोई नियुक्ति अवैध नहीं होगी। क्या यह संविधान का उद्देश्य है? मैं संविधान के उद्देश्य पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ क्योंकि एक बार जब संविधान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है, तो आप इस सरकार की इच्छा को आसानी से समझ सकते हैं। मैं इस प्रावधान को शामिल करने के कारण को समझना चाहता हूँ। इस सरकार ने इस प्रावधान को इस विधायी दस्तावेज में क्यों शामिल किया है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रावधान को किस प्रकार के परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से, हमारी पार्टी के दृष्टिकोण के अनुसार, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हम इस विधेयक पर हमारी सहमति प्राप्त करने से पहले इसे सुधारें।

सी.बी.आई. एक प्रमुख संगठन है और हम सी.बी.आई. के दिन-प्रतिदिन के प्रदर्शन के साथ किसी भी तरह की राजनीतिक छेड़छाड़ नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ सरकार का इरादा पूरी तरह से *बुरा भला* है। यह सरकार इस विधायी संशोधन के माध्यम से अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं इस सरकार द्वारा लाए गए इस कानून का पुरजोर विरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता श्री वीरप्पा मोइली ने जिस संदर्भ में बात रखी है और श्री अधीर रंजन चौधरी ने भी जिन बातों को कहा है, इनके इतना कहने के बाद कुछ बचता नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सशक्त और मजबूत सत्ता होने का क्या मतलब है कि कम्पलीट .. की तरह शासन करना या विपक्ष की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपनी मर्यादा और पारदर्शिता को भी बचाकर रखना। क्या आप इस बात को हमेशा भूल जाते हैं कि ....* हमेशा बड़ी गलती करता गया, उसने छोटी गलती नहीं की और आप भी बड़ी-बड़ी गलती करते जा रहे हैं। आप दो बड़ी गलतियां कर चुके हैं, जिन्हें मैं अभी सदन में नहीं कहूंगा। आप इन चीजों को भूलें नहीं, आप इतिहास से सबक सीखें कि .....* ने जितनी बड़ी गलती की थी और जो हश्र ......* का हुआ, वह हश्र कल आपका न हो, इस बात का जरूर ख्याल रखें।

जहां तक इस विधेयक और विपक्ष का सवाल है, आप जिस तरीके से बिलों में लगातार कुछ न कुछ नये अमैन्डमैन्ट्स लाकर जिस तरीके से विपक्ष को नजरअंदाज करते जा रहे हैं, यह सरकार की सेहत के लिए और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उचित नहीं है। हम यह जरूर चाहेंगे कि आप जिन बिलों को आज जिस अमैन्डमैन्ट के साथ लाना चाहते हैं, उसमें यदि आप बहुत मजबूत है, निश्चित रूप से आप बहुत सशक्त और ताकतवर हैं, आप देश बनाना चाहते हैं, फिर आप कमजोर विपक्ष से डरते क्यों हैं। क्यों नहीं आप कमजोर विपक्ष को और मजबूत करके अपनी ताकत को मजबूत करते। मुझे सीबीआई के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना है कि यह देश, दुनिया और हर व्यक्ति इस बात को बोलता है कि सीबीआई कौन सा इंस्ट्रूमैन्ट है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बातें सीबीआई डायरेक्टर के बारे में आई हैं, इसका क्या कारण है। यदि सीबीआई इंस्ट्रूमैन्ट इतना मजबूत है तो लोकपाल जैसे बिल को लाने की बात क्यों आई और इतने दिन अन्ना हजारे ने इस देश में जिस तरीके से आंदोलन किया, उन्हें लगातार इतने बड़े आंदोलन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती।

मेरा आग्रह इतना ही है कि आप किसी भी तरह का बिल लायें, जिस भी इंस्ट्रूमैन्ट के लिए आप बिल लाते हैं, जिस संस्था को बनाने के लिए बिल लाते हैं, उस संस्था को मजबूत जरूर बनायें।

अपराह्न 1.00 बजे

लेकिन वह संस्था स्वतंत्र कैसे हो? उसकी पारदर्शिता इस देश में कैसे बचे? आम लोगों को उसकी मजबूती और पारदर्शिता से कैसे न्याय मिले? इस बात का ख्याल जरूर रखा जाए। लोकपाल बिल जिन चीजों कि लिए लाया गया था, लोकपाल बिल को ध्यान में रखते हुए और विपक्ष की जो राय है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उन बिल को पास करने का प्रावधान लाएं। आप ऐसा कुछ न करें, जिससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खतरा हो और आपसे देश को खतरा हो और यह लोकतंत्र समाप्त हो जाए। ऐसा कोई काम आप नहीं करें। इसलिए आप तत्काल इस बिल को स्थगित करें और बड़े व्यापक रूप से इस बिल को लाने के लिए विपक्ष के नेताओं की सहमति लें और सहमति ले कर इस बिल को लाएं। मैं आपसे यही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

मेरी पार्टी, अपना दल, की ओर से मैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक,2014 का स्वागत करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यह एन.डी.ए. सरकार के लिए लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है।

जैसा कि मैं समझती हूँ, अब तक पूरी सभा इस विधेयक के पारित होने में तत्परता के कारण को समझ चुकी है। मैं सरकार के इस कदम की सराहना करती हूँ कि वे धारा 4(क) में संशोधन करने का प्रस्ताव लाए हैं, जिससे सी.बी.आई. निदेशक के नियुक्ति के तीन सदस्यीय चयन पैनल में विपक्ष के सबसे बड़ी दल के नेता को शामिल किया जाए, अगर विपक्ष के नेता उपस्थित नहीं हों। मुझे लगता है कि इस प्रस्तावित संशोधन के लिए

पूरा सभा एकजुट है। हालांकि, कई माननीय विपक्षी सदस्यों ने सरकार द्वारा प्रस्तावित दूसरे संशोधन के बारे में अपनी संदेह व्यक्त की हैं। इसमें कहा गया है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण स्थगित नहीं होगी या देरी नहीं होगी, जो कि तीन सदस्यों के चयन पैनल का हिस्सा है।

जहां तक निदेशक की नियुक्ति का संबंध है, यहां मुझे लगता है कि जिन सदस्यों ने अपना संदेह उठाया है, उनके साथ आशंका यह है कि सरकार मनमाने ढंग से काम कर सकती है, सरकार अपनी पसंद पर जोर दे सकती है। हालांकि, मैं सभा से अपील करती हूँ कि वे चयन पैनल के संरचना का ध्यान दें, जिसमें तीन सदस्य हैं और जिसमें से केवल एक सदस्य सरकार का प्रतिनिधि है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इसलिए, किसी भी मामले में, भले ही एक सदस्य अनुपस्थित हो, समिति पक्षपातपूर्ण नहीं होने वाली है। एक सदस्य के अनुपस्थित रहने के मामले में भी यह निष्पक्ष होगा। तो, हम क्यों मान रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति होगी जब तीन सदस्यों में से एक सदस्य स्थायी रूप से अनुपस्थित रहेगा और उसे गंभीरता से लिया जाएगा? मेरा दृढ़ विश्वास है कि सरकार और सबसे बड़े विपक्षी दल की ओर से कुछ गंभीरता और कुछ सतर्कता के साथ, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि तीसरा सदस्य हमेशा पैनल में मौजूद रहे।

मुझे लगता है कि सरकार ने एक असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए दूसरे संशोधन का प्रस्ताव किया है जहां तीसरा सदस्य कुछ विशिष्ट कारणों से अनुपस्थित हो सकता है। हालाँकि, ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, रिक्ति को बनाए नहीं रखा जा सकता है। सी.बी.आई. निदेशक की महत्वपूर्ण नियुक्ति की जानी है। इसे राष्ट्र के व्यापक हित में नहीं रोका जा सकता क्योंकि राष्ट्रव्यापी नागरिकों को सी.बी.आई. की संस्था में बहुत विश्वास और विश्वास है। ऐसे कई मामले हैं जहां लोगों ने सी.बी.आई. द्वारा की गई पूछताछ में अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए, मुझे लगता है कि मामूली कारणों से, सी.बी.आई. निदेशक के पद पर नियुक्ति को रोका नहीं जाना चाहिए। इस विधेयक को प्रस्तावित दो संशोधनों के साथ पारित करना बहुत महत्वपूर्ण और समयानुसार है।

मैं एक बार फिर सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैं एक लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूँ लेकिन केवल दो या तीन मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूँ। आप सी.बी.आई. के निदेशक को नियुक्त करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए विधेयक लेकर आए हैं क्योंकि परिभाषा में विपक्ष के नेता का जिक्र होता है। उस कठिनाई को दूर करने के लिए, एक नई परिभाषा दी गई है और उसके अनुसार, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। [हिन्दी] इससे यह हो रहा है कि डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले लोग, अगर सारे कानून को डायलूट करते रहे तो यह देश के हित में अच्छा नहीं होगा और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं होगा। [अनुवाद] संसद अधिनियम, 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते का है। आप जानते हैं, उसमें यह है, सरकार के विपक्ष में उस सभा के नेता को दिया जाता है जिसकी सबसे बड़ी संख्यात्मक ताकत है। संसद अधिनियम, 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों में यह परिभाषा है। [हिन्दी] इसको आप रेकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। इसको इसलिए रेकग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि यह सिर्फ सैलरी एंड एलाउंसेज के लिए डेफिनिशन है। अगर आप इस डेफिनिशन को मानते हैं तो आपको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, लोकपाल एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल इन्फार्मेशन कमीशन एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सहित ये सारे दस एक्ट आप अमेंड कर रहे हैं, सिर्फ एक समस्या को ओवर कम करने के लिए। उसके बजाए एक एक्ट में जो है, अगर उसको मान्यता दें तो इन सारे दस एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी, आवश्यकता भी नहीं होगी, अगर आपको सही मायने में डेमोक्रेसी में विश्वास है।*...(व्यवधान)* हमेशा ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है, जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसको ओवर कम करने के लिए अगर आप इस डेफिनिशन को मान जाते तो दस एक्ट अमेंड करने की आवश्यकता नहीं है और उससे एक प्रीजिडेंट बन जाता है कि जो कुछ भी है, वह रूल्स के मुताबिक होगा।

[हिन्दी] दूसरी चीज, जो आज आप डिनाई कर रहे हैं, वह एक स्पीकर की रूलिंग है। मैं आपसे भी अपील करता हूँ।

[अनुवाद] श्री उपसभापति महोदय, मैं आपसे भी अपील कर रहा हूँ। यह उस महासभापति द्वारा दी गयी व्यवस्था है, चाहे वह महान अध्यक्ष श्री मावलंकर जी हों या फिर अन्य पूर्व अध्यक्ष। आपके पास उस फैसले को खारिज करने की शक्ति है। यदि आप इसे खारिज करते हैं और एक नई मिसाल बनाते हैं, तो अब इन सभी दस अधिनियमों को संशोधित करने की जरूरत नहीं होगी। आप उसके लिए भी तैयार नहीं हैं और सैलरी एंड एलाउंसेज एक्ट की डेफिनिशन को मानने के लिए भी आप तैयार नहीं है। [हिन्दी] इसका मतलब यह होता है कि आप अपोजीशन को, क्योंकि, वह न्यूमेरिकली स्ट्रेंग्थ नहीं है, इसको हम सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम किसी ढंग से भी झुका सकते हैं। हम चाहे दस हों, बीस हों, चालीस हों या पचास हों, हम झुकने वाले नहीं है। हमारा सिर कट जाएगा, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। *...(व्यवधान)* मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी भी वक्त है। यहाँ प्रीजिडेंट क्रिएट कर सकते हैं या इस डेफिनिशन को मान सकते हैं। ये तो एक हाथ से लार्जेस्ट पार्टी को दे रहे हैं और दूसरे हाथ से ले रहे हैं, क्योंकि, आपका जो अमेंडमेंट है, अगर उसमें कोई एक सदस्य भी अब्सेंट है या किसी वजह से उसे नोटिस नहीं मिला या समय के अनुसार उसके पास पहुँचा नहीं, ऐसा तो बहुत दफा होता है, हमारी पार्टी के नोटिसेज बहुत से लोगों को जल्दी नहीं मिलते हैं, आपकी पार्टी के सदस्य लोगों को भी नहीं मिलते होंगे। हमेशा ऐसा होता रहता है। अगर उस बहाने से कोई इसका मिसयूज़ करना चाहते हैं तो वे कहेंगे कि क्या किसी दिन हमें इंटीमेट किया था। वे अपोज़ीशन लीडर नहीं है या फलां कोई लीडर नहीं है या मैम्बर नहीं है। इसलिए अपॉइंटमैंट वैलिड है। आपको वैलिडेट करने के लिए उसको भी अमैंडमैंट करना है। यह जो हथियार आप अपने हाथ में ले रहे हैं, यह बहुत बड़ा डेन्जर है। यह वैपन दुधारी तलवार के जैसा है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि एक तो कॉम्प्रिहैन्सिव अमैंडमैंट लाकर आप काम कीजिए। नहीं है तो सैलेरीज़ एंड अलाउंसेज़ एक्ट में जो मान्यता दी, उसको तो मानिये। वह नहीं है तो उसको ओवररूल करके

नया प्रिसिडैन्ट क्रियेट कीजिए। ...(व्यवधान) [अनुवाद] यदि आप वास्तव में लोकतांत्रिक सिद्धांतों में रुचि रखते हैं और आप इसे सही भावना से करना चाहते हैं, तो आप इसे वापस ले लें। आप एक व्यापक विधेयक लाइए। अन्यथा, यदि आप लोकतंत्र का सम्मान करना चाहते हैं, यदि आप विपक्ष का सम्मान करना चाहते है। और यदि आप एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं जो सिर्फ वॉकआउट और *गलतियों* के लिए नहीं है और यदि आप वास्तविक योजनाएँ और देश के कुछ मुद्दों को हल करना चाहते हैं, तो ऐसा करें। यदि आप केवल विपक्ष के विचारों को प्रबंधित और दबाना चाहते हैं तो आपके पास बहुमत है और आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि श्री वेंकैया नायडूजी इसे करने की जल्दी में हैं। [हिन्दी] अभी बहुत दिन हैं भई! पहले तो आपने 60 महीने मांगे थे, अब 200 दिन हो गए हैं, नज़दीक हो रहे हैं, 180 दिन हो गए हैं। इसलिए उतना गड़बड़ मत कीजिए। [अनुवाद] लेकिन सबके हित में यह बिल नहीं है इसलिए इसको विदड्रॉ कीजिए और नया बिल लाइए या रिकॉग्नाइज़ कीजिए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे लगता है कि श्री खड़गे को अध्यक्ष की व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।

… *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैंने केवल अपील की है और मैंने टिप्पणी नहीं की है। आप इसका पता लगा सकते हैं.... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं रिकॉर्ड के देखूंगां और इसका पता लगाऊंगा।

माननीय शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता श्री खड़गे जी द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण मुझे यह करना पड़ा। [हिन्दी] कोई सिर काटने वाले नहीं हैं। वह काम हम

करते नहीं है, आप निश्चिंत रहिये। ...(व्यवधान) [अनुवाद] हम वरिष्ठ लोगों के साथ काम कर रहे हैं। कृपया थोड़ा धैर्य रखें।

[हिन्दी]

दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष को मज़बूत करना या नहीं करना जनता तय करती है, हम लोग तय नहीं करते हैं। तीसरा मेरा कहना है कि जो लोकतंत्र की स्पिरिट है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम यह प्रस्ताव ला रहे हैं, संशोधन ला रहे हैं। अनुपस्थिति के बारे में आपने जो चर्चा की, यह नियम किसने बनाया, लोकपाल बिल से लेकर पूरा इतिहास आपको याद होगा। तीसरा, खड़गे जी जैसे व्यक्ति से बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए, सुबह आकर आखिर तक बैठने वाले लोगों में नंबर वन व्यक्ति खड़गे जी हैं। [हिन्दी] उनका कभी एब्सैन्ट होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए वह प्रश्न उत्पन्न होता नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह देश के हित में और लोकतंत्र के हित में है।*...(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : नहीं, नहीं, मैं पर्सनली नहीं ले रहा हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम रहें या न रहें, ये चमन आबाद रहे, यह हम कहना चाहते हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : ज़रूर। जब हम दो थे, अटल जी और आडवाणी जी, उस समय हम दो हमारे दो किसने कहा? हम उसको भी अनुभव करके यहाँ 2 से 282 हुए। *...(व्यवधान)* [अनुवाद] श्री पप्पू यादव, मैंने आपको परेशान नहीं किया है। यह कोई तरीका नहीं है । आप अभी भी एक युवा हैं... (*व्यवधान*) [हिन्दी] वे मेरे मित्र भी हैं। [अनुवाद] 2 से, हम 282 पर वापस आ गए हैं। यह जनता का जनादेश है। यह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का सवाल नहीं है।

दूसरी बात यह कि सरकार विपक्ष को यथासंभव समायोजित करने के लिए हमेशा तैयार है। हम इनके विचारों को लेने के लिए तैयार हैं। आप जो भी तर्क अपनाते हैं, हम उन विचारों को ध्यान में रखने और परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हाल के वर्षों में जिस सी.बी.आई. को बदनाम किया गया है, उसके कामकाज को मजबूत करने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है। लोकतंत्र की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार यह संशोधन ला रही है। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सुधार के लिए, बहस को जारी रखें और हम आगे संशोधन करने के लिए बाद के चरण में सोच सकते हैं। पहले प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी से लेकर माननीय इंदिरा जी, श्री राहुल जी, श्री राजीव जी... (*व्यवधान*) [हिन्दी] राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए...(व्यवधान) ठीक है, मेरे मुंह से निकला है। मैं स्वीकार करता हूं।*...(व्यवधान)* वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। किसी व्यक्ति के बारे में मैं कभी मज़ाक में नहीं बोलता हूं। सदन से बाहर मेरा पोलिटिकल क्रिटीसिज्म अलग है। कांग्रेस से मेरा झगड़ा है, लेकिन सदन में मर्यादा, गरिमा रखने की मैं हमेशा कोशिश करता हूं। नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव जी के ज़माने में हम लोग विपक्ष में थे। हमें आपने कभी ऐसा रिक्ग्नेशन नहीं दिया। उस समय कोई प्राब्लम नहीं हुई और अभी भी कोई प्राब्लम नहीं है और न ही होगी । आप निश्चिंत रहिए और इस बिल को सपोर्ट कीजिए तथा लोकतंत्र का भला कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : राँग इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए। आपको भी मालूम है कि उस वक्त इतने एक्ट नहीं थे, जिसमें मैनडेटरी प्रोविजन ओपोजिशन लीडर का होना चाहिए। अब जबकि मैनडेटरी प्रोविजन है, उस वक्त और आज के वक्त में फर्क है इसलिए मैनडेटरी प्रोविजन रहने की वजह से आपको करना चाहिए।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : उस समय आप सत्ता में थे और हम विपक्ष में थे। अभी हम सत्ता में हैं और आप विपक्ष में हैं।

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदय, हमने सारे आदरणीय सांसदों की बातें ध्यान से सुनीं और संज्ञान लेने का भी प्रयास किया है। मुझे लगता है कि विशेष उत्तर लायक बात नहीं है क्योंकि कुल मिलाकर एक बहुत संतोष की बात है कि सबने सीबीआई की क्रेडिबिलिटी और उसकी प्रभुसत्ता बनी रहे, इसके लिए अपनी चिंता जतलाई है। [अनुवाद] मुझे खुशी है, वास्तव में, मैं सभी विपक्षी बेंचों सहित सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी सी.बी.आई. की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और उसके निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया को समर्थन दिया है। इस प्रकार, मुझे लगता है कि बड़े अंश में हमारे द्वारा किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन मिला है। [हिन्दी] अलग-अलग ढंग से अलग-अलग माननीय सदस्यों ने अपना विचार रखा है और मुझे इस बात का विश्वास है कि सब इस बात को स्वीकारते हैं [अनुवाद] कभी हम कहते हैं और कभी नहीं कहते हैं, लेकिन यद्यपि यह अवक्त रह जाए, सभी स्वीकार करते हैं कि इस संशोधन में बड़े अंश में लोकतांत्रिक उच्च मूल्यों और संसदीय उपयुक्तता के साथ प्रेरित है।

कल और आज जिस दो मुख्य धाराओं के बारे में बात की गई है, जहां पर चर्चा हुई है कि एक मान्य विपक्षी नेता को सी.बी.आई. निदेशक के चयन पैनल में शामिल किया जाएगा, जब मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता न हो। मुझे लगता है कि यह केवल सी.बी.आई. निदेशक के चयन प्रक्रिया को सुगम बनाने और समस्या नहीं उत्पन्न करने के लिए है। चूंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसलिए मुझे लगता है कि यह भी दूर हो जाएगी।

महोदय, जब दूसरी धारा के संबंध में बात की जाती है, तो कुछ अनुमान व्यक्त किए गए हैं कि इसे शायद किसी गुप्त उद्देश्य या जानबूझकर इस धारा को अनुपस्थिति/रिक्ति के संलग्न करने के लिए किया गया हो। मैं विपक्षी बेंचों से बहुत विनम्रता से अनुरोध करूँगा कि वे सोचें या कल्पना करें कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है

जहां भारत के प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति का उपयोग हो सकता है। तो हम कभी नहीं चाहते थे कि विपक्ष के नेता या सबसे बड़े पार्टी के नेता की अनुपस्थिति में हम आगे बढ़ें। यह तीन सदस्यों में से कोई भी हो सकता है। कृपया ध्यान रखें, तीन सदस्य भारत के प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता हैं। इसलिए, यदि हम इसे वास्तविक और बिना किसी पक्षपातित्व या सब्जेक्टिव पूर्वाग्रह के दृष्टिकोण से देखें, तो मुझे लगता है हम इसे समझ पाएंगे।

लोकपाल एक्ट में भी इस हद तक प्रावधान किया गया है। लोकपाल अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चयन समिति में निश्चित रूप से तीन सदस्य होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त एक न्यायविद शामिल होगा। यह भी उसे स्पष्ट करता है कि किसी भी चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण कोई भी सभापति या सदस्य की नियुक्ति केवल उस रिक्ति के कारण अमान्य नहीं होगी। तो, यह पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया लाया गया है।

उसी तरह, अगर आप केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की दिशा में देखें, तो वहां भी एक धारा है जिसमें यह उल्लिखित है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त की कोई भी नियुक्ति उस समिति में किसी भी रिक्ति के कारण केवल उस रिक्ति के कारण अमान्य नहीं होगी। इसी तरह, संविधान (121वां संशोधन) अधिनियम, 2014 में भी उल्लेख है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून और न्याय मंत्री, प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त दो प्रतिष्ठित व्यक्तिशामिल होंगे । दूसरा खंड फिर से स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के किसी भी कार्य या कार्यवाही पर केवल किसी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा या अमान्य नहीं किया जाएगा-उन्होंने आयोग के गठन में इस शब्द का भी उपयोग किया है। ... (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं आपके समक्ष यह प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा था कि यह कोई अभूतपूर्व कार्य नहीं है और ऐसा नहीं है कि कोई गुप्त उद्देश्य से किया जा रहा है। जो कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है, वह माननीय सदस्य की सीबीआई की विश्वसनीयता को बनाए रखने तथा सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, अधिक सुचारू तथा अधिक सुविधाजनक बनाने की चिंता को पूरक करने के लिए है।

धन्यवाद, श्रीमान उपाध्यक्ष, महोदय जी।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): शायद माननीय मंत्री जी पेशे से डॉ. या चिकित्सक हैं; वे वकील नहीं हैं। इसलिए, यहां मूल मुद्दा यह है कि जो विधेयक संशोधित हो रहा है, वह पुलिस अधिनियम है। आपने लोकपाल अधिनियम, मानवाधिकार और अन्य के बारे में बताया। वे पुलिस अधिनियम नहीं हैं। यहाँ पुलिस अधिनियम सीधे सरकार के प्रति उत्तरदायी है। हम जो कुछ भी कहें और सी.बी.आई. कितनी स्वतंत्र हो, यह एक ऐसा अधिनियम है जो सीधे सरकार के अधीन है।

श्री सत्पथी जी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। उस मामले में, एक खोज समिति है। इसमें तीन सदस्य हैं। विशेष रूप से, यह किसी भी रिक्ति या अनुपस्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुपस्थिति कब होगी? अनुपस्थिति तब होगी जब पूरा सत्तारूढ़ गठबंधन शामिल होगा या जब पूरी 543 सीटों को शामिल किया जाएगा। केवल उस समय, एक रिक्ति या अनुपस्थिति होगी। अन्यथा, हमारे जैसे देश में, ऐसी बात कभी नहीं होगी। जब ऐसी बात कभी नहीं होगी, तो आपके पास यह प्रावधान क्यों है कि किसी निदेशक की नियुक्ति अवैध नहीं होगी? आप ऐसा प्रावधान बना रहे हैं। मुझे संदेह है कि क्या यह उच्च अदालत में कानून की जांच के लिए खड़ा होगा। यह कभी इस तरह से नहीं गुजरेगा। इस विधेयक पर हम मत विभाजन की मांग करेंगे जब विधेयक को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

… *(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, हम विभाजन की मांग करते हैं।

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, हम विभाजन की मांग करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: लॉबी को क्लियर करने दें।

अब , लॉबी क्लियर हो गई हैं

माननीय सदस्यगण, आप सभी कृपया अपनी सीट लें। सभा को व्यवस्थित होने दीजिए । आप सभी कृपया अपनी सीट्स पर बैठें । खड़े न हों। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वह अपनी आवंटित सीटों पर बैठें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अब, महासचिव निर्देशों को पढ़ सकते हैं।

[हिन्दी]

महासचिव, लोक सभा: माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आकृष्ट किया जाता है -

1. मतदान आरम्भ होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और उस स्थान से ही प्रणाली का संचालन करना चाहिए।

2. जब माननीय उपाध्यक्ष 'अब मतदान' बोलेंगे, तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे, जिसके पश्चात माननीय उपाध्यक्ष के आसन के दोनों ओर डिस्प्ले बोर्डों के ऊपर 'लाल बल्ब' जलेंगे और इसके साथ-साथ गंग की ध्वनि भी सुनाई देगी।

3. मतदान के लिए, माननीय सदस्य "" केवल " गंग की ध्वनि के पश्चात ही निम्नलिखित दोनों बटन एक साथ दबाएं। इस बात को पुनः दोहराया जाता है, केवल गंग की ध्वनि के बाद ही दोनों बटन साथ-साथ दबाए जाएं।

प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने हेड फोन प्लेट पर लगा " वोट बटन "

और

सीट के डेस्क के सबसे ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन :

हां : हरा रंग

नहीं : लाल रंग

मतदान में भाग न लेना : पीला रंग

4. गंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक और प्लाज्मा डिस्प्ले के ऊपर लगे लाल बल्बों के बुझने तक दोनों बटन को दबाए रखना आनिवार्य है।

5. माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि :

(एक) पहली गंग ध्वनि सुनाई देने से पहले बटन दबाया जाता है।

(दो) दूसरी गंग ध्वनि सुनाई देने तक दोनों बटन को एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है।

6. माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन की दोनों तरफ संस्थापित डिस्प्ले बोर्डों पर अपना मत देख सकते हैं।

7. मत रजिस्टर नहीं होने की दशा में, वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा का विभाजन:

माननीय उपाध्यक्ष : वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ है। पर्चियों को वितरित होने दें।

... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : कृपया सुनें। कुछ तकनीकी कारणों से, अब यह काम नहीं कर रहा है। एक बार फिर, वे कोशिश कर रहे हैं। यदि यह काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ समस्या है। पर्चियां प्रसारित की जाएंगी। एक बार फिर, हम कोशिश करेंगे।

दीर्घाएँ खाली कर दी गई हैं।

... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया पहले वोटिंग मशीन से अपने हाथ हटा दें। कोई इसे दबा रहा है। यही समस्या है। जब मैं " मत-*विभाजन* " कहूं, तो उस समय, आप बटन दबा सकते हैं।

अब, एक बार फिर, मत-*विभाजन* ।

लोक सभा में मत-*विभाजन* हुआ *:*

मत*विभाजन* संख्या. -1 **पक्ष में** अपरान्ह **13.30 बजे**

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बाला, श्रीमती अंजू

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौटाला, श्री दुष्यंत

*चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छोटेलाल, श्री

*चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

दानवे, श्री रावसाहेब पाटील

डेका, श्री रमेन

देवी, श्रीमती वीणा

धोत्रे, श्री संजय

[3]एलुमलाई, श्री वी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

गिर्री, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरिबाबू, डॉ. कम्भमपति

जायसवाल, डॉ. संजय

[3] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रहलाद

काछड़िया, श्री नारणभाई

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

*खैरे, श्री चंद्रकांत

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

*किंजरापु, श्री राम मोहन नायडू

*श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, कुंवर सर्वेश

*कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुशवाहा, श्री रविंदर

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

[4]*लोखंडे, श्री सदाशिव

*माडम, श्रीमती पूनमबेन

महतो, डॉ. बंशीलाल

मांझी, श्री हरि

*मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

---

[4]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

*मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागराजन, श्री पी.

नरसिम्हम, श्री थोटा

नट्टर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

*पाण्डेय, श्री हरि ओम

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परसुरमन, श्री के.

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

फुले, साध्वी सावित्री बाई

*राधाकृष्णन, श्री पोन

*राधाकृष्णन, श्री टी.

[5]*राज, श्रीमती कृष्णा

राजा, श्री ए. अनवर

राजभर, श्री हरिनरायन

---

[5]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[6]राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राम, श्री जनक

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

*रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

रेड्डी, श्री मेकापति राज मोहन

---

[6] हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सही किया गया।

रेड्डी, श्री पी.वी. मिदून

रेड्डी, श्री वाई. एस. अविनाश

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुत्ता

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री चन्दूलाल

साहू, श्री लखन लाल

साय, श्री विष्णु देव

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

*सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

*

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजवीर (राजू भैय्या)

सिंह, श्री सुनील कुमार

*सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुमन, श्री बलका

सुन्दरम, श्री पी.आर.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

ठकुर, श्री अनुराग सिंह

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्रीमती रेखा

[7]*विजय कुमार, श्री एस. आर.

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

*येदियुरप्पा, श्री बी.एस.

---

[7]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>विपक्ष में</u>

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

*चंद्रप्पा, श्री बी. एन.

चौधरी, श्री संतोख सिंह

देव, श्री अर्का केशरी

देव, कुमारी सुष्मिता

ध्रुवनारायण, श्री आर.

फ़ैज़ल, मोहम्मद

[8]**गांधी, श्रीमती सोनिया

जॉर्ज, एडवोकेट जोएस

गोगोई, श्री गौरव

---

[8]* * पर्ची के माध्यम से मतदान किया गया।

हीकाका, श्री झीना

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

*करुणाकरन, श्री पी.

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

श्री कौशलेन्द्र कुमार

कुमार, श्री संतोष

लागुरी, श्रीमती सकुन्तला

महाडीक, श्री धनंजय

श्री भर्तृहरि महताब

माझी, श्री बलभद्र

मिश्रा, श्री पिनाकी

महापात्रा, डॉ. सिद्धांत

*मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नाइक, श्री बी.वी.

पाला, श्री विनसेंट एच.

पाटसाणी , श्री प्रसन्न कुमार

[9]*प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राई, श्री प्रेम दास

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

सामल, डॉ. कुलमणि

संपत, डॉ. ए.

सातव, श्री राजीव

सत्पथी, श्री तथागत

---

[9]*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शंकरराव, श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, श्री रवनीत

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

*स्वाइं, श्री लडू किशोर

तराई, श्रीमती रीता

*वेणुगोपाल, श्री के. सी.

माननीय उपाध्यक्ष: शुद्धि के अध्यधीन[10]**, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार हैः

पक्ष में : 147

विपक्ष में: 41

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2

माननीय उपाध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर खंडवार विचार करेगा। श्री तथागत सत्पथी, क्या आप खंड 2 में अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री तथागत सत्पथी(ढ़ेंकनाल): हां, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 1, पंक्तियों 11 और 12 के लिए, -

---

[10]*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्चियों के माध्यम से भी अपना वोट दर्ज/सुधार किया।

हाँ: 147 + सर्वश्री पोन राधाकृष्णन, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, एस/श्री विनोद लखमासी चावड़ा, श्रीमती पूनमबेन मादम, एस/श्री कमल भान सिंह मराबी, हरि ओम पांडे, धर्मेंद्र कुमार, बी.एस. येदियुरप्पा, फग्गन सिंह कुलस्ते, श्रीमती कृष्णा राज, एस/श्री हुकुम सिंह, डॉ. नेपाल सिंह, एस/श्री चंद्रकांत खैरे, राम मोहन नायडू किंजरापु, सदाशिव लोखंडे, एम. मुरली मोहन, ए.पी. जितेंद्र रेड्डी, एस.आर. विजयकुमार, वी. एलुमलाई, टी. राधाकृष्णन, एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन, एस. राजेंद्रन और मुकेश राजपूत = 170

नहीं : 41+ सर्वश्री नागेंद्र कुमार प्रधान, लडू किशोर स्वाइं, श्रीमती सोनिया गांधी, सर्वश्री पी. करुणाकरन, एम. वीरप्पा मोइली, के.सी. वेणुगोपाल और वी.एन. चंद्रप्पा, मुकेश राजपूत = 47

प्रतिस्थापन ' "(2) निदेशक की कोई नियुक्ति वैध नहीं होगी यदि किसी कारण से समिति में किसी सदस्य की रिक्ति या अनुपस्थिति हो। '(1)

महोदय, मेरा मानना है कि कानून इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि उनकी प्रारंभिक स्वरूप में ही शाश्वतता का स्पष्ट रूप से अंकन हो। दूसरे शब्दों में, किसी भी कानून का मसौदा तैयार करते समय या इस सदन द्वारा पारित करते समय उसकी सदैव प्रासंगिकता एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक कारक होनी चाहिए। ऐसा हम आज की संसद में नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ और मैं सुधार के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा दृढ़ता से महसूस हो रहा है कि यह इस महती सदन को गुमराह करने का प्रयास प्रतीत होता है। इस सरकार को पहले से निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं के साथ छेड़छाड़ के रूप में चिह्नित किया गया है।

हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी ने एक तानाशाह के बारे में उल्लेख किया। मैं उस हद तक नहीं जाऊंगा। लोकतंत्र में किसी को तानाशाह के रूप में लेबल करना उचित नहीं है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस पवित्र भूमि के संविधान को बदलने की भद्दी गाथा को कोई नहीं भूल पाया है, ताकि एक मात्र सेवानिवृत्त नौकरशाह को बहुत उच्च मूल्य के एक विशेष पद पर फिर से नियुक्त किया जा सके। महोदय, आप समझते हैं कि उच्च मूल्य का क्या अर्थ है।

माननीय उपाध्यक्ष: सत्पथी *जी*, कृपया अपनी सीट पर बैठें।

श्री तथागत सत्पथी : यदि इस माननीय सभा द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में पारित हो जाता है, तो इसका भविष्य में दुरुपयोग होने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हर कीमत पर इससे बचना इस सभा का दायित्व है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा।

(व्यवधान) ...[11]*

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री तथागत सत्पथी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 1 को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं मत-विभाजन की मांग करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: यह खत्म हुआ। आपने उस समय कहा होगा; आपने ऐसा नहीं कहा है।

... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है, अब मत-विभाजन ।

लोक सभा में मत *विभाजन* हुआ *:*

[11]* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

<u>मत *विभाजन* संख्या -2</u> **पक्ष में** **<u>अपराह्न 1.36 बजे</u>**

एंटोनी, श्री एंटो

*चंद्रप्पा, श्री बी. एन.

*चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

*देव, श्री अर्का केशरी

देव, कुमारी सुष्मिता

*देवी, श्रीमती वीणा

ध्रुवनारायण, श्री आर.

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गांधी, श्रीमती सोनिया

जॉर्ज, एडवोकेट जोएस

गोगोई, श्री गौरव

**गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

*हीकाका, श्री झीना

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

श्री कौशलेन्द्र कुमार

*कुमार, श्री संतोष

** लागुरी, श्रीमती शकुंतला

*महाडीक, श्री धनंजय

श्री भर्तृहरि महताब

*माझी, श्री बलभद्र

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मुनियप्पा, श्री के.एच.

*नाईक, श्री बी.वी.

पाला, श्री विनसेंट एच.

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

**प्रेमचंद्रन, श्री एन.के.

राई, श्री प्रेम दास

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री कोठा प्रभाकर

*सामल, डॉ. कुलमणि

संपत, डॉ. ए.

सातव, श्री राजीव

सत्पथी, श्री तथागत

**शंकरराव, श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह

*सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, श्री रवनीत

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुमन, श्री बलका

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

*स्वाइं, श्री लड्डू किशोर

*तराई, श्रीमती रीता

*वेणुगोपाल, श्री के. सी.

<u>विपक्ष में</u>

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

*अमरप्पा, श्री करादी सनगन्ना

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बाला, श्रीमती अंजू

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

**भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

*भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

*चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

*चौधरी, श्री पी.पी.

चौधरी, श्री पंकज

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

*चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

*छोटेलाल, श्री

*चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

*चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

*डेका, श्री रमन

एलुमलाई, श्री वी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

*

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

गिर्री, श्री महेश

*गोहेन, श्री राजेन

*गोपालकृष्णन, श्री सी.

*गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरिबाबू, डॉ. कम्भमपति

हुक्केरी, श्री प्रकाश

*जयसवाल, डॉ. संजय

जोशी, श्री प्रल्हाद

*काछड़िया, श्री नारणभाई

कामराज, डॉ. के.

*कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री दिनेश

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

*खैरे, श्री चंद्रकांत

*खन्ना, श्री विनोद

*खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

*कीर्तिकर, श्री गजानन

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

*कुशवाहा, श्री रवींद्र

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

*लोखंडे, श्री सदाशिव

माडम, श्रीमती पूनमबेन

मांझी, श्री हरि

मरुदराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

*मोहन, श्री एम. मुरली

*मोहन, श्री पी.सी.

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागराजन, श्री पी.

*नरसिम्हम, श्री थोटा

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

*नेते, श्री अशोक महादेवराव

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय, श्री हरि ओम

*पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

*परस्ते, श्री दलपत सिंह

*परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

*पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

*पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

*पाठक, श्रीमती रीती

पाटील, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

फुले, साध्वी सावित्री बाई

[12]**प्रभाकरन, श्री के. आर. पी.

*राधाकृष्णन, श्री पोन

*राधाकृष्णन, श्री टी.

राज, श्रीमती कृष्णा

*राजा, श्री ए. अनवर

*राजभर, श्री हरिनारायण

*राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

*राजपूत, श्री मुकेश

राम, श्री जनक

रामचंद्रन, श्री के.एन.

---

[12]*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

*रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला

रेड्डी, श्री मेकापति राज मोहन

रेड्डी, श्री पी.वी. मिदून

रेड्डी, श्री वाई. एस. अविनाश

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुत्ता

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री चन्दुलाल

साहू, श्री लखन लाल

साई, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

*शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

[13]*शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेट्टी, श्री गोपाल

शेट्टी, श्री राजू

**शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

*शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

---

[13]*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

* * नहीं के लिए पर्ची के माध्यम से सही किया गया।

*सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. नेपाल

*सिंह, डॉ. सत्य पाल

सिंह, श्री दुष्यंत

*सिंह, श्री हुकुम

*सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री आर.के.

*सिंह, श्री राजवीर (राजू भैय्या)

सिंह, श्री सुशील कुमार

*सिंह, श्री वीरेंद्र

*सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

*सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

[14]*टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

*तेली, श्री रामेश्वर

ठकुर, श्री अनुराग सिंह

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

---

[14]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*उसेंडी, श्री विक्रम

*वसन्ती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

*वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

*वर्मा, श्री परवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

*येदियुरप्पा, श्री बी.एस.

माननीय उपाध्यक्ष: शुद्धि के अध्यधीन[15]*****, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार हैः

पक्ष में :	34
विपक्ष में :	101
मत विभाजन में भाग नहीं लिया	001

---

[15]* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्चियों के माध्यम से भी अपना वोट दर्ज/सुधार किया।

पक्ष में : 34 + सर्वश्री लडू किशोर स्वाइं, बलभद्र मांझी, श्रीमती वीणा देवी, श्रीमती रीता तराई, श्रीमती सकुंतला लागुरी, डॉ. कुल्मणि सामल , डॉ. प्रभास कुमार सिंह, सर्वश्री अर्का केशरी देव, झिना हीकाका, के.सी. वेणुगोपाल, संतोष कुमार, बी.वी. नाईक, धनंजय महाडीक, संतोख सिंह चौधरी, बी.एन. चंद्रप्पा, एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा, मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव और एन.के. प्रेमचंद्रन-श्री सुशील कुमार सिंह, डॉ. सुभाष रामराव भामरे और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे = 49

विपक्ष में : 101 + सर्वश्री पोन राधाकृष्णन, डॉ. संजय जायसवाल, डॉ. किरीट पी. सोलंकी, सर्वश्री नारणभाई काछडिया, रमेन डेका, पी.सी. मोहन, राजवीर सिंह (राजू भैय्या) विनोद लखमासी चावड़ा, नागेंद्र सिंह, सतीश कुमार गौतम, मुकेश राजपूत, अनिल शिरोले, अशोक महादेवराव नेते, रविंदर कुशवाहा, छोटेलाल, देवेंद्र सिंह भोसले, श्रीमती किरण खेर, सर्वश्री विक्रम उसेंडी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, रामेश्वर तेली, करादी सनगन्ना अमरप्पा, हरिनारायण राजभर, बी.एस. येदियुरप्पा, रामसिंह राठवा, श्रीमती विजया चक्रवर्ती, सर्वश्री प्रह्लाद सिंह पटेल, विनोद खन्ना, भानु प्रताप सिंह वर्मा, कुमारी शोभा कारांदलाजे, श्रीमती रीति पाठक, सर्वश्री राम प्रसाद शर्मा, जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, हुकुम सिंह, पी.पी. चौधरी, डॉ. सत्यपाल सिंह, सर्वश्री विनोद कुमार सोनकर, बीरेंद्र कुमार चौधरी, चंद्रकांत खैरे, थोटा नरसिम्हन, दलपत सिंह परस्ते, राजेन गोहेन, वीरेंद्र सिंह, गजानन कीर्तिकर, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, सर्वश्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी, सदाशिव लोखंडे, एम. मुरली मोहन, राम स्वरूप शर्मा, अजय टम्टा, ए. अनवर राजा, टी. राधाकृष्णन, एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन, एस. राजेंद्रन, के. परसुरमन, वी. पन्नीरसेल्वम, श्रीमती एम. वसंती, सर्वश्री आर. गोपालकृष्णन, के.आर.पी. प्रभाकरन, सी. गोपालकृष्णन, सुशील कुमार सिंह, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे-एस/श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा और मोहिले पाटिल विजयसिंह शंकरराव = 161।

मत विभाजन में भाग नहीं लिया: 1 - श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन = शून्य।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... *(व्यवधान)*

डॉ. जितेंद्र सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

(माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, मैं पहले ही अपने विचार रख चुका हूँ। लेकिन यह जो विधेयक यहां लाया गया है, यह विशेष रूप से विपक्ष के नेता को निशाना बना रहा है। मैं यह क्यों कह रहा हूँ क्योंकि संवैधानिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के पद खाली नहीं रखे जा सकते हैं। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए वैक्यूम होगा। ... (*व्यवधान*) लेकिन अगर विपक्षी नेता नहीं है तो वे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं।

… (*व्यवधान*) यह सरकार की मंशा विशेष रूप से विपक्षी दलों को निशाना बनाने की है। … (*व्यवधान*) वे ऐसा कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। … (*व्यवधान*) यह जानबूझकर किया गया है। … (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: कुछ सबसे बड़ी पार्टियां होंगी, दो या तीन या चार या पांच। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

यह विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: दीर्घाएँ खोल दी जाएँ।

सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 1.44 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो *बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।*

<u>अपराह्न 2.31 बजे</u>

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात *अपराह्न दो बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।*

(**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम मद संख्या 18 पर चर्चा करेंगे।

माननीय सदस्यगण, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर नियम 193 के तहत चर्चा श्री भर्तृहरि महताब के नाम से कार्य सूची में शामिल है। कांग्रेस पार्टी के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुरोध किया है कि उन्हें चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए, जिस पर श्री भर्तृहरि महताब सहमत हुए हैं। इसके लिए माननीय अध्यक्षा की सहमति है।

मैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बाद श्री भर्तृहरि महताब को बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम दो दिन से इस विषय पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से इस चर्चा को ठुकराया गया। इस कारण यह चर्चा कल और आज सुबह नहीं हो सकी। इस चर्चा में हम यह नहीं कहना चाहते कि कालेधन की समस्या केवल आज या छः महीने ही पुरानी है। इस बारे में मैंने पढ़ा है

और पुरानी डिबेट में भी देखा है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद से लेकर अब तक काले धन पर किसी न किसी ढंग से चर्चा चलती रही है। चाहे इस सदन में चर्चा न हुई हो, लेकिन सदन से बाहर इस बारे में हर पोलिटिकल पार्टी के लोग बात करते आये हैं, हर नेता इस बारे में बात करता है। खासकर वर्ष 2010-11 में इस विषय को ज्यादा प्रचार मिला। उस वक्त इस सदन में बी.जे.पी. के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 14 दिसम्बर, 2011 को इस विषय को बहुत गंभीरता से प्रस्तुत किया था।

उन्होंने 14 दिसंबर, 2011 ठीक 12 बजकर पांच मिनट पर बात प्रारंभ की थी। हम यह चाहते थे कि आज प्रश्न काल के बाद 12 बजे चर्चा शुरु हो जाए। आप नहीं माने तो हमने प्रस्ताव सामने रखा। आपके सुझाव को मानकर हमने पोस्टपोन किया और अब आपने चर्चा की मंजूरी दी है। उस वक्त बहुत सी बातें सामने आईं कि कालेधन के लिए उस वक्त की सरकार ने कोई कोशिश नहीं की, उसका इंटरस्ट नहीं था और इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई। इस तरह उनके ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एलीगेशन पोलिटिकल बैनीफिट के लिए लगाते रहे। वस्तु स्थिति क्या है, यह आप जानते हैं। इसके बावजूद भी उस वक्त एक ऐसा माहौल बनाया गया कि कालेधन को लाने में पिछली सरकार विफल हो गई। सारे कानून थे, लेकिन उसे वे अमल में नहीं लाए, इस वजह से इतना धन यहां नहीं आया। किसी ने 50 लाख करोड़, किसी ने 60 लाख करोड़ का अंदाजा लगाया। राजनाथ सिंह जैसे नेता भी 25 लाख करोड़ तक के आंकड़े लाए। हर नेता, हर पोलिटिकल पार्टी ने आंकड़े बताए, लेकिन श्री जेटली ने आंकड़े नहीं बताए, मैंने उनकी डिबेट पढ़ी है। इसके बारे में सबको मिलकर कुछ करना होगा। ब्लैकमनी जैसा कोई नाम नहीं है, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल कोलोक्वियल लैंग्वेज में करते हैं। टैक्स में भी ब्लैकमनी की डैफीनेशन नहीं है, लेकिन टैक्स इवेडर्स, जो टैक्स कानून को नजरअंदाज करके टैक्स बचाते हैं, जो धन संग्रह होता ,है उसे हम ब्लैकमनी कहते हैं।

उस वक्त आंकड़े बाहर आने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि इतने लाख करोड़ स्विस बैंक, फॉरेन बैंक्स में है तो सरकार इसे क्यों नहीं ला रही है। इसका यूज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर, डैवलपमेंट में होना चाहिए, सामान्य जनता

को इसका लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं इसलिए इसमें कुछ है। जैसा कि सुबह टी.एम.सी. नेता ने कहा कि दाल में कुछ काला है। उस वक्त भी यही भाषा यूज की जाती थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सौ दिन में पूरा पैसा लाने का वादा किया, आपके मैनीफेस्टो में दिन नहीं गिने, आप सुबह बीजेपी का इलैक्शन मेनिफेस्टो दिखा रहे थे, इसमें वह नहीं है, लेकिन इसमें यह जरूर है कि हम काला धन वापस जरूर लाएंगे, इसके लिए कानून बनाएंगे और सख्त से सख्त कानून बनाकर पैसा वापस लाकर देश के हित में उपयोग करेंगे।

मुझे आपको यह इसलिए बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं किसी को छेड़ना नहीं चाहता, न ही अननैसेसरी अफवाह फैलाकर या किसी पर एलिगेशन लगाकर मैं खुश होने वाला हूँ। लेकिन जब समझदार लोग, जो बैंकिंग सिस्टम को, फॉरेन पॉलिसीज को समझते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ जो एग्रीमेंट करता है, उसको भी समझ सकते हैं और टैक्स इवेज़न कैसे होता है और डबल टैक्सिंग का किस ढ़ंग से एम.ओ.यू. होता है, ये सारी बातें जानते हुए भी अगर एक पक्ष और नेता लोग ये कहें कि हम कालाधन सौ दिनों में ला रहे हैं, जो लोग सालों में नहीं कर सके, उसे हम सौ दिन में लाकर सभी को 15-15 लाख रुपए बाँट देंगे। हरेक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए हम जमा करेंगे। यह किसी और ने नहीं कहा, जब मैंने एक डिबेट देखी, खासकर मैंने 14 दिसम्बर का जिक्र किया, उस वक्त श्री आडवानी जी ने बाबा रामदेव का भी नाम लिया था। बाबा रामदेव जी भी यह कह रहे हैं कि बाहर ब्लैक मनी बहुत है, उसको ला सकते हैं। वे जब स्पीच कन्क्लूड कर रहे थे, तो आखिरी चैप्टर में उन्होंने बताया। उन्होंने आंकड़े नहीं बताए थे और कितना पैसा किस अकाउंट में जमा हो रहा है, यह भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने यह बोला कि बाबा रामदेव भी यह बोल रहे हैं, उनकी बातों में भी कुछ तथ्य हैं। उनका कहना था कि एक-एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का वह 15 लाख रुपए कहाँ है? कौन-से खज़ाने में रखा है? किस जगह रखा है? कम से कम उसे हम ढूंढें, क्या वह गुम हो गया? यह सबको मालूम होना चाहिए। सिर्फ एलिगेशन लगाने से, लोगों को भड़काने से, इमोश्नल इश्यू बनाने से क्या देश का उद्धार होता है, देश की आभिवृद्धि होती है, देश का विकास होता है?

देश का विकास तभी होगा, जब देश की जी.डी.पी. बढ़ेगी, इम्प्लॉयमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलप होगा और जो जरूरी चीजें हैं, वे यदि आपको मिलें, तो उसी समय इस देश में कुछ प्रगति होगी। लेकिन आज हमने देखा कि 18 जनवरी, 2011 को श्री रविशंकर प्रसाद, जो पहले लॉ मिनिस्टर थे, अब कम्युनिकेशन और आई.टी. [अनुवाद] मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा- "सरकार का यह तर्क कि वह दोहरे कराधान के कारण सर्वोच्च न्यायालय के सामने नामों का खुलासा कर सकती है लेकिन जनता के सामने नहीं कर सकती, निराधार है।" [हिन्दी] आप यह नहीं जानते थे? यू.पी.ए. सरकार जब थी, तो आप बाहर कहते थे कि 50 हजार नाम हैं और ये लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ है, ऐसा बोलकर जो कलंक लगाने की कोशिश की तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? 18 जनवरी, 2011 में आपने ऐसा बोला। [अनुवाद] श्री नितिन गडकरी जी, जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी 18 जनवरी को कहा- "यह दावा करते हुए कि स्विस बैंकों में लगभग रु. 21लाख करोड़ जमा किए गए हैं, गडकरी जी ने कहा, स्विस बैंक खाताधारकों के नाम घोषित करने में कोई भी अनिच्छा लोगों की ईमानदारी के बारे में संदेह पैदा करेगी।" [हिन्दी] हमारी इंटेग्रिटी पर आपने क्वेश्चन किया, फिर आपकी इंटेग्रिटी का क्या होगा? यह गडकरी साहब ने बोला है, किसी दूसरे ने नहीं, आज वे भी मिनिस्टर हैं। 18 जनवरी को यह बात उन्होंने कही। मैं इसीलिए कहता हूं कि रिस्पांसिबिल्टी होती है और कभी न कभी आपकी एकाउण्टिबिल्टी भी होती है। आज आपको एकाउण्ट देना है, क्योंकि यह हिट एंड रन नहीं हो सकता, आप मार कर नहीं जा सकते। कहीं न कहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि, कानून के हाथ बहुत लम्बे होते हैं। एक स्पोक्सपर्सन के नाते और एक वक्ता के नाते उनको बहुत बार हम टी.वी. पर देखते हैं, आज वह यहां मिनिस्टर भी बने हैं - श्री प्रकाश जावड़ेकर। चार जुलाई, 2011 को उन्होंने कहा :

[अनुवाद]

"... सरकार भारतीय काले धन को वापस लाने में लगातार विफल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार केवल लीपापोती में लगी हुई है। सरकार यह कहकर इसे सही ठहराने की

कोशिश कर रही है कि उसने इन देशों के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं ..."

[हिन्दी]

यह किसने कहा? श्री प्रकाश जावड़ेकर, एनवायर्नमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि कवर-अप कर रहे हैं। हम लोगों ने कवर-अप किया, तो आपने छः महीने में क्या किया? क्या आप भी कवर-अप कर रहे हैं? [अनुवाद] अगर मंत्री और ज़िम्मेदार लोग इस तरह की बात करेंगे, तो इस देश के 125 करोड़ लोग क्या सोचेंगे? क्या यह आपकी एकमात्र जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि आप दूसरों को बदनाम करें और नियमों/अधिनियमों को न देखें? [हिन्दी] इसीलिए जब कभी भी हम बात करते हैं, तो जरा तोल-मोल के बात करें तो उसकी कुछ मर्यादा होती है। जेटली साहब, मैं आपको कोट नहीं कर रहा हूं, आपके जो दूसरे दोस्त हैं, उनके बारे मे ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि, आपने वहां ऐसी वकालत की कि न इधर रहा, न उधर और ऐसा करके आर्ग्यूमेंट में उसको छोड़ दिया। इसीलिए मैं आपकी तरफ नहीं आ रहा हूं, लेकिन जो लोग पोलिटिकल पार्टी में रिस्पांसिबल थे, किसी न किसी ओहदे पर थे, आप लोगों ने ऐसा प्रचार किया। एक बार आप लोगों ने यह कहा, खासकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी साहब अपने चुनाव प्रचार में बहुत ही धूमधाम से तकरीर करते थे। लोगों को उछालने में, उनके व्हिप-अप करने में वे माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपने क्या किया। उन्होंने कहा :

[अनुवाद]

“…एन.डी.ए. कम समय में काला धन का एक-एक रुपया वापस लाएगा।

अभी आगे आता हूं।...*(व्यवधान)* यह तो इल्तजा ही है भाई।...*(व्यवधान)* 17 अप्रैल, 2014 को राजनाथ सिंह जी ने ए.बी.[हिन्दी] पी. न्यूज को बताया। [अनुवाद] उन्होंने वादा किया कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो 100 दिनों के भीतर काला धन वापस लाया जाएगा। [हिन्दी] यह मेरा कहना नहीं है, आप ही का कहना है, इसीलिए हम डिमाण्ड कर रहे हैं। 100 दिन गए, 180 दिन भी हो गए, तो हम पूछना चाहते हैं कि हमारे एकाउण्ट के 15-15 लाख रुपये कहां हैं? किस-किस ने लिया है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा। आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान) ...[16*]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे **:** आगे चलकर मोदी साहब ने फिर एक स्पीच में कहा, वह यू-ट्या ूब पर है, आप देख लीजिए, उससे मैंने लिया था।

[अनुवाद]

> "विभिन्न अवसरों पर कहा गया है कि एक बार काला धन वापस लाने के बाद इस देश में हर व्यक्ति को लगभग 15 लाख रुपये मिलेंगे।

आगे चलकर उन्होंने और भी कहा :

[अनुवाद]

[16*]कार्यवाही वृतांत में समिलित नहीं किया गया।

"लोग कहते हैं कि अगर विदेशी बैंक खातों में छिपा हुआ काला धन वापस लाकर भारत के गरीबों में बांटा जाए..."

[हिन्दी]

अब तो आपको आधिकार मिल गए हैं, अब तो आपके नेता प्रधान मंत्री भी बन गए हैं और सम्पूर्ण आधिकार आपके पास हैं। अब तो 100 दिन भी बीत गए हैं, बताएं कि क्या हुआ? आपको यहां पर हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जनता की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। सब यही जानना चाहते हैं कि आपने जो वादा इस बारे में किया था, क्या वह वादा आप निभा रहे हैं? मैं तो आपको बस याद दिलाना चाहता हूं, आपको दुखी नहीं करना चाहता, सिर्फ याद दिला रहा हूं।

आगे चलकर आपने यह भी कहा,

[अनुवाद]

“जब हम काला धन वापस लाएंगे, तो हम इसे नियमित वेतन धारकों को देंगे। हमें उनकी देशभक्ति का सम्मान करना चाहिए। जब तक हम काला धन नहीं लाएंगे, तब तक ऐसी चोरियां होती रहेंगी। इसलिए, नई चोरी और ऐसे मामलों को रोकने के लिए, सभी काले धन को अपने देश में लाया जाना चाहिए ताकि सत्ता आते ही सभी को सबक सिखाया जा सके।

[हिन्दी]

आपने कहा था कि आपको आधिकार मिलेगा तो आप यह करेंगे और आप यह करने वाले थे। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि आपका वादा और आपकी कथनी अब कहां है? आज आपने "यू" टर्न लिया है। पिछली सरकार को ब्लेम करने की आपने कोशिश की। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपका स्टेंड क्या है? जो बात यूपीए

सरकार कहती थी, वही आज आप कह रहे हैं। वही दिक्कतें आप बता रहे हैं और कोर्ट के सामने भी वही बात कह रहे हैं। आप बताएं कि आपने इस मामले में नया क्या किया है?

[अनुवाद]

मोदी सरकार ने 17 अक्टूबर 2014 को एक हलफनामे के माध्यम से शीर्ष अदालत को बताया था कि वह कथित नामों का खुलासा करने में असमर्थ है क्योंकि यह कुछ दोहरे कराधान से बचने के समझौतों से बंधी थी।

[हिन्दी]

यह हमारा नहीं है, आपका ही है। 17 अक्तूबर, 2014 को एक और एफिडेविट में आपने कहा :

[अनुवाद]

यदि सरकार कालाधन खाताधारकों के नामों का खुलासा करती है, तो यह गोपनीयता बनाए रखने पर अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन करेगा और इसके परिणामस्वरूप भारत की रेटिंग कम होगी।

[हिन्दी]

अगर ये सारी चीजें बोलनी हैं तो फिर पिछली सरकार को क्यों दोषी ठहराया? क्यों इस देश के नौजवानों में भ्रम पैदा किया और क्यों इस देश की 125 करोड़ जनता के मन में भ्रम पैदा किया? ठीक है आपकी पोलिटिकल आइडियोलॉजी है, उस पर आप बात करें, अगर हमारी गलती है तो आप वह बताएं, लेकिन आप सत्य से इतनी दूर हो गए और असत्य बात कहने लगे हैं। [अनुवाद] उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या रिमार्क मिला, “आप इन लोगों के लिए सुरक्षा कवच क्यों बनें हुए हैं?" इसके बाद, जब काले धन के मुद्दे पर यू-टर्न लेने पर मोदी सरकार पर हमला किया गया, तो मीडिया के माध्यम से चुनिंदा नाम लीक कर दिए गए। [हिन्दी] आपको

तो मालूम है कि आपने पहले थोड़े से नाम लिए, अब भी कुछ नाम लिए हैं। बाबा रामदेव के पास तो 50,000 नामों की लिस्ट थी, आपके पास सिर्फ 650 नाम हैं, उनमें से भी आधे नाम नहीं लिए गए हैं। कोर्ट भी आज पूछ रही है कि पूरी लिस्ट दे दो, क्यों नाम छिपाकर रखे हैं। आपने उनके कहने पर वह लिस्ट सब्मिट की। लेकिन वह डिसक्लोज नहीं हुई है। आप भी यही करते हैं कि जब तक कोई चार्जशीट नहीं होता, तब तक उसे डिसक्लोज नहीं किया जाएगा। जब ऐसे हालात हैं तो इसके बारे में जो गलत प्रचार इस देश में हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। ठीक है, किसी को मालूम नहीं, कुछ लोग जानते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों ने भी तो छह साल एनडीए सरकार चलाई। आप भी सरकार में थे, आपको दिक्कतें मालूम हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी चीजें होती हैं तो मुझे पूछना पड़ता है कि आज जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई है क्या उसमें उतने ही नाम हैं, जितने आप कहते थे। आप तो 50 हजार बोलते थे, क्या उसमें और लोग मिले या उसमें केवल 300-400 ही नाम हैं। उसमें क्या है, वह हम सबको भी मालूम होना चाहिये। क्या कठिनाइयां हैं, क्या दुश्वारियां आपकी हैं, वह भी बता दीजिए? सरकार से 28 अक्टूबर 2014 को कोर्ट ने यह पूछा कि पूरे एकाउंट होल्डर्स की हमें लिस्ट दीजिए, तभी आपने लिस्ट दी। अभी कोर्ट के पास लिस्ट रहने से आप नहीं बताएंगे। आपके पास सूचना बहुत थी तो कहां-कहां से सूचना है और इसके साथ ही हाउस और पूरा देश भी इस बारे में जानना चाहता है। इसीलिए आप बताएं कि क्या आप एक पैसा भी इन 6 महीनों में लाए। जो आपका 40-50 लाख करोड़ रुपयों का एलीगेशन था उसमें से एक पैसा भी लाकर क्या आपने देशवाशियों को दिया। ...(व्यवधान) पिछली सरकार ने इस बारे में जो-जो कदम उठाए वे तो आपको मालूम ही हैं क्योंकि आप हमेशा देखते रहे हैं। चाहे वे कदम माननीय प्रणव मुखर्जी साहब के जमाने में उठाए हों या चिदम्बरम साहब के समय में उठाए हों। *...(व्यवधान)* अब कैबिनेट का विस्तार हो गया है, अब और विस्तार होने वाला नहीं हैं, थोड़ा देर इंतजार करो, उसके बाद देखेंगे। आपने क्या-क्या कदम उठाए हैं वे तो आपको मालूम हैं और हर सरकार कोशिश करती है लेकिन जब दिक्कतें आती हैं तब उन्हें देश के सामने रखा जाता है। मैंने जो अपने आर्गूमेंट आपके सामने रखें हैं हो सकता

है कि वे जेटली साहब के आर्गूमेंट्स के सामने ठीक न लगें। इसीलिए तो उन्हें ज्यादा फीस मिलती है, हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपने जो वायदे किये थे और माननीय आडवाणी जी ने तो यहां तक कहा कि अगर वह बाहर का पैसा आ गया तो 6 लाख गांव में लाइट आयेगी, पूरा डिवेलपमेंट हो जाएगा। आप उनकी डिबेट पढ़कर देख लीजिए। वे यहां नहीं हैं, इसलिए पूछना ठीक नहीं है लेकिन माननीय जेटली साहब तो बता सकते हैं, नायडू साहब बता सकते हैं कि उतने पैसे से 6 लाख गांव को बिजली देना, रोड देना, पानी देना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये सारी चीजें आपके घोषणापत्र में हैं।

<u>अपराह्न 03.00 बजे</u>

यह सारी चीजें इसमें हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कहां है? यह सामान्य रूप से बात नहीं कही गयी है, इसी सदन में कहीं गयी हैं, यदि आप इजाज़त देंगे तो मैं पढ़ सकता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आवश्यक नहीं। कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसलिए छः लाख गांवों को डेवलप करने और उनको फण्ड देने की बात आज कहां है? मुझे नहीं मालूम नहीं है। अंत में यह किस्सा इस तरह से हुआ कि आप बोले तो खूब लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इतना पहाड़ खोदने के बाद भी चूहा भी नहीं निकला है।...*(व्यवधान)* यह चुनावी भाषण छोड़ दीजिए और देश के हित में आप क्या करना चाहते हैं? इस समस्या को कैसे सुलझाना चाहते हैं? पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी जी-20 समिट में भाग लेने के लिए आस्ट्रेलिया गए थे तो वहां भी ब्लैक मनी के बारे में बात हुई थी कि उसको किस तरह से लाना है। वह दो-तीन जगह गए हैं तो उन्होंने यह बोला है, इसलिए हमें इस बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कितने देशों के साथ बात करके पैसा ला रहे हैं? कितना हमारी ट्रैज़री में

आ चुका है? इससे पहले जब चिदम्बरम साहब जी-20 में भाग लेने गए थे तो उस समय भी यह मुद्दा उठाया था। उसके बाद से क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? आप इस बारे में कहां तक पहुंचे हैं? यह सभी चीजें हमें और देश की जनता को मालूम होनी चाहिए। इस बारे में जनता के सामने जिस तरह से प्रचार किया गया, उससे यह ऐसा हो गया है कि हमारे देहाती भाषा में कहते हैं - चार आने की मुर्गी, बारह आने का मसाला। मुर्गी की कीमत चार आने की, लेकिन उसके लिए मसाला बारह आने का। आपने इसको बढ़ावा देकर इसी तरह से कर दिया है। आपने जनता से जो असत्य बात कही है या वायदे किए हैं, उसके लिए आपके सामने एक मौका है, इस डिबेट के माध्यम से आप इसके लिए क्षमा मांगो कि हमने जो किया है, वह गलत है। ऐसा नहीं है, हमने झूठे सपने दिखाए थे, हम 15 लाख रुपये आपकी जेब में देने वाले थे। यह सत्य नहीं है और आपके अकाउंट में हम यह नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया है, कानून है और कानून के तहत ही हम इसे ला सकते हैं। अगर यह जनता को आप बताएंगे और रिग्रेट करेंगे तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा।

इसलिए मैं इतना कहते हुए यह अपेक्षा करता हूं कि इस पर यह कुछ रोशनी डालें क्योंकि देश के लोग यह जानना चाहते हैं और इसे बढ़ा-चढ़ा कर हम न बोलें।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): श्री उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सभा में भी यही बहस चल रही है। इसलिए, मैं दोनों सदनों के बीच जाऊंगा। इसलिये, कृपया मेरे उत्तर के लिए समायोजित करें, और जब मैं दूसरे सभा में प्रारंभिक भाषण सुन रहा हो, तो मेरी अनुपस्थिति को क्षमा करें।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है, सही है।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सर, जो वायदा किया, वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगो। यह इंस्ट्रक्शन आप चेयर से दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : हमने जो किया है, उससे हम गर्व महसूस कर रहे हैं और यह हम आपको बाद में बताएंगे, जब पूरा ब्यौरा सदन के सामने रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हम दस साल और इस छः महीने का पूरा ब्यौरा सदन के सामने रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : जिस तरह से सौगत जी वादे की बात कर रहे हैं, मालूम नहीं कि क्या वादा बीजेपी ने उनको किया था और वह वादा निभाने के लिए वह पूछ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री उपाध्यक्ष महोदय, आज नियम 193 के तहत जो चर्चा सूचीबद्ध की गई है, वह विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर है। काला धन न केवल विदेशों में छिपा हुआ है, बल्कि इस देश में काला धन भी पैदा हो रहा है और इसका बहिर्गमन भी हो रहा है।

हाल ही में मुझे एक पुस्तिका मिली है जिसके ऊपर एक छतरी है और जिसका उल्लेख स्विस बैंक के रूप में किया गया है। इसे सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। मुझे लगता है कि हमारे अधिकांश माननीय सदस्यों को इसकी एक प्रति मिली होगी। यह 10 अगस्त, 2014 का प्रकाशन है। मैं सिर्फ उसके परिचय का एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, जिसे इस समिति के टीम लीडर श्री अरुण कुमार ने लिखा है, जिन्होंने इसे प्रकाशित किया है।

""भारत से बाहर ले जाए गए अवैध धन को बैंकों में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसे वापस भारत लाया जाता है और विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया जाता है। इसलिए बैंकों में छोड़े गए अवैध धन की मात्रा भारत से बाहर जाने वाले कुल धन का एक अंश होगी।"

हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह पैसा जिसे हम हमेशा दावा करते हैं या कहते हैं कि वह बाहर चला गया है, वह पुनः मार्गित होकर इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में निवेश किया जा रहा है। इसलिए, जो पैसा विदेशों में जमा है वह कुछ ऐसा है जो वास्तव में उत्पन्न काले धन का एक अंश है।

मैं यहाँ से अपना भाषण शुरू करूँगा, महोदय। काले धन का मुद्दा पूरे देश में सबसे विवादास्पद मुद्दा रहा है। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति एम.बी. शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया है। विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अन्य देशों के साथ डी.टी.ए.ए. का पुनर्विचार, कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय सम्मेलन में शामिल होना आदि किया गया है। हालांकि, सरकार के सभी प्रयासों का परिणाम इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यर्थ प्रतीत होता है कि इन प्रयासों से आज तक विदेशों में जमा एक भी रुपया या डॉलर काला धन नहीं आया है।

हाल ही में, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि नामों का खुलासा जांच को बाधित करेगा और दोषियों को लाभ पहुंचाएगा। इससे सरकार की ईमानदारी, निष्कपटता और गंभीरता पर संदेह उत्पन्न हुआ है। मैं तृणमूल कांग्रेस के अपने मित्रों को इस सभा में काले धन के मुद्दे पर आंदोलन करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिससे सरकार को इसे किसी भी रूप में चर्चा के लिए सहमत होना पड़ा, जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने सहमति दी या चुना।

आज देश में सबसे प्रमुख मांग यह है कि सरकार न केवल अपराधियों के नाम उजागर करे बल्कि यह भी बताए कि काले धन को विदेशी देशों से वापस लाने के लिए कौन से रास्ते और प्रयास किए जा रहे हैं। पहला

सवाल जो मन में आता है वह यह है कि क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा अब तक बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के बेहिसाब धन की मात्रा के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है? एक आंकड़ा सदन के वरिष्ठतम नेता, श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा उद्धृत किया गया था। उन्होंने 2011 में कहा था कि लगभग रु. 28 लाख करोड़ , जो लगभग 466 अरब अमेरिकी डॉलर है, विदेशों में बैंक खातों में अवैध रूप से छिपाए गए थे। उन्होंने कहा कि वह ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के एक अध्ययन का उपयोग कर रहे थे, जो वाशिंगटन स्थित एक गैर-लाभकारी फर्म है जो अवैध वित्तीय प्रवाह पर शोध और वकालत करती है। भारत सरकार द्वारा 2012 में इस संसद में प्रस्तुत किए गए सफेद पेपर में कहा गया था कि सभी स्विस बैंकों में भारतीयों की कुल जमा राशि लगभग 2.11 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो कि यू.एस. $ 466 अरब अमेरिकी डॉलर के सबसे कम अनुमान से भी बहुत दूर है। अधिक भ्रमित करने वाले आंकड़ों में जाने के बजाय, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि काले धन पर बहस में राजनीतिक और आर्थिक दोनों निहितार्थ हैं।

वैश्विक स्तर पर पिछले दशक के दौरान कई उपाय किए गए हैं, फिर भी परिणाम फायदेमंद नहीं रहे हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा विशेष जांच दल एस.आई.टी. का गठन करने में तेजी से कार्य करना एक महत्वपूर्ण कदम था। एस.आई.टी. का प्राधिकरण केवल कर चोरी के मामलों से सीमित नहीं है, जिससे इस संस्था को उसकी प्रयासों में अधिक विश्वसनीयता मिलती है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार ने एस.आई.टी. के गठन के तीन बार विरोध किया था। मैं कहूंगा कि यू.पी.ए. की विधिवत याचिकाएँ और सर्वोच्च न्यायालय में 2011 से लेकर मई 2014 तक की उसकी कार्यकाल के अंत तक, इसका पता लगता है कि यह तीन अवस्थाओं में एस.आई.टी. के गठन से बचने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी, वह कर दिया गया।

यू.पी.ए. द्वारा अपेक्षा में रखे गए आपेक्षिक मामले में उसकी यह आपत्तियां थीं कि सर्वोच्च न्यायालय एस.आई.टी. का गठन नहीं कर सकता जब तक मामले के प्रार्थनाकर्ताओं ने अपनी लिखित याचिकाओं में इसे विशेष रूप से मांगा नहीं था। यू.पी.ए. का एक और कारण था कि एस.आई.टी. के गठन से सरकार के नीति

निर्णयों में हस्तक्षेप होगा। एक और आपत्ति में, यू.पी.ए. ने कहा कि एस.आई.टी. का स्थापना सरकार की शक्ति और प्राधिकरण को वास्तव में हथियाने के बराबर होगा। उसने विलाप किया कि जांच, अनुसंधान, कर छल, आदि एस.आई.टी. के अधीन होंगे; और इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए।

यू.पी.ए. चिंतित थी – वह एस.आई.टी. की जांच से खुलने वाले एक पैंडोरा की डिबिया से चिंतित थी और डराने की कोशिश कर रही थी कि इससे सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से बंद हो जाएगा।

महोदय, मैं तीन उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस ने एस.आई.टी. द्वारा जांच को क्यों रोका? क्या उन्हें डर था कि पैंडोरा का संदेश खुलने से और क्या उन्होंने डर दिखाकर यह कोशिश की थी कि इससे सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से बंद हो जाएगा, या कुछ और था? क्या उन्होंने यह नहीं बताया कि एस.आई.टी. का गठन और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी मॉनिटरिंग एक योग्य न्यायिक प्रक्रिया के आयोजन में एक गंभीर बाधा होगी, क्योंकि निचली अदालत अपने-आप सामग्री का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कर पाएगी? क्या यू.पी.ए. ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले 26 मार्च को आवेदन को खारिज करने पर, इन्हीं वही आपत्तियाँ उठाकर एक बार फिर से एस.आई.टी. के गठन को रोकने का तीसरा प्रयास नहीं किया था, रिव्यू पिटीशन दायर करके? क्या यह समीक्षा याचिका मई महीने की शुरुआत में दायर नहीं की गई थी?

प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि विदेश में छिपे काले धन को वापस लाना उसके लिए विश्वास का विषय है - उसके लिए एक विश्वास का विषय है! हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं! मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सरकार अपनी बयानबाजी से आगे बढ़ेगी? प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि वह नागरिकों को निराश नहीं करेंगे। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब इस सरकार के खिलाफ उन खाताधारकों के नामों का *खुलासा* करने के मुद्दे पर आरोप स्पष्ट हैं, जिन्होंने विदेशों में धन जमा किया है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि उन भारतीयों की पहचान कानूनी कठिनाइयों के कारण उजागर नहीं की जा सकती है जिन्होंने विदेशी बैंकों में अरबों डॉलर का काला धन छिपा कर लोगों और सरकारी खजाने को धोखा दिया है।

यह सरल प्रश्न है। क्या वह इन शर्तों से अनजान थे ? मैं केवल वह उद्धृत करूंगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। उन्होंने कहा:

"यह एक देश विरोधी गतिविधि है जो विदेशों में पैसा जमा करती है। इस काले धन को वापस लाने के लिए आपको राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रूरत है। मैं अपने देशवासियों को आश्वासन देता हूं कि जब हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे, तो हम एक कार्यबल बनाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो हम कानूनों में संशोधन करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा:

हम भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में जमा एक-एक पैसा वापस लाएंगे। मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ क्योंकि यह पैसा भारत के गरीब लोगों का है और इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का किसी को अधिकार नहीं है। ”

यह निश्चित रूप से एक बहुत सीधी बयान है बिना किसी शर्त के। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उनकी सरकार को किसी भी सशर्त खंड द्वारा सीमित किया जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री जी क्या कह रहे हैं? क्या दिन-प्रतिदिन यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कांग्रेस और भाजपा एक ही नए उदार सिक्के के दो पहलु हैं?

सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हुए घटनाक्रमों ने इस बात पर बहस शुरू कर दी है कि क्या विदेशों में बिना कर चुकाए धन रखने वाले व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। क्या आप काले धन की खोज में गोपनीयता और निजता का हवाला देकर सख्त कार्रवाई करने के खिलाफ तर्क देकर सेल्फ गोल नहीं कर रहे

हैं? इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालतें ऐसी दलीलों को नज़रअंदाज़ करते हुए और स्विट्जरलैंड के असहयोग और धमकी के बावजूद काली आय का पता लगाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ीं।

मुझे एक संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन का एक उद्धरण याद आ रहा है, जिन्होंने कहा था:

"नागरिकों के लिए निर्मित सार्वजनिक जानकारी अधिकार एक स्तंभ है

एक लोकतांत्रिक राज्य।"

अब प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी का नेतृत्व संभालने से पहले काले धन के प्रति भाजपा के रवैये को समझने के लिए, हमें 2011 में वापस जाना होगा। उस वर्ष 1 फरवरी को एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे - अजीत डोभाल, जो वर्तमान में सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय में कार्यरत हैं, प्रोफेसर आर. वैद्यनाथन, वित्तीय विशेषज्ञ, महेश जेठमलानी, वरिष्ठ वकील और जी. गुरुमूर्ति, एक प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने नई दिल्ली में एक समारोह में काले धन पर लगभग 100 पृष्ठों की एक अच्छी तरह से शोध की गई रिपोर्ट जारी की। इस समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता श्री आडवाणी ने की थी, जो उस समय विपक्ष में थे। इसके बाद श्री आडवाणी ने श्रीमती सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा। यह सब सार्वजनिक है। उस पत्र में, उन्होंने कहा था:

''आपको हुई परेशानी पर मुझे गहरा अफसोस है। रिपोर्ट को अपशब्दपूर्ण बताना सत्य के विपरीत है, मैं ऐसा कहूँगा। इससे अधिक धन से संबंधित था।"

दो प्रतिवेदनों के बारे में बताया गया। पहली प्रतिवेदन 11 नवंबर, 1991 की स्विट्जरलैंड की एक प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका श्विट्जर इलस्ट्रेट थी, जिसमें गुप्त बैंक खातों वाले तीसरी दुनिया के देशों के 14 नेताओं की कहानी प्रकाशित की गई थी।

दूसरी पुस्तक युवेगिना अल्बट्स द्वारा लिखित और 1985 में प्रकाशित अवर्गीकृत के. जी. बी. दस्तावेजों पर आधारित थी। श्री ए.जी. नूरानी, एक प्रसिद्ध कॉलमिस्ट, ने 1988 में इन दो प्रतिवेदनों का उल्लेख किया और साथ ही श्री राजिंदर पुरी, एक अन्य प्रसिद्ध कॉलमिस्ट, ने भी इन्हीं प्रतिवेदनों का उद्धरण दिया। यह सार्वजनिक है। द *स्टेट्समैन* में प्रकाशित प्रतिवेदन के खिलाफ मानहानि का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इससे हमें क्या समझना चाहिए? यह बीजेपी की मानसिकता है। यही कारण है कि लोगों को भाजपा से बहुत उम्मीद है कि वे इसे इसके तार्किक अंत तक आगे बढ़ाएंगे। लगभग 180 दिन बीत चुके हैं। मैं पूछूंगा कि क्या विशेष जांच टीम बैठती है, इन प्रतिवेदनों का संज्ञान ले रही है जो बीजेपी ने 2011 में जारी की थी। बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि जब हम सबसे कम उम्मीद करते हैं, तब जीवन हमें एक परीक्षा देता है, हमारे साहस और बदलाव की इच्छा का परीक्षण करने के लिए। ऐसे समय में जब यह दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है या यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि हम अभी तक तैयार नहीं हैं, तो चुनौती इंतजार नहीं करेगी। जिंदगी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। एक हफ्ता हमारे पास अपने भाग्य को स्वीकार करने या ना करने का फैसला करने के लिए पर्याप्त समय होता है।

सरकार कहती है कि उन्हें अब तक केवल 180 दिन मिले हैं। क्या उनके इरादे को इंगित करना पर्याप्त नहीं था? क्या यह डी.टी.ए.ए. नहीं है जिसने अवैध धन के राउंड ट्रिपिंग की सुविधा प्रदान की है? क्या भागीदारी नोट, पोर्टफोलियो अर्थव्यवस्था में पुनः प्रवेश के उपकरण नहीं रहे हैं? सरकार ने विदेश में छिपे काले धन का पता लगाने के लिए उस सूची के अलावा कौन-कौन से कदम उठाए हैं, जो सरकार को अन्य देश ने जर्मनी से गुप्त रूप से प्राप्त की थी?

महोदय, कौन सा समझौता हुआ है? पहला आदान-प्रदान सितंबर 2017 में होगा। यह सामान्य रिपोर्टिंग मानकों से संबंधित है। यह वह समझौता है जो सरकार ने जी-20 और अन्य के साथ किया रिपोर्ट खाता 2017 में स्थानांतरित किया जाएगा, व्यक्तिगत और इकाई दोनों, 1 जनवरी, 2016 के बाद खोले गए। वे खाते जो

जनवरी 2016 के बाद खोले जाएंगे, 2017 में हमारे पास वापस आ जाएंगे। अभी जो हो रहा है या जो पहले हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। पहले से मौजूद उच्च मूल्य वाले खातों के लिए, यह दस लाख अमेरिकी डॉलर होगा। यह न्यूनतम बेंचमार्क है। तभी आपको पता चलेगा। 1 जनवरी 2016 को पहले से मौजूद 2018 में विनिमय, व्यक्तिगत कम मूल्य वाले खाते और पूर्व मौजूद संस्था खातों का है। 6 मई, 2014 को 47 देशों के साथ भारत, जिसमें सभी ओ.ई.सी.डी. और जी-20 देशों ने सी.आर.एस. का स्वागत करने पर ए.ई.ओ.आई.को अपनाया। हम सभी इसका स्वागत करते हैं । लेकिन यह स्थिति है। पहले जो हुआ है, उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलेगी।

महोदय, अंत में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि काले धन के आकलन के संबंध में तीन संस्थागत अध्ययन किए गए हैं। मुझे आशा है कि कुछ मंत्रियों ने इसे ध्यान में लिया होगा क्योंकि सभा इसे समझना चाहेगा और देश को इसके बारे में जानना चाहेगा। तीनों के प्रतिवेदन सरकार के पास है। उसका अध्ययन किया जा रहा है, मुझे बताया गया है। यहाँ व्यापक विचलन है। उन्होंने सुझाव दिए हैं। सरकार कब तक इसका अध्ययन करेगी? काली अर्थव्यवस्था को ठीक करना केवल कर से संबंधित नहीं है। यहाँ अवैधता और आपराधिकता आर्थिक प्रतिगामीता के साथ मिश्रित हैं। इसलिए, इसे केवल नारा न बनाएं। अपने शब्दों के प्रति कटिबद्ध रहें। अपने साहस और परिवर्तन की इच्छा का परीक्षण करने की चुनौती अब आपके सामने है। यह मत कहो कि आप तैयार नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर मुद्दे पर आज फिर एक बार सदन चर्चा कर रहा है। 14 दिसम्बर, 2011 को लगभग तीन वर्ष पहले इसी सदन में इस विषय पर चर्चा हुई। आडवाणी जी ने उस समय इस चर्चा की शुरूआत की और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे और आडवाणी जी को बोलने का अवसर मिला। प्रणब दा जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने सदन में उस समय अपनी सरकार को बचाने के लिए बड़ा प्रयास किया और उत्तर दिया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश में काला धन आखिर वापस क्यों आए। जो कमाई देश के अंदर होती है, उसका टैक्स जब जमा नहीं कराया जाता और आपके खजाने में पैसा आने के बजाय बाहर जाता है तो आपको पहला सबसे बड़ा नुकसान वह होता है। दूसरा, देश के विकास कार्यों पर जब वह पैसा नहीं लगता तो विकास में भी कमी आती है और रोज़गार में भी कमी आती है। तीसरा, उसी पैसे का दुरुपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए देशी और विदेशी ताकतों द्वारा किया जाता है।

काला धन गंभीर मुद्दा है। आडवाणी जी ने इस मुद्दे पर देश भर की यात्रा भी की, देश में जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया, और काश! पिछले दो दिनों से मेरे जो मित्र वैल में आकर लगातार हल्ला-गुल्ला कर रहे थे, जब पिछले पाँच से दस वर्ष वे सत्ता में थे, तब उन्होंने सही कदम उठाया होता तो आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपकी चर्चा का उत्तर नहीं दे रहा होता। काश! पिछले पाँच वर्षों में जो घोटाले करके आपने हिन्दुस्तान को खोखला कर दिया, हिन्दुस्तान का पैसा खाकर आपने देश को खोखला कर दिया, खजाने में पैसा आने के बजाय वह व्यक्तिगत जेबों में जाना शुरू हो गया, तो यह अपने आप में दिखता है कि किस तरह से जनता ने उनको मात्र 44 सीटों पर सीमित करके रख दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में क्या कहा था। ब्लैक मनी पर हमने क्या कहा था, आपने हमारा घोषणापत्र नहीं पढ़ा होगा, आपके लिए पढ़कर सुना देता हूँ:-

[अनुवाद]

उन्होनें कहा "भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करके, हम काले धन के उत्पन्न होने को कम करेंगे।" बीजेपी विदेशी बैंकों और अपतटीय खातों में जमा काले धन को वापस लाने और ट्रैक करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस उद्देश्य के लिए एक कार्यबल का गठन करेंगे और मौजूदा कानूनों में संशोधन या नए कानून बनाने की सिफारिश करेंगे। भारत में काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया, जो भारत का है, को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। हम विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से सम्मिलित होंगे ताकि काले धन के सम्बंध में जानकारी साझा करने में सुविधा प्रदान की जा सके। ”

[हिन्दी]

अब बात है कि पिछले छः महीनों में हमारी सरकार ने क्या किया। [अनुवाद] मैं यहाँ पर खड़े होकर इस सदन में पूरे गर्व और पूरे मान के साथ कह सकता हूँ कि मेरी सरकार ने आज से ठीक छः महीने पहले जब हमारे मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की तो उसके अगले दिन 27 मई को कैबिनेट की पहली बैठक में पहला फैसला किया तो वह एस.आई.[हिन्दी] टी. का गठन करके किया। खड़गे जी को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप पिछले तीन वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं कर पाए, हमारे प्रधान मंत्री जी ने 24 घंटों के अंदर वह करके दिखा दिया। इसे काम करने की इच्छा शक्ति कहते हैं। घोषणा पत्र में कहा और सत्ता में आते ही हिंदुस्तान की जनता से जो वायदा किया था, वह देश के प्रधानमंत्री ने एस.आई.टी. का गठन करके दिखाया। इनके समय मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी से कहा था कि एचएसबीसी के बैंक खातों के एकाउंट्स, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। हमने वे खाते भी एक सील्ड लिफाफे में दिए तो एसआईटी की कमेटी को हमारी सरकार ने दिए हैं, आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, बल्कि सत्ता में आते ही हमारी सरकार ने यह काम

किया, इसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन करने के लिए कहा, तो आप सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते रहे, जो अखबार में छपा था -

[अनुवाद]

"उत्तर में, यू.पी.ए. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने निर्णय की समीक्षा के लिए एक समीक्षा याचिका दाखिल की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काले धन की जांच के लिए एक एस.आई.टी. की स्थापना के लिए कहा था और आवश्यकता पर विदेश यात्रा की।" सरकार ने यह तर्क दिया कि यह आदेश कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेप के बराबर था। ”

[हिन्दी]

ये आपका विचार, आपकी सोच थी कि जब आप सत्ता में थे तब काला धन न लाने के लिए समर्पित थे। आप तब भी जिनका काला धन विदेशों में जमा था, उन्हें बचा रहे थे और आज भी आप प्रयास कर रहे हैं कि जिन्होंने काला धन विदेशों में रखा है, उन्हें किसी न किसी तरह से बचाया जाए। आप चाहते हैं कि उनके नाम जगजाहिर कर दिए जाएं। जैसे ही उनके नाम जगजाहिर होंगे, विदेशी सरकारें आपको उनके एकाउंट्स की जानकारी नहीं देंगी और आप सत्ता से बाहर रह कर भी काले धन वालों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख होता है कि सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, आप हमेशा काले धन वालों के साथ हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जब डबल टैक्सेशन एवायडेंस एग्रीमेंट ट्रीटी कांग्रेस के समय वर्ष 2011 में हुई तब भी संधि करते समय इन्होंने कहा कि आप एक अप्रैल, 2012 के बाद के एकाउंट्स की जानकारी हमें दे दें। एक अप्रैल 2012 से पहले के एकाउंट्स की जानकारी की हमें आवश्यकता नहीं है। यानी नवम्बर, दिसम्बर में करते हुए चार महीने का समय और दे दिया कि चार महीने में जिसे अपना पैसा खाते में से निकालना है, वह निकाल ले और बच

जाइए क्योंकि, हमने तो पहली अप्रैल, 2012 से बाद के खातों की जानकारी मांगी है। आपने जो इस देश के साथ किया, उसके लिए आपको देश ने माफ नहीं किया, इसलिए आप 44 सीटों पर सीमित हो कर रह गए हैं। यही नहीं आपके समय तो पुणे का एक घोड़े वाला बहुत मशहूर था। चालीस हजार करोड़ रुपए एक घोड़े वाले के खाते में था और वर्ष 2007-08 में जब उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, आपकी सरकार सत्ता में रहते हुए भी तीन साल तक उसे कानूनी नोटिस नहीं दे पाई, क्या एक घोड़े वाले से पूरी सरकार कांपती थी।...*(व्यवधान)* दुख तो इस बात का होता है कि आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए।...*(व्यवधान)* मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने मित्र विपक्ष में भी हैं।...*(व्यवधान)* शायद आपको जवाब देने के लिए ही मुझे यहां खड़ा किया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय: कृपया कोई टिप्पणी नहीं करें।

... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनुराग सिंह ठाकुर, कृपया अध्यक्षपीठ को सबोधित करें।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : जब कांग्रेस की सरकार थी, बहामास एक छोटा सा देश है। [हिन्दी] उसके साथ वर्ष 2008-09 में 2.2 मिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड था। ठीक दो साल के अंदर बहामास जैसे देश के साथ हमारा ट्रेड 2.2 मिलियन डॉलर से बढ़ कर 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो गया। कांग्रेस ने उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की। उस समय ये लगातार लोगों को बचाते रहे। विदेशी देशों के साथ हम जो टैक्स अवॉयडेंस ट्रीटी, एग्रीमेंट करते हैं तो अगर हम उन्हें अपने साथ नहीं रखेंगे, अगर इससे सब देश सहमत नहीं होंगे तो

आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। सबसे पहले अगर किसी देश ने काले धन की बात को रखा तो वह ऑस्ट्रेलिया में जी-20 के प्लेटफॉर्म पर नरेन्द्र मोदी जी ने रखा और सभी देशों ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि काले धन पर हम आपको सहयोग करेंगे। इस पर पूरी दुनिया में सहमति बनी कि जहां-जहां पर यह काले धन का मुद्दा है, वहां पर ये देश आपस में मिलकर काम करेंगे और आतंकवादी गतिविधियों में जो यह पैसा लग रहा है, हम उसको भी रोकेंगे। इससे देश को जो नुकसान होता है, उसको भी रोकेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने केवल श्री अनुराग ठाकुर जी को बोलने की अनुमति दी, दूसरों को नहीं। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया उनके भाषण को बाधित न करें।

(व्यवधान) ... [17*]

माननीय उपाध्यक्ष: यह इस तरफ और उस तरफ टिप्पणी करने का तरीका नहीं है। ऐसा करना सही नहीं है।

... *(व्यवधान)*

कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : मैं इस सभा से कुछ समय के लिए अनुरोध करता हूं। माननीय सदस्य अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। बीच-बीच में, कुछ सम्मानित सदस्य हैं जो सिर्फ बोलते और बोलते रहते हैं। इसे दोनों पक्षों द्वारा देखा जाना चाहिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। इसलिए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे व्यवधान न करें। आपसे आग्रह है।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं देखूंगा।

---

[17]*कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया

... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा। मैं किसी भी पक्ष से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। श्री अनुराग ठाकुर जी के भाषण के अलावा कुछ भी अभिलिखित नहीं किया जाएगा। मुझे खेद है। श्री राय, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठें। टिप्पणियां न करें।

(व्यवधान) ... [18*]*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, वर्ष 2011-12 में जब काले धन का मुद्दा चर्चा में था और पूरे शिखर पर था, तब यूपीए की सरकार ने क्या किया? [अनुवाद] उन्होंने लगभग 100 व्यक्तियों को किसी प्रकार की माफी की पेशकश की है जिनके नाम सूची में थे। इन कर अपराधियों को कथित रूप से यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि वे अपने एच.एस.बी.सी., जेनेवा में अवैध रूप से जमा किए गए धन को चुपचाप वापस ले आएं, तो उन्हें आपराधिक कार्यवाही या दंड से बचा लिया जाएगा। [हिन्दी] आप क्या-क्या करते रहे और आज आप क्या-क्या कर रहे हैं? आप हर तरह से यह करते रहे कि किस तरह से काले धन वाले लोगों को बचाना है। आज सरकार कार्रवाई कर रही है और हमने लगातार काम किया है। हमने एस.आई.टी. बना दी और उसे 667 लोगों की सूची सौंप दी है। इसके बाद जब हमारा वित्त मंत्रालय लगातार कार्रवाई कर रहा है तो कांग्रेस के लोगों के मन में कहीं-न-कहीं यह चिंता सता रही है कि इस पर बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है। इनके बड़े-बड़े लोगों का इसमें नाम आया, जो आजकल हाउस में नज़र नहीं आते।...*(व्यवधान)* इस गंभीर मुद्दे पर इनके वरिष्ठ नेता आज सदन में हाज़िर नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[18*] कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया

जिस दिन महंगाई पर चर्चा हुई थी, कैप्टन साहब ने वहां से चर्चा की शुरूआत की थी और मैंने यहां से की थी। अभी चर्चा में मैं आधे पर पहुंचा था तो कैप्टन साहब और बाकी सब लोग सदन छोड़ कर चले गए थे। उस लिस्ट में भी कांग्रेस के कुछ सांसदों के, पूर्व मंत्रियों के नाम आए हैं, वह जनता के सामने आए हैं। हमारी पार्टी ने इस देश से यह वायदा किया है कि हम पूरी ताकत लगाएंगे और विदेशों में पड़ा काला धन अगर हिन्दुस्तान वापस आएगा तो उसे हमारी सरकार लेकर आएगी।*...(व्यवधान)*

एक्चुअली, हमारे दादा को बड़ी चिंता हो रही है कि की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? [हिन्दी] आखिर क्यों न हो? ये भी जनता से जुड़े हुए हैं। केवल यही नहीं, अगर आज ... की बात की जाए और वहां के सत्तारूढ़ दल ..की बात न की जाए तो मुझे लगता है कि कहानी अधूरी रह जाती है। जिन्होंने काले कारनामें सड़कों पर किए, कालाधन कमाया, वे काले छाते लेकर सदन में खड़े हो गए... *...(व्यवधान)* मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस को तो कालेधन पर चिन्ता हो सकती है, आखिर टीएमसी को इतना दर्द क्यों होता था? मित्रों, यह दर्द इसीलिए था, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक परत खुल रही है। कौन लोग उस स्कैंडल के साथ जुड़े हैं, जहां पर 25 लाख से ज्यादा लोगों के बीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए अगर कहीं पर किसी स्कीम के माध्यम से गया है, सबसे बड़ा स्केम कोई हुआ है तो शारदा स्केम उसका नाम कहा जाता है।*...(व्यवधान)* विदेशी खाते को छोड़िए, आज देसी की बात कर ली जाए। विदेशों में तो लाखों-करोड़ों की बात करते हैं, यहां जो हजारों करोड़ पड़े हैं, उसकी बात कर ली जाए। आपके एक नहीं, दो-दो सांसद, वे आज कहां पर हैं? उनकी जानकारी देते हुए*...(व्यवधान)* इनके सांसद ...* हों।*...(व्यवधान)* वे खुद कहते हैं, मैं तो छोटा सा हूं, असली मलाई खाने वाले तो बड़े-बड़े नेता हैं। *...(व्यवधान)* एक पार्टी का चुना हुआ सांसद, जो आपका वरिष्ठ नेता गिना जाता है। आपकी पार्टी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ...* के एम्प्लाइज़ युनियन में हैं, प्रेसीडेंट हैं। जो चीख-चिल्ला कर कहते थे, इस कम्पनी में निवेश करो, यह कम्पनी बहुत अच्छी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कोई भी व्यक्तिगत आरोप कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा।

... *(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अब कालेधन पर चर्चा हो रही है तो अंधेरे में क्यों, खुले में हो जाए। *...(व्यवधान)* वैंकैय्या जी ने कहा कि इस पर दिन में चर्चा करेंगे, दिन में चर्चा हो रही है। उन्होंने चार बजे कहा, हमने चार बजे से पहले चर्चा शुरू कर दी है। *...(व्यवधान)* ... लगभग 50 लाख रुपए एक महीने,*...(व्यवधान)* जो अखबारों में छपा है, 16 लाख रुपए एक,*...(व्यवधान)* मुझे सुन कर चिन्ता होती है, मेरे मित्रों को हाउस में पता होना चाहिए, 16 लाख रुपए एक महीने की सैलेरी और कुल पैकेज मिला कर 50 लाख रुपए एक ... सांसद को मिलता हो तो वह ढिंढोरा क्यों नहीं पीटेगा। छ: करोड़ रुपए का पैकेज, ये अखबारों में छपी बात है, जगजाहिर है, कोई नयी बात नहीं है। कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, जिन लोगों के जनधन में एकाउंट नहीं खुले, उन्होंने ... में पहले एकाउंट खुलवा लिए थे, देश को पता चल गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया परेशान न करें।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आपको यह सुन कर हैरानी होगी, इनके एक अन्य सांसद भी थे, जो मीडिया का काम भी देखते थे, वे बाकी मीडिया का काम कम देखते थे।*...(व्यवधान)* अगर आप अनुमति दे दें तो मैं ...* जी का नाम ले लूं।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : श्री माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह दूसरे सदन के सदस्य का नाम ले रहे हैं। क्या उसने ऐसा करने की अनुमति ली है? ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आरोप कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा। मैंने पहले ही कह चुका हूँ। कृपया मुझे निर्देशित न करें।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: यदि कोई आरोप है तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं केवल इसी सदन के लोगों का नाम ले सकता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. आलूवालिया (दार्जिलिंग) : श्री उपाध्यक्ष महोदय:, क्या वह काले धन के मामले में आरोपी हैं कि हम उनका नाम यहां नहीं ले सकते? … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कोई भी व्यक्तिगत आरोप कार्यवाही वृतांत में नहीं जा सकता है। यदिहोगा, तो मैं इसे निकाल दूंगा।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : इनका नंबर आएगा, तब ये अपनी सारी बातें कह सकते हैं। ...(व्यवधान) मेरा केवल इतना कहना है कि जो काला धन कमाने में, काला धन वालों को संरक्षण देने में, फिर काली छतरी लेकर सदन में आने वाले कम से कम इतनी तो मर्यादा रखें कि बात सुन ली जाए। मैं यह नहीं कहता, इनके एमपी ... **कहते हैं कि मैं तो छोटा हूं, बड़ी मलाई खाने वाली तो कोई और है। यह मैं नहीं कहता, यह ... जी कहते हैं कि मैंने एक लाख छियासी करोड़ रूपए की पेंटिंग खरीदी है, तो ... *की खरीदी है। एक करोड़ छियासी लाख रूपए की पेंटिंग, क्या इससे पहले कभी उनकी पेंटिंग इतनी महंगी बिकी, अगर नहीं बिकी तो क्यों नहीं बिकी, अगर बिकी तो ... *ने क्यों खरीदी? अगर ... *ने खरीदी तो न्यूज पेपर खरीदने के लिए क्यों मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्कूल में, हर लाइब्रेरी में ... *न्यूज पेपर होने चाहिए? अगर यह कहीं पर गठजोड़ है तो वह ... * का है। आप इस बात से पीछा कैसे छुड़ायेंगे?

आपकी सरकार कहती है कि लाइब्रेरी में उनके अखबारों को देखा जाए, उनके चैनल्स को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, उनकी कंपनी एक लाख छियासी करोड़ रूपए में आपकी ... *पेंटिंग खरीदती है। लाखों रूपए आपके ... *वहां से सैलरी मिलती है। 6-6 करोड़ रूपए का पैकेज दिया जाता है। आपके लैंडमार्क सीमेंट, जो आपके टेक्सटाइल मिनिस्टर ... *की कंपनी जो को-ऑनर है, उसको खरीदता है तो ... *की कंपनी का मालिक खरीदता है और आप यहां पर खड़े होकर काली छतरियां लेकर देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। *...(व्यवधान)* कृपया इस देश के चुने हुए सदस्यों को गुमराह करने का प्रयास मत करिए। ...(व्यवधान) मैं यही कहना चाहता हूं कि 18 पेज का कान्फिडेंशियल लेटर जो इस कंपनी के मालिक ने सीबीआई को लिखा

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कितने लोगों को इन्होंने पैसा दिया है? यह केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा है। आज मेरे असम के मित्र वहां बैठे नजर नहीं आ रहे हैं। वहां के मंत्रियों के नाम बीच में आते हैं। एक नहीं दो-दो मंत्रियों के नाम आते हैं। यही नहीं उनको भी सीबीआई जांच के लिए बुलाती है। सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। हम उस समय का इंतजार करेंगे।

हमारी सरकार निष्पक्ष जांच के लिए पहले भी राजी थी और आज भी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश के अंदर सीबीआई और विदेशों के साथ हमारा वित्त मंत्रालय काम कर रहा है। हमने जितना भी काम आज तक किया है, हमने 627 बैंक एकाउंट्स की डिटेल्स भी दी है, दूसरे देशों के साथ हमारी डीटीएए पर जो चर्चा हुयी है, वह सारी जानकारी हमने एसआईटी को दी है। इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं, ... जो तीन बातें कही थीं, पहला काला धन आपके खजाने में नहीं आता, दूसरा आपके विकास में खर्च नहीं होता और तीसरा आतंकवादी गतिविधियों में लगता है। आपका एक सदस्य है, नाम आप बतायेंगे या मैं बता दूं। ...(व्यवधान) ... [अनुवाद] स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य ने भारत से पैसे बाहर ले जाने के लिए जमात-ए-इस्लामी, एक बांग्लादेशी उग्रवादी संगठन, के साथ सहयोग किया। [हिन्दी] यानी कि यहां से वह पैसा बांग्लादेश भेजता था, ताकि वहां की जो टेररिस्ट आउटफिट थी, उनको सहयोग दिया जाए और सबको यह पता है कि वह कहां से किसके खिलाफ काम करता था? ...(व्यवधान) आपने लाखों लोगों की जेब ही नहीं काटी है, आपने हिंदुस्तान में काला धन ही नहीं अपनी जेब में डाला है, आपने उन लोगों का समर्थन किया है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इस बात का जवाब आपको हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को देना होगा।

आप अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग नहीं सकते हैं।*...(व्यवधान)* मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* सर, एक तरफ पेंटिंग से फंड रेज की जाती है, दूसरी तरफ उसी कंपनी से पैसा लेकर आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है और तीसरी तरफ काला छाता लेकर इसी सदन में लोगों पर काला चश्मा

पहनाने का प्रयास किया जाता है।...*(व्यवधान)* इतनी सफाई के साथ कोई हिन्दुस्तान और एक प्रदेश के लोगों को लूटता है।...([हिन्दी] व्यवधान) मैं काला जादू तो कहूंगा नहीं, क्योंकि हमारे चुने हुए सदस्य हैं। ये दूसरे हाउस की बात करते थे। सर, इसी हाउस की एक सदस्य हैं, वह इस कंपनी की ब्रांडअम्बैस्डर भी हैं।...*(व्यवधान)* वे ब्रांडअम्बैस्डर हैं या नहीं हैं।...*(व्यवधान)* उनके समर्थन में अब कोई नहीं आ रहा है। ...*(व्यवधान)* अब, मैं बोलता हूं तो वे कहते हैं कि बोलते हैं। ...*(व्यवधान)* लेकिन मैं सच बोलता हूं, जो अखबारों में छपा है, मुझे नहीं पता है।...*(व्यवधान)* मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास इस काले धन को लेकर, मेरे टी.एम.सी. के मित्रों के पास और जानकारी होगी, जो अभी तक मीडिया में नहीं आई है, आप उन्हें सदन में रखिए तब आप सच्चे देशभक्त माने जाएंगे और सही मायने में काले धन को बचाने के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। जहां तक मेरी सरकार की बात है तो हमने पहले दिन एस.आई.टी. का गठन किया है। हमने उनको पूरी जानकारी दी है। हमने जी-20 में जाकर बाकी देशों को अपने साथ लाकर खड़ा किया है। इस देश के प्रधानमंत्री जी आज वह ताकत रखते हैं, जब दुनिया के किसी देश में जाकर बात करते हैं तो पूरी दुनिया की ताकतें उनके साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। हिन्दुस्तान की जनता ने 30 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है और हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए पहले दिन हमने एक वायदा पूरा किया और हमारी पार्टी लगातार उस पर काम भी कर रही है। मेरे दूसरे सहयोगियों को भी इस विषय पर कुछ बोलना है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम गुमराह नहीं करते हैं लेकिन खरगे जी, मैंने पहले कहा कि आप सत्ता में थे, तब भी काला धन वालों को बचा रहे थे, आज आप विपक्ष में हैं, तब भी आप काला धन वालों को बचा रहे हैं। तब, आप एम.एन.एस.टी. देने की बात करते थे, तब आप सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तीन-तीन साल तक एस.आई.टी. का गठन नहीं करते थे, ...*(व्यवधान)* तब आप कोई कार्रवाई नहीं करते थे, ...*(व्यवधान)* लेकिन आज मैं कह सकता हूं, हमारे वित्तमंत्री यहां बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी एस.आई.टी. का गठन भी किया है। ...*(व्यवधान)* इन्होंने सभी जानकारी बैंक को दी। एस.आई.टी. की जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और

पूरी दूनिया भर के ताकतों के साथ डबल टैक्सैशन अवॉइडन्स एग्रीमेंट के अनुसार पूरी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने विदेशों में पैसा रखा है, हमारी सरकार काला धन वापस लाएगी, जानकारी भी लाएगी, सबूत भी इकट्ठा करेगी और आप चाहते हैं कि सबूत न मिले, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। हम सबूत लाएंगे और उनको दंड दिलाकर, हिन्दुस्तान की जनता को जवाब देंगे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों, मैंने आपको बताया है कि यदि कोई आरोप है जिसे निष्कासित कर दिया जाएगा।

… *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि यह पहली बार है जब मोदीजी ऑस्ट्रेलिया गए और काले धन के बारे में जी-20 की बैठक में चर्चा की। यदि जेटली जी ने कहा कि यह पहली बार है तो मैं सहमत हूँ। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि तीन से पांच बैठकें हुई थीं। … (*व्यवधान*) कई बैठकों में ऐसी चीजें उठाई गई थीं और आवश्यक प्रक्रिया अपनाई गई थी। लेकिन आज हर कोई इसका श्रेय ले रहा है।… (*व्यवधान*) वे केवल विपक्ष के खिलाफ व्यापक टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। यदि आपके पास नाम हैं, तो बस जाएं और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में दें। उन्होंने एक समिति का गठन किया है, आपने नहीं।…. (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कोई स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय मंत्री जी अंत में जवाब देने जा रहे हैं।

अब, श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू।

श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर): महोदय, जहां तक काले धन का संबंध है, हमारी पार्टी की प्रमुख और तमिलनाडु की हमारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता विदेशों या टैक्स हेवन में जमा काले धन को वापस लाना होगा, जो हमारे देश के समग्र विकास और हमारे देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ दलितों के उत्थान और एक मजबूत राष्ट्र के विकास में एक बड़ा बढ़ावा देगा।

महोदय, वर्तमान सरकार ने स्विस बैंकों में अपना पैसा जमा करने वाले 700 एच.एस.बी.सी. खाताधारकों के नामों का खुलासा करने के लिए अपने पिछले फैसले में संशोधन लाने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर की है। वे दोहरे कराधान से बचाव संधि में गोपनीयता खंड का जिक्र कर रहे हैं, जो प्रकटीकरण के खिलाफ है। प्रश्न यह है कि क्या प्रकटन के लिए दिए गए नाम स्विट्ज़रलैंड के साथ संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार को डर है कि स्विट्ज़रलैंड के साथ संधि से उस देश से आगे की जानकारी प्राप्त करना रुक जाएगा और यह हमारे अन्य देशों के साथ संभावनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यह अमेरिका के साथ इसी तरह के समझौते में प्रवेश करने की हमारी संभावनाओं को काफी कम कर देगा, जिस पर बातचीत की जा रही है।

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि माननीय सांसद श्री महताब ने उल्लेख किया है, भाजपा के करीबी सहयोगी और एक स्तंभकार श्री गुरुमूर्ति का दावा है कि एच.एस.बी.सी. खाताधारकों की सूची फ्रांस के चोरी किए गए दस्तावेजों से प्राप्त की गई है और फ्रांस के साथ भारत का समझौता इस प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है। उनके अनुसार, न तो जर्मनी के साथ हुआ समझौता, जिसके माध्यम से हमें लिकटेंस्टीन बैंक में पैसा छिपाने वाले 28 भारतीयों के नाम मिले, प्रकटन पर प्रतिबंध लगाता है। यह अमेरिका के साथ बातचीत के रास्ते में नहीं आएगा क्योंकि वह देश भी इस बीमारी का शिकार है। लेकिन सरकार का इन काल्पनिक कारणों

पर जोर देना भी एस.आई.टी. में गलत उद्देश्यों की ओर इशारा करता है और काले धन का पता लगाने की उसकी भावना के खिलाफ जाता है।

महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार गैर-प्रकटीकरण के लिए सरकार की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ये संधियाँ सभी खुलासों के खिलाफ नहीं हैं और इसके अलावा, यह मानते हुए कि वे पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं, वे हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। लेकिन फिर भी, सरकार अपने तुच्छ तर्क पर कायम है।

सरकार की यह दलील कि इस प्रकटीकरण से आगे की जानकारी बाधित होगी, हास्यास्पद है क्योंकि भारत सरकार ने अब तक विदेशों से कानूनी रूप से कोई भी सूची प्राप्त नहीं की है। अब, स्विस सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) की घोषणा, जिस पर वह एक हस्ताक्षरकर्ता है, में चोरी किए गए दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार का पूरा ध्यान काले धन को वापस लाने पर है, यह मानकर कि अवैध धन केवल कर चोरी वाले देशों में ही जमा है। यह निवेश के रूप में काले धन के राउंड ट्रिपिंग की घटना पर विचार नहीं करता है। यह बेहिसाब धन के सृजन और बहिर्गमन को रोकने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है।

धन शोधन निवारण अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि धन शोधन को आपराधिक अपराध घोषित किया जा सके। इसके अलावा, उन देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है जो जानकारी से इनकार करते हैं।

सरकार को पार्टिसिपेटरी नोट्स की अनुमति देना बंद कर देना चाहिए, जिनके माध्यम से अपंजीकृत व्यक्ति और फ़र्जी कंपनियां सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों के माध्यम से शेयर बाजार में भारी काला धन निवेश कर रही हैं।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

वे भारी लाभांश भी अर्जित कर सकते हैं। विनियामकों के पास उन्हें पहचानने का कोई तरीका नहीं है। मॉरीशस के साथ हस्ताक्षरित दोहरे कराधान से बचाव संधि ने कर चोरों को अपनी पहचान बताए बिना अवैध धन हमारे देश में लाने और पोस्ट बॉक्स कंपनियों के माध्यम से कर चोरी करने में मदद की है। भारत का लगभग आधा एफडीआई मॉरीशस में पंजीकृत अपतटीय कंपनियों से आता है।।

हालांकि विशेष जांच दल का गठन सही मायने में किया गया है, लेकिन इसकी अपनी सीमा है। एस.आई.टी. के अध्यक्ष जस्टिस एम.डी. शाह ने ठीक ही कहा है कि एस.आई.टी. के काम में जटिलताएं हैं। अमेरिकी सीनेटर कार्ल। अमेरिकी सीनेट के विशेष जांच कार्यालय के प्रमुख लेविन को भारतीय एस.आई.टी. की सफलता पर संदेह है, क्योंकि 2009 में स्विस बैंक यू.बी.एस. के खिलाफ उनके द्वारा दायर आपराधिक मुकदमों के बावजूद, उन्हें 52,000 संभावित अमेरिकी कर चोरी करने वालों में से केवल 4500 नाम प्राप्त हो सके। उनके अनुसार, क्रेडिट सुइस मामले में, सफलता की दर और भी खराब थी। इस परिदृश्य की पृष्ठभूमि में, हम अपने एस.आई.टी. की संभावित सफलता दर का अनुमान लगा सकते हैं।

इसके अलावा एस.आई.टी. अपने आप में एक जांच एजेंसी नहीं है। इसे सी.बी.आई. और ई.डी. जैसी सरकारी एजेंसियों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है जो पिंजरे के तोते की तरह हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

इसके अलावा बड़ी मछली, जिसे टैक्स हेवन में बहुत पैसा मिला है, बहुत चालाक है। यह परत बिछाने और फ़र्जी कंपनियों के माध्यम से विदेशी बैंकों को अवैध धन भेजती है। जब यह उसके नाम पर नहीं है, तो एस.आई.टी. कैसे पता लगा सकती है? इसके अलावा, यह लगातार अपने अवैध धन को एक बैंक से दूसरे बैंक में लाता रहेगा। एस.आई.टी. जैसे ही इसे पकड़ती है, वह अपना खाता खाली कर सकती है। हसन अली खान और उसके सहयोगी, काशीनाथ तपुरिया का मामला लें। सी.बी.आई. छापे के दौरान यह दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पाया गया कि उनके पास ज्यूरिख में यू.बी.एस. बैंक खाते में 8.04 बिलियन डॉलर जमा हैं। लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा 2011 में प्रस्तुत श्वेत पत्र में, इस जमा राशि को घटाकर केवल 60,000 डॉलर कर दिया गया है। अब जब वह जेल में है, तो कहा जा रहा है कि खाता खाली कर दिया गया है। इसके अलावा हसन अली और उनके सहयोगी द्वारा दी गई वैध जानकारी पर कोई स्पष्ट जांच नहीं की गई है, जिन्होंने राजनीतिक और कॉर्पोरेट दिग्गजों के नामों का खुलासा किया जो इस अवैध व्यवसाय में उनके सहयोगी थे।

काला धन बेकार का पैसा है। इसका कोई उपयोगिता मूल्य नहीं है। जब इसे विदेश में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह वास्तव में घरेलू निवेश और खपत को प्रभावित करने वाले अधिशेष की निकासी है। जब यह यहाँ रहता है, तो यह एक गैर-निष्पादित और गैर-उत्पादक संपत्ति के रूप में कार्य करता है, जिसे द्वितीयक शेयर बाजार, अचल संपत्ति और विलासिता उपभोग क्षेत्रों में निवेश किया गया है। चूंकि यह कुलीन वर्ग के इर्द-गिर्द घूमता है, यह अभी भी असमानता के स्तर को और खराब कर देता है। इससे राज्य का वह अति आवश्यक व्यय नष्ट हो जाता है जो गरीबों और सीमांत लोगों को लाभ पहुंचाता, उनकी आजीविका के साधनों में कटौती करता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत है। 2002 से 2011 के बीच 343.04 अरब डॉलर का अवैध धन विदेश गया है। इस अवधि की शुरुआत में अवैध धन के बहिर्गमन के मामले में भारत पांचवें स्थान पर था। लेकिन इस अवधि के अंत में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दुनिया में विभिन्न विकास मापदंडों में हमारे देश के खराब रिकॉर्ड की

तुलना में यह एक जबरदस्त उपलब्धि है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 12 प्रतिशत विकास दर की क्षमता थी। लेकिन काले धन के कारण यह केवल सात प्रतिशत तक ही सीमित है। कोई भी हमारे देश के विकास को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे समानांतर अर्थव्यवस्था चलाकर सरकार को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्हें कानून का संरक्षण प्राप्त है। वे आसानी से दंड से बच सकते है।

औपनिवेशिक काल के बाद, तीसरी दुनिया के देशों से पूंजी निकालने के लिए विकसित देशों द्वारा जानबूझकर और सचेत रूप से टैक्स हेवन्स की स्थापना की गई थी। 1991 से उदारीकरण के बाद की अवधि में, अवैध पूंजी का बहिर्वाह काफी बढ़ गया है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के अनुसार, भारत की कुल अवैध पूंजी हानि का 68 प्रतिशत 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों के बाद हुआ था। उसी आर्थिक मॉडल के प्रति एन.डी.ए. की प्रतिबद्धता और कॉरपोरेट्स के साथ इसकी निकटता को देखते हुए, क्या एन.डी.ए. सरकार काले धन के उत्पादन पर अंकुश लगा सकती है और विदेशों में जमा काले धन को वापस ला सकती है?

इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था कि कुल वापस लाए गए काले धन में से प्रत्येक भारतीय के खाते में रु. 15 लाख जमा किए जाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने तब इस काम को 100 दिनों के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया था। इस वादे के आधार पर, सरकार के सत्ता संभालने के बाद, कई ने ऋण खरीदे हैं और कुछ ने ऋण दिया है। भारत का प्रत्येक नागरिक बेसब्री से इंतजार करता है कि यह राशि उसके खाते में कब जमा होगी।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 193 के तहत आज की चर्चा का विषय 'विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर चर्चा करना' है।

अपराह्न 4.06 बजे (श्री आनन्दराव अडसुल *पीठासीन* हुए।)

मुझे बहुत दुख हुआ और मैं श्री खड़गे का भाषण सुनकर रोमांचित हुआ, यहां तक कि श्री भर्तृहरि महताब का भाषण भी सुनकर और सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्य वक्ता को सुनकर बहुत निराश हुआ, जिन्होंने संकेत दिया कि वे वास्तव में बहस के विषय के विवरण में जाने के इच्छुक नहीं हैं।

प्रश्न बहुत सरल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम काला धन वापस लाएंगे। यह बयान था कि मैं इस काले धन को भारत वापस लाऊंगा। यदि हम काला धन वापस लाते हैं, तो प्रत्येक नागरिक को रु. 15 लाख से रु.20 लाख मिल सकते हैं।" यह बयान 2014 में चुनाव पूर्व रैलियों में दिया गया था। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में कितनी बार यह भाषण दिया? रिकॉर्ड के अनुसार, युवा पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए उन्होंने पूरे देश में 152 बार एक ही भाषण दिया। मेरे आकलन के अनुसार, 18 से 25 वर्ष की आयु समूह के युवा समूचा बहुत प्रभावित थे। युवा पीढ़ी ने भाजपा के लिए वोट दिया, न केवल भाजपा, बल्कि विशेष रूप से मोदी जी के लिए क्योंकि उन्होंने सभी चेहरों को दूर कर दिया था, चाहे वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों या श्री लाल कृष्ण आडवाणी हों। इसलिए, उन्हें वोट मिले और वे इस स्तर तक सत्ता में आए।

प्रश्न बहुत सरल है। अगर वह इसके लिए है तो वह काला धन वापस लाना चाहता है, हम विपक्ष से कहते हैं, आप काला धन वापस लाओ। हम यहां किसी भी नियम, किसी भी अधिनियम का समर्थन करने के लिए हैं जिसे आप सदन के पटल पर बनाना चाहते हैं। हम पूरी शिद्दत से इसे समर्थन देते हैं और आपको इसे कार्यान्वित करते हुए देखना चाहते हैं।

महोदय, मैं अपनी मांगों का बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। हमने इस मुद्दे को बहुत सकारात्मक बनाया क्योंकि यह मुद्दा देश का प्रमुख मुद्दा था। हमने देखा है कि अधिकांश प्रमुख विपक्षी दल एक साथ आए और एकजुट होकर विरोध किया कि इस मुद्दे पर सारी प्राथमिकता के साथ चर्चा होनी चाहिए। लोक

सभा में चर्चा शुरू करने में 48 घंटे लग गए, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारी कुछ सकारात्मक मांगें हैं। मोदी जी से अनुरोध है कि वे तुरंत वह सभी नाम इंटरनेट पर डाल दें, जिनके पास विदेश में काला धन छिपा हुआ है।

दूसरी बात, मोदीजी 100 दिनों के भीतर काला धन वापस लाने के अपने वादे को पूरा करें, जहां हम बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात, उन्होंने जो वादा किया था, उसके अनुसार देश भर में बैंक खातों में रु. 15 लाख या रु. 20 लाख जमा करें। चौथी बात, आज इस सरकार के कार्यकाल के छः महीने पूरे हो रहे हैं। घोषणा 100 दिनों के लिए की गई थी, और आज यह 180 दिन है, यानी घोषणा से 80 दिन अधिक है।

मोदीजी को अब एन.आर.आई. प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। वह छह महीने में 8 बार विदेश जा चुके है। यह अधिक वांछनीय था कि चर्चा पहले ही दिन हो सकती थी, और मोदी जी--सभा में अपने भाषण के बाद--सार्क सम्मेलन के लिए उड़ान भर सकते थे। लेकिन इससे पहले वे भाषण देने के लिए झारखंड गए और फिर नेपाल चले गए। इसलिए प्रधानमंत्री जी को सभा में माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने देश की युवा पीढ़ी को गुमराह किया और चुनावों से पहले पूरे देश में झूठे बयान देकर पूरे देश को गुमराह किया। ... (*व्यवधान*)

हम निश्चित रूप से अरुण जेटली जी को सुनेंगे जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं और व्यक्तिगत रूप से उनके लिए मेरे मन में सबसे अधिक सम्मान है, हालांकि उन्हें इन सवालों का ठीक से जवाब देने का समय नहीं मिलता है, फिर भी उन्हें ट्विटर पर सुश्री ममता बनर्जी के खिलाफ बयान जारी करने का समय मिलता है, जिसे मैंने 4 दिन पहले देखा है कि सुश्री ममता बनर्जी के बयानों को राष्ट्र समर्थक नहीं बताते हैं जैसे कि सुश्री ममता बनर्जी राष्ट्र-विरोधी हैं। जिस तरह से उन्होंने वह ट्विटर बयान दिया, उससे मुझे यह दिखाई दिया। मैं अरुण जेटली जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस तरह के बयान न दें। श्री अनुराग ठाकुर इस तरह के बयान दे सकते हैं क्योंकि वे मंत्री बनने का इरादा रखते हैं और वे मोदी जी को संतुष्ट करना चाहते हैं।

लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकें! इसलिए, वह शारदा के मुद्दे पर कह सकते हैं। यदि माननीय अध्यक्षा द्वारा सारदा मुद्दे पर बहस की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें आधिकारिक रूप से एक नोटिस देने दें; यह जानें कि नोटिस कैसे दिया जाना है; और बहस होने दें, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि सारदा के मालिक को सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था। सारदा के मालिक को श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा कश्मीर सीमा से गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें हिरासत में कोलकाता वापस लाया गया था। तो, यह उनके द्वारा किया गया था, और यह मेरा बयान सदन के पटल पर है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सरकार ने 31 प्रतिशत वोट हासिल किए, और 69 प्रतिशत मतदाताओं ने बी.जे.पी. को वोट नहीं दिया। लेकिन संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यदि किसी भी दल को अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले ज्यादा प्रतिशत वोट मिलता है, तो वे शासन करते हैं और अन्य विपक्ष में बैठते हैं। सत्तारूढ़ दल कई टिप्पणियां/प्रतिबद्धताएं कर सकता है और अपने चुनावी घोषणापत्रों में कई रंगीन आश्वासन दे सकता है, जिन्हें पूरा किया जा सकता है या पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन कम से कम, इस तरह की घोषणा -- कि 100 दिनों में मैं राष्ट्र के कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए पूरा काला धन वापस लाऊंगा -- अगर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जब जेटली जी जवाब देते हैं तो वे कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के साथ यह दोहरे कराधान से बचने का समझौता (डी.टी.ए.ए.) उन कदमों का विरोध कर रहा है जिनके कारण सरकार इसे अपनी दिशा में नहीं ले जा सकती है।

खड़गे जी ने अंत में कहा कि आप इसे पहले से जानते थे, और यह कुछ भी नया नहीं है, यानी इस समझौते के बारे में। आपने समझौते के बारे में पूरी तरह से जानते हुए यह वादा और प्रतिबद्धता क्यों की है? …(*व्यवधान*) मुझे 'झांसा देने' जैसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जो पीछे से कही जा रही है, लेकिन हमें कहना

चाहिए कि इन्होनें देश को गुमराह किया है, आम लोगों को गुमराह किया है, मतदाताओं को गुमराह किया है, और देश की युवा पीढ़ी को गुमराह किया है।

महोदय, पिछले चुनाव में इस बी.जे.पी. सरकार का समर्थन करने वाले बाबा रामदेव जी ने कहा कि इस तरह के जो खाते चल रहे थे, वे 50,000 से अधिक थे। इस सरकार ने आज अपने छह महीने में कदम रखा है। देश के बाहर कितना पैसा जमा है? यहाँ दिए गए विवरण के अनुसार बी.जे.पी. का दावा है कि यह लगभग 500 अरब अमेरिकी डॉलर है; आडवाणी जी के अनुसार यह 460 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह उस तरह का पैसा है जो विदेशों में जमा है। सत्ता में आने के इन 180 दिनों के भीतर, हम जानना चाहते हैं कि क्या इस सरकार द्वारा एक डॉलर भी वापस लाया गया है। क्या वे किसी व्यक्ति से एक डॉलर वापस लाए हैं? वे इस मामले में 'शून्य' स्तर पर पहुंच रहे हैं। हम इस पर सरकार की ओर से बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक प्रतिक्रिया सुनना चाहते हैं।

मुझे अभी पता चला है, और मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ, और मुझे कुछ सूत्रों ने बताया है कि काठमांडू से कुछ संदेश आया है जिसमें कहा गया है कि सीधे सभा में यह घोषणा की जानी चाहिए कि सरकार इतने कम समय में काला धन वापस नहीं ला सकी। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है। मैंने सुना है कि इस बहस के शुरू होने से पहले पी.एम.ओ. को इस तरह की जानकारी मिली है। यदि आज इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो यह किसी भी समय आ सकता है और इसे लोगों के सामने रखा जाएगा।

यह एक बहुत ही साफ और स्पष्ट अपील है और इस सरकार से एक मांग है। हमने जो भी मांगें की हैं, कृपया इसे कमजोर करने की कोशिश न करें। हम चाहते हैं कि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो और आपने जो कदम उठाए हैं, उनके बारे में पारदर्शी हो। जब विपक्ष सरकार को अपना पूर्ण समर्थन दे रहा है, उन्हें सरकार को पूर्ण समर्थन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, तो सरकार को इतना अत्यधिक घबराहट क्यों होनी

चाहिए? उन्हें या तो यह कहना होगा कि उन्होंने जो कहा है उसे पूरा नहीं कर सके या ऐसे असत्य बयान देने के लिए राष्ट्र से माफी मांगनी होगी।

अपनी टिप्पणियां देते समय, प्रमुख सत्तारूढ़ दल, बी.जे.पी. के एक सदस्य ने दूसरे सदन, यानी राज्यसभा के कुछ सदस्यों के नाम लिए या उनका उल्लेख किया है, जो तृणमूल पार्टी के सदस्य हैं। उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि नियमों के तहत, दूसरे सभा के सदस्यों के नाम यहां नहीं लिए जा सकते हैं। माननीय अध्यक्षा द्वारा नियमों के तहत नोटिस स्वीकार किए जाने के बाद ही नाम लिए जा सकते हैं। मैं बी.जे.पी. नेताओं को, विशेष रूप से अनुराग सिंह ठाकुर जी को एक बात बताना चाहूंगा कि वे यह मानकर चल सकते हैं कि मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी अपने ही राज्य में श्री नरेन्द्र मोदी से अधिक लोकप्रिय हैं, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यदि उनके पास 28 संसदीय सीटें हैं, तो हमें 42 संसदीय सीटें मिली हैं; यदि उन्हें 24 सीटें मिली हैं, तो हमें 34 सीटें मिली हैं; अगले 2016 विधानसभा चुनावों में, हमें 200 से अधिक विधानसभा सीटें मिलेंगी। कृपया इसे रिकॉर्ड में रखें। कृपया विश्वसनीयता, ईमानदारी और जनहितैषी कदमों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की चुनौती को स्वीकार करने की कोशिश न करें। बंगाल की जनता उनके साथ है और हम इसे भविष्य में आपको दिखाएंगे। ममता बनर्जी से जो टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा।

मैं सामान्य रूप से कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से सोनिया जी का आभारी हूँ कि जब हमने इस काले धन के मुद्दे को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया। [हिन्दी] मुलायम सिंह जी को भी मैं बधाई देता हूं कि आपने इस पर सपोर्ट किया। मैं जेडीयू और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को भी उनके सपोर्ट करने के लिए बधाई देता हूं। इस तरह के इश्यूज़ पर हम विपक्षी दल एकजुट रहेंगे और आने वाले दिनों में बीजेपी को दिखा देंगे कि उसे फॉल्स एश्योरेंसेज़ पर इतनी सीटें मिलीं, भविष्य में नहीं मिलेंगी।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति जी, कालेधन के बारे में कल संसद में काफी हंगामा हुआ था और कई विपक्षी सदस्य छाते लेकर सदन में आए थे। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष संसद में काफी हंगामा कर रहा था। मैं तो पहली बार इस सदन में चुनकर आया हूं। मुझे लगता था कि कालेधन की शायद बारिश होने वाली है इसीलिए वे छाते लेकर आए हैं। आज सदन में कालेधन पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य अपने-अपने विचार यहां रख रहे हैं। मैं सरकार का इस मुद्दे पर बहस कराने के लिए आभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि उसने कालेधन का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया।

मैं अपने विपक्षी साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि इससे पहले काफी बरसों तक आपकी सरकार केन्द्र में रही, उस समय आपने विदेश में छिपे कालेधन का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए थे? आपकी भी जिम्मेदारी थी कि आप इसका पता लगाते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार का मतलब सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि एक या कुछ दलों की सरकार हो, सरकार का मतलब पूरे देश की सरकार होता है और सब पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। केवल सरकार को दोषी ठहराने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपके कार्यकाल में आपने कालेधन की वापसी के लिए कुछ प्रयास नहीं किया, जबकि आपकी भी उस समय जिम्मेदारी थी।

आज हम कालेधन पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं। विदेश में जमा कालाधन ही नहीं, बल्कि देश में भी बहुत भारी मात्रा में कालाधन छिपा हुआ है। उसे भी बाहर लाने के लिए सरकार को भविष्य में कोशिश करनी चाहिए। आज देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब गरीबी के साए में रह रहा है। मैं सदन में सभी दलों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि कालेधन को बाहर लाने के लिए सभी को आपस में मिलकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। हम केवल यहां हंगामा मचाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

मैं अपने भाषण को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं कि देश और विदेश में जो कालाधन जमा है, उसे लाने के लिए सरकार को सब लोग सहयोग दें। अभी तो केवल 180 दिन ही हुए हैं इस सरकार को बने हुए, अभी साढ़े चार साल का कार्यकाल बाकी है। आपने तो बहुत साल निकाल दिए, हमें थोड़ा समय दीजिए फिर आपको भी पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। मैं विश्वास से कहना चाहता हूं कि विदेश में जमा कालाधन जरूर वापस आएगा।

डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम): नमस्ते, महोदय, सहकर्मियों को नमस्ते।

महोदय, हम पिछले दो दिनों से और पिछले दो, तीन वर्षों से काले धन के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। यह अकादमिक बहस नहीं है। यह कोई कॉलेज की बहस या विश्वविद्यालय की बहस नहीं है। यह बहस देश के बाहर जमा धन के बारे में है और इसे देश में वापस कैसे लाया जाए और लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाए। एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए, सवाल करते हुए कि काले धन के उत्पादन में कौन शामिल है, किसने कितनी संपत्ति अर्जित की है - किसी को भी ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं है। लोग यह जानने में रुचि रखते हैं कि पैसा कब वापस आ रहा है, पैसा वापस कैसे लाया जाए।

मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वे हमारी राजनीतिक विचारधाराओं को भूल जाएं, हमारी पृष्ठभूमि को भूलकर एक साथ बैठकर देश के कल्याण के बारे में सोचें। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिज्ञा की थी, वे 24 घंटे के भीतर सत्यता के साथ एस.आई.टी. का गठन कर दिया, जो सी.बी.आई., प्रवर्तन निदेशालय, डी.आर.आई. या किसी अन्य एजेंसी से अधिक शक्तिशाली है, केवल इस बात की जाँच करने के लिए कि विदेशों से पैसे भारत में वापस लाए जा सकें ताकि इस धन का उपयोग लोगों की कल्याण के लिए किया जा सके। देश के लोगों की दिलचस्पी इसी में है, न कि यह जानने में कि किसने क्या धन जमा किया है, उसका नाम क्या है, इन नामों को कब प्रकट करना है, आदि।

[हिन्दी] आम जनता सड़क पर बोलती है कि ये पैसा कब आयेगा? हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जब पैसा आयेगा, डायरेक्ट टैक्सेशन में, तो रेट ऑफ टैक्स कम हो जाएगा। [अनुवाद] प्रति वर्ष लगभग रु. 20 लाख करोड़ का कर राशि दी जा रही है। हर साल लगभग इतना कर भी अवांछनीय हो जाता है। अब तक इसे विद्वानों और वित्तीय सलाहकारों द्वारा स्वीकार किया गया है। अगर यह पैसा वापस लाया जाता है, तो इस देश को कोई नया कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुद्रास्फीति नहीं होगी, और सब्सिडी की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी।

आइए, हम एक साथ बैठें और ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करें। उनकी आलोचना करने और उन्होंने जो कहा उसमें गलती खोजने के बजाय, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बैठना चाहिए और हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि भविष्य में काले धन की उत्पत्ति को कैसे रोका जाए।

क्यों काला धन पैदा हो रहा है? कर की खामियां क्या हैं? कराधान क्या होना चाहिए? भारत के अनुरूप किस कराधान नीति का पालन और अपनाया जाना चाहिए? भारत को ऐतिहासिक रूप से बहुत सारी भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त होने के लिए जाना जाता है। हम पर भ्रष्टाचार के माध्यम से 200 वर्षों तक ब्रिटिश लोगों का शासन रहा है। आइए हम इतिहास के बारे में न भूलें। अगर हम इतिहास को याद नहीं रखेंगे, तो हमारी निंदा की जाएगी। आइए, हम काले धन को उत्पन्न करने की इस पद्धति पर अंकुश लगाएं।

उदाहरण के लिए, आन्ध्र प्रदेश में हमने एक राजनीतिक दल के प्रमुख को दिनदहाड़े डकैती में लिप्त देखा है, बहुत धन इकट्ठा किया है और वह जेल में जा रहा है। वह फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक मंचों पर वापस आने और राज्य पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे निश्चित रूप से राज्य के लोगों ने सही तरीके से खारिज कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों ने उन लोगों को नकार दिया जिन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है, जिन्होंने काले धन की पीढ़ी की मदद की है।

यहां के बुद्धिजीवियों सहित सभी राजनीतिक दलों से, जो बहुत चतुराई से बहस कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि हम उस बुद्धिमत्ता और उस रचनात्मकता का उपयोग यह देखने के लिए करें कि भविष्य में काले धन पर कैसे अंकुश लगाया जाए, देश में काले धन को कैसे वापस लाया जाए। मैं ईमानदारी तेलुगु देशम पार्टी से महसूस करता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने ईमानदारी से एस.आई.टी. नियुक्त की जो सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट सेवा कर रही है। हम सभी को दल, क्षेत्र और धर्म से परे देश के लिए काम करना चाहिए, देश की अखंडता को बनाए रखना चाहिए, देश के चरित्र को बनाए रखना चाहिए। यह समय की अत्यावश्यक मांग है।

मैं एस.आई.टी. के संविधान का बहुत समर्थन करता हूँ। मैं काले धन की जांच के लिए ईमानदारी से एस.आई.टी. नियुक्ति के लिए सरकार को बधाई देता हूं। परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक समिति नियुक्त की जाए कि कराधान में सुधार कैसे किया जाए ताकि भविष्य में काला धन सृजन न हो।

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदय, कल सदन के अडजर्न होने के बाद जब मैं बाहर निकला तो तेलंगाना से मेरे बहुत से मित्र आए हुए थे। वे बोल रहे थे कि ब्लैक मनी पर हंगामा हुआ और सदन में छाता लेकर आए कि ब्लैक मनी वापस लाओ। लेकिन सभी लोग यह बोलते हैं कि ब्लैक मनी तो पॉलीटिशयन्स के पास में है। फिर यह लोग क्यों चिल्ला रहे हैं कि ब्लैक मनी वापस लाओ, ब्लैक मनी वापस लाओ। पब्लिक तो इसलिए परेशान है कि आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, इसके लिए तो हमें चिल्लाना चाहिए कि ब्लैक मनी बाहर निकालो। लेकिन यह तो इस तरह से हो रहा है कि उलटा चोर कोतवाल को डांटे। मैं हैदराबाद में सत्य सांई निगम में गया था, वहां एक प्रवचन हो रहा था। वहां मैं भी बैठकर सुन रहा था कि लाखों-करोड़ों रुपये स्विस बैंकों में जमा है। अगर यह पैसा वापस आता है तो 27 या 30 स्टैप्स पर जो टैक्सेशन हो रहा है, वह किसी को पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसको जो करेगी, वह बीजेपी सरकार ही करेगी। अब मोदी जी की सरकार आ गयी है तो यह ब्लैक मनी जरूर ले आएंगे। हर गावं में हर आदमी और हर बच्चे को यह आशा थी।

इसके अलावा लोगों ने देखा कि पहले के समय में केवल कुछ जाति विशेष के लोग ही सड़क पर झाड़ू मारा करते थे, लेकिन जब से मोदी जी ने झाड़ू पकड़ा है, तब से हर फिल्म स्टार, हर स्पोर्ट्समैन झाड़ू पकड़ने लगा। आज देश का हर आदमी झाड़ू पकड़ रहा है। इसमें जांत-पांत का कोई भेद नहीं रह गया है। हर आदमी में कॉन्फीडेंस आ गया है कि मोदी जी जो करेंगे, जो बोलेंगे, वही होने वाला है। इस तरह से हर आदमी को आज यही आशा है कि मोदी जी चाहेंगे तो ब्लैक मनी वापस आ जाएगी।

आज जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, यह यहीं नहीं रुकनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह पैसा वापस आना चाहिए। [अनुवाद] लेकिन मुझे पता लगा है कि स्विट्ज़रलैंड ने बैंक खातों की कोई पिछली जानकारी देने पर सहमति नहीं जताई है। [हिन्दी] इसका मतलब यह है कि वह आज के अकाउंट होल्डर्स की इनफोर्मेशन तो वह देंगे, लेकिन पुराने अकाउंट होल्डर्स की इनफोर्मेशन नहीं देंगे। इससे क्या होने वाला है? [अनुवाद] काले

धन की जानकारी के बारे में देशों के बीच समझौते हुए हैं। वे कौन से देश हैं जिनके साथ ये समझौते किए गए हैं? [हिन्दी] आप इस को सभा पटल पर रखें। [अनुवाद] इसके अलावा जिन पार्टियों के पास ब्लैक मनी नहीं है, सर्वसम्मति से हर कोई इस उद्देश्य का समर्थन करेगा; वे इस उद्देश्य का समर्थन करेंगे; वे इस धन को वापस लाने की कोशिश करेंगे; इस कारण से, हर कोई इसका समर्थन करेगा। प्रधानमंत्री जी को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। यह वित्त मामला नहीं है; यह भ्रष्टाचार पर है; यह वह पैसा है जिसे आप छीन रहे हैं। [हिन्दी] तेलंगाना में निजाम की बहुत सी कीमती ज़मीनों को बेचने के बाद वह पैसा बाहर के देशों में भेजा गया है। हमें चाहिए कि प्रधान मंत्री जी भी हमें जवाब दें कि जो तेलंगाना के पैसे हैं, वे कब वापस आ रहे हैं और हमारा तेलंगाना जो नया बना है, उसको हम कब डवलप कर सकेंगे? दोनों के दोनों यानी एक तरफ बीजेपी भी वही है और कांग्रेस भी वही है। हरेक वही वादे करते जा रहे हैं। पब्लिक को आज तक किसी ने बताया नहीं है। हम किसके ऊपर भरोसा करें?

[अनुवाद] मैं आसानी से कह सकता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। [हिन्दी] आज तक दोनों ये ही वादे करते आए हैं लेकिन मेरे ख्याल से आपको यह बताने के लिए चांस मिल रहा है। अगर सौ दिन में नहीं ला पाएं तो दो सौ दिन में ले आओ। लेकिन पैसा ले आओ। ...(व्यवधान) मुझे किसी ने एक ई-मेल वर्ष 2009 में भेजा था । [अनुवाद] ऐसा कहा गया है कि स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा सभी देशों के कुल पैसे से अधिक है। इसने दावा किया कि 2006 में स्विस बैंकिंग एसोसिएशन की प्रतिवेदन के अनुसार कुछ देशों के नागरिकों द्वारा स्विट्जरलैंड में बैंक जमा और भारत की राशि 1456 बिलियन डॉलर, रूस-470 बिलियन डॉलर, यूनाइटेड किंगडम-390 बिलियन डॉलर, यूक्रेन-100 बिलियन डॉलर और चीन-96 बिलियन डॉलर है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, इस व्यापार के लिए जो समय आवंटित किया गया था, वह दो घंटे का था। यदि सभा सहमत है तो हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं और इस बीच हमें दो विधायी कार्य पूरे करने हैं जो मानव

संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित हैं। इसलिए, श्री जितेन्द्र रेड्डी के बाद, हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं यदि सभा सहमत हो और फिर हम अन्य कार्य पूरा कर सकते हैं... (*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) :महोदय, बिलों पर कल विचार किया जा सकता है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, यह एक प्राथमिकता थी जिस पर चर्चा की गई थी। श्री खड़गे जी ने सहमति व्यक्त की थी कि हम इसे कल ले जा सकते हैं क्योंकि मंत्री जी दूसरे सदन में हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कल, अध्यक्ष महोदय और आप इस बात पर सहमत हुए थे कि दो घंटे पर्याप्त नहीं हैं और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। यदि आप कल से शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। कल, प्रश्नकाल के तुरंत बाद, हम इस कार्य को शुरू कर सकते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, हम इस कार्य का निर्णय करेंगे। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हमें दूसरे सदन की सुविधा देखनी होगी.... (*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: आपको स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि कल यह जारी रहेगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, हमें दूसरी सभा की सुविधा भी देखनी है। यदि आप चाहते हैं कि मंत्री जी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ हों, तो उन्हें यहाँ होना चाहिए। मुझे लगता है कि श्री रेड्डी द्वारा अपना बयान पूरा करने के बाद, हमें इसे पूरा करने के लिए दूसरे सभा के साथ समन्वय करना होगा। तो, हमें उस बिंदु की सराहना करनी होगी ... (*व्यवधान*) क्या आपको लगता है कि यह कार्य उचित उत्तर दिए बिना समाप्त होगा? तो, कृपया इसे आगे बढ़ाएं।

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : सर, पहले मेरी बात समाप्त होने दीजिए। [अनुवाद] सबसे ज्यादा इंडिया का ही पैसा वहां फंसा हुआ है और [अनुवाद] प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया में जी-20 की बैठक में काले धन का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री जी ने काले धन वाले सभी डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच आम सहमति बनाने में मदद की है। [हिन्दी] आस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने यह बोला है,[अनुवाद] कि काला धन वापस लाया जाएगा और उन लोगों के नाम प्रकाशित किए जाएंगे जिनका पैसा वहां जमा है। [हिन्दी] उन्होंने वहां जाकर भी लोगों को आश्वासन दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बहुत जल्दी से माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपना नाम कमाया है, उसी तरह से आगे देश का नाम बढ़ाने के लिए और चूंकि पांच साल का तो उनका विजन है। यह उनका पांच साल का टर्म है, यह उनका अगले पांच सालों के लिए विजन है, मैं सोचता हूं कि यह काम जल्दी करके प्रजा की सेवा करने के लिए प्रजा को यह पैसा दिलायें। [अनुवाद] इतना ही नहीं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बहस का जवाब देने का अनुरोध करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि श्री अरुण जेटली जी का बहस का जवाब लोगों के लिए संतोषजनक होगा। प्रधान मंत्री जी के आने के बाद इसके ऊपर उन्हें लोगों को यह आश्वासन देना चाहिए कि ये पैसे हम कब लायेंगे और इसके पीछे कौन लोग हैं? यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप लोगों को छोड़ देते हैं तो फिर से काला धन उत्पन्न हो जाएगा। [हिन्दी] हमारा मतलब एक जगह पर पैसा लाने से नहीं हैं, पैसा लाने से यह बीमारी नहीं रुकती है, बल्कि इसे और जनरेट नहीं होना चाहिए और फिर से वापस भेजने का काम भी नहीं होना चाहिए और प्रधान मंत्री जी को कलप्रिट्स के नाम हाउस में रखने चाहिए। बीजेपी ने यह जो स्टैप लिया है, यानी इलैक्शन से पहले इन्होंने जो वायदा किया है और ये लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने एसआईटी दिया है। [अनुवाद] उन्होंने काले धन को वापस लाने के लिए एस.आई.टी. और सभी का गठन किया है। मैं उसकी सराहना करती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सभा में आएं और हमें इस विषय पर आश्वासन दें।

माननीय सभापति: यदि सदन सहमत हो जाता है, तो हम प्रश्नकाल के बाद कल चर्चा जारी रख सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं आपसे और रूडी जी से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कल हमारे सहयोगी श्री वीरप्पा मोइली किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। इसलिए, मैं अब एक वक्ता को समायोजित करना चाहूंगा और उसके बाद विधेयक पर विचार किया जा सकता है। यह एक साधारण अनुरोध है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, माननीय अध्यक्षपीठ इस पर निर्णय ले सकते हैं।

माननीय सभापति: श्री खड़गे जी, समस्या यह है कि आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अब सभा का समय बढ़ाया गया है और इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूँ। आप चर्चा के लिए समय बढ़ा रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हमें समय मिलेगा। अगर ऐसा स्ट्रिक्टली बोलोगे तो हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा।

माननीय सभापति : महोदय: मैं केवल एक स्पीकर को अनुमति दूंगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी: श्री ओवैसी जी आपत्ति जता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय को निर्णय लेना चाहिए। वह यह पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। यदि वह एक मुद्दा है और यदि वह सहमत हैं, तो हम इसे समाप्त कर सकते हैं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : महोदय, मैं श्री रूडी जी का बहुत आभारी हूं कि वह मेरे बारे में बहुत चिंतित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा और पूरे दिल से उनसे अनुरोध करूंगा कि चर्चा को जारी रखें।

श्री राजीव प्रताप रूडी: यह संभव नहीं है।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : आपके मन में मेरे प्रति बहुत सम्मान है और यही बात यहां भी है।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं और इसी कारण हम आज के कार्यसूची में अन्य मद को उठाएंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी: श्री मोइली जी पांच मिनट बोल सकते हैं।

माननीय सभापति: श्री मोइली जी, आप पांच मिनट बोल सकते हैं।

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्कबल्लापुर) : माननीय सभापति , महोदय, इस विषय पर मुझे बोलने का समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम राष्ट्र और उसके संसाधनों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उन कुछ सदस्यों द्वारा जिस प्रकार से इसे निपटाया जा रहा है, वह एक राजनीतिक मुद्दा जैसा लग रहा है। जो कुछ भी कहा गया है, हम उसे बरकरार रखना चाहते हैं। यहां सवाल कुछ इस प्रकार है कि काले धन को रोकने के बारे में, एक हिस्सा यह है जो देश के अंदर मौजूद है और दूसरा हिस्सा ऐसा है जो कर चोरी या अन्य तरीकों से प्राप्त किया गया है, और एक और हिस्सा ऐसा है जो उसे वित्तीय क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए छिपा गया है, जैसे कि आतंकवाद और ड्रग तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए है। ये दो महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर देश को एक होना है।

लेकिन साथ ही, श्री मोदी जी ने देश को आश्वासन दिया है कि वह वह हर एक का पैसा वापस लाएंगे और और देश के प्रत्येक नागरिक को रु. 15 लाख मिलेंगे। इसका मतलब है कि उन्होनें इसका आकलन किया था। उन्होंने बाबा रामदेव द्वारा कही गई बातों की पुष्टि की और 2011 में एक समिति द्वारा किए गए कार्यों की भी पुष्टि की, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की थी, जो अब एन.एस.ए. प्रमुख हैं।... (*व्यवधान*) यह सब ठीक है। अध्यक्ष या नहीं, वह वहां थे क्योंकि इसका उल्लेख पहले किया गया था। वह नाम उस प्रतिवेदन का पहला नाम है। इसके अलावा, श्री वैद्यनाथन भी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में वहां मौजूद थे। ये वे लोग हैं जिन्होंने नाम दिए और इसका समर्थन श्री एल. के. आडवाणी द्वारा किया गया है। इसका मतलब है कि यह एक प्रामाणिक आंकड़ा है। आज, वह उस आंकड़े से पीछे नहीं हट सकते।

जब श्री लालकृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता काला धन इकट्ठा करते थे, तो वे तत्कालीन सत्ता पक्ष द्वारा दिए गए उत्तरों पर बहुत ध्यान देते थे और सदन में उपस्थित रहते थे। लेकिन आज, मैं उन्हें ऐसा नहीं पाता। मुझे लगता है कि वे इस सरकार के प्रदर्शन से पूरी तरह से निराश हो चुके हैं क्योंकि वे पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। उन्होंने देश को पूरी तरह से विफल कर दिया है और उन्होंने अपने स्वयं के वरिष्ठ नेता को भी विफल कर दिया है।

इसके अलावा, श्री रोहतगी, जो वर्तमान सरकार द्वारा नियुक्त अटॉर्नी-जनरल हैं, ने अदालत को बताया कि ज्यादातर लेनदेन जो खुलासे में सामने आए थे, वे 1999-2000 के दौरान हुए थे। इसका मतलब है कि ये लेनदेन एन.डी.ए. शासन के दौरान हुए थे। मुझे लगता है कि उनके पास इसके लिए एक स्पष्टीकरण है।

मैं अपने विचारों को विस्तार से नहीं बता रहा हूं। मैं केवल कुछ बिंदुओं को संज्ञान में ला रहा हूँ। इस सरकार के खिलाफ, बी.जे.पी. सरकार के खिलाफ काले धन के मुद्दे पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज़ हुआ। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, वह काले धन के मुद्दे पर कार्रवाई के संबंध में इस सरकार में अविश्वास की अभिव्यक्ति है।

मैं सिर्फ दो या तीन वाक्यों को उद्धृत कर सकता हूँ जिनका उनके द्वारा उल्लेख किया गया था। "कृपया गोपनीयता प्रमाण पत्र न दें। हम सरकार से नाराज हैं। हम नहीं चाहते कि विदेशों में काला धन जमा करने वाले इसका लाभ उठाएं।" दूसरी बात, उन्होंने कहा है, 'हम काले धन को सरकार के पास वापस लाने का मुद्दा नहीं छोड़ सकते. उस समय आपकी सरकार थी। यदि इसे आप पर छोड़ दिया जाए, तो यह हमारे समय में कभी नहीं होगा।

उनका तीसरा बिंदु यह है। "आपका काम सुप्रीम कोर्ट और एस.आई.टी. को नाम देना है। हमने जांच कार्य करने के लिए एस.आई.टी. का गठन किया है। केंद्र सरकार को बैठने और सर्वोच्च न्यायालय के साथ

सहयोग करने के अलावा कुछ नहीं करने देना चाहिए। " यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आप दावा करना चाहते हैं कि एस.आई.टी. का गठन आपके द्वारा किया गया है। एस.आई.टी. का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आप यह काम नहीं कर सकते। यह आपकी सरकार पर की गई अंतिम निर्णय है, अंतिम आलोचना है। फिर भी याद रखें कि आपने कुछ तथ्यों पर आधारित वादा किया है।

अब मुद्दा यह है कि इस मामले में तीन एजेंसियाँ या राष्ट्रीय संस्थानें शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिवेदन सौंप दी है। आपने इस पर क्या कार्रवाई की है? एस.आई.टी. अंततः मुख्य रूप से इस मामले में गत के संबंधित मुद्दों की जांच करेगी। अधिक से अधिक वे पोस्टमार्टम कराएंगे। लेकिन आपकी कार्य योजना क्या है?

श्री मोदी जी ने गति, मात्रा और कौशल के बारे में कहा है। इन तीनों "एस" का क्या हुआ? कोई 'स्पीड' नहीं है, और कोई 'स्केल' नहीं है। आप 'स्केल' को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। अगर आपमें कोई 'कौशल' बचा है तो आप उस 'कौशल' को उपयोग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो, आप इन सभी मामलों में विफल रहे हैं।

आज, '*द इकॉनोमिक टाइम्स*' में एक बहुत ही दिलचस्प संपादकीय आया है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इसे पढ़ा है। इसके कैप्शन में लिखा है, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के छह महीने: प्रदर्शन भावना से बहुत पीछे रह गए हैं"। यह कांग्रेस पार्टी या हम में से किसी ने नहीं कहा है। यह '*द इकॉनोमिक टाइम्स*' द्वारा कहा गया है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। इसमें "*अच्छे सितारे, भाग्यशाली तारे*, की बात की गई है, बल्कि *अच्छे दिन*, सुखद समय" की नहीं। यह सरकार के बारे में छह महीने बाद कहा जा सकता है। बेशक, आपकी उपलब्धि तंग धन नीति है। लेकिन विकास, चाहे क्रेडिट का हो या जी.डी.पी. का, निराशाजनक है। बैंक दिवालिया होने के कगार पर हैं। … (*व्यवधान*) मैं सिर्फ दो मिनट के भीतर पूरा कर दूंगा।

बैंक दिवालिया होने के कगार पर हैं। वे बंद हो रहे हैं। जब सभी एन.पी.ए., को एक साथ रखा गया है, तो वह अब जीडीपी के 20 या 25 प्रतिशत पर आ गया है। लगभग दस बैंकों में सी.एम.डी. नहीं हैं।

मैं फिर से विभिन्न संस्थानों के कामकाज पर वापस आता हूँ। सी.एम.डी. की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है। आर.बी.आई. गवर्नर सी.एम.डी. को नियुक्त करता है। फिर उसी गवर्नर ने नियुक्ति रद्द कर दी। इसका मतलब है कि किसी बाहरी एजेंसी का हस्तक्षेप होता है। फिर, संस्थान कैसे बने और विकसित रहेंगे? देखें कि बैंक दिवालिया हो रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा एक भी कदम नहीं उठाया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि नेपोलियन ने भाग्यशाली सेनापतियों को पक्ष वालों को, न कि योग्यताओं वालों को। यही कारण है कि कुछ मंत्री राजस्थान में ज्योतिषियों की तलाश में जा रहे हैं। … (*व्यवधान*) यह एक तथ्य है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूं जो तथ्य नहीं है। यही आप कर रहे हैं। नेपोलियन ने भाग्यशाली जनरलों का चयन किया। श्री मोदी जी ने भी भाग्यशाली जनरलों का चयन किया है। आखिरकार, नेपोलियन के साथ क्या हुआ? उसने जंग को एक अप्रत्याशित जनरल, यानी 'सर्दी', से हार गए। यही आपके साथ अंततः होने वाला है।

आपको पैसा वापस नहीं मिल सकता क्योंकि बहुत सारी जटिलताएं हैं। अंत में, नेपोलियन की तरह, श्री मोदी जी भी अपने वाटरलू से मिलेंगे। यह आपकी सरकार का भाग्य होगा। यह होने जा रहा है।

हम जानना चाहते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। यू.पी.ए. सरकार ने कई कदम उठाए हैं। यदि आपके पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान हैं, तो आपको निश्चित रूप से यू.पी.ए. सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की संख्या पता चल जाएगी। वे सजग हैं। आप उन्हें लेने भी नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। तब आप कुछ उपलब्धि हासिल करेंगे। लेकिन आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। श्री मोदी जी आठ देशों का दौरा कर चुके हैं। अगर उन्होंने उनसे काले धन का पता लगाने की दिशा में सहयोग करने का अनुरोध किया है, तो कम से कम आप एन.आर.आई. से कुछ दान एकत्र कर सकते थे और हमारे देश को फायदा हो सकता था। क्योंकि, आखिरकार,

एन.आर.आई. यहां पैसे के नंबर एक जमाकर्ता हैं। आपने यह नहीं किया है। वैसे भी, मैं अब अपना भाषण जारी नहीं रखना चाहता। हम ठोस कार्रवाई चाहते हैं। हम आपको काला धन वापस लाने का आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा। आपने सौ कदम पीछे हटा लिया है। आप ऐसा करने की स्थिति में नहीं होंगे।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जैसा कि हमारे नेता जी ने कहा, राष्ट्र से, हमारी पार्टी से नहीं; उन्हें संसद से माफी मांगनी चाहिए कि वह ऐसा करने में विफल रहे। कम से कम, उसे अपनी कमी का एहसास होना चाहिए। अन्यथा, केवल वाद-विवाद और वक्तव्य आगे बढ़ाए जाएंगे और अंत में पीड़ित लोग देश की जनता और वह पैसा जो छिपाया गया है, सब कुछ की तरह गायब हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय सभापति : यह चर्चा कल भी जारी रहेगी।

अपराहन 4.57 बजे

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 -जारी |

माननीय सभापति: कल चर्चा की गई सूचीबद्ध मद के अनुसार, हम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 के बारे में मद संख्या .15 के लिए जाएंगे।

अब मैं श्री राजीव सातव जी को बोलने के लिए बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति जी, सरकार द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी बिल 2014 पर यह चर्चा जारी है। यह जो बिल सदन के सामने लाया गया है, जब यह बिल मैं पढ़ रहा था और इस बिल का जो ड्राफ्ट सदन के सामने रखा गया है, मंत्री जी और उनके आधिकारियों ने भी इस ड्राफ्ट को पूरी तरह से पढ़ा है, इसके बारे में मुझे शंका है। [अनुवाद] इन्होंने शेड्यूल सैक्शन 4(1) में कहा है कि चार इंस्टिट्यूट्स हैं - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी इलाहाबाद, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, ग्वालियर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैनुफैक्चरिंग, जबलपुर, और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैनुफैक्चरिंग, कांचीपुरम। इन चारों इंस्टिट्यूट्स के अभी के नाम और जो नाम वे बदलना चाहते हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। ग्वालियर का जो इंस्टिट्यूट है, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, ग्वालियर, इसका अभी भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एंड मैनेजमैंट है जो पहले से है और अभी भी इनकी वैबसाइट पर है। यानी, जो बिल इन्होंने प्रिपेयर किया है, इस बिल की भी तैयारी

करके सदन के सामने सरकार आई है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जल्दबाजी में यह बिल इन्होंने सामने रखा है। अब सरकार यह कहेगी कि यह हमारा बिल नहीं है, यह तो आपकी सरकार ने रखा था। हमारी सरकार के वक्त अगर कुछ गलती हो गई है तो उस गलती को भी आपने सुधारकर इसमें बदलाव लाना चाहिए, यह आपसे अपेक्षा है। ...(व्यवधान) बड़ा दुर्भाग्य है कि सदन के सामने आप जो बातें रख रहे हैं, वे गलत बातें रख रहे हैं और यदि आप यह कहते हैं कि आपके समय में हुआ, तो हमसे गलतियाँ हुई होंगी, इसलिए हम अभी विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आपको भी उस बारे में बदलाव करना चाहिए, यह मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से इसमें मेहनत होनी चाहिए, जिस तरह से इसमें सोच लगनी चाहिए, वह सोच सरकार द्वारा इसमें नहीं लगी है। [हिन्दी] जिस प्रकार से इलाहाबाद की इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, ग्वालियर है या जबलपुर और कांचीपुरम के संस्थान हैं, बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं। इन संस्थानों से जो बाहर आता है, उसको जॉब मिल रही है, उसका अपना एक स्टेटस बना हुआ है। इसीलिए जब यह ऑटोनॉमस बॉडीज़ अच्छी तरह से काम कर रही हैं तो इन को सरकार के अंदर लाने में सरकार की क्या मंशा है यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। [अनुवाद] आप राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का नाम इसको देना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आप इसको लाना चाह रहे हैं, सरकारी संस्थान इसको बनाना चाह रहे हैं, यह बात इस संस्था के आगे के भविष्य के लिए ठीक नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

अगर सभी संस्थानों का आप सरकारीकरण करना चाह रहे हैं, अगर आने वाले समय में सभी संस्थानों में एक ही एजेंडा चलाने की आपकी मंशा है, तो इसे हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि, आई.आई. टी. से जो बच्चा निकला है, उसका अपना एक स्टेटस है। आप इसे अगर पूरी तरह से सरकार की बॉडी बनाना चाहते हैं तो यह कहीं न कहीं गलत है। जब हम यह बिल देख रहे थे तो हमने देखा कि इसमें बोर्ड आफ गवर्नेंस किस प्रकार से

नियुक्त करने का प्रावधान रखा है। [अनुवाद] इन्होंने कहा है कि हम बार्ड आफ गवर्नेंस सामने लाएंगे, केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित तीन नामों के पैनल में से सभापति होंगे, यानी केंद्र सरकार जो तीन नाम देगी, उसमें से इसका सभापति चुना जाएगा। इसमें दूसरा व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंध सचिव, यानी सरकारी आदमी। तीसरा आदमी उच्चतर शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, यानी तीसरा सरकारी आदमी। चौथा - संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, यानी चौथा भी सरकारी आदमी। पांचवा रिप्रेजेंटेटिव आई.आई.टी. के निदेशक, आई.आई.एम. के निदेशक, यह ठीक है, लेकिन दोनों केंद्र सरकार द्वारा नामित है। [हिन्दी] यानी सभी लोग यदि सैंट्रल गवर्नमेंट नोमिनेट कर रही है, तो यह जो संस्थान हम नेशनल इम्पोर्टेंस का बनाना चाहते हैं, क्या सही मायने में ये इंडिपेंडेंट संस्थान होगा। जो अपेक्षा रखकर सदन में आप यह बिल लाए हैं, क्या वह अपेक्षा पूरी हो पाएगी? महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वह अपेक्षा पूरी नहीं होगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह रहेगा कि इसमें और बदलाव की जरूरत है और यह बदलाव लेकर ही आप सदन के सामने आइए।

इसमें काउंसिल का प्रोविजन भी किया है। [अनुवाद] इन्होंने कहा है कि एक परिषद् होगी और उस काउंसिल का चेयरपरसन मिनिस्टर होगा। परिषद निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। केंद्र सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री जी परिषद के सभापति होंगे।

परिषद का कार्य क्या है? परिषद् का कार्य है भर्ती की विधि की नीति निर्धारित करना, विकास योजना की नीति निर्धारित करना और वार्षिक बजट की जांच करना है। [हिन्दी] यानी मिनिस्टर इन संस्थानों को डायरैक्ट कंट्रोल करेगा। अगर मंत्री इन संस्थानों को डायरैक्ट कंट्रोल करेगा, तो मिनिस्टर को ही डायरैक्ट उसका चेयरपरसन बना दीजिए। अगर सभी पर सरकार का नियंत्रण रखना है और इन संस्थानों को कुछ भी इंडिपेंडेंस नहीं देना है, किसी भी तरह से इनका जो सैंटर आफ एक्सीलेंस का स्टेटस है, इसे ही डिस्टर्ब करने की बात है। [अनुवाद] इसके बाद अगर आप काउंसिल के फंक्शन देखेंगे तो निदेशक मण्डल की शक्तियाँ और

कार्य तथा परिषद के कार्य और कर्तव्य एक-दूसरे से पूरी मेल खा रही है। यह पता नहीं है कि गवर्नेंस ने क्या करना है और काउंसिल ने क्या करना है।

[हिन्दी]

मैं आपके जरिए सरकार के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि इसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। जिस तरह से इसका सरकारीकरण करने की बात हो रही है, जिस प्रकार से भाजपा सरकार द्वारा अपना एजेंडा सौंपने की बात इसमें हो रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। इसमें कहा कि चार संस्थान भविष्य में इस नाम से जाने जाएंगे। एक संस्थान का नाम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर तो वर्ष 2002 में ही रख दिया गया था। लेकिन इलाहाबाद की इंडियन इंस्टिट्यूट आफ इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी है, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की 125वीं वर्षगांठ हम बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेहरू जी का वे बहुत सम्मान करते हैं। अगर सही मायने में सरकार इस इंस्टिट्यूट को पंडित जी का नाम दे तो पंडित जी की 125वीं वर्षगांठ पर पंडित जी का सम्मान करने की बात इसमें हो सकती है।

<u>अपराह्न 5.04 बजे</u>

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, आप आसन पर बैठे हैं। मैं तमिलनाडु के कांचीपुरम के इंडियन इंस्टिट्यूट आफ इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी डिजाइन एंड मैनुफेक्चरिंग इंस्टिट्यूट की बात कहना चाहता हूं। आप तमिलनाडु से आते हैं और तमिलनाडु से बहुत बार सांसद बने हैं। मैं एक और मांग आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप बाकी संस्थानों का नाम बदल रहे हैं तो कांचीपुरम के इस संस्थान को भी के. कामराज जी का नाम देना चाहिए। इस बिल में यह जो बदलाव करने की बात है तो ये बदलाव किए जाएं। इसमें और भी मोडिफिकेशंस किए जाएं।

यह केवल एक सरकारी संस्थान न बने, इसे सिर्फ मंत्री या उनके अफसर न चलाएं, आपके ज़रिए हम अपनी यह बात इसमें रखना चाह रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, इस बिल को सरकार वापस ले। हमने जिन बदलावों के लिए यहां पर कहा है, उन बदलावों को करके, जैसे इलाहाबाद के इंस्टीच्यूट को पंडित जी के नाम पर करके, कांचीपुरम के इंस्टीच्यूट को कामराज का नाम देकर इसे पास करें।

इन्होंने इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पूरा सरकारीकरण कर दिया है। इसमें पूरी सरकारी काउंसिल बिठाने का जो इनका प्लान है, इसमें बदलाव कीजिए, नहीं तो यह देश के भविय के साथ एक खिलवाड़ होगा। देश की आने वाली पीढ़ी इस बारे में इस सरकार को माफ नहीं करेगी।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष, महोदय। सबसे पहले मैं सरकार का स्वागत करता हूं और नवगठित आई.आई.आई.टी. को आई.आई.टी. का दर्जा देने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह सचमुच दिल को छू लेने वाला है। मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व है। मेरे मित्र विधेयक में मौजूद कुछ खंडों की आलोचना कर रहे थे। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस अधिनियम में तीन चरण हैं। एक राज्यपाल हैं; दूसरा सीनेट हैं; तीसरा परिषद हैं। यदि आप पूरे विधेयक को पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि परिषद थोड़ा अनुशंसात्मक प्राधिकरण है। ऐसा नहीं है कि सभी निर्णय परिषद द्वारा लिए जाएंगे। परिषद और यहां तक कि सीनेट भी सिफारिश करेंगे। अगर संसद द्वारा निर्णय लिया गया है, तो प्रबंधन मंडल को यह अधिकार होगा कि वे उन निर्णयों को संशोधित करें या उन्हें स्वीकृति दें जो परिषद या संसद द्वारा लिए गए हों।

जहां तक विधेयक का संबंध है, उद्देश्य एक मॉडल शिक्षा स्थापित करना है। वह शैक्षणिक मॉडल वैश्विक शिक्षा के मानक से है। हम इसके माध्यम से वैश्विक नेतृत्व, वैश्विक उद्यमशीलता विकसित करना चाहते हैं। मुझे आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इन चार संस्थानों को अंततः सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। पूरा पैसा सरकार देती है। तब, स्वाभाविक रूप से नियंत्रण सरकार के पास होगा। आप उन्हें उनके साथ कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते। आप उन्हें संस्था के साथ कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते। शिक्षा, विकास, और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, वे संस्थान में जो कुछ भी सुझाव या सिफारिश करना चाहें, उनकी मर्ज़ी होगी और प्रबंधन मंडल उसे अनुमोदित करेगा। इन संस्थानों की कल्पना अनुसंधान-आधारित संस्थानों के रूप में की गई है जो चयनित क्षेत्रों में आई.टी. के अनुप्रयोग के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन आई.आई.टी. द्वारा उत्पादित छात्रों की संख्या कम हो सकती है लेकिन उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रभाव पर्याप्त होंगे। ऐसा ही कहा गया है। लेकिन साथ ही मैं सरकार को

आगाह करूंगा। अतीत में क्या हुआ है? उन छात्रों को देखें जो आई.आई.टी. से स्नातक होते हैं और उनमें से कुछ बड़े विश्वविद्यालयों से होते हैं। ये सभी जानकार छात्र, नवोन्मेषी छात्र विदेश जा रहे हैं। हमारा ज्ञान विदेश जा रहा है। हम अपने ज्ञान का निर्यात कर रहे हैं। अमेरिका को देखें, अमेरिका में नासा और अन्य संस्थानों में आपको कई भारतीय छात्रों को देखने को मिलेगा। हम इस ज्ञान को देश के अंदर रखने के लिए क्या करने वाले हैं? मुझे फिर से आशंका है, पिछले कुछ समय में थोड़ी मंदी थी। जब वैश्वीकरण और निजीकरण किया गया था, जब शिक्षा विभाग में भी उदारीकरण किया गया था, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए थे। कई छात्र इंजीनियर बन गए। उन्हें नौकरियां मिलीं; शुरू में, विशेष रूप से आई.टी. क्षेत्र में, विशेष रूप से कंप्यूटर क्षेत्र में अच्छे पैकेज मिले। लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ? यू.एस. में मंदी के कारण उन्हें कंपनियों से हटा दिया गया था।

आई.टी. क्षेत्र में भी मंदी रही। ऐसे में सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है। जितनी भी बुद्धिमत्ता विदेश जा रही है, वह देश के अंदर रखी जानी है। सरकार को यह देखना होगा कि उन्हें जो सुविधाएँ, जो लाभ, जो सुविधाएँ चाहिए, वे सभी उन्हे प्रदान की जानी चाहिए। यू.एस. कंपनियां इन लड़कों को लुभा रही हैं। वे वहां जाते हैं और अच्छे पैकेज प्राप्त करते हैं।

मैं यहां यह बताना चाहूंगी कि इन्फोसिस और विप्रो जैसी कई कंपनियों ने मंदी के दौरान भारत में अपने कर्मचारियों को कम किया है। अतः, मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस बात का ध्यान रखें कि ये जानकार छात्र हमारे देश से विदेश न जाएं। शुरू में हम इंजीनियरिंग मांगते हैं, फिर हम पूछते हैं कि क्या वह इंजीनियर है और उसकी अतिरिक्त योग्यता है, तभी उसे नौकरी मिलती थी। अब, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं इन सभी आई.आई.टी. को शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस विधेयक को लाने और इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व में लाने के लिए सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, धन्यवाद। मैं सूचना और प्रौद्योगिकी विधेयक, 2014 के भारतीय संस्थानों की चर्चा में भाग लेना चाहूंगा।

महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा 14 अगस्त को सभा में विधेयक को पुरःस्थापित किया गया था। मुझे लगता है कि इसे स्थायी समिति को भेजना बेहतर होगा ताकि इसे अच्छी तरह से जांचा जा सके, क्योंकि कई सांसदो ने कहा है कि इस विधेयक में शामिल या शामिल नहीं किए जा सकने वाले कई बातें हैं। ऐसे विधेयकों को और अधिक सही बनाने के लिए हमारे पास स्थायी समितियों का गठन है। इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन इस विधेयक को पारित करने से पहले ऐसी एक प्रक्रिया करना बेहतर होगा।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य आई.आई.टी. के मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार करना है। उद्देश्यों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यह विधेयक आई.आई.टी. को स्वतंत्र दर्जा प्रदान करेगा। यह उन्हें राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने का भी प्रस्ताव करता है। मध्य प्रदेश, चेन्नई और उत्तर प्रदेश में चार संस्थान हैं। जैसा कि विधेयक में कहा गया है, इनका मुख्य कार्य सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निर्देश प्रदान करना; प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार करना; परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियाँ प्रदान करना और विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ करना है। यह आवश्यकतानुसार अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव भी करेगा। इसका संचालन कैसे होता है, यह भी बहुत स्पष्ट है। प्रत्येक संस्थान के कार्य का भी बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। प्रत्येक संस्थान का प्रमुख कार्यकारी निकाय निदेशक मंडल है। संसद संस्थान की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी। संस्थान की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक परिषद होनी चाहिए। इन संस्थानों को संगठित और प्रोत्साहित करने के लिए एक अनुसंधान परिषद भी होनी चाहिए। प्रत्येक संस्थान का प्रमुख कार्यकारी निदेशक होगा।

यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि मैं इन सभी कार्यों से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन हमारे पास यह अनुभव है जब हमने 14वीं लोकसभा में स्वयं इस सभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक को पारित किया था। हमारे पास

अनुभव है कि विधेयक को पारित करने के बाद कुल मिलाकर वी.सी. है। कोई सीनेट या सिंडिकेट नहीं होगा। कोई अन्य स्वायत्तता नहीं है। यह सच है कि सीनेट या सिंडिकेट हो सकता है लेकिन इसे वी.सी. द्वारा नियुक्त या नामित किया जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कासरगोड में मेरा अपना अनुभव है। कई तरह के आरोप लगे थे। हम ये संस्थान अच्छे इरादों के साथ बना रहे हैं, लेकिन इसी बीच इन संस्थानों के दुरुपयोग के आसार का ध्यान रखना भी आवश्यक है। इस संस्थान के कार्यों के संबंध में यही मेरी बात है। यही कारण है कि मैंने कहा कि यदि यह संभव है तो इसे स्थायी समिति को भेजा जा सकता है।

इस विधेयक के सामान्य पहलू पर जाते हुए, आजकल हमारे समाज में सूचना और प्रौद्योगिकी को सबसे अधिक प्राथमिकता मिली है। मंत्री जी द्वारा कहे गए अनुसार, किसी भी देश या समाज के विकास की आवश्यकता शिक्षा है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। शिक्षा के क्षेत्र में आई.टी. को महत्व मिला है क्योंकि अनुसंधान और विकास किसी भी क्षेत्र की आवश्यकता और मांग है। यह सत्य है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के बिना कृषि, उद्योग या किसी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ।

एक विकासशील राष्ट्र में, शिक्षा को, अपने सुपरिभाषित उद्देश्य के साथ, बहुत महत्व मिला है। इन्हें अनुसंधान पर आधारित संस्थान भी कहा जाता है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह इस उद्देश्य से भी कहा गया है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग को काफी हद तक बढ़ावा देता है।

मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ, लेकिन आपने जो विकास का उद्देश्य सामने रखा है, उस पर मेरी अपनी आपत्तियाँ हैं।

जब हम विकास या शिक्षा के बारे में बोलते हैं, तो हमारा क्या मतलब है? विकास केवल ऊर्ध्वाधर नहीं होना चाहिए, केवल एक तरफ नहीं होना चाहिए। यह ऊर्ध्वाधर भी होना चाहिए और क्षैतिज भी। जब हम विकास

की उच्च दर के बारे में सोचते हैं तो हम सामाजिक न्याय को कम नहीं कर सकते। बेशक, यह सच है कि हमारे पास ऐसे विशिष्ट संस्थान होने चाहिए।

आर्थिक विकास सामाजिक न्याय से निकटता से जुड़ा हुआ है। केवल आर्थिक विकास के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत से समझौता नहीं किया जा सकता है। विकास की अवधारणा व्यापक होने के साथ-साथ समावेशी भी होनी चाहिए। जब मैं कहता हूँ उन्मुख और समांतर, तब मैं इसी का तात्पर्य रखता हूँ।

इन संस्थानों को अनुसंधान पर आधारित संस्थान के रूप में निर्धारित किया गया है, क्या हम कमजोर वर्गों को भी उचित महत्व देते हैं? उन वर्गों को भी मुख्यधारा में लिया जाना है। मुझे देखने में आता है कि सम्माननीय मंत्री जी जब इस विधेयक को पेश कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण नीति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इस विधेयक में हम इन वर्गों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं सीमाओं को जानता हूं, लेकिन साथ ही हमें उनके बारे में सोचना होगा।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के संबंध में अध्याय 3 में इन वर्गों से व्यक्तियों के नामांकन का कोई उल्लेख नहीं है। उसी अध्याय में सीनेट के संविधान के संबंध में, इन अनुभागों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, हालांकि अन्य सभी अनुभागों के व्यक्तियों को ध्यान में रखा गया है।

इन संस्थानों का हितधारक कौन है? मुझे नहीं लगता कि यह कुलपति या सीनेट या शिक्षक या प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बेशक, उनकी अपनी गरिमा और दक्षता है। मैं उनके योगदान को कम नहीं समझता। लेकिन, मुझे लगता है, इन संस्थानों का वास्तविक हितधारक छात्र हैं।

माननीय मंत्री जी इन छात्रों के लाभ के लिए यह विधेयक लाए हैं। उनके योगदान को गिना जाना चाहिए और उनकी भागीदारी को कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन इन संस्थानों के किसी भी मंच में इन छात्रों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वे अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं?

महोदय, छात्रों के कई उदाहरण हैं विशेष रूप से इस प्रकार के संस्थानों में मानसिक यातनाएं हैं। इस विधेयक में छात्रों के लिए कोई निवारण मंच नहीं है। इसलिए, ऐसे मुद्दे भी सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम छात्रों को बढ़ावा दे रहे हैं और हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। आई.टी. सबसे महत्वपूर्ण चीज है लेकिन साथ ही सामाजिक न्याय को भी ध्यान में रखना होगा और छात्रों को भी महत्व देना होगा। उनका लोकतांत्रिक ढांचा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से गायब है। यही मैंने कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह भी देखा जब हमने 14वीं लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया था। इसलिए, ऐसे मुद्दों को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, एको हम द्वितीय नास्ति, इस सरकार की स्थिति भस्मासुर वाली होती जा रही है। माननीय मंत्री जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। जब-जब किसी को शक्ति मिलती है तो शक्ति का दुरूपयोग इस कदर होता है। हम सिर्फ दो-तीन बातें आपसे कहना चाहते हैं। यह जो सरकारी संस्था है, आज तक हम उस सरकारी संस्था को बहुत सुंदर नहीं बना पाये हैं। हमारी गुणवत्ता उन सरकारी संस्थाओं को बनाने में नहीं लगी है और अब नए-नए तरीके से अन्य सरकारी संस्थाओं को आप आधिकारियों के हाथों में देते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि "बुद्धम् शरणम् गच्छामि', जो आते हैं सिर्फ आधिकारियों को "बुद्धम् शरणम् गच्छामि' इस देश में किया जाता है। क्या अन्य कोई ऐसी संस्था, अन्य कोई ऐसी सामाजिक संस्था वाले लोग इस देश में नहीं हैं, जिनको एकोमोडेट किया जाए और उनको लाकर संस्थाओं को बहुत सुन्दर बनाया जाये।

दूसरी चीज, यह जो बार-बार कुछ लोगों की ही बात आती है, क्या इस देश में सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह, महात्मा फूले, पेरियार, बाबू वीर कुंवर सिंह, राष्ट्रकवि दिनकर, जे.पी., लोहिया, डा. अम्बेडकर, सरदार पटेल, जैसे लोग नहीं हैं, जिनके नामों से कुछ भी खोला जा सकता है? क्या अन्य चीजें नहीं हो सकती हैं? निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात आई, वहां वे रहे हैं, वे फूलपुर से चुनाव लड़े हैं, उनका संविधान में योगदान है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन इन सारी महान विभूतियों के बारे में, हमारे राष्ट्र कवि रविन्द्र नाथ टैगोर हैं।...*(व्यवधान)* मैं टैगोर जी की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* यदि इन्टरप्रटैशन में जाइएगा तो हम लोग हमाम में सब नंगे हैं। मेरे संदर्भ और मेरी भावना को समझिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार जिस किसी के नामों को लाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम को लाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। [अनुवाद] लेकिन देश में अन्य विभूतियां भी हैं - नानक

भी हैं, कबीर भी हैं, गुरूगोविन्द सिंह जी भी हैं, इस देश में बहुत सारे लोग हैं, बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं, सबके के नामों से हो, मेरा आपसे आग्रह है कि निश्चित रूप से इन चीजों पर जरूर ध्यान दिया जाए।

तीसरे, जो कैंपस सेलेक्शन की बातें होती हैं। हिन्दुस्तान में जो आई.आई.टीज के कॉलेज हैं, जो भी चीजें हैं, जो गरीब बच्चे हैं, आप बेटी-बेटी बार-बार कहते हैं, स्मृति ईरानी जी, आप बेटियों के बारे में बार-बार कहती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ एकाधिकार के अलावा सरकार गरीब मध्यवर्गीय बच्चों, दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्गों की बेटियों के लिए आई.आई.टीज. जैसी संस्थाओं में, उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए क्या कोई प्रावधान ला रही हैं?

स्मृति ईरानी मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आई.आई.टी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, क्या वे सिर्फ विदेशों में जाकर नौकरी करेंगे या हिन्दुस्तान में भी आई.आई.टी करने वाले छात्र या किसी भी तकनीकी संस्थान से पास करने वाले भारतीय छात्र हिन्दुस्तान में काम कर पाएंगे? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

ये तीन-चार मेरे सब्मिशन थे और इनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता था। आप आधिकारियों के मनोबल को इतना ऊँचा मत बढ़ाइए। अन्य संस्थाओं के जो वैचारिक, बौद्धिक, अध्यात्मिक और ऊर्जावान लोग हैं, उनको लाकर एकोमोडेट करिए और निश्चित रूप से सुंदर संस्था बनाइए और अपनी संस्था को गुणवत्ता वाला बनाइए और प्राइवेट संस्थाओं पर जो हमारा देश डिपेंड है, उसको कम करिए। यह मेरा आग्रह है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सभी सांसदों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर अपने सुझावों और अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। हमारे जो वरिष्ठ सांसद कासरगोड, केरल से हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। उन्होंने यह चिंता व्यक्त की है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को रैफर किया जाए। साल 2013 में, आई.आई.आई.टी. बिल को स्टैंडिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत किया गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने जो-जो चिंताएं व्यक्त की, जो-जो सुझाव दिए, इस बिल को लाने से पहले जितने भी हेल्पफुल ऑबजरवेशंस थें, उन्हें इसमें समाविष्ट किया गया है। कल आदरणीय वेंकैय्या नायडू जी ने, जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो डा. गौड़ा, शायद सदन में नहीं हैं, उनके भाषण के बाद, डा. गौड़ा को अपनी कॉम्पलिमेंट्स दी थीं और कहा था कि बहुत ही सकारात्मक चर्चा इस बिल पर हुई है। [अनुवाद] मेरा यह सौभाग्य रहा है कि कल मैंने कविता जी को सुना, दुष्यंत चौटाला जी आज यहां नहीं हैं, कई नौजवान सांसदों ने भी स्वर से स्वर मिलाकर आई.आई.आई.टी. के इस बिल पर अपने सुझाव व्यक्त किए हैं। [हिन्दी] कुछ चिंताएं भी इन्होंने हमसे बातचीत के दौरान हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। मैंने कल जब इस सदन में इस पर चर्चा की थी, तब यह कहा था कि सदन में कल जो चर्चा का माहौल था, वह देश को इस बात का संकेत दे रही थी कि इस सदन में शिक्षा पर राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि राष्ट्रनीति का प्रमाण यह सदन दे रहा है। लेकिन, अध्यक्ष जी आज बड़े दुःख के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ, मेरे एक साथी, जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, उन्होंने इस बिल के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को संदेह के दायरे में लाने का प्रयास किया है। कहीं न कहीं अपने प्रस्तुतीकरण में यह संकेत दिया कि यह बिल सोच-समझकर नहीं लाया गया है। मैं उस माननीय सांसद से बड़ी विनम्रता के साथ आग्रहपूर्वक कहना चाहती हूं कि ट्रिपल आईटी का जो भी गवर्नैंस स्ट्रक्चर है, वह आईआईटी, एनआईटी की तरह ही है। [अनुवाद] आई.आई.टी. और एन.आई.टी. की शासन संरचना संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। [हिन्दी] इसलिए इस गवर्नैंस स्ट्रक्चर पर प्रश्न चिन्ह लगाना मतलब पार्लियामैंट की गरिमा पर, पार्लियामैंट की विज़डम और एक एक्ट ऑफ पार्लियामैंट पर

प्रश्न चिन्ह लगाना है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, उन्होंने आपका उल्लेख किया और ट्रिपल आईटी कांचीपुरम का भी उल्लेख किया। [अनुवाद] एक बार कैनेडी ने कहा था --- "मैं यहां अतीत का दोष ठीक करने के लिए नहीं हूं, मैं यहां भविष्य के लिए रास्ता ठीक करने के लिए हूं।" [हिन्दी] आज कुछ गलतियों को मेरे कांग्रेस के उस मित्र ने स्वीकारा और मैंने तब कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि, हमारा काम है। जनता ने हमें विश्वास देकर, वोट देकर इस सदन में इसलिए भेजा है ताकि हम पुरानी गलतियों को सुधार सकें। यह बिल पहले भी आया था लेकिन पारित नहीं हुआ। इस बिल के माध्यम से कितने लोग सशक्त होंगे, शायद इस बात का माननीय सांसद को अंदाजा नहीं है। आप कांचीपुरम के वर्ष 2008 के बैच के स्टूडैंट से जाकर पूछिए, जिन्हें आज तक वर्ष 2014 में भी डिग्री नहीं मिली है। इस बिल के माध्यम से हम उस गलती को भी सुधार रहे हैं, यह मैं इस सदन को कहना चाहती हूं।

[अनुवाद] कल कविता जी ने अपनी चिन्ता को व्यक्त करते हुए कहा कि क्या हम संस्थानों के विस्तार को सीमित कर सकते हैं ताकि हम गुणवत्ता में सुधार कर सकें? [हिन्दी] मैं उनसे कहना चाहूंगी कि क्या विद्या को रोककर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। यह अपने आप में एक चिन्ता, चर्चा का विषय होना चाहिए। हमारा प्रयास यह है कि अब हमारे पास जो इंस्टीट्याूशन्स हैं, उनमें हम कैसे गुणवत्ता के सुधार का प्रयास करें या फिर कैसे गुणवत्ता को बढ़ाएं।

यहां एक चिन्ता व्यक्त हुई।*...(व्यवधान)*

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : इसमें कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जो बढ़ानी है*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : मैंने अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है। मुझे आशा है कि मेरे बात समाप्त होने के बाद, आप अपनी बात उठा सकते हैं... (*व्यवधान*) मैं कविता जी का उल्लेख कर रहा हूँ। मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। तो, मुझे खत्म करने की अनुमति दें।

माननीय उपाध्यक्ष: श्रीमान रेड्डी जी, कृपया बैठें।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदय, आप मुझे समाप्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

मैं उनसे कहना चाहूंगी कि दो-तीन विषयों पर चिन्ता व्यक्त हुई - एक, फैकल्टी के बारे में दूसरा, रिसर्च के बारे में और तीसरी, इम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि फैकल्टी को दुरुस्त करने के लिए अथवा सुदृढ़ करने के लिए हमने कई कार्यक्रम तय किए हैं, कई प्रयास हम अभी कर रहे हैं और हमारी इच्छा यह है कि यह प्रयास निरंतर चलता रहे और इस प्रक्रिया में अगर कविता जी अथवा कोई भी सांसद अपना मार्गदर्शन अथवा सुझाव देना चाहे, कोई नया आइडिया देना चाहे तो मैं उसका भी स्वागत करूंगी।

[अनुवाद] वर्तमान में हमने फोर टायर पे स्ट्रक्चर आई,आई.टी. में बनाया है जिसे हम ट्रिपल आईटी में भी लागू करेंगे ताकि सिस्टमात्मक रूप से खुले विज्ञापन के माध्यम से सबसे अच्छे शिक्षक लाए जा सकें।

[हिन्दी] मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे आईआईटीज़ में और ट्रिपल आईटी में भी यही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर फैकल्टी की भी खोज होती है। कल अहलुवालिया जी ने एक आह्वान किया कि क्या हम विश्वभर में उन हिन्दुस्तानियों को दुबारा अपने देश बुला नहीं सकते जो डंके की चोट पर इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने विद्या तो हिन्दुस्तान में पाई, लेकिन आज उस विद्या को लक्ष्मी का रूप हम लोग भारत की सीमा के बाहर दे रहे हैं। [अनुवाद] मैं आदरणीय अहलुवालिया जी से कहना चाहती हूं, माननीय प्रधान मंत्री के दिशा-

निर्देश अनुसार ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स हमने मंत्रालय में शुरू कर दी है। विश्वभर से जो बैस्ट एकेडेमिशियन्स हैं, विशवभर से जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें अगले एकेडेमिक वर्ष में भारत में निमंत्रित कर कम से कम एक सेमिस्टर भारत सरकार स्वंय फंड करेगी ताकि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षाविद् अपनी संस्थानिक संस्थाओं में आएं और हमारे बच्चों को पढ़ाएं।

जब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की चर्चा होती है, कल और आज भी कई सांसदों ने इस चिन्ता को व्यक्त किया कि हमारे अनुसंधान में हमारे देश में पैसे खोजने की समस्या है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेक-इन-इंडिया अभियान के अलावा अगले साल हम थिंक-इन-इंडिया अभियान शुरू कर सकते हैं।

कल रेनुका जी ने अपनी चिन्ता को व्यक्त करते हुए कहा था - चलिए हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा के मुद्दों और चुनौतियों का सामना करें।.[हिन्दी] हम कोशिश कर रहे हैं कि साइंस और मैथ्स की तरफ इन्क्लेनैशन को बढ़ायें, रिसर्च की कैपेसिटी को बढायें, लेकिन साथ ही उस रिसर्च को टाइम बाउंड इक्विटी भी मिले। उसके लिए भी कोई एक स्ट्रक्चर बनाने का हमारा प्रयास है। [अनुवाद] हम उद्योग, उच्च शिक्षा, और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सलाहकार संस्थान काउंसिल को संचालित करने की प्रक्रिया में हैं, और उस काउंसिल में आई.आई.टी., आई.आई.एम. और -- इस सभा की आशीर्वाद से -- आई.आई.आई.टी. का प्रतिनिधित्व भी होगा, ताकि उद्योग के कप्तानों और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ वे हमें भविष्य के अनुसंधान, अनुदान, और आज के अनुसंधानकर्ताओं को कैसे कल के उद्यमी बनाने में मदद कर सकें।

[हिन्दी] मैं रिसर्च और ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ ऐकेडेमिक नेटवर्क के साथ-साथ एक बहुत बड़ा, पी. डी. राय जी ने कल सुझाव दिया था कि जो हमारा नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन है, उसके साथ ट्रिपल आईटी का हम कोई कन्वर्जन्स देखें और डिजाइन इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक आभिन्न अंग है। मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में बी.टेक. की एक डिग्री डिजाइन एंड मैनुफैक्चुरिंग

में दी जाती है। [अनुवाद] आई.आई.टी. जबलपुर में मास्टर्स की एक डिग्री है, जो डिजाइन में उपलब्ध करायी जायेगी, लेकिन इस एक्ट के पास होने के बाद हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के तत्वों और संस्थानों में अधिक समन्वय है।

उपाध्यक्ष जी, यहां पर एक चिन्ता यह भी व्यक्त हुई कि क्या हम साइंस के साथ लिबरल आर्ट्स का मिश्रण अपने स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं, ताकि उन्हें समग्र शिक्षा मिलती है। [हिन्दी] मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगी कि हम लोग यह पॉसिबिलिटी आलरेडी एनआईटी और आईआईटीज में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ह्यूमेनिटीज और सोशल साइंसेज के डिसिप्लिन आलरेडी आईआईटीज में पढ़ाये जा रहे हैं और यही कोशिश हम ट्रिपल आईटीज में भी करेंगे, ऐसा मैं आप सबको आश्वासन देती हूं।

उपाध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी की सीआईआई की एक स्किल इंडिया रिपोर्ट, 2014 में लिखा है कि --

"... [अनुवाद] यह आई.टी. उद्योग 3.5 मिलियन कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करेगा।

[हिन्दी]

मैं यह बताना चाहूंगी कि इस बिल के पारित होने के बाद हम उस गैप को एड्रैस करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जितने सांसदों ने अपने वक्तव्यों को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया, जितना सुझाव, जितना समर्थन दिया और राष्ट्र के नव-निर्माण में जो योगदान दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देने से पहले मैं कहना चाहती हूं कि पप्पू यादव जी ने तीन बातें इस बिल के बारे में कहीं हैं। एक यह है कि कैम्पस का जब चुनाव होता है तो उसमें थोड़ा बहुत, इन्होंने महिलाओं और लड़कियों की दृष्टि से चर्चा की थी कि कोई ऐसा प्रावधान है, जिसमें हम लोग टेक्नीकल एजुकेशन में लड़कियों की एंट्री फैसिलिटेट कर सकें? मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि 11 नवम्बर, एजुकेशन डे पर हमने प्रगति नाम की एक स्कॉलरशिप अपनी बेटियों के लिए लांच की,

जो एआईसीटीई के माध्यम से लांच हुई। इसमें विशेष रूप से जो मैरिटोरियस बेटियां हैं, एससी-एसटी, माइनोरिटी के जो स्टूडैंट्स हैं, उन्हें स्कॉलरशिप के साथ-साथ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किये जाते हैं, ताकि वे पढ़ें और ऐसे टेक्नीकल इंस्टिट्यूट्स में फिर एडमिशन लें। इन इंस्टिट्यूट्स में एडमिशन ज़ी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होता है।

यादव जी, आपको सुनकर खुशी होगी कि ज़ी एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम देने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट हजार रुपये भरता है। उस हजार रुपये में से सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करने के बाद जो पैसा बचता है, उसे हमने पहली बार छात्रों को लौटाने का प्रयास किया है। हमने उड़ान नाम की एक स्कीम बनायी है, जिसमें सभी छात्रों को और विशेषतया माइनोरिटी, एससी-एसटी और लड़कियों के लिए रिसोर्सेज मुफ्त में उपलब्ध कराये हैं, ताकि वे कम्पीटिटिव एग्जाम्स में बैठ सकें। हमने विशेषतया ऐसी हजार लड़कियां चुनी हैं, जो मैरिटोरियस हैं। इनमें से 305 ऐसे परिवार हैं, जो साल का एक लाख रुपया भी नहीं कमाते हैं। उनकी बेटियों को मुफ्त टैबलेट देकर, पूरा रिसोर्स उस टैबलेट पर दिया गया है और चौबीसों घंटे की हैल्प लाइन मौजूद है, ताकि बच्चा जो-जो चैप्टर पढ़े, उसमें अगर कोई प्रश्न करना है तो वह हैल्प लाइन में फोन करके प्रश्न का समाधान पा सके। साथ ही वीकैंड पर मेन्टोर्स, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, वे सब इन बच्चों के लिए मेन्टोर्स बन रहे हैं। वीकएंड पर अपने मैन्टोर्स के साथ पाठ्याक्रम पर चर्चा कर सकते हैं। [अनुवाद] इस उड़ान के कोर्स में जो बच्चे एग्जाम देते हैं, वे जब इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी में भर्ती होंगे, इसमें जितने नंबर पाएंगे, उतनी ही राशि भारत सरकार फीस के रूप में इंस्टिट्यूट को देगी। [हिन्दी] हमारी कोशिश है कि जो बच्चे चुनौती भरे वातावरण में रहते हैं, उनको कहीं न कहीं हैल्पिंग हैंड दें, ताकि वे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। मैं स्वीकार करती हूं कि आज जब हिंदुस्तान में बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आता है तो सब यह देखकर खुश होते हैं कि लड़कियां लड़कों से बेहतर रिजल्ट लाती हैं। लेकिन टेक्नीकल एजुकेशन में लड़कियां मात्र 22 प्रतिशत

ही जा पाती हैं। यादव जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने विशेष रूप से बेटियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है।

मैं बस यही कहना चाहती हूं कि ट्रिपल आईटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर आईआईटी की तर्ज पर इसलिए भी ,है ताकि गवर्नेंस का इश्यू जो भी हो, एकेडेमिक इश्यू जो भी हो, लीडरशिप का इश्यू जो भी हो, एक्सटर्नल पियर रिव्यू जो आईआईटीज़ में होता है वह ट्रिपल आईटीज़ में भी होगा, ताकि हम अपने संस्थानों को और बेहतर कर सकें। इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजिज़ ट्रिपल आईटी में भी होंगी। आईआईटी मद्रास का रिसर्च पार्क अपने आप में सुनहरा उदाहरण है कि कैसे एक संस्थान इंडस्ट्री के साथ रिसर्च को आगे बढ़ाती है और अपने स्टूडेंट्स के लिए एम्पलाएबलिटी बढ़ाती है। हम इसी तर्ज पर ट्रिपल आईटी में भी काम करेंगे।

मैं मात्र आज यह कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में विशेषतः कांचीपुरम के छात्रों को आपने जो विद्या का आशीर्वाद दिया है, मानव संसाधन विकास मंत्री होने के नाते उस आशीर्वाद के लिए मैं विद्यार्थियों की ओर से सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि कुछ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं को सूचना प्रौद्योगिकी में नई जानकारी का विकास करने की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विश्व स्टार की जन शक्ति का उपबंध करने और ऐसी संस्थाओं से सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक कुछ अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 से 50

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 50 विधेयक का भाग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 50 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं एक संक्षिप्त हस्तक्षेप करूंगा क्योंकि हम कल बहस में भाग नहीं ले सके थे।

यह विधेयक लाने के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जो चार आई.आई.आई.टी. को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देगा - मध्य प्रदेश में दो, उत्तर प्रदेश में एक और तमिलनाडु में एक, और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, चूंकि मैं भौतिकी के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूं, इसलिए मैं सूचना प्रौद्योगिकी के संस्थानों की स्थापना में समस्याओं और कमी को इंगित करना चाहता हूं।

मूल रूप से, जब हम छात्र थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को 'भौतिकी' पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में पढ़ाया जाता था; फिर, इसे 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' के नाम से अलग से पढ़ाया जाने लगा; फिर, इसे 'कंप्यूटर विज्ञान' के रूप में पढ़ाया जाने लगा; फिर, कंप्यूटर विज्ञान से सूचना प्रौद्योगिकी को अलग करना शुरू कर दिया गया है और इसे अलग से पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन समस्या यह है कि आई.टी. केवल छात्रों को कुछ प्रोग्राम सिखाने, यहां तक कि जावा जैसे कठिन कार्यक्रम भी शामिल नहीं हैं। इसमें उन्हें एनीमेशन या डेस्कटॉप प्रकाशन आदि जैसी कुछ सुविधाएं पढ़ाना भी शामिल नहीं है। कोई भी जो इसमें विशेषज्ञ बनना चाहता है, उसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को जानना होगा, कंप्यूटर का निर्माण कैसे किया जाता है । फिर, उसे कंप्यूटर विज्ञान को जानना होगा कि कंप्यूटर संरचना कैसे तैयार की जाती है। फिर, उसे सीखना होगा कि कंप्यूटर का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कैसे किया जा सकता है। मेरे राज्य में, मैं कई निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को जानता हूं। बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के वे सूचना प्रौद्योगिकी को पढ़ा रहे हैं। यह सबसे सस्ता व्यवसाय है। आप कुछ कंप्यूटर स्थापित करते हैं और आप कहते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि वे थोड़ा एनीमेशन सिखाते हैं, वे थोड़ा प्रोग्रामिंग सिखाते हैं लेकिन उनके पास कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के विज्ञान का कोई समग्र दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा क्योंकि वह एक तकनीकी व्यक्ति

नहीं हैं कि उन्हें इस हिस्से पर ध्यान देना चाहिए। आई.आई.आई.टी. का पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स या ट्रांजिस्टर या कंप्यूटर और फिर सूचना प्रौद्योगिकी से शुरू होने वाली पूरी प्रक्रिया का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त हो। इसीलिए, मैंने कुछ संशोधन दिए थे जिनका मैं ज़िक्र करना चाहता था। आपने कहा है कि सभापति एक प्रमुख प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ या उद्योगपति या शिक्षाविद् होना चाहिए। एक प्रख्यात वैज्ञानिक को क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए? सूचना प्रौद्योगिकी आखिरकार विज्ञान का एक हिस्सा है। बेसिक विज्ञान का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति भी इसका हिस्सा बन सकता है।

इसी तरह, जब आपने निर्देशक को चुना, तो आपको एक खोज समिति मिली और इस तरह, आप निर्देशक को चुनेंगे। किसी संस्थान का निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आपको यह उल्लेख करना चाहिए कि प्रमुख वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ या सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ होने चाहिए। इस स्तर पर, संशोधन देने में बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि मंत्री जी ने बहुत ईमानदारी दिखाई और उनका कदम उन लोगों के लिए आशा साबित कर रहा है जो लंबे समय से आई.आई.आई.टी. से डिग्री प्राप्त नहीं कर रहे हैं, विशेष रूप से उन्होंने कांचीपुरम के बारे में उल्लेख किया था। इसलिए, मैंने कहा कि मेरे पास विधेयक के खिलाफ कुछ नहीं है। सरकार को याद रखना चाहिए कि शिक्षण सूचना प्रौद्योगिकी एक सस्ता व्यवसाय नहीं होना चाहिए जहां छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के विज्ञान के कुल दृष्टिकोण के बिना डिग्री मिलती है।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: मैं माननीय सदस्य को उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए तथा शिक्षा में अपनी समृद्ध पृष्ठभूमि देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यह हमारे लिए अत्यंत सहायक होगा। मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि आईआईआईटी छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के अलावा उन्नत अनुप्रयुक्त विज्ञान के पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जा रहे हैं। हमने राजनीति या नौकरशाही से स्वतंत्र वैज्ञानिकों का एक समूह भी तैयार किया है, जो हमें शोध लक्ष्य दे रहे हैं, दस विषयों पर दस शोध लक्ष्य, उनमें से एक नैनो-प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और डेटा विश्लेषण भी है। इसलिए, शोध लक्ष्य

के आधार पर, हम उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम भी निर्धारित करेंगे। उन्होंने बताया है कि वह चाहते हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वैज्ञानिक पर विचार किया जाए। मैं कहना चाहूंगी कि वर्तमान में भी, जब हम नामांकित करते हैं-उदाहरण के लिए, मुझे एन.आई.टी. भोपाल के सभापति के रूप में एक महिला वैज्ञानिक को नामित करने का सम्मान मिला-स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, हमने दो महिलाओं को आई.आई.टी. परिषद में नियुक्त किया। उनमें से एक टेस्सी जॉर्ज महोदय होते हैं। मैं आपकी इस चिंता का संज्ञान लेती हूं कि वैज्ञानिकों को शासन संरचना के एक हिस्से के रूप में लिया जाए ताकि वे अपने अनुभव से शिक्षाविदों को समृद्ध कर सकें। हम इसे ध्यान में रख रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव रख सकती हैं।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: मैं प्रस्तुत करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.54 बजे

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 - जारी

माननीय उपाध्यक्ष: अब, सदन केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर आगे और विचार कर सकता है- श्रीमती के. गीता।

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2014 पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं बिहार में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के सरकार के फैसले की सराहना करती हूं जो बिहार राज्य की जरूरतों को पूरा करेगा। विधेयक में कहा गया है कि चूंकि बिहार बड़ा राज्य है, इसलिए दूसरे विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। मैं इसके लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करती हूं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय वास्तव में बहुत अच्छे बुद्धिजीवियों को बढ़ावा देने में बहुत सक्रिय रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों के छात्र देश की समृद्धि को पूरा कर रहे हैं। देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बहुत सारी विधाएं पढ़ाई जा रही हैं। हमारे पास हैदराबाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नौकरशाही पृष्ठभूमि से आते हुए मैं इस तथ्य को जानता हूं कि कई नौकरशाह, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में हैं, वे हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। यह एक बहुत ही सम्मानित संस्थान है और लोगों को लगता है कि उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना सौभाग्य की बात है। भारत में बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है। हमें इन विश्वविद्यालयों की बहुत अधिक आवश्यकता है।

जबकि मैं इस तथ्य की सराहना करती हूं कि बिहार को दूसरा विश्वविद्यालय बनाने पर विचार किया गया है, मैं एच.आर.डी. के माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगी कि वे हमारे आंध्र प्रदेश राज्य पर विचार करें। आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत, आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और आदिवासी

विश्वविद्यालय को भी मंजूरी दी गई है।- महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि एक केंद्रीय दल था जो एक आदिवासी विश्वविद्यालय के स्थान के संबंध में राज्य का दौरा कर रहा था। यह विधेयक वास्तव में विश्वविद्यालय के स्थान पर निर्णय लेते समय किसी विशेष क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करता है। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है वास्तव में इसे लक्षित समूह की जरूरतों को पूरा करना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए एक अच्छा प्रस्ताव दिया है। मैं आन्ध्र प्रदेश के एकमात्र आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र से हूँ। उन्होंने जो भूमि सुझाई है, वह केंद्र में स्थित है और वहां के आदिवासियों के लिए यह एक बहुत ही संवेदनशील स्थान है। यह आदिवासी समुदाय की पहुंच में है। यह ओडिशा और छत्तीसगढ़ की जरूरतों को भी पूरा करता है क्योंकि वे सुझाए गए भूमि के बहुत करीब हैं। यह एक बहुत ही शांत वातावरण में एक सुंदर भूखंड पर स्थित है। हमारे यहां के माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार को 2000 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हैं।

मैं उस केंद्रीय समिति के साथ थी जो इस प्रस्ताव की समीक्षा के लिए आई थी। लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि फैकल्टी वहां विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए इतनी दूर यात्रा नहीं कर पाएंगे। वे वहां उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चिंतित थे। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि उस आदिवासी क्षेत्र में विश्वविद्यालय के आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप विकसित हो जाएगा, जिसकी अब पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। नाम से ही पता चलता है कि यह एक जनजातीय विश्वविद्यालय है। आन्ध्र प्रदेश के आदिवासियों की यह भी भावना है कि जनजातीय विश्वविद्यालय एक ऐसे जनजातीय क्षेत्र में स्थित होना चाहिए जो वास्तव में वहां के सभी लोगों को उस स्थान तक पहुंचने में सुविधाजनक हो।

इसलिए, मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कृपया उस स्थान पर विचार करें जो हमारे माननीय मंत्री जी ने दिया है। यह आंध्र प्रदेश के पूरे आदिवासी समुदाय के लिए सुलभ होगा। इतना

ही नहीं, महोदय, कई बुद्धिजीवी छात्र हैं जो उपेक्षित रहे हैं और कई आदिवासी छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं ताकि वे भी राष्ट्र की संपत्ति बन सकें। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया इस प्रस्ताव पर विचार करें।

धन्यवाद, महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए।

श्री एम. बी. राजेश (पालक्काड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2009 के अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और उन्हें शामिल करना था। अब जब हम एक और राज्य में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह उच्च शिक्षा और विशेष रूप से विश्वविद्यालयों की स्थिति पर चर्चा और बहस करने का अवसर है।

महोदय, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा की स्थिति आज गंभीर और कठोर चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल ही में विश्वविद्यालयों की एक वैश्विक रैंकिंग हुई है और कोई भी भारतीय विश्वविद्यालयों दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं हुआ है। किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय को दुनिया के पहले 200 विश्वविद्यालयों में जगह नहीं मिली है! यह स्वयं देश में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के विचित्र स्थिति को दर्शाता है।

भारत में सकल नामांकन अनुपात 15 प्रतिशत से ऊपर है या शायद, 20 प्रतिशत से नीचे है। दुनिया में कहीं भी विकसित सभी देशों में, यह अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक है - यू.एस. में, यह 77 प्रतिशत है; दक्षिण कोरिया में यह 98 प्रतिशत है। अब, हम एक महाशक्ति बनने की बात कर रहे हैं और हम जनसांख्यिकीय लाभांश, ज्ञान समाज, ज्ञान अर्थव्यवस्था आदि के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति क्या है? हम अपनी आबादी की युवा पीढ़ी को सशक्त किए बिना महाशक्ति कैसे बन पाएंगे? उचित उच्च शिक्षा प्रदान किए बिना हम जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ कैसे उठा पाएंगे?

दूसरा, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में हज़ारों पद रिक्त हैं। सरकार – चाहे पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार – ने कम से कम शैक्षणिक पदों को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। उचित शिक्षण कर्मचारी प्रदान किए बिना, फैकल्टी प्रदान किए बिना, आप भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति में कैसे सुधार करने जा रहे हैं?

तीसरा, विश्वविद्यालयों में, यहां तक कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। उच्च शिक्षा के सबसे बड़े हितधारक छात्र हैं। लेकिन उनके पास कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। इसलिए, मेरी मांग है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र हो।

आंतरिक मूल्यांकन के नाम पर विश्वविद्यालयों में वास्तव में आंतरिक उत्पीड़न चल रहा है। हम समाचार पत्रों की उन प्रतिवेदनों के गवाह हैं जिनमें दर्जनों छात्र हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को यह जांच करनी चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसा क्यों हो रहा है और इतनी बड़ी संख्या में छात्र आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पहलू को गंभीरता से लेंगे और इस पर प्रतिक्रिया देंगे।

शिक्षा के स्तर या शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ रही है। सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। उच्च शिक्षा प्रणाली का सांप्रदायिकरण चल रहा है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमला या देशद्रोह चल रहा है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या हो रहा है? संस्थानों के प्रमुखों के रूप में, जिन लोगों के पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है या जिनके पास कोई शैक्षणिक प्रतिष्ठा नहीं है, उन्हें प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। इन सभी से देश में उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है।

तो, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सरकार को उच्च शिक्षा की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और सरकार को अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को उच्च शिक्षण संस्थानों पर थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

कुमारी सुष्मिता देव (सिलचर): श्री उपाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 का उद्देश्य बिहार राज्य में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करना है। मुझे नहीं लगता, इस सभा का कोई भी सदस्य वास्तव में खड़ा होगा और इस विधेयक का विरोध करेगा। मुझे भी खुशी है कि विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा जा रहा है। इसके संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है।

मुझे याद है कि बजट सत्र में, जब माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी ने बोला, तो उन्होंने बार-बार अपर्याप्त खर्च के संबंध में चेतावनी दी थी। इस विधेयक में, मैंने देखा है कि शुरू में, इस विश्वविद्यालय के लिए रु. 240 करोड़ की राशि प्रदान कि गई हैं। माननीय मंत्री जी को मेरा विनम्र सुझाव होगा कि यह नया विश्वविद्यालय बिहार में होना चाहिए, लेकिन इस सरकार का कर्तव्य है कि वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन सभी शैक्षणिक संस्थानों पर गौर करे जो पूर्ववर्ती सरकार ने भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए थे। क्या उस पैसे का उपयोग किया गया है? यह लोगों का कीमती धन है।

बहुत संक्षेप में, मैं कहूँगी कि यहां के मेरे विद्वान सहयोगी ने कहा है कि उनके राज्य में जमीन दी गई है और वहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि दूरदराज के क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय प्राप्त करने में क्या लगता है। मैं कछार जिले से आती हूँ और राजीव जी ने हमें वहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया। लेकिन मुझे कहना है कि जब आप केंद्र सरकार से धन प्रदान करते हैं, तो सड़क संपर्क और परिवहन सेवाओं के लिए प्रावधान होना चाहिए जो एक विश्वविद्यालय को उस अधिकार क्षेत्र के सभी

क्षेत्रों के लिए सुलभ बनाता है। इसलिए, एक विश्वविद्यालय को सफल और सुलभ बनाने के लिए, परिसर के भीतर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर होना पर्याप्त नहीं है।

दूसरा, मैं यह बताना चाहूँगी कि यह एक तथ्य है कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालय रिक्तियों के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, जब हम आज एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना पर चर्चा कर रहे हैं, तो माननीय मंत्री यह विचार कर सकते हैं कि भर्ती नीतियों को केंद्रीकृत करें, विशेष रूप से सहायक और सहायक प्रोफेसरों के *संदर्भ में*, क्योंकि हम कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उन्हें भर्ती नहीं कर पा रहे हैं जो दूरस्थ इलाकों में हैं और शहरों से दूर हैं। यह इस तरह के अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देता है जो उच्च शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता को संदर्भित करता है।

मुझे आशा है कि ये टिप्पणियाँ समझी जाएंगीं और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह मंत्रालय इसके साथ ही कुछ प्रकार की प्रोत्साहन या प्रेरणा भी प्रदान करेगा कि बड़ी कॉर्पोरेट्स और कंपनियाँ अंततः इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भर्ती के लिए जाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरों को समाज में लाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उन्हें उनके राज्य में और परिसर में भर्ती होने का अवसर देना होगा।

महोदया, हमारे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है। मैं कहना चाहूँगी कि आपके बारे में हाल की कुछ मीडिया कवरेज जिसमें बताया गया है कि आपने एक संगठन के साथ कई बंद दरवाजे की बैठकें की हैं, जो सख्त राजनीतिक है, वह हमें चिंतित कर रही है। मुझे आशा है कि यह केवल एक खराब प्रचार है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि वास्तव में शिक्षा एक मजबूत राष्ट्र की नींव है जिसे आपने स्वयं प्रश्नकाल में कहा था।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आबादी वाले राज्य बिहार में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, वह भी उत्तर बिहार में, वह भी मोतिहारी, चंपारण में, जो गांधी जी की *करम भूमि* थी, जहा उन्होंने नील बागान मालिकों के खिलाफ और नील किसानों के पक्ष में आंदोलन शुरू किया था। इसलिए इस हद तक हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

महोदय, 2009 में, केंद्र सरकार के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम नामक एक अधिनियम था। उस अधिनियम के तहत, बिहार में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था; गुजरात में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था; हरियाणा में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था; हिमाचल प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था; जम्मू और कश्मीर में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे; ओडिशा में कोरापुट के बहुत दूरदराज के क्षेत्र में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था; पंजाब में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था; राजस्थान और तमिलनाडु में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। इसका उद्देश्य हर राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना था।

अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के संस्थानों की बहुत मांग है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कौन सी सरकार है लेकिन आम तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय उच्च स्तर के होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित आई.आई.टी. उच्च मानक के हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित भारतीय प्रबंधन संस्थान उच्च स्तर के हैं। यहां तक कि केंद्रीय विद्यालय भी बहुत उच्च स्तर के हैं और उनकी बहुत अधिक मांग है। इसलिए, यह ठीक है कि हर राज्य में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विश्वविद्यालय हों और हमेशा इसके लिए और ज्यादा मांग रहती है। जब कोई आंदोलन या कोई अन्य समस्या होती है, तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया जाता है जैसे हैदराबाद को पहले एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया गया था। सिलचर को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया गया था। तो, यह मांग की जाती है।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

लेकिन इसे देखते हुए मैं विनम्रता से कहूंगा कि पश्चिम बंगाल राज्य में अब केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो स्वर्गीय रवींद्र नाथ टैगोर, गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्वभारती विश्वविद्यालय है, और 1951 में इसे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था। हमारा राज्य आबादी वाला राज्य है। हमारी आबादी बिहार की आबादी से ज्यादा है। इसलिए, हम एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय के हकदार हैं। बंगाल को गंगा नदी भी दो हिस्सों में विभाजित करती है। इसलिए, यदि केंद्र आगे बढ़कर एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, तो हम इसका बहुत स्वागत करेंगे और मुझे विश्वास है कि यदि केंद्र अपनी मंशा जाहिर करेगा, तो राज्य सरकार उसके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराएगी।

माननीय उपाध्यक्ष: सदस्यगण, अब छह बज चुके हैं। यदि सभा सहमत हो जाता है तो हम विधेयक के समाप्त होने और शून्यकाल समाप्त होने तक विस्तार कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: महोदय, हाँ।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडु) : महोदय, चर्चा का समय समाप्त हो गया है, लेकिन मुझे बताया गया है कि अभी भी एक या दो सदस्य बचे हैं, उन्हें अपनी दलीलें प्रस्तुत करने दें और फिर हमें विधेयक पारित करने दें और फिर सदन को स्थगित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे पास 'शून्य काल' भी है।

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं केवल दो बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। दिल्ली में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। एक दिल्ली विश्वविद्यालय और दूसरा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय भाग्यशाली है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेज विश्वविद्यालय प्रणाली का हिस्सा हैं। लेकिन कुछ स्वायत्तता

देने में हम गंभीर समस्याओं में पड़ जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पिछले कुलपति ने अचानक चार साल का स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को इसे तीन साल का करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया क्योंकि पूरे देश में तीन साल का डिग्री कोर्स था। कुलपति एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। … (*व्यवधान*)

महोदय, अंतिम बिंदु जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा है कि लड़कियां ग्रंथालय नहीं जा सकती हैं। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और माननीय मंत्री को कुलपति के खिलाफ कदम उठाना चाहिए।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार सी.एस.आई.आर. की स्थापना की थी तो उन्होंने कहा था कि उनका इरादा लोगों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना था। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अर्थ है तर्क के अनुसार चलना। अगर अब माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एक ज्योतिषी के साथ चार घंटे बिताते हैं, तो यह उनका व्यक्तिगत कार्य है... (*व्यवधान*) ज्योतिष को विज्ञान का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। उसी तरह, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भगवान गणेश के मामले में, यह एक विश्वास का प्रश्न है, उनका सिर प्राचीन समय में प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण था, यह वैज्ञानिक भावना को प्रोत्साहित नहीं करता। मैं सरकार में उन लोगों से आग्रह करूंगा कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करें, मंत्रालय में या सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो अतार्किक हो। हो सकता है कि आर.एस.एस. शिक्षा के भगवाकरण के लिए उनके ऊपर दबाव बना रहा हो, लेकिन इस देश के बच्चों के हित में कृपया इससे बचें।

श्री एम. वेंकैया नायडूः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्म और आस्थाएँ व्यक्तिगत पसंद का मामला है। कुछ लोगों को यह तर्कसंगत लग सकता है और कुछ लोगों को यह तर्कहीन लग सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें निजी क्षेत्रों में दखल नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है या कोई मंत्री ज्योतिषी के पास जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों को इसे स्वीकार करने में इतनी कठिनाई क्यों है।

प्रो. सौगत राय : यह वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित नहीं करता।

श्री एम. वेंकैया नायडूः वैज्ञानिक क्या है? क्या धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करना वैज्ञानिक है? ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: हमें इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : जब यह श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा बताया गया है, तो हमें सहमत होना होगा। लेकिन मैं उन्हें एक उदाहरण देता हूं। यह मेरा उदाहरण नहीं है। संत तुकाराम ने कहा [हिन्दी] "नवसे पुत्र कन्या स्तितर, पति लागणे काई कारण। " इसका मतलब यह है कि अगर दुआ मांगने से ही आपको संतान की प्राप्ति होती है तो शादी करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय आधिनियम संशोधन विधेयक पर कल से चर्चा हो रही है। मुझे बहुत नहीं बोलना है, सिर्फ हम धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए हैं। हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जहां से इस मांग की शुरुआत हुई। बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। चर्चा हुई कि विश्वविद्यालय बनेगा। चम्पारण के लोगों ने और बिहार के उस समय के माननीय सांसदों ने, सबने मिलकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। [अनुवाद] तत्कालीन सरकार

का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करने वाले जो भी लोग थे, उन्होंने उस समय आंदोलन किया जिसका परिणाम है कि गांधी की कर्मभूमि चम्पारण में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं।

साथ ही साथ जो चर्चा कल से चल रही है, पक्ष और विपक्ष के सभी सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में ही अपनी बात रखी है। इसीलिए माननीय मंत्री जी ने इसके पहले जिस विधेयक पर चर्चा हो रही थी, उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं, शिक्षा के मामले में हम राष्ट्रनीति यहां करते हैं।...*(व्यवधान)* अब आप व्याकरण सिखाइएगा? मंत्री जी ने इसके पहले की चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि शिक्षा पर इस सदन ने इस बात का प्रदर्शन किया है कि हम यहां शिक्षा के मामले में राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति करते हैं। इस विषय पर भी सभी सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में अपनी राय व्यक्त की। मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि इस विषय पर भी इस सदन ने चूंकि शिक्षा से संबंधित विषय है, सभी ने राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की बात कही है। इसलिए मैं इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि जो उपेक्षित इलाका बिहार के चम्पारण का था, इस विश्वविद्यालय की स्थापना से न सिर्फ उस इलाके को बल्कि बिहार के लोगों को भी अत्यधिक लाभ पहुंचेगा।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 'श्रेष्ठ भारत और एक भारत' की कल्पना तथा शिक्षित भारत की कल्पना न हो केवल साक्षर भारत की कल्पना हो तो यह एक श्रेष्ठ भारत और एक भारत की कल्पना की दृढ़ता में कहीं न कहीं कमी आएगी। शिक्षित भारत, नैतिक भारत और आध्यात्मिक भारत- एक उच्च मौलिक आदर्श वाली जो एजुकेशन होती है, जो उच्च एजुकेशन की आप बात करते हैं, जब तक नैतिक और आध्यात्मिक एजुकेशन को आप जीवन में नहीं लाएंगे तथा इस नैतिक और आध्यात्मिक एजुकेशन को आप भगवाकरण से जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो इससे शिक्षा में कहीं न कहीं गिरावटें आएंगी।

मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार और आदरणीय नेता, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार आदि सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया और यह सचाई है कि मोतिहारी से लेकर गया तक इन दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कल्पना की थी, यह बात श्री एम.वैंकैय्यानायडू साहब भी जानते हैं और जिसे लेकर काफी विवाद था। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का यूपीए की सरकार मे निर्णय लिया गया और निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है, इसने इसमें गति दिखाई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बिहार में जो उच्च शिक्षा की रुग्ण व्यवस्था है, क्या माननीय मंत्री महोदय आपका ध्यान बिहार का जो पटना विश्वविद्यालय है तथा अन्य विश्वविद्यालयों की एजूकेशन की जो स्थिति है, क्या उनकी गुणवत्ता की ओर आपकी कोई दृष्टि है?

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि निश्चित रूप से शौचालयों की व्यवस्था हो, लेकिन एजूकेशन में यदि अंतर होगा, यदि एजूकेशन एक नहीं होगी, एजूकेशन की गुणवत्ता यदि ठीक नहीं होगी तो कोई लाभ नहीं है। मैं आपका ध्यान नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और आई.आई.एम. विश्वविद्यालयों की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय के बजट में आपने इस बार कितना पैसा दिया। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि विश्व के इतिहास में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है, ये तीन विश्वविद्यालय विश्व में जाने जाते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में माननीय मंत्री महोदय क्या आपकी कोई सोच है या नहीं, यह मेरा आपसे आग्रह है।

इसके अलावा किशनगंज में अल्पसंख्यकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ए.एम.यू. की शाखा खोली गई है, उसमें आप कितनी राशि दे रहे हैं और जिस केन्द्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी, चम्पारण विश्वविद्यालय के बारे में यहां कहा जा रहा है, उस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए आप कितनी राशि दे रहे हैं। वहां जो उच्च

गुणवत्ता वाले शिक्षकों का वहां प्रवेश होगा, आज जिस तरीके की एजूकेशन बिहार में है, क्या उसी तरह की एजूकेशन की स्थिति केन्द्रीय विश्वविद्यालय़ में होगी, यह मैं आपसे कहना चाहूंगा।

अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नालंदा के विश्वविद्यालय के लिए आप धनराशि दे और जो गया के केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थिति है, उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आपके माध्यम से मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस बिल पर अपने विचारों को व्यक्त किया। मैं इस सदन में एक विशेष आभार अपने वरिष्ठों की अनुमति से व्यक्त करना चाहती हूं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक वरिष्ठ नेता हैं, इनका भारत की राजनीति में एक सुनहरा इतिहास है और आज मुझ पर व्यक्तिगत कटाक्ष करने के लिए इन्होंने संत तुकाराम का उल्लेख किया, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझ जैसी एक छोटी सी महिला के लिए इतने बड़े संत का नाम आपकी जुबान पर आया। लेकिन मेरे पास न उनकी तरह अनुभव है और न मैं वरिष्ठ हूं, लेकिन विद्या के बारे में मैंने जो समझा, सीखा और जाना है, वह मात्र इतना है कि 'विद्या ददाति विनयम्' और उस विनय का परिचय देते हुए मैं मात्र इतना कहना चाहती हूं कि आज का यह अमेंडमैन्ट बिल जो हम पास करने वाले हैं, वह अपने आपमें इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में कितनी ताकत होती है। पिछले तीन सालों से बिहार की विधान परिषद, विधान सभा और बिहार की जनता एकजुट होकर संघर्ष कर रही थी और बार-बार भारत सरकार से कह रही थी कि मोतिहारी में एक विश्वविद्यालय हो और उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाए। यह दिया हमने, लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहती हूं कि यह अहंकार का परिचय नहीं दे रहे हैं, उस लोकतंत्र की आवाज को जो बिहार से उभरी, उसे आज इस सदन में हम सशक्त कर रहे हैं कि जब जनता पार्लियामैन्ट के दरवाजे तक आकर दस्तक देती है और अगर सरकार उस दस्तक को नहीं सुनती तो यह जनता उस सरकार को पलटने की भी ताकत रखती है।

आज सुष्मिता जी ने एक चिंता व्यक्त की कि कुछ लोगों के साथ क्लोज्ड डोर मीटिंग हो रही है।

जब वे कटाक्ष कर रही थीं तो आदरणीय गोगोई जी के साथ बैठी हुई थीं। जिनके पिता असम के मुख्य मंत्री हैं। मैं एक फिर विनय का परिचय देते हुए कहना चाहती हूँ कि मेरी क्लोज़ डोर मीटिंग असम के जो कांग्रेस के मुख्य मंत्री हैं, उनके साथ भी हुई। केरल के मुख्य मंत्री ओमन चांडी जी के साथ भी हुई। सुश्री ममता जी के साथ भी हुई। भारत सरकार की एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा यह धर्म है, मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं इस लोकतांत्रिक देश में हर वर्ग, हर समुदाय, हर व्यक्ति की बात को सुनूं। लेकिन करूं वही जो संविधान की मर्यादा में हो। इसलिए आज मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि संविधान की मार्यादा में रह कर ही भारत सरकार शिक्षा के कई आयामों पर काम करेगी। मेरे धर्म पर, मेरी मान्यता पर थोड़ा-बहुत कटाक्ष हुआ, वह मुझे स्वीकार है। जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, वे इतने भी कमज़ोर नहीं हो सकते हैं कि कटाक्ष को सहन न कर सकें। मैं अपने धर्म का स्पष्टीकरण इस सदन में नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा धर्म इतना बुलंद है कि एक प्रश्न उसे कमज़ोर नहीं कर सकता है। लेकिन आज मेरा जो धर्म इस सदन में है, संसद में है, वह मात्र यह है कि इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से मोतिहारी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो और साउथ बिहार में भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी का काम तेज़ी से आगे बढ़े। यहां पर एक चर्चा की गई कि वैकेंसी पोज़िशंस बहुत खाली हैं। एक चर्चा की गई कि हमें अपनी फैसिलिटीज़ को स्टूडेंट्स के लिए बेहतर करना है। इन सभी चिंताओं को ले कर हमने 12 और 13 सितंबर को चंडीगढ़ में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स के साथ एक मीटिंग की है। उनके समक्ष हमने वैकेंसीज़ के चैलेंजेस को भी रखा है। [अनुवाद] वीसीज़ ने अपना एक्शन प्लान भारत सरकार को भेजा है वे अपने संस्थानों में रिक्तियों को कितनी जल्दी भरेंगे। [हिन्दी] उच्च शिक्षा के बारे में एक चिंता व्यक्त की गई। ग्रास एंरोलमेंट रेश्यो के अंतर्गत बाकी राष्ट्रों के साथ इसको कंपेयर किया गया। [अनुवाद] वर्ष 2012-13 का आंकड़ा यह कहता है कि हमारा जी.ई.आर. 21 प्रतिशत है लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह पर्याप्त है। मुझे पता है कि हमें खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों को प्रभावित किया है कि हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे छात्रों का प्रवेश अधिक हो और हम

छात्रों को माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक उस बाधा को पार करने में मदद कर सकें। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो आश्चर्य करते हैं कि क्या शिक्षा तक पहुंच अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा के बराबर है। इसलिए, उस चुनौती का जवाब देने के लिए, हम एम.ओ.ओ.सी. का एक भारतीय संस्करण विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे आई.आई.टी., आई.आई.एम., केंद्रीय विश्वविद्यालय, एन.आई.टी. और आई.आई.एस.सी. ऑनलाइन स्नातक, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे, जो हर भारतीय नागरिक के लिए दूरस्थ, अनुकूल और मुफ्त होंगे। यदि कोई भारतीय नागरिक प्रमाणन चाहता है, तो, एक रियायती दर पर, नामित केंद्र पर वे जा सकते हैं, उस पाठ्यक्रम में परीक्षा दे सकते हैं और अपना प्रमाणन भी प्राप्त कर सकते हैं।

सुष्मिता जी ने रोजगार और कौशल की चुनौती की ओर इशारा किया था ताकि हम लोगों को डिग्री के साथ मंथन न करें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि वे अपने लिए पर्याप्त कुशल हों। मैं इस भावना की सराहना करती हूं। मैं उस भावना के साथ अपनी आवाज को जोड़ रही हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को बताना चाहूंगी कि 11 नवंबर को, जो शिक्षा दिवस इस देश में मनाया गया था, हमने कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक राष्ट्र को समर्पित क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह एक सपना है जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंतिम सत्र में बात की थी जो 11 नवंबर को सच हो गया।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमने पहली बार सेक्टर स्किल्स काउंसिल का गठन किया है। यू.जी.सी. के माध्यम से, हमने अपने सभी विश्वविद्यालयों को बताया है कि अगले शैक्षणिक वर्ष से, हमारे पास विकल्प-आधारित क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम हैं ताकि देश भर में छात्रों की गतिशीलता निर्बाध हो।

मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं कौशल विकास मंत्री के ठीक पीछे बैठी हूं, जो फिर से हमारी सरकार की एक पहल है, केवल यह इंगित करने के लिए कि हम अपनी शिक्षा और कौशल सुविधाओं, पहलों,

उद्यमशीलता कौशल में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कितने गंभीर हैं, इस देश के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है। [हिन्दी] मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सभी सम्मानित सांसदों को धन्यवाद देना चाहूंगी। कुछ लोगों ने अपने क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के साधनों-संसाधनों के अंतर्गत कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं। मैं उन्हीं माननीय सांसदों से कहना चाहती हूँ कि आपके व्यक्तिगत क्षेत्र में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में जो-जो चुनौतियाँ हैं, अगर आप उन्हें लिखित रूप से मुझे अवगत करायेंगे तो मैं अपने मंत्रालय के माध्यम से प्रत्येक मुख्यमंत्री को स्वयं लिखूंगी कि रूसा के अंतर्गत, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आभियान के अंतर्गत माननीय सांसदों की जो अपील है, जो जनता की दरकार है, उसे पूर्ण करने में केंद्र और प्रदेश की सरकार के बीच अच्छे समन्वय के माध्यम से सांसदों की भी जो दरकार है, जो उन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त किया है, उसका समाधान हम निकाल सकें।

[अनुवाद] महोदय, इससे पहले कि मैं सभा से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करूं, मैं इस प्रतिष्ठित सभा को यह बताना चाहूंगी कि विधेयक के पृष्ठ 2 पर, खंड 3 को अनजाने में गलत तरीके से मुद्रित किया गया है और खंड 4 के रूप में क्रमांकित किया गया है और इसलिए, मैं अनुरोध करूंगी कि खंड 4 को खंड 3 के रूप में पढ़ा जा सकता है। धन्यवाद।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। श्रीमती स्मृति इरानी ने मुझे गलत समझा है। मैंने कभी उसकी तुलना संत तुकाराम से नहीं की। मैंने सिर्फ गणपति और अन्य चीजों के बारे में नायडू जी ने जो कहा, उसके जवाब में बात की। संत तुकाराम की सोच भी वैज्ञानिक है। फिर, पेरियार, डॉ. अम्बेडकर, महात्मा फुले और महात्मा बसवेश्वर, उनके सारे विचार वैज्ञानिक हैं। उनके दर्शन और विचार वैज्ञानिक हैं। ऐसे विचारों को शिक्षा में लाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था। मैंने कभी उसकी तुलना संत तुकाराम से नहीं की। मैं उनकी तुलना संत तुकाराम से कैसे कर सकता हूं?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी: श्री उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने मुझे गलत सुना। मेरा भाषण रिकॉर्ड से निकाला जा सकता है और दिखाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता था कि उन्होंने मेरी तुलना

एक संत से की थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने हमारे ऊपर मजाक उड़ाने के लिए एक संत के नाम का इस्तेमाल किया। यह सब मेरा तर्क था। यह रिकॉर्ड पर उपलब्ध है।

लेकिन, महोदय, मेरा अनुरोध है कि यह विशेष रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर आम सहमति का वातावरण है और आम सहमति की भावना के साथ, बिहार के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री जी अब विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव रख सकती हैं।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।“

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिन पूर्व महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के नज़दीक अहमद नगर जिले में जवखेड़ा गाँव में तीन दलितों की बहुत ही मार्मिक तरीके से हत्या कर दी गयी। उनके हाथ-पैर बुरी तरह से काट दिए गए, लेकिन प्रशासन अभी तक उन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका है।

महोदय, महाराष्ट्र में यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी खैरलांजी में ऐसे ही दिन दहाड़े दलितों की बुरी तरह से हत्या की गयी थी। इन इलाकों के दलितों के प्रति अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन हत्यारों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे यहां न खड़े हों।

श्री प्रताप सिम्हा।

श्री प्रताप सिम्हा (मैसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कर्नाटक राज्य में मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित चौंकाने वाली घटनाएं हो रही हैं। राज्य में सत्तारूढ़ सरकार मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के प्रमुख समाचार चैनल टी.वी.9 कन्नड़ और इसी समूह के बैंगलोर केंद्रित अंग्रेजी समाचार चैनल, न्यूज9 का प्रसारण सोमवार शाम को अचानक बंद हो गया। केबल ऑपरेटरों ने राज्य सरकार के गंभीर दबाव में ऐसा किया।

यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है और मैं किसी एक पार्टी या सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। सत्ताधारी दल असहिष्णु होते जा रहे हैं। कुछ महीने पहले, टाइम्स नाउ को उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार की आलोचना

करने के कारण ब्लॉक कर दिया गया था। हाल ही में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने टी.वी.9 चैनल को ब्लॉक करने की धमकी दी थी। कर्नाटक इसका ताजा उदाहरण है। ... (*व्यवधान*)

यदि सरकार को मीडिया से कोई समस्या है, तो वह अदालत में जा सकती है। लेकिन, केबल ऑपरेटरों को किसी विशेष टीवी चैनल को न दिखाने के लिए मजबूर करके उनकी आवाज़ को दबाना अत्यधिक निंदनीय है।

चैनलों को बंद करना शायद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं केंद्र से अनुरोध करता हूं कि वह सभी राज्य सरकारों को हमारे संविधान की मूल भावनाओं को बनाए रखने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने का निर्देश दें। धन्यवाद। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं इसे देखूँगा। यदि कोई आपत्तिजनक बात है, तो उसे हटा दिया जाएगा।

... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: श्री प्रह्लाद जोशी को श्री प्रताप सिम्हा द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केरल के अलप्पुझा जिले के कुट्टनाड क्षेत्र में एवियन इंफ्लूएंजा वायरस (बर्ड फ्लू) के प्रकोप की ओर इस प्रतिष्ठित सभा और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बत्तख की खेती कुट्टनाड के किसानों के प्रमुख व्यवसायों में से एक है, विशेष रूप से ऑफ सीजन में। एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस के प्रकोप के कारण, एक सप्ताह में 50,000 से अधिक बत्तखों की मृत्यु हो गई।

थलवड़ी गांव, कुट्टनाड तालुक का कैनकारी गांव और अंबालापुजा तालुक का पुरक्कड़ गांव वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भले ही बत्तखों की मौत जल्दी बताई जाती है, लेकिन अब केवल कारण की पहचान की गई है। एच.एस.ए.डी. लैब, भोपाल में परीक्षण के बाद बीमारी की पुष्टि की गई थी। स्थिति चिंताजनक है। यदि इसे युद्ध स्तर पर नियंत्रित नहीं किया गया तो कुट्टनाड में पाले जा रहे लाखों बत्तख प्रभावित होंगे, जिससे किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान होगा।

यह पहली बार है कि केरल में एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस का पता चला है। यह रोग एच5 श्रेणी के वायरस के कारण होता है। यदि इसे रोका नहीं गया तो यह बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है।

केरल सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चिन्हित क्षेत्र में और लगभग पांच किलोमीटर में सभी बत्तखों को जलाने का निर्णय लिया है और उन्हें जलाना शुरू कर दिया है। कुट्टनाड क्षेत्र में बत्तख मांस और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध है। यह वायरस अब अलप्पुझा जिले के पुरक्कड़, वट्टक्कयाल, थलवड़ी, कैनकारी पंचायतों और कोट्टायम जिले के अयमानम से सामने आया है।

हालांकि राज्य सरकार बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए उपाय कर रही है, हम वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार के जल्द हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं।

अब बर्ड फ्लू मुर्गी पालन जैसी अन्य श्रेणियों में भी फैल गया है। केरल की सरकार महामारी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह जंगल की आग की तरह फैल रहा है और स्थिति चिंताजनक है। जनता में इस बात का भय है कि यह वायरस मानव को भी प्रभावित कर सकता है। रेड अलर्ट जारी किया गया है।

किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम, दवाओं की आपूर्ति और प्रभावित किसानों को राहत आदि की तत्काल व्यवस्था की जाए।

भारत सरकार समस्या की गंभीरता का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेज सकती है और इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए केरल सरकार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर सकती है।

किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

महोदय, यह बहुत गंभीर स्थिति है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी. करुणाकरन को श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, कृपया मुझे एक मामला उठाने की अनुमति दें। मैंने नोटिस दिया था और माननीय अध्यक्षा ने इसकी अनुमति दी थी।

माननीय उपाध्यक्ष: क्या यह एक ही विषय पर है?

श्री के. सी. वेणुगोपाल : महोदय, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका नाम पहले से ही वहाँ है। मुझे इस तरह से मजबूर न करें। मतदान किए गए नाम वहाँ हैं। मुझे उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। अब, डॉ. किरिट सोलंकी।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष जी, आज आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज से छह वर्ष पहले मुम्बई में आतंकी हमला हुआ था। आज इसकी छठी बरसी है। गुजरात में एक रीज़नल हब फार सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना के विषय पर बोलने की

आपने अनुमति दी है। छह वर्ष पहले जब मुम्बई में हमला हुआ था, तब कई दिनों तक आतंकी हमला चला था। पूरे देश ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने उस हमले को देखा है। इस हमले में जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को पहुंचाने में जिस तरह से अक्षम्य विलम्ब हुआ था, उसे पूरा देश जानता है। इसी कारण पिछली सरकार ने अलग-अलग जगहों पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का हब बनाने का फैसला लिया था।

जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात संवेदनशील राज्य है क्योंकि, गुजरात के साथ पाकिस्तान से जुड़ी हुई 512 किलोमीटर की सरहद है। गुजरात के पास लगभग 1500 किलोमीटर का समुद्री तट है। ये दोनों जगहों से कहीं पर भी हमला हो सकता है। हमारी गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि गुजरात में सिक्योरिटी गार्ड का एक हब बनाया जाए। गुजरात सरकार ने उसके लिए योग्य जमीन के आवंटन के लिए भी तत्परता दिखाई है। मैं अहमदाबाद से संसदीय प्रतिनिधित्व करता हूं। अहमदाबाद क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि गुजरात के अहमदाबाद में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का हब बनाया जाए।

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल: महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि हमने परसों भी नोटिस दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें इस मुद्दे को सदन में उठाने का मौका नहीं मिला है। केरल में बर्ड फ्लू की सूचना दो सप्ताह पहले मिली है। सैकड़ों बत्तख मारे गए हैं। भोपाल की राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने पुष्टि की है कि बर्ड फ्लू वायरस के कारण यह घटना हुई है। यह एक गंभीर मुद्दा है। हम इस मुद्दे को कैसे उठा सकते हैं? हम संसद के अलावा इस मुद्दे को कहां उठा सकते हैं? केरल में न केवल केरल के लोग बल्कि सभी दक्षिणी राज्यों के लोग बर्ड फ्लू की इस बीमारी के कारण खतरनाक स्थिति में हैं। हम, मैं, श्री सुरेश और श्री एंटो एन्टोनी कल ही माननीय मंत्री जी

से मिल चुके हैं। हम इस बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पहले ही लिख चुके हैं। केरल की सरकार इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए वहां बहुत सारी गतिविधियां कर रही है। लेकिन दवा की कमी है। यह दवा भारत सरकार ही दे सकती है। इसलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का समर्थन करना होगा। अन्यथा राज्य सरकार इस बीमारी के प्रसार को रोकने की स्थिति में नहीं है। किसानों को परेशानी हो रही है। वे बहुत गरीब किसान हैं। राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के कारण लगभग 1,80,000 बत्तख मारे गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि पांच किलोमीटर के दायरे में जहां बीमारी की सूचना है, सभी बत्तखों को मार दिया जाना चाहिए।

भारत सरकार को गरीब बतख किसानों को भी मुआवजा देना चाहिए। मैं केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया है। पशुपालन मंत्री जी स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। वे पहले ही केरल में एक टीम भेज चुके हैं। मुआवजा के रूप में गरीब किसानों की अधिकतम मदद की जानी चाहिए। लेकिन तत्काल आवश्यकता दवा की है। कुछ माननीय मंत्री जी वहाँ हैं, उन्हें यह संदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी तक पहुँचाना चाहिए। इसलिए, हम यहां इसका उल्लेख कर रहे हैं। पूरे राज्य के लोग, केरल बर्ड फ्लू से प्रभावित हुए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तीन स्थानों पर यह बताया गया है। इसलिए, मैं इस मुद्दे को संसद में उठाना चाहता हूं।

भारत सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि केरल की राज्य सरकार को दवाएं और मदद भेजी जाए। … (*व्यवधान*)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : महोदय, संसदीय कार्य मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री जी यहाँ हैं। कृपया उन्हें जवाब देने के लिए कहें। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: 'शून्यकाल' में आप मंत्री जी के हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं कर सकते।

… *(व्यवधान)*

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की चिंता को समझता हूं। वे वहां बर्ड फ्लू और लाखों पक्षियों को मारने की बात कर रहे हैं। यह बात देश में पहले भी सामने आ चुकी है। अगर वे ऐसा कह रहे हैं, तो हम स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और हम इसे कृषि मंत्री जी के संज्ञान में भी लाएंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक आति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं.

महोदय, पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हजारों की संख्या में वकील तथा विभिन्न जन-संगठनों के प्रतिनिधि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ को स्थापित किए जाने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर आज एक बार फिर संसद भवन के सम्मुख उपस्थित हुए थे।

महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ मेरठ में स्थापित करने की मांग निरंतर उठायी जाती रही है। मैंने पहले भी अनेक बार इस मांग को सदन में, तथा माननीय मंत्री जी के सम्मुख उठाया है। परन्तु, काल बाह्य नियमों एवं व्यवस्थाओं में खंडपीठ स्थापना के निर्णय की प्रक्रिया फंस कर रह जाती है। इसके परिणामस्वरूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों वादकारी आज भी सस्ते एवं सुलभ न्याय से वंचित हैं। इस अन्यायपूर्ण स्थिति के कारण वर्षों तक वकील की फीस देने तथा इलाहाबाद आने-जाने व ठहरने-खाने का इंतजाम करने में ही इस क्षेत्र के वादियों के खेत व मकान तक बिक जाते हैं।

उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की वर्तमान सरकार राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जड़ता को नयी सोच व दृढ़ इच्छा-शक्ति के साथ समाप्त करते हुए आगे बढ़ रही है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से, तथा विशेषकर आदरणीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि वे उत्तर प्रदेश की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उसमें व्याप्त जड़ता को समाप्त करने का कष्ट करें तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने हेतु मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, आज 26/11 है। दिन की शुरुआत से, मुझे उम्मीद थी कि इस देश के नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में कुछ शब्द बोले जाएंगे। मैं भाग्यशाली था कि मैंने नोटिस दिया था, इसे 'शून्य काल' में सूचीबद्ध किया गया था और क्रम के अनुसार इसे आना था। लेकिन हालात कुछ और ही थे। सुबह हमारे पास शून्यकाल नहीं था। यही कारण है कि हम इसे अब उठा रहे हैं।

घाव के निशान अभी भी बने हुए हैं और यह अभी भी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में नहीं है, न ही अन्य स्थानों पर जहां बंदूकें चलाई गई थीं। लेकिन मुंबई में अभी भी एक घर बचा है, वह नरीमन हाउस है, जिसने उन गोलियों को संरक्षित किया है क्योंकि हमने अपनी संसद की इमारत में उस दिन की कुछ गोलियों को संरक्षित किया है जब इस इमारत, भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया गया था।

छह साल पहले, भारत पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था, जो समुद्र तट से आए थे और 26.11.2008 को मुंबई में आतंकवादियों ने सभी ओर से हमला किया था। उस हमले के वीभत्स निशान अब नरीमन हाउस के अलावा दिखाई नहीं देते हैं। मुंबई की 124 किलोमीटर की तटरेखा अभी भी सबसे अधिक असुरक्षित है। महोदय, न केवल मुंबई की तटरेखा बल्कि पूर्वी तट भी बहुत असुरक्षित है। गुजरात तट के बारे में भी उल्लेख किया गया था जो पाकिस्तान सीमा के बहुत करीब है।

यह पूर्वी तट में बहुत असुरक्षित हो गया है क्योंकि आतंकवादी मॉड्यूल बांग्लादेश को अपना लॉन्च ग्राउंड बना रहे हैं। चिंता की बात यह है कि महत्वपूर्ण समुद्री सुरक्षा परियोजना अभी भी सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क का उद्घाटन गुड़गांव में हुआ है, लेकिन इसे पूरी संभावना या संचालनीय बनाने के लिए राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र जागरूकता या एन.एम.डी.ए. को स्थापित किया जाए। आज तत्काल आवश्यकता इस बात की है कि समुद्री पुलिस को आतंकवाद-रोधी गतिविधियों से लैस किया जाए।

इस कायरतापूर्ण हमले के छह साल बीत चुके हैं। छह महीने बीत चुके हैं जब भारत और पाकिस्तान के दोनों प्रधानमंत्रियों ने यहां दिल्ली में हाथ मिलाया था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने आज काठमांडू में हाथ मिलाया या नहीं। आज, मैं केवल यह उम्मीद करूंगा कि अपराध के दोषियों को माफ करना बुद्धिमानी होगी, लेकिन यह न भूलें कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। धन्यवाद, महोदय।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। वास्तव में, यह एक ऐसा दिन है जिसका उल्लेख माननीय अध्यक्षा ने श्रद्धांजलि के संदर्भ में किया था। हम सभी उस दिवंगत संदर्भ से जुड़े हुए हैं। लेकिन तथ्य यह है कि उस दिन भारत पर हमला हुआ था। हम सब इससे जुड़ते हैं। आज सुबह माननीय अध्यक्षा ने इस विशेष दिन का उल्लेख किया। इसलिए, मैं यह बताना चाहता था और यह वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे हम सभी संबद्ध करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री राजीव सातव को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए मामले से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान डेंगू जैसे वॉयरस की तरफ दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के तीस जिले उससे प्रभावित हैं। जो मौते हुई हैं, वह 16

के आसपास हैं। उनमें पांच मेरे लोक सभा क्षेत्र के, दमोह लोक सभा क्षेत्र के सागर के देवरी विधानसभा में हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ तीन बातें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहनी हैं। सरकार को इस बात पर चिन्ता करनी पड़ेगी कि जो डेंगू की किट है, उसकी प्रमाणिकता पहली बार साबित हुई है कि जिन सरकारी किटों के आधार पर डेंगू को डिटेक्ट नहीं किया जा सका, उन्हीं लोगों की मौतें हुई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पर जरूर चिन्ता करनी चाहिए, क्योंकि राज्य के स्तर पर एक जो एंटी वॉयरस केन्द्र होता है, वह भी वहां पर सफल नहीं रहा है। इसलिए कोई एक गरीब आदमी या कोई छोटा-मोटा किसान एक बार जब गया, उसकी प्लेटलेट्स कम होती हैं, उसका 40 हजार, 60 हजार से ज्यादा का खर्च आया और उसके बाद वे नहीं रहे। मुझे लगता है कि ये बड़ी भयानक परिस्थिति है। इसलिए हम सब को सामूहिक रूप से इस बात की चिन्ता करनी पड़ेगी कि क्या वास्तव में देश के स्वास्थ्य विभाग के पास अभी भी डेंगू की उतनी प्रमाणिक और पर्याप्त किट मौजूद नहीं है? यह परिस्थिति हम स्वीकार न करें, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया है। उसमें अगर खाली मेरे ही क्षेत्र से पांच लोगों की मौत होती है तो मैं सरकार से चाहूंगा कि इस बारे में जरूर चिन्ता करें। जैसे अभी हमारे केरल के मित्र ने कहा है, हमें इन बातों की चिन्ता करनी पड़ेगी कि क्या वह प्रमाणिक किट अगर हम बाहर से मंगाते हैं तो उनकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं। अगर हम यहां पर इंज़ात करने के बावजूद भी उस पर पूरी तरह से कारगर नहीं हुए हैं तो उसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। निजी स्कूलों में छात्रों का नामांकन अनुपात बढ़ रहा है लेकिन सरकारी स्कूलों में नामांकन अनुपात कम हो रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली के 2011 के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी स्कूलों में नामांकन कुल नामांकन का 69.6 प्रतिशत था। 2013-14 में यह घटकर 62.8 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के स्कूलों के लिए नामांकन की हिस्सेदारी 2010-11 में 28.3 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 34.5 प्रतिशत हो गई है।इससे पता चलता है कि निजी स्कूलों के लिए नामांकन अनुपात बढ़ रहा है और सरकारी स्कूलों के लिए नामांकन अनुपात कम हो रहा है। हालांकि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं हैं और सरकार स्कूलों में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए धन प्रदान कर रही है, लेकिन यह प्रवृत्ति निजी क्षेत्र के स्कूलों की ओर है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, माता-पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए रु. 200 प्रति माह खर्च करने के लिए तैयार हैं।

महोदय, मैं कुछ अन्य समस्याएं भी उठाना चाहता हूँ, जिनका सामना स्कूलों को करना पड़ता है। पहला शिक्षकों की कमी के बारे में है, विशेष रूप से कर्नाटक के मेरे जिले चामराजनगर में। यह एक छोटा सा जिला है। हमारे पास सरकारी स्कूलों में 630 शिक्षकों की कमी है। अन्य समस्या अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों और सरकारी शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन संरचना की कमी की है। ये कुछ समस्याएं हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है।

महोदय, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्थिति को देखें और देश भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए आवश्यक सुधारों का प्रस्ताव दें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदय, महाराष्ट्र की एक गम्भीर समस्या को शून्य काल के माध्यम से मैं इस सदन में पेश कर रहा हूँ। [अनुवाद] मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार की तरफ से उसके ऊपर तुरन्त राहत देने के लिए माँग कर रहा हूँ।

महोदय, महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इस वर्ष सूखा, अकाल पड़ा है। कल ही इस सदन में एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्र सरकार ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में जो सूखा, अकाल पड़ा है, उसमें जिन किसानों ने आत्महत्या की, उनके बारे में महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के पास कोई टिप्पणी नहीं दी है। मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी से इस नवंबर तक सिर्फ मराठवाड़ा में 364 किसानों ने सूखे की वजह से आत्महत्या की है। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र शासन की तरफ से केंद्र सरकार को पूरी टिप्पणी दी है।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि सूखे के वजह से जिन 364 किसानों ने जनवरी से आज तक आत्महत्या की है, उनके परिवारों को आधार देने के लिए केन्द्र सरकार पांच लाख रूपए सहायता देने की तुरंत व्यवस्था करे। इसके साथ-साथ विदर्भ और मराठवाड़ा के जिस एरिया में सूखा पड़ा है, उन सारे किसानों को दस हजार रूपए प्रति एकड़ तुरंत सहायता देने का आदेश केन्द्र सरकार को देना चाहिए। जो सूखा पीड़ित प्रदेश है, इस प्रदेश के किसानों के ऊपर जितने भी बैंक और एजेंसीज के कर्ज हैं, उनको माफ करना चाहिए और बिजली के बिल माफ करने चाहिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी भी फीस भरनी पड़ेगी, उसे भी तुरंत माफ करने का आदेश देना चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री चंद्रकांत खैरे, राजीव सातव, अरविंद आरांट, राहुल शेवाले, आनंदराव अडसुल और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री विनायक भाउराव राउत द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश के किसानों की महत्वपूर्ण समस्या को सदन में उठाने का अवसर प्रदान किया। किसानों का हितैषी बताने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार जब से सत्ता में आयी है, वह निरंतर किसानों की उपेक्षा करती जा रही है। उनको बुआई के समय खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। आज जब किसान ने अपना खून-पसीना बहाकर धान की फसल तैयार की है, तो उत्तर प्रदेश में धान क्रय-केंद्र संचालित नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से किसान अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं।

महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बलरामपुर और श्रावस्ती दो जिले हैं। वहां पर धान की खरीद का एक लक्ष्य निधाररित किया गया था। श्रावस्ती में 22 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निधाररित किया गया था, जिसके अगेनस्ट अभी तक मात्र 60 मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई है और बलरामपुर में 28 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निधाररित किया गया था, जिसके अगेनस्ट मात्र 30 मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई है।

मान्यवर, किसान अपना धान किसान केन्द्रों पर ले कर जाते हैं, उसको दागी बताकर धान वापस कर दिया जाता है, उसका कारण मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। विगत में ओड़िशा और आंध्रप्रदेश में आए हुदहुद तूफान का काफी असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ा था। हुदहुद तूफान के दिनों में काफी तेज हवाएं चली थीं जिसके वजह से धान की पकी फसल जो तैयार खड़ी थी, वह गिर गई थी, जिसकी वजह से धान दागी हो गया है और केन्द्रों पर उसको दागी बताकर वापस किया जा रहा है। आज हमारी जानकारी में आया है कि भारतीय खाद्य निगम की कोई टीम पूर्वी उत्तर प्रदेश के दागी धान का सैंपलिंग करने के लिए गई हुई है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अभी तक मात्र 4 परसेंट की छूट प्रदान की जाती थी, उसको बढ़ाया जाए, चूंकि हुदहुद तूफान की वजह से धान काफी मात्रा में दागी हो गई है। इसलिए खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों

के लिए छूट की मात्रा बढ़ाई जाए। किसानों को समर्थन मूल्य 1360 रुपए निधाररिए किए गए थे, उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भी पा सकें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, यानी उत्तर प्रदेश के हरदोई में हरपालपुर नाम का एक ब्लॉक है जो स्वराजपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है जहाँ सेमरिया नाम का एक गाँव है। इस गाँव ने वर्ष 1932 में स्वतंत्रता सेनानियों का नरसंहार देखा है, और उस घटना को मिनी *जलियांवाला बाग* घटना के रूप में भी कहा गया है।

मैं संक्षेप में इस घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 26 जनवरी 1932 को स्वतंत्रता सेनानियों ने क्रांतिकारी नेता श्री सोमेश्वर नाथ शाहाबादी के नेतृत्व में सेमरिया गाँव में एक बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर ब्रिटिश शासन, के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, और इसके जरिए *पूर्ण स्वराज* की मांग की।ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वतंत्रता सेनानियों को ऐसा करने से रोक दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आंदोलन जारी रखा। इस पर, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी ने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, सैकड़ों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और इन स्वतंत्रता सेनानियों के शवों को पास की बहती नदी *राम गंगा*. में फेंक दिया गया।

स्थानीय लोग हर साल 26 जनवरी को इन शहीदों को याद करने के लिए शहीदों के लिए एक शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और उनकी स्मृति में स्थानीय प्रशासन की सहायता और सहायता से एक स्मारक भी स्थापित किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस स्मारक को एक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय को राष्ट्र के शहीदों के सम्मान में इस स्मारक का विकास और सौंदर्यीकरण करने के लिए कहा जाए। आपका बहुत - बहुत धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री बाबूलाल चौधरी (फतेहपुर सीकरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मैं वहां से निवारचित होकर आया हूं।

महोदय, फतेहपुर सीकरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, वहां से आगरा 35 किलोमीटर की दूरी पर है। [हिन्दी] आगरा में 40 साल से यह मांग उठती चली आ रही है कि वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए, मगर जमीन की कमी के कारण, जमीन नहीं मिलने के कारण, वहां पर अभी तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि फतेहपुर सीकरी तीन राज्यों को जोड़ता है, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जहां हमलोग खुद हैं, अगर यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा तो निश्चित तौर से वहां से बहुत राजस्व की प्राप्ति होगी। आज फतेहपुर सीकरी में 40 हजार विदेशी पर्यटक और देसी 3 लाख पर्यटक आते हैं। इनसे लगभग 15 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती है। ताजमहल यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां करीब 70 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं और लगभग 35 लाख देसी पर्यटक आते हैं जिससे सरकार को 70-80 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में मिलते है।

फतहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रही है। फतहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा विश्व में सबसे ऊंचा दरवाजा है। फतहपुर सीकरी सलीम चिश्ती की दरगाह है लाखों विदेशी पर्यटक उसे देखने के लिए एवं पूजा करने के लिए आते हैं। फतहपुर सीकरी से भरतपुर बर्ड सैंचुरी तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है जिसे

लाखों पर्यटक देखने आते हैं।...*(व्यवधान)* फतहपुर सीकरी से मध्य प्रदेश का 180 किलोमीटर ग्वालियर हवाई अड्डा है।...*(व्यवधान)* फतेहपुर सीकरी से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूरी 280 कि.मी. है, फतेहपुर सीकरी से लखनऊ हवाई अड्डे की दूरी करीब 500 कि.मी. है, फतेहपुर सीकरी से जयपुर हवाई अड्डा भी करीब 280 कि.मी. दूर है अतः यह उपयुक्त और एक ऐतिहासिक जगह है और पर्यटकों को काफी दूरी तय कर हवाई यात्रा करनी पड़ती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे चाहते थे और आपने उस मुद्दे का उल्लेख किया है।

श्री बलका सुमन।

श्री बलका सुमन (पेड्डापल्ले): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तेलंगाना राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेलंगाना देश का सबसे युवा राज्य है। हमारे मुख्यमंत्री जी श्री के. चन्द्रशेखर राव जी के कुशल नेतृत्व में हम तेलंगाना राज्य के लोगों के कल्याण और विकास के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालाँकि, हम विकलांग हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी भारतीय सेवा अधिकारियों को तेलंगाना राज्य को आवंटित नहीं किया है। यह हमारी राज्य सरकार के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में सबसे बड़ी बाधा है। यह मुद्दा डी.ओ.पी.टी. और प्रधानमंत्री कार्यालय के पास लंबित है।

मैं भारत सरकार से इस मुद्दे को हल करने और सभी भारतीय सेवा के अधिकारियों को तुरंत तेलंगाना राज्य में आवंटित करने का आग्रह करता हूं।

अंत में एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को इस देश की संघीय व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। उन्हें राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना होगा और अपना समर्थन देना होगा। हमें

आशा है कि सरकार आवश्यक कदम उठाएगी और तेलंगाना राज्य के लोगों के हित में सभी भारतीय सेवा के अधिकारियों के आवंटन को सरकार द्वारा जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु) : महोदय, मैं उस माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं।

*__श्री पी. आर. सुन्दरम (नामाक्कल):__ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। सर्कारिया आयोग द्वारा भयानक जांच के डर से, तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डी.एम.के. के अध्यक्ष ने 50 साल पुराने कावेरी नदी जल समझौते का नवीनीकरण नहीं किया और तमिलनाडु के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। लेकिन पुरच्ची थलैवी अम्मा ने तीसरी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने के बाद और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण से कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए 419 टी.एम.सी. पानी की रिहाई के लिए अंतिम निर्णय प्राप्त किया और इसे केंद्रीय राजपत्र में अधिसूचित कर दिया। तंजावुर में, 5 लाख किसानों ने पुरच्ची थलैवी अम्मा को धन्यवाद देने के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण के फैसले को उचित महत्व दिए बिना, कर्नाटक राज्य सरकार के सिंचाई मंत्री श्री पाटिल जी ने कहा कि कर्नाटक में मेकेदातु नामक स्थान पर नदी कावेरी में तीन नए बांध बनाए जाएंगे। यह नई योजना कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय के अनुरूप नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक सिंचाई खनिज द्वारा दिया गया बयान पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है। इस बीच, तमिलनाडु सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अंतरिम याचिका दायर की है, जिसमें आग्रह किया गया है कि कर्नाटक

---

* मूलतः तमिल में दिये गए भाषण के अँग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

मेकेदातु में जलविद्युत योजना के कार्यान्वयन को आगे न बढ़ाए। 02.09.2013 को, पुरातीथलाइवी अम्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु की सहमति के बिना कावेरी नदी के पार कोई बांध नहीं बनाना चाहिए। तंजावुर और तमिलनाडु के अन्य डेल्टा जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। तमिलनाडु में 29 नवंबर 2014 को हड़ताल का आह्वान हुआ। इस महीने की 13तारीख को पुरात्थलाइवी अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में काम करने वाली तमिलनाडु सरकार ने इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजी है। प्रतिवेदन के अनुसार, मैं प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि तमिलनाडु सरकार की सहमति के बिना कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर कोई बांध नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा 3 जून 2014 को, पुरात्थलाइवी अम्मा ने माननीय प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और बहुत जल्द कावेरी नदी जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना पर जोर दिया। जैसा कि पुरात्थलाइवी अम्मा द्वारा मांग की गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी को रु.11421 करोड़ की राशि तुरंत जारी करने का प्रयास करना चाहिए ताकि कावेरी नहर में तत्काल नवीनीकरण कार्य प्रारंभ की जा सके।

<u>सायं 7.00 बजे</u>

*__श्री वी.एलुमलाई (अरनी):__ माननीय उपाध्यक्ष, वणक्कम। मुझे इस महती सभा में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय पुरैची थलैवी अम्मा जी को धन्यवाद देता हूँ। पुरैची थलैवी अम्मा ने 03.06.2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक बैठक की और श्रीलंका से कच्चातिवु द्वीप वापस लेने और श्रीलंकाई नौसेना के कर्मियों द्वारा तमिल मछुआरों की बार-बार गिरफ्तारी को रोकने के लिए जोर दिया। लेकिन बार-बार

---

* मूलतः तमिल में दिये गए भाषण के अँग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

श्रीलंकन नौसेना और श्रीलंका की सरकार तमिल मछुआरों को गिरफ्तार करने में शामिल हैं। पांच तमिल मछुआरों को 2011 में ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 2014 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। माननीय पुरैची थलैवी अम्मा ने रु.20 लाख तमिलनाडु से उन पांच मछुआरों की मौत की सजा रद्द करने की अपील दायर करने के लिए अपील किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से मौत की सजा पाने वाले मछुआरों को रिहा कर दिया गया। लेकिन 23 नवंबर 2014 को, उनकी रिहाई के अगले ही दिन, अन्य 14 तमिल मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी भी श्रीलंकन जेलों में बंद हैं। 1974 और 1976 के समझौतों के माध्यम से श्रीलंका को गलती से कच्चातिवु द्वीप दे दिया गया था। लोगों के मुख्यमंत्री जी पुरैची थलैवी अम्मा ने 03.06.2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर मांग की कि इन समझौतों को निरस्त किया जाए और कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका से वापस लिया जाए। मैं इस महान सभा के माध्यम से यह अपील करता हूँ कि कच्चातिवु द्वीप को तमिलनाडु को वापस पाने के लिए सुनिश्चित किया जाए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मुझे रिकॉर्ड पर दर्ज करना होगा कि पांच भारतीय मछुआरे जिन्हें सजा हुई थी, उन्हें भारत सरकार के हस्तक्षेप से रिहा कर दिया गया है। मुझे लगता है कि यह दोनों देशों के बीच बड़े सहयोग और हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए गए रुख का परिणाम है। यह देश की एक बड़ी उपलब्धि थी कि हम उन मछुआरों को वापस ला सके। मेरा मानना है कि हमारे सदस्यों की जानकारी के लिए इस बिंदु को चिह्नित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : परम सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको हार्दिक धन्यवाद आर्पित करना चाहूंगा कि आपने मुझे राजस्थान के किसानों के बारे में बोलने का सुअवसर दिया। मैं यहां राजस्थान, विशेष रूप से वेस्टर्न राजस्थान का एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। [अनुवाद] पश्चिमी राजस्थान का जिला पूरी तरह से सूखाग्रस्त क्षेत्र है। [हिन्दी] वहां पर बारिश वास्तव में देरी से होती है या बारिश

का इंटरवल बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे पांच वर्षों में से तीन वर्ष फसलें खराब हो जाती हैं। [अनुवाद] फसलें खराब होने के कारण काश्तकारों के लिए एक नयी स्कीम मौसम आधारित फसल बीमाआयी है। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस का फायदा भी है, लेकिन अभी तक वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस से किसी भी काश्तकार को खराबी की राशि प्रिमियम से ज्यादा कभी भी नहीं मिली है। [अनुवाद] उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि कुछ कारण हैं। पहली बात यह है कि यह मौसम आधारित फसल बीमा पूरी तरह से तहसील हेडक्वार्टर के वर्षा-माप और मौसम पर निर्भर करता है। हमारे वहां यह कहावत है कि आपके गाय के एक सींग पर बारिश हो रही है तो दूसरा सींग ड्राई रह रहा है, यानी एक गांव से दूसरे गांव में बहुत अंतर आ जाता है। [हिन्दी] तहसील हैडक्वार्टर यदि तहसील के एक कोने में लोकेटेड है और पूरा तहसील दूसरी साइड में है तो इस कारण वेदर में सही रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। [अनुवाद] यदि तहसील हैडक्वार्टर पर अच्छी बारिश दर्ज हो गयी तो बाकी तहसील के गांव में जितनी भी खराबी हो, उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। किसानों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, उसे मैं आपके मार्फत माननीय कृषि मंत्री जी को बताना चाहता हूं। दूसरी प्रॉब्लम यह आ रही है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आपको केवल एक मुद्दा उठाना है।

... *(व्यवधान)*

श्री सी.आर.चौधरी : दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वे सहकारी समितियों के माध्यम से मुआवजा देते हैं। कोआपरेटिव सोसायटी की जगह इंडीविजुअल खातों में, बैंकों में जन-धन योजना आदि खातों में जमा कराया जाना चाहिए। ...(व्यवधान) [अनुवाद] किसान बहुत पीड़ित हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): माननीय उपाध्यक्ष जी, देश के गंभीर विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। देश में पूंजीपति शिक्षा माफियाओं द्वारा छात्रों का शोषण कोचिंग संस्थाओं द्वारा हो रहा है। गरीब मध्यम वर्ग के छात्र किसी तरह से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए दिल्ली आते हैं। यहां लॉज मालिक एक कमरे में चार छात्र रखते हैं और करीब 4000, 8000 या 9000 रुपया एक छात्र से लिया जाता है और प्रत्येक महीने पैसा बढ़ा दिया जाता है। [हिन्दी] पुलिस द्वारा इन्टरवीन करके जबरदस्ती पैसे लिए जाते हैं अन्यथा उन्हे निकाल दिया जाता है, बिजली, पानी काट दिया जाता है। बच्चों पर एक्सटॉरशन करके लाठी से पीट कर पैसे लिए जाते हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और नार्थ-ईस्ट के छात्रों की स्थिति बहुत भयानक है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार ने पहले भी इन इश्यूज़ की तरफ बहुत ध्यान दिया था और कहा था कि बच्चों के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं होगी। बाहर से आकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए रेट फिक्स किया गया था लेकिन लॉज माफिया उसका पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कानून बना जिसमें यह तय किया गया कि लॉज की क्या गुणवत्ता, स्थिति होगी और कितनी फीस होगी। एक लॉज में मात्र दो छात्र रखे जाएंगे जबकि एक कमरे में छः, सात छात्रों को रखा जाता है और जबरदस्ती उनसे 8000, 9000 रुपए वसूले जाते हैं।

शिक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने गाईडलाइन दी है कि 20 से 40 स्टूडेंट्स से ज्यादा किसी कोचिंग संस्था में नहीं पढ़ा सकते और क्या फीस होगी, यह भी तय है। आज स्थिति यह है कि फीस भी अत्यधिक ली जाती है और एक कोचिंग संस्था में एक पीरियड में 400 या 500 विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। मैं मांग करता हूं कि जो आदेश भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट का है, शिक्षा की गुणवत्ता का जो नियम है, उसके मुताबिक कोचिंग संस्था में एजुकेशन मिले और उचित फीस ली जाए। दिल्ली में छात्र-छात्राओं पर

अत्याचार हो रहा है। मेरी मांग है कि मंत्री महोदय इसमें इन्टरवीन करें। दिल्ली में लॉज की स्थिति देखें और बिहार के बच्चों को बचाएं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको विदित है कि उत्तराखंड को भारत का भाल कहते हैं। यह देश की संस्कृति का प्राण है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री-यमनोत्री, हेमुकुंट साहेब और पिरान कलियार चार धाम हैं। दुनिया के विभिन्न देशों से लोग हरिद्वार, गंगा को स्पर्श करने और स्नान करने के लिए आते हैं। यह धरती का स्वर्ग भी कहलाता है। यहां करोड़ों पर्यटक आते हैं। वर्ष 2010 के महाकुंभ में मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे उस आयोजन को सम्पन्न करने का सौभाग्य मिला था। 150 से आधिक देशों के साढ़े आठ करोड़ लोग हरिद्वार गंगा स्नान के लिए आए थे। इसके प्रबंधन से ही इसे नोबल पुरस्कार के लिए नामित किया था। जब कांवड़ की भीड़ होती है तो प्रतिदिन 25 लाख से 30 लाख, एक करोड़ से दो करोड़ तक लोग आते हैं। इससे स्थानीय लोगों का जीवन दूभर हो जाता है। यातायात की स्थिति बहुत खराब हो जाती है क्योंकि घंटों जाम लग जाता है। मेरा निवेदन है कि दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में सभी राजधानियों से ट्रेन की व्यवस्था की जाए क्योंकि कुंभ आने वाला है। रुड़की से हरिद्वार और ऋषिकेश तक मैट्रो या मोनो रेल का वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए नहीं तो बहुत कठिनाई हो जाएगी।

श्रीमन्, मेरा यह भी निवेदन है कि एन.एच. 58 और एन.एच. 72 की स्थिति तीन वर्षों से हरिद्वार और देहरादून तक बहुत ही खराब है। एन.एच. 72 को फोर लेन होना था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। मुस्तफानगर, हरिद्वार, रूडकी के लिए जो वैकल्पिक मार्ग है, उसकी भी वही हालत है, लक्सर वाला वैकल्पिक मार्ग भी अभी तक नहीं बना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कुंभ आने वाला है, इसलिए इन वैकल्पिक मार्गों की स्थिति बेहतर करने की जरूरत है। वहाँ प मोनो रेल चालन सुनिश्चित किया जाए, जितने पुल बनने हैं, उनको बनाया जाए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) :महोदय, मैं आपके संज्ञान में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाली नदियों में धसान व केन, बेतवा, यमुना नदी में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अवैध खनन कराया जा रहा है। जिन व्यक्तियों के नाम पर चार-पाँच एकड़ के पट्टे हैं, वहाँ पर 500 एकड़ में अवैध खनन कराया जा रहा है। बालू को मशीनों द्वारा नदी से निकालकर ट्रक ओवरलोड भरे जा रहे हैं। जिस ट्रक में 20-25 ट्रक बालू जाना चाहिए, उसमें 50-60 टन तक बालू ढोयी जा रही है, जिसके कारण बुंदेलखंड की सारी सड़कें ध्वस्त हो गयी हैं। जिन लोगों के ट्रक चल रहे हैं, सरकार उनसे गुंडा टैक्स के रूप में पैसे वसूल रही है। जिन पट्टेदारों ने वन विभाग से पर्यावरण संबंधी एन.ओ.सी. ले ली है, उनके द्वारा नदियों से 20 फुट की गहराई तक बालू निकाले जा रहे हैं, जिससे हमारी नदियों का आस्तित्व खतरे में है। यमुना नदी जो काल्पी में पश्चिम की ओर से वेदव्यास के मंदिर से होकर गुजरती थी, आज वह विपरीत दिशा से गुजर रही है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इसकी जांच के लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी गठित हो और उस जांच में क्षेत्रीय सांसद को सदस्य के रूप में रखा जाए, ताकि अवैध तरीके से हो रहे खनन पर रोक लगायी जा सके।

[अनुवाद]

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं तेलंगाना के महबूबनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर हो रही कई दुर्घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण महत्व के मामले को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

महबूबनगर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क सड़कों पर उचित रोशनी प्रदान करने और आकस्मिक एहतियाती उपाय करने की सख्त आवश्यकता है। आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग- 44 पर सभी 78 संपर्क सड़कों में 602 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 2013 जनवरी से 2014 सितंबर तक की अवधि के दौरान 400 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई

और 529 व्यक्तियों को चोटें आईं। संपर्क सड़कों पर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर हुई सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण पर, यह पाया गया है कि संपर्क सड़कों पर कोई उचित रोशनी नहीं थी, परिणामस्वरूप, ज्यादातर पैदल यात्री जो गांव के संपर्क सड़कों पर राष्ट्रीय राजमार्ग पार करते थे, रात के समय तेज वाहनों द्वारा हताहत हो गए। इस क्षेत्र के लोगों ने संबंधित परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई. के साथ-साथ संबंधित पुलिस अधिकारियों को बार-बार अभ्यावेदन दिए हैं। इन सभी प्रस्तुतियों में अनुरोध किया गया कि उचित प्रकाश व्यवस्था की जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर पैदल यात्रियों के लिए ज़ेबरा क्रॉसिंग की व्यवस्था की जाए, और निर्दोष पैदल यात्रियों की मृत्यु का कारण बनने वाली कई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी गांव की सड़कों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए।

इसलिए, मैं आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 महबूबनगर जिले में संपर्क सड़कों के सभी 78 बिंदुओं पर उचित प्रकाश व्यवस्था, जेब्रा क्रॉसिंग और बैरिकेडिंग को तत्काल शुरू किया जाए और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री नागेंद्र कुमार प्रधान (संबलपुर) : श्री उपाध्यक्ष महोदय:, मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को रखने का अवसर दिया।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, ओडिशा में, सम्बलपुर मुख्यालय राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पिछले 10 से 15 दिनों से, वहाँ 10,000 से अधिक लोग पीलिया से प्रभावित हैं। ओडिशा की सरकार इस बीमारी को नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास कर रही है। वे रोगियों को विभिन्न प्रकार के उपचार देने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है।

इसलिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया सरकार को इस बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए एक विशेष दल भेजने का निर्देश दें क्योंकि 10,000 से अधिक लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं ताकि एक स्थायी समाधान निकाला जा सके।

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, भारत किसानों का देश है। आज किसानों को उचित दाम न मिलने के कारण और महंगी खेती के कारण वे आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। आज बहुतेरे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में खासकर धान की फसल की कटाई एक माह पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है, किन्तु अनेक राज्यों में अभी तक राज्य सरकारों द्वारा धान के क्रय केन्द्र नहीं खोले गए हैं और न ही लक्ष्य निधाररित किए गए हैं। विशेषकर बिहार में बहुतेरे किसानों को गत वर्ष पैक्स द्वारा खरीदे गए धान के समर्थन मूल्य का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जिससे किसानों में काफी क्षोभ है। बिहार में शाहाबाद, जो धान का कटोरा कहलाने वाला क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत हमारा संसदीय क्षेत्र बक्सर भी आता है, आज फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिलने एवं महंगी खेती के कारण लोग कटोरा लेकर भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं।

महोदय, इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा लाभांश मूल्य की राशि की घोषणा पिछले वर्ष धान क्रय के अंतिम चरण में की गयी थी जिसके पूर्व में किसानों द्वारा बेचे गए धान के लिए लाभांश मूल्य का भुगतान नहीं किया गया था, जबकि सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि पूर्व के भी विक्रेता किसानों को घोषित लाभांश मूल्य का भुगतान किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि जिन किसानों को पिछले समर्थन मूल्य और लाभांश मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है, उसे बिहार सरकार से दिलवाने के लिए आवश्यक पहल करे। इसके साथ ही मेरा केन्द्र

सरकार से यह भी अनुरोध है कि केन्द्र सरकार अपनी तरफ से किसानों को कुछ लाभांश देने की दिशा में पहल करे।

[अनुवाद]

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर) महोदय, मुझे पारादीप पोर्ट ट्रस्ट से संबंधित मामला उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों में प्रशासन के सुचारू संचालन और बंदरगाह प्राधिकरण की अन्य गतिविधियों के लिए संबंधित पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड हैं। ट्रस्ट बोर्ड के गठन के लिए, सदस्यों के साथ-साथ औद्योगिक निकायों के चयन की प्रक्रिया हर साल की जाती है। इस संदर्भ में, मैं माननीय जलमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ओडिशा के पारादीप पोर्ट के संबंध में पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के गठन में देरी क्यों हो रही है, जबकि देश के लगभग सभी मुख्य पोर्ट्स ने पहले ही अपने ट्रस्ट बोर्ड को चुनकर स्थापित कर लिया है।

इस संबंध में, मैं यह बताना चाहूँगा कि विशेष रूप से ट्रस्ट बोर्ड पोर्ट के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे विकास प्रक्रिया सुगम बनती है। यह सर्वविदित है कि पारादीप बंदरगाह के प्रदर्शन मापदंडों को स्वीकार किया जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि पारादीप पोर्ट के ट्रस्ट बोर्ड के पूर्व संविक्तियों के रूप में, यदि ट्रस्ट बोर्ड द्वारा एक मॉनिटरिंग स्रोत बनाया जाए, तो पारादीप पोर्ट के प्रबंधन को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को संचालित करने की अधिकारिता प्राप्त की जा सकती है, जिससे इसकी प्रतिस्पर्धी अवांछनीयताओं को संभालने के लिए क्षमता में वृद्धि हो सके। इसलिए, ट्रस्ट बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए सदस्यों का शीघ्रता से चयन करना आवश्यक है और मैं मंत्री शिपिंग से इसके लिए पहल करने की अपील करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: सभा कल, 27 नवम्बर, 2014 को पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सांय 7.19 बजे

तत्पश्चात लोकसभा को गुरुवार, 27 नवंबर, 2014 / 6 अग्रहायण 1936 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित